उत्कृष्टता से हस्तनिर्मित

HANDWOVEN TO PERFECTION

42वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025

42nd Annual Report 2024-2025



राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

निदेशक मंडल
Board of Directors



डा. बीना महादेवन, आईएएस
Dr. Beena Mahadevan, IAS
अध्यक्ष – एनएचडीसी
Chairperson - NHDC
विकास आयुक्त (हथकरघा)
Development Commissioner (Handlooms)



कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत)
Commodore Rajiv Ashok (Retd.)
प्रबंधन निदेशक – एनएचडीसी
Managing Director - NHDC



श्री धीरेन्द्र कुमार
Shri Dhirendra Kumar
निदेशक – (आई एफ डब्लू)
Director - (IFW)

प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी
Key Managerial Personnel



श्री धीरेन्द्र प्रकाश जलंधरी
Shri Dhirender Prakash Jalandhari
(अधिशासी निदेशक – वित्त / कंपनी सचिव
(अतिरिक्त प्रभार) / मुख्य वित्त अधिकारी),
ED - Finanace/CS (Addl. Charge)/CFO

42वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025

42nd Annual Report 2024-2025

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

विषय सूची

विजन एवं मिशन	2
कॉर्पोरेट सूचना	3-4
बयालीसवीं (42वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	5-6
अध्यक्ष का भाषण	7-8
निदेशक की रिपोर्ट	9-20
निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	21-80
आचार संहिता की घोषणा	81
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	82-89
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	90-112
अनुपालन रिपोर्ट	113
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा	114-115

वार्षिक लेखे

तुलन - पत्र	116
लाभ एवं हानि का विवरण	117
नकदी प्रवाह विवरण	118
इक्विटी परिवर्तन पर विवरण	119
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	120-152
अनुदान संबंधी विवरण	153-156

विजन एवं मिशन

विजन:

हथकरघा क्षेत्र और सतत फैब्रिक के संवर्धन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी बनना।

मिशन:

सभी हथकरघा हितधारकों के लिए इनपुट आपूर्ति, डिजाइनरों के साथ लिंकेज, भौगोलिक संकेत के माध्यम से विरासत के संरक्षण और निर्यात बाजारों सहित बाजार लिंकेजों के माध्यम से उनकी क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक सक्षम और सुविधा प्रदाता एजेंसी बनना और सतत फैब्रिक को बढ़ावा देना।

कॉर्पोरेट सूचना (वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार)

श्रीमती डा. बीना महादेवन (अध्यक्ष)
विकास आयुक्त (हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) (प्रबंध निदेशक)

श्री धीरेंद्र कुमार (सरकारी निदेशक)
निदेशक, आईएफडब्ल्यू
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

श्री धीरेंद्र प्रकाश जालंधरी (अधिशासी निदेशक – वित्त / कंपनी सचिव (अतिरिक्त प्रभार) / मुख्य वित्त अधिकारी)

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स एच. नितिन एंड एसोसिएट्स
कार्यरत कंपनी सचिव

शाखा सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स वाई थिरुमाला राव एंड कंपनी, बेंगलुरु
मैसर्स बैद एंड सीओ, कोलकाता
मैसर्स चटर्जी एंड चटर्जी, वाराणसी
मैसर्स बलराम & एसोसिएट्स, पानीपत
मैसर्स पी आर एस वी एंड सीओ एलएलपी, हैदराबाद
मैसर्स जीकेपी एसोसिएट्स, कोयंबटूर
मैसर्स राजेश सुराना एंड कंपनी, गुवाहाटी

प्रमुख बैंकर्स

इंडियन बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नेशनल बैंक

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

एक्सिस बैंक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

केनरा बैंक

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग,
नोएडा, गौतम बुद्ध नगर,
नोएडा- 201301, उत्तर प्रदेश

42वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना (शॉर्ट नोटिस) दी जाती है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की **42वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 31 दिसंबर, 2025 को अपराह्न 5:.00 बजे विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, कमरा नं. 56, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011** को निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:-

साधारण कार्य:

1. वित्तीय वर्ष 2024-25के लिए को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, सीएंडएजी की टिप्पणियां, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उन पर सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित करना और अपनाना और निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   "**संकल्प लिया गया** कि 31 मार्च, 2025को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, सीएंडएजी की टिप्पणियां, सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उन पर सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणएतद्द्वारा प्राप्त किए जाएं, उन पर विचार किया जाए और उन्हें अपनाया जाए।"

2. **वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लाभांश घोषित करना।**

   निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे **साधारण प्रस्ताव** के रूप में संशोधनों सहित या उसके बिना पारित करना:

   "**यह संकल्प लिया गया** कि निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर 53.76लाख रुपये का अंतिम लाभांश, अर्थात 100रुपये अंकित मूल्य के प्रति शेयर 2.83 रुपये है और एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25के लिए भुगतान हेतु घोषित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त))
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09598427

स्थान: नोएडा
दिनांक: 30 दिसंबर, 2025

टिप्पणी:-

क) मतदान में भाग लेने तथा मतदान करने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर मतदान में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए किसी प्रोक्सी को नियुक्त करने का हकदार है, तथा प्रोक्सी का निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी को वैध और प्रभावी बनाने के लिए हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फॉर्म को बैठक शुरू होने से अड़तालीस घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर देना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इसके साथ संलग्न हैं।

ख) निगम के वित्तीय विवरण, उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा बोर्ड की रिपोर्ट संलग्न हैं।

ग) निगम ने 1.79 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2024-25के लिए 53.76लाख रुपये के लाभांश की सिफारिश की गई है।

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है। सदस्यों ने दिनांक 10.04.2002 को आयोजित आम सभा की अपनी बैठक में निदेशक मंडल को भविष्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

ड़) एनएचडीसी के एओए के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान - कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के कुछ प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को धारा 196 (4), (5) से छूट के तहत निगम के निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

च) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेयरधारिता के रजिस्टर का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है, अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं जिसमें निदेशकों की रुचि है, के रजिस्टर का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत किया जाता है और सूचना में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में, व्यावसायिक कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और बैठक के स्थान पर कंपनी की एजीएम के समय सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आयोजित निगम की 42वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सी एंड एजी की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर सहित 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, और बोर्ड की रिपोर्ट तथा इसके अनुलग्नक पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं और आपकी अनुमति से, मैं उन्हें 'पढ़ा गया' के रूप में मानती हूं।

मैं आज की बैठक के औपचारिक एजेंडे पर आने से पहले; मैं वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी की वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन को आपके साथ संक्षेप में साझा करना चाहती हूं।

विगत वर्ष की समीक्षा

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1226.77 करोड़ रुपये की तुलना में 1212.97 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ और कर की राशि वित्त वर्ष 2023-24 में 5.53 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में 4.53 करोड़ रुपये दर्ज किए गए हैं। निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 में 5.47 करोड़ रुपए के लाभ की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में कर के बाद 1.79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (पीएटी) अर्जित किया। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2024 को 85.20 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 85.07 करोड़ रुपए हो गयी है।

निगम वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। निगम कच्चे माल की आपूर्ति योजना (आरएमएस) के साथ संरेखित करने के लिए अपने संसाधनों को चैनलाइज कर रहा है और लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2024-25 के दौरान धागे की आपूर्ति 326.28 लाख किलोग्राम थी, जिसकी कीमत 1156.76 करोड़ रुपये थी, जिसमें यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत 323.85 लाख किलोग्राम धागा शामिल है, जिसकी कीमत 1146.89 करोड़ रुपये है। इसकी तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 341.35 लाख किलोग्राम धागे की आपूर्ति हुई थी, जिसकी कीमत 1172.65 करोड़ रुपये थी, जिसमें 339.98 लाख किलोग्राम धागा शामिल था, जिसकी कीमत 1165.96 करोड़ रुपये थी।

आपका निगम ऋण-मुक्त निगम है, और ट्रेजरी कार्य और पूरी कार्यशील पूंजी उसके आंतरिक संसाधनों से पूरी होती है, और निगम पर ब्याज लागत का कोई बोझ नहीं है।

भावी परिदृश्य

निगम वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम उत्पाद विकास और विपणन और प्रचार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इसके अलावा, निगम एक ओर हाथ से बुने और हाथ से बनाए गए वस्त्र क्षेत्र की खोज कर रहा है, जबकि दूसरी ओर पूंजी गहन संवेदनशील मिल क्षेत्र है जो डिजिटल परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी और वैश्विक लीडरशिप वाले भविष्य के लिए तैयार होगा, जो पारंपरिक निर्माण से स्मार्ट, इको-सजग नवाचार, स्वचालन और ई-कॉमर्स की ओर बढ़ेगा ताकि बढ़ती वैश्विक को पूरा किया जा सके, निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और एक मज़बूत, भविष्य के लिए तैयार उद्यम बनाया जा सके।

कारपोरेट गवर्नेंस

एनएचडीसी की कॉरपोरेट गवर्नेंस की फिलॉसफी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पर्याप्त खुलासे, नियमों का पालन, फैसले लेने में पारदर्शिता और हितों के टकराव से बचने के सिद्धांतों पर आधारित है। कंपनी अपनाए गए कॉर्पोरेट मूल्यों और उद्देश्यों और जवाबदेही को महत्व देती है और एक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी स्तरों पर नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व सुनिश्चित करती है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस पर एक रिपोर्ट, जिसका पालन निगम द्वारा किया जा रहा है, और प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में आपके सामने रखी गई हैं।

स्वीकरण

मैं, बोर्ड की ओर से, हमारे मेहनती और योग्च कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ, जिनके सच्चे और लगातार प्रयासों से परिणाम मिले हैं।

मैं बोर्ड के सदस्यों, शेयरहोल्डर्स, वस्त्र मंत्रालय, दूसरे सरकारी विभागों, सीएंडएजी और लेखा परीक्षक, कानूनी सलाहकारों और परामर्शदाताओं से समय-समय पर और लगातार मिले सहयोग के लिए भी धन्यवाद देता हूँ।

मैं अलग-अलग बैंकरों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंग और रसायन बनाने वालों और बिज़नेस सहयोगियों का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने निगम पर भरोसा दिखाया है।

मैं भविष्य में भी **निगम** के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग की उम्मीद करती हूँ।

डॉ. बीना महादेवन

अध्यक्ष

डीआईएन: 03483417

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कामकाज पर 42वीं (बयालीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

वित्तीय सूचना:

(करोड़ रू. में)

	2024-25	2023-24
बिक्री कारोबार	1212.97	1226.77
कर पश्चात लाभ	1.79	5.47
विनियोग:		
· लाभांश*	1.64	1.56
· लाभांश पर कॉरपोरेट कर	-	-
· विकासात्मक गतिविधियों के लिए रिजर्व	-	-
· सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा कॉर्पस के लिए अंतरण	0.50	0.11
· कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शेष उपयोगी जीवन नहीं होने वाली संपत्ति पर मूल्यह्रास •	-	-
निःशुल्क रिजर्व एवं अधिशेष*	65.37	65.72
कुल रिजर्व	66.07	66.20

**निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.79 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा कॉर्पस में 50.00 लाख रुपये अंतरित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 53.76 लाख रुपये के डिविडेंड की सिफ़ारिश की है।*

1. कंपनी का प्रदर्शन और भविष्य का दृष्टिकोण:

समीक्षाधीन वर्ष और भविष्य के दृष्टिकोण के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और संचालन में एक विस्तृत विश्लेषण और अंतर्दृष्टि, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिखाई दे रही है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2. निष्पादन समीक्षा और निगम के मामलों की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम ने 1212.97 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह 1226.77 करोड़ रुपये था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए असाधारण मदों और कर से पहले 4.53 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लाभ 5.53 करोड़ रुपये था। निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर के बाद 1.79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह लाभ 5.47 करोड़ रुपये था। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2024 को 85.20 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2025 को 85.07 करोड़ रुपये हो गया है।

निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कर्ज मुक्त रहा और उसने अपनी पूरी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया।

भारत सरकार हमारी निगम के माध्यम से 25 अक्टूबर, 2021 से 'कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)' लागू कर रही है, ताकि बुनाई समुदाय की आर्थिक स्थिति बनाए रखने के लिए उचित कीमतों पर धागे की बिना किसी रुकावट के और आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हथकरघा क्षेत्र में सूती हैंक धागा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली किस्म है। हथकरघा बुनकरों से मार्केट फीडबैक के ज़रिए मिली मांग और पसंद के आधार पर धागे की दूसरी किस्में भी उपलब्ध कराई गई हैं।
आसान और बिना किसी रुकावट के आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा एजेंसियों के ज़रिए डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2025 तक, चालू डिपो की संख्या 511 है (31 मार्च, 2024 तक 511)।

हथकरघा क्षेत्र की लागत की कमी को कम करने के लिए, भारत सरकार ने 25 अक्टूबर, 2021 से आरएमएसएस के तहत हथकरघा क्षेत्र में बांटे जाने वाले कॉटन हैंक, घरेलू सिल्क, ऊनी, लिनन, नेचुरल फाइबर के ब्लेंडेड यार्न पर 15% कीमत सब्सिडी की अनुमति दी है। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्यति के माध्यम से प्रतिपूर्ति के आधार पर मिलेगी। निगम इस योजना के 15% कीमत सब्सिडी वाले हिस्से के तहत हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान यार्न की आपूर्ति 326.78 लाख किलोग्राम थी, जिसकी कीमत 1156.76 करोड़ रुपये थी, जिसमें यार्न की आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत 323.85 लाख किलोग्राम यार्न शामिल था, जिसकी कीमत 1146.89 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 341.35 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गयी थी, जिसकी कीमत 1172.65 करोड़ रुपये थी, जिसमें 339.98 लाख किलोग्राम यार्न शामिल था, जिसकी कीमत 1165.96 करोड़ रुपये थी। कच्चा माल आपूर्ति योजना के 15% कीमत सब्सिडी वाले हिस्से के तहत (ऊपर उल्लिखित यार्न की आपूर्ति में शामिल) वर्ष 2024-25 के दौरान यार्न की आपूर्ति 117.25 लाख किलोग्राम थी, जिसकी कीमत 856.14 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 132.75 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति हुई थी, जिसकी कीमत 853.99 करोड़ रुपये थी।

निगम हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले रंग उपलब्ध करा रहा है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 53.71 लाख किलोग्राम रंग की आपूर्ति की गयी, जिनकी कीमत 56.20 करोड़ रुपये थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 45.04 लाख किलोग्राम रंग की आपूर्ति की गयी थी, जिनकी कीमत 54.12 करोड़ रुपये थी।

निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर धागा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, बड़ी मात्रा में खरीदारी पर छूट पाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ धागे की दरों पर बातचीत कर रहा है। बेहतर पारदर्शिता के लिए, दरें हर महीने निगम की वेबसाइट पर भी बुनकर एजेंसियों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (31 मार्च, 2024 तक बकाया में से) वसूल किए गए देनदार, 31 मार्च, 2024 तक बकाया देनदारों के प्रतिशत के रूप में 8.84% हैं (पिछले वर्ष - 9.12%)।

लखनऊ के मामले में अद्यतन स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह रिपोर्ट किया गया है कि वाईएसएस से जुड़े 190.82 करोड़ रुपये के खरीद/बिक्री इनवॉइस लखनऊ कार्यालय में वित्त वर्ष 2018-19 में रद्द कर दिए गए थे और निगम ने यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई।) /मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजा था। इस संबंध में, सीबीआई ने एक पत्र जारी किया जिसके अनुसार, 'पहली नज़र में, ऐसा लगता है कि आपूर्तिकर्ता मिलों द्वारा रद्द की गई बिक्री पर जीएसटी के भुगतान के शिवाय एनएचडीसी को प्रश्नाधीन बिक्री को रद्द करने से कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त को देखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों की गलती का पता लगाने के लिए पूरी सतर्कता जांच की जाए और अगर ज़रूरी हो तो फोरेंसिक लेखा परीक्षा भी किया जाए ताकि सरकार के खजाने को हुए किसी भी गैर-कानूनी नुकसान की मात्रा का पता लगाया जा सके और मामले का निपटारा उसी के अनुसार किया जाए। हालांकि, एनएचडीसी अधिकारियों की गलती का पता चलने और नुकसान साबित होने के बाद सीबीआई को वापस जवाब दे सकता है।'

सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और मामले पर सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष दिनांक 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल और सीबीआई के उपर्युक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति मांगी है और आगे की जांच / जांच के लिए नई शिकायत फिर से संबंधित अधिकारियों से मांगी है, निगम ने सीबीआई को एक नई शिकायत के साथ अनुमति देने का उत्तर दिया है। निदेशक मंडल के अनुसार, सोसाइटी/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेनदेन लेखा परीक्षा की गयी थी। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड की सलाह के आधार पर, लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर एक प्रभाव रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। फोरेंसिक लेखा रिपोर्ट, लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रभाव भी सीबीआई के समन्वय में आवश्यक कार्रवाई के लिए सतर्कता विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

3. विकासात्मक गतिविधियां और विपणन सहायता:

निगम ने विशेष प्रदर्शनियों के संगठन के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान की है, जिसमें वे अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य पर बेच सकते हैं। इस संबंध में 06 'सिल्कफैब' प्रदर्शनियाँ (पिछला वर्ष - 18 संख्या) आयोजित की गयी थीं। 14 'विशेष हथकरघा एक्सपो/विविध

एक्सपो (पिछला वर्ष - 13 संख्या) का भी आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल बिक्री रु. 12.33 करोड़ (पिछले वर्ष - रु. 18.97 करोड़) हुई थी।

4. कम्प्यूटरीकरण:

डिजिटल इंडिया के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप, एनएचडीसी कई डिजिटल पहलों के माध्यम से अपने संचालन का उत्तरोत्तर आधुनिकीकरण कर रहा है। इनमें एक ऑनलाइन ईआरपी प्रणाली की शुरुआत करना, सरकारी निर्देशों के अनुसार बुनकरों के लिए एक ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र को अपनाना और ई-ऑफिस को अपनाना शामिल है।

आईगॉट मोबाइल ऐप और मोबाइल-आधारित सेवाओं के माध्यम से क्लाउड प्लेटफॉर्म, आभासी बैठकों और कर्मचारियों की नियमित क्षमता-निर्माण जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाकर, एनएचडीसी ने अपने डिजिटल आउटरीच को मजबूत किया है और अपनी सेवाओं को बुनकर समुदाय के लिए अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे सूचना और सहायता की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित हो रही है। निगम ने निर्बाध और कुशल सेवा वितरण के लिए सभी एनएचडीसी कार्यालयों में ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करके अपनी आईटी क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखा है।

एनएचडीसी ने एनआईसी द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) लागू किया है, जो एनएचडीसी के सभी कार्यालयों में सुरक्षित और सटीक उपस्थिति प्रबंधन सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली आधार-आधारित प्रमाणीकरण के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, जो पारदर्शिता को बढ़ाती है, मैनुअल त्रुटियों को कम करती है, और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कर्मचारियों की उपस्थिति का विश्वसनीय सत्यापन सुनिश्चित करती है।

5. कॉरपोरेट गवर्नेंस:

आपका निगम अपने परिचालनों के सभी पहलुओं में नैतिक व्यवसाय, आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी पर दृढ़ता से विश्वास करता है और इसके अनुसार अपने हितधारकों के लिए धन का निर्माण करता है। निगम द्वारा अपनाई जा रही 'कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं' और 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' पर रिपोर्ट क्रमशः **अनुबंध क और ख** के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण डेटा 30 सितंबर, 2025 (अनंतिम आंकड़े) को सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2023-24 के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट को वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अपनाने के तुरंत बाद निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रस्तुत किया गया था। । इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत कॉर्पोरेट प्रशासन पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (तिमाही रिपोर्ट के औसत के आधार पर) **90.48%** अर्थात '**उत्कृष्ट**' है।

6. कार्मिक विकास एवं औद्योगिक संबंधः

एनएचडीसी मानव संसाधन के विकास पर बहुत जोर दे रहा है और इस संदर्भ में, यह अग्रणी संस्थानों के सहयोग से कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के माध्यम से कौशल के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।

कंपनी ने सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना जारी रखा है। कार्मिक नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं में उपयुक्त सुधार / संशोधन किया गया ताकि उन्हें निगम के समग्र हित के अनुरूप लाया जा सके।

इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च, 2025 को निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 104 (पिछले वर्ष 110) थी, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित 14 (13.40%) कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित 06 (5.70%) कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित 26 (25.00%) कर्मचारी और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित 02 (1.92%) कर्मचारी शामिल हैं।

प्रति कर्मचारी कर्मचारी 11.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 11.15 करोड़) और प्रति कर्मचारी कर (पीएटी) के बाद लाभ/(हानि) 1.69 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 4.97 लाख) है।

7. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

निगम अपने दिन प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कर्मचारियों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित हिंदी कार्यशालाओं के साथ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस वर्ष हिंदी पुस्तकें भी खरीदी गईं और एनएचडीसी लिमिटेड ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित हिंदी दिवस और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए निर्धारित लक्ष्यों में से अधीनस्थ कार्यालयों (कम से कम 25%) का निरीक्षण एनएचडीसी द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

8. पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन :

दिनांक 23 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से कंपनी का पंजीकृत कार्यालय चौथा तल वेगमैन्स बिजनेस पार्क टॉवर-1 प्लॉट नंबर 03 सेक्टर नॉलेज पार्क-III, सूरजपुर-कासना मेन रोड, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-201306, उत्तर प्रदेश से ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग, नोएडा-201301 गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिनांक 23 मार्च 2024 को आयोजित अतिरिक्त सामान्य बैठक में अनुमोदित किया गया था।

9. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

<u>निदेशक</u>

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, निगम के बोर्ड में तीन निदेशक थे, जिसमें भारत सरकार के दो नामांकित व्यक्ति (अध्यक्ष सहित) शामिल थे, एक प्रबंध निदेशक है। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति निगम के एसोसिएशन के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा की जाती है। निगम ने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के बारे में प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी, आईआरपीएस, ने दिनांक 30 नवंबर, 2024 के आदेश संख्या एनएचडीसी/एचआर/एमडी/आरईटी/207 के माध्यम से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-11-2024 से निगम के प्रबंध निदेशक (एनएचडीसी) के पद का प्रभार छोड़ दिया है।

सुश्री स्वयं प्रभापाणि, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) ने दिनांक 2 दिसंबर, 2024 के आदेश संख्या 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी/भाग-III अनुपालन में दिनांक 2 दिसंबर, 2024 (अपराह्न) आदेश संख्या एनएचडीसी/एचआर/एमडी/00/24-25/211 दिनांक 03/12/2024 के माध्यम से, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 22 जनवरी, 2025 के पत्र संख्या 10/02/2024-ईओ (एसीसी) और उसके बाद वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त हथकरघा का कार्यालय के दिनांक 29 जनवरी, 2025 के आदेश संख्या 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी/भाग-III और दिनांक 11/02/2025 के एनएचडीसी/एचआर/ओओ/एमडी/2025/273 के अनुसार श्री राजीव अशोक द्वारा पद भार ग्रहण करने के बाद दिनांक 11 फरवरी, 2025 (पूर्वा.) से एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है।

इसके अलावा, श्री धीरेन्द्र प्रकाश जालंधरी, जो भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान ('आईसीएसआई') के एसोसिएट सदस्य हैं, जिनका मेंबरशिप नंबर ए 34543 है और जिनके पास कर्मचारी कंपनी सचिव पहचान सं. (ईसीएसआईएन) EA034543F000091831 है, उन्हें 25 फरवरी, 2025 से निगम का कंपनी सचिव नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार श्री धीरेंद्र प्रकाश जालंधर को निगम के श्री जितेंद्र वी. पुरोहित, मुख्य वित्तीय अधिकारी, उपप्रबंधक (वित्त) के स्थान पर 25 फरवरी, 2025 से निगम के कार्यकारी निदेशक (वित्त) - एनएचडीसी / मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में नियुक्त / पुनः नामित किया गया है।

सचिवीय मानक-2 के तहत निर्धारित कंपनी में उनकी शेयरधारिता के साथ उपरोक्त निदेशकों की अन्य कंपनियों में धारित निदेशक के पद का संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड पर रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

<u>बोर्ड की बैठकें</u>

वर्ष 2024-25 के दौरान निगम के बोर्ड की बैठक दिनांक 25 जून 2024 (181 बीएम), 30 सितंबर 2024 (182 बीएम), 28 नवंबर, 2024 (183 बीएम), 28 नवंबर, 2024 (184 बीएम), और 25 फरवरी, 2025 (185 बीएम) को 05 बार हुई और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी गई।

10. लेखा परीक्षा समिति:

निगम के पास कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड की एक कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति है। समिति की संरचना, विचारार्थ विषय, वर्ष के दौरान बैठकों के बारे में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में उपलब्ध कराया जाता है

11. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

निगम में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर नए जांच बिंदुओं की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहर के स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से करायी गई

थी। लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और निरंतर सुधार के लिए जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

12. सतर्कता:

केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अपने अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कार्यनीतियां अपनाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जागरूकता बढ़ाने और लोक शासन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सभी की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ निवारक सतर्कता के प्राथमिक उपकरणों में से एक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने निर्णय लिया था कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 से 03 नवंबर, 2024 तक निम्नलिखित विषय पर मनाया जाएगा:

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि "

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 का शुभारंभ राष्ट्रीय हथकरघा निगम में सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ हुआ, जिसका आयोजन दिनांक 28-10-2024 को एनएचडीसी कॉर्पोरेट कार्यालय में किया गया। एनएचडीसी कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी हॉल में एकत्र हुए। शपथ ग्रहण समारोह एमडी, एनएचडीसी और सीवीओ की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

इसी तरह, निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली।

प्रधान कार्यालय - नोएडा और क्षेत्रीय कार्यालयों (कोलकाता, बेंगलुरु, वाराणसी, पानीपत, कोयंबटूर और हैदराबाद) में प्रमुख स्थानों पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह पालन करने के संबंध में बैनर/पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए थे। 45 कर्मचारियों ने ऑनलाइन सत्यनिष्ठा की शपथ ली और सीवीसी की वेबसाइट से प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2024 की प्रस्तावना के रूप में, आयोग ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी संगठन निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवारक सतर्कता पर तीन महीने का अभियान (16 अगस्त, 2024 - 15 नवंबर, 2024) चला सकते हैं:

क. क्षमता निर्माण कार्यक्रम
ख. प्रणालीगत सुधार उपायों की पहचान और कार्यान्वयन
ग. परिपत्रों/दिशानिर्देशों/नियमावली का अद्यतन
घ. दिनांक 30.06.24 से पहले प्राप्त शिकायतों का निपटान
ङ. गतिशील डिजिटल उपस्थिति

तदनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के लिए निम्नलिखित कार्यशालाओं/संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:-

i) सितंबर, 2024 में **'राष्ट्र की समृद्धि के लिए नैतिकता और शासन और सत्यनिष्ठा की संस्कृति'** विषय **पर एक वार्ता** सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के अपर सचिव (सेवानिवृत्त) डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह ने व्याख्यान दिया।

ii) श्री सुनील कुमार, कार्यकारी निदेशक/स्था., रेलवे बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2024 में एनएचडीसी के सम्मेलन कक्ष में **'आचरण नियम'** विषय **पर एक वार्ता** आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

iii) श्री नागेश कुमार त्रिपाठी, आईआरएसएस द्वारा नवंबर, 2024 में **'प्रापण'** विषय पर एक ऑनलाइन वार्ता आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

iv) श्री उल्लास कुमार, आईआरपीएस द्वारा नवंबर, 2024 में 'साइबर स्वच्छता और सुरक्षा'विषयपर एक ऑनलाइनवार्ता आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों के अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए थे।

v) इसके अलावा, वीएडब्ल्यू-2024 के विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि " का आयोजन दिनांक 29.10.2024 को किया गया। ऑनलाइन स्लोगन लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी जिसे दिनांक 28.10.2024 से 03.11.2024 तक ई-मेल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया गया था।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2024 के समापन समारोह के दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण-पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

13. सांविधिक लेखापरीक्षक और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर:

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में रखा जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुबंध ग** में रखा गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) से प्राप्त टिप्पणियों की प्रति संलग्न है।

14. सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के तहत सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में रखा गया है। सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुबंध घ** में रखा गया है।

15. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण:

निगम कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित मुद्दा निगम पर लागू नहीं होता है।

16. विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

निगम विदेशी मुद्रा में लेन-देन नहीं कर रहा है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आयात/निर्यात गतिविधि नहीं कर रहा है।

17. जोखिम प्रबंधन नीति:

निगम विदेशी मुद्रा का लेन-देन नहीं कर रहा है। इसके अलावा, अधिशेष निधियां, यदि कोई हो, को अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों के पास अल्पावधि जमाराशियों में निवेश किया जाता है। इस प्रकार, कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

18. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौनउत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सूचना:

पिछले वित्त वर्ष में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में महिला कर्मियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी और प्रत्येक तिमाही बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई थी। कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है जहां महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी निर्देश का पालन करती है और अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। सभी प्रासंगिक जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट की गई है।

20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर**):**

आपकी कंपनी समुदायों के पोषण और पर्यावरण की सुरक्षा के अपने मूल उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। सीएसआर को न केवल एक वैधानिक दायित्व के रूप में, बल्कि जिम्मेदार कॉर्पोरेट आचरण के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है।

निगम की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के संशोधित मसौदे को निगम द्वारा दिनांक 24 मई, 2025 को आयोजित 186वीं बोर्ड बैठक में विधिवत अपनाया गया था और यह निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर उपलब्ध है।

सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि निगम ने कोलकाता, पानीपत, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी, कोयंबटूर, बेंगलुरु में स्थित अपने सात (7) क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों और बुनकर समुदाय के लिए **नेत्र देखभाल शिविरों** का आयोजन किया है। निगम (एनएचडीसी) की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के रूप में **चिकित्सक द्वारा मुफ्त नेत्र जांच और सलाह एवं चश्मे के फ्रेम के वितरण सहित नेत्र देखभाल शिविरों के** आयोजन की दिशा में दिनांक 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय(यों) द्वारा कुल **4,89,971/- रुपये** खर्च किया गया है**,** जो 4,88,464.61/- रुपये की स्वीकृत राशि (25 फरवरी, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की 185वीं बैठक में स्वीकृत) से अधिक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के पास निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति गठित है। सीएसआर समिति की संरचना और विचारार्थ विषय कारपोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

21. वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए एनएचडीसी स्थिरता और सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट:

निगम अर्थात राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी पहली

सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट प्रकाशित करने पर गर्व है। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संचालन में एनएचडीसी की सामाजिक प्रतिबद्धताओं और सस्टेनेबिलिटी पहलों पर प्रकाश डालती है, जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान देते हुए भारत में अधिक लचीले, समावेशी और टिकाऊ हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की पहल को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए स्थिरता और सामाजिक प्रभाव पर एक रिपोर्ट **अनुबंध ङ** में संलग्न है।

22. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक विवरणी:

धारा 92(3) और धारा 134(3)(a) के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्नवार्षिक आम बैठक में स्वीकृत होने के पश्चात् निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर उपलब्ध होगी।

23. वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्यवाही का विवरण और वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति:

वित्तीय वर्ष के दौरान कोई आवेदन नहीं किया गया था और दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

24. बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि और ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच के अंतर का विवरण और इसके कारण :

वित्तीय वर्ष के दौरान एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

25. मातृत्व लाभ अधिनियम का अनुपालन :

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान मातृत्व लाभ अधिनियम और इसके प्रावधानों और नियमों तथा उसके अंतर्गत विनियमों का अनुपालन किया है।

26. निदेशक का जिम्मेदारी वक्तव्य:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आपके निदेशक कहते हैं कि: -

(i) वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक लेखाओं की तैयारी में, सामग्री के प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ii) इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें लगातार लागू किया गया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके और उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे सतत चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं और

(v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

27. प्रकटीकरण:

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उसके संबंध में कोई लेनदेन/घटना नहीं हुई:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कवर की गई जमाराशियों से संबंधित विवरण।

(ii) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में अलग-अलग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों का निर्गम।

(iii) कंपनी की किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयरों सहित) जारी करना।

(iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(v) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनरल रिजर्व को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

(vi) वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन/प्रतिबद्धता नहीं हुई है (इस वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई जानकारी को छोड़कर) जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी।

(vii) नियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में कंपनी की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।

(viii) आपकी कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। वर्ष के दौरान इसके प्रभावी कार्यान्वयन में विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(ix) निगम की कोई धारक या सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए धारक/सहायक कंपनी से प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक लागू नहीं होता है।

(x) निगम की कोई धारक/सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए लेखाओं के समेकन से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xi) लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई थी, वित्त वर्ष 2028-19 में वाईएसएस के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को छोड़कर, जिसकी स्थिति ऊपर उल्लिखित मामलों की स्थिति में दी गई है।

(xii) निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

(xiii) निगम ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।

(xiv) निगम ने कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है।

(xv) निगम की गोइंग कंसर्न स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

(xvi) अधिसूचना एफ.नं.1/2/2014-सीएल.वी दिनांक 05 जून, 2015 के माध्यम से, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) और (पी) के तहत सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी है।

(xvii) लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 3 सितंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निगम को वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से बाहर कर दिया है और एनएचडीसी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भी यही अनुरोध किया गया था।

28. स्वीकृतियाँ:

आपका बोर्ड वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार और केन्द्र और राज्य सरकारों

के अन्य मंत्रालयों और विभागों का आभारी है कि उन्होंने निगम को अपने कार्यकलापों और प्रचालनों को पूरा करने में अथक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा और सीएसआर समितियों के सदस्यों, लेखा परीक्षकों और बैंकरों, शेयरधारकों, कानूनी सलाहकारों और सलाहकारों, उपयोगकर्ता एजेंसियों/अन्य संबंधित एजेंसियों के संगठन में उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशक रंगों और रसायनों और कपड़ों के निर्माताओं से सीधे प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए अपनी सराहना करना चाहते हैं। आपका बोर्ड एनएचडीसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करना चाहता है जिन्होंने कंपनी द्वारा उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने की उपलब्धि सुनिश्चित की है।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

डॉ. बीना महादेवन	**कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष	**प्रबंध निदेशक**
डीआईएन : 03483417	**डीआईएन : 09598427**

दिनांक: 31/12/2025
स्थान : नई दिल्ली

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध क

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

क. कॉरपोरेट शासन पर कंपनी की फिलासफी:

कॉरपोरेट गवर्नेंस अनिवार्यतः एक सोच है जो किसी कंपनी के प्रबंधन को सभी स्टेकहोल्डर्स के सबसे अच्छे हित में अपने मामलों को संभालने में मार्गदर्शन प्रदान करती है और निदेश देती है और निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देती है।

एनएचडीसी की कॉरपोरेट गवर्नेंस की फिलॉसफी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पर्याप्त खुलासे, नियमों का पालन, फैसले लेने में पारदर्शिता और हितों के टकराव से बचने के सिद्धांतों पर आधारित है। कंपनी अपनाए गए कॉरपोरेट मूल्यों और उद्देश्यों और जवाबदेही को महत्व देती है और एक कॉरपोरेट नागरिक के रूप में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सभी स्तरों पर नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व सुनिश्चित करती है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एनएचडीसी की फिलॉसफी में कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्राथमिक ज़रूरतों से कहीं आगे बढ़कर काम करने की बात शामिल है, जिसमें इसके सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए मूल्य वर्धन पर निरंतर ध्यान दिया जाता है।

ख. निदेशक मंडल:

कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जो रणनीतियों और नीतियों को तैयार करता है, उनके कार्यान्वयन की देखरेख करता है और समय-समय पर कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है। वित्तीय वर्ष के अंत में बोर्ड में निदेशकों की संख्या 5 (पांच) थी। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम के एसोसिएशन के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में की जाती है। निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल का गठन और संबंधित जानकारी इस प्रकार है:

निदेशक का नाम और श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड की बैठकों की सं.	पिछली एजीएम में उपस्थिति	**31.03.2025** को बाहरी निदेशकों की सं.
सरकारी निदेशक (कों)**:**			
क) श्रीमती (डॉ.) बीना महादेवन, चेयरपर्सन- एनएचडीसी / हथकरघा विकास आयुक्त डीआईएन: 03483417 (11.10.2023 से अब तक)	5/5	हां	शून्य
ख) श्री धीरेंद्र कुमार, निदेशक (आईएफडब्ल्यू) डीआईएन: 10291337 (16.06.2023 से अब तक)	5/5	हां	1
प्रबंध निदेशक:			
ग) सुश्री स्वयं प्रभापाणि डीआईएन : 11026107 (02.12.2024 - 11.02.2025 तक)	0/5	नहीं	शून्य
घ) कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) डीआईएन: 09598427 (11.02.2025 - से अब तक)	1/5	नहीं	1
e) सुश्री रीता प्रेम हेमराजानी डीआईएन: 09478824 (18.01.2022 - 30.11.2024 तक)	4/5	हां	शून्य

एनएचडीसी का बोर्ड हर तीन महीने में कम से कम एक बार नियमित बैठक करता है। निगम के बोर्ड ने वर्ष 2024-25 के दौरान 05 बार बैठक की जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	**बैठक की सं.**	**बोर्ड की बैठक की तारीख**
1.	181	25.06.2024
2.	182	30.09.2024
3.	183	28.11.2024
4.	184	28.11.2024
5.	185	25.02.2025

बोर्ड की बैठक एक तय एजेंडा के अनुसार होती हैं और बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी जानकारी तक पूरी पहुंच होती है और वे चर्चा के लिए एजेंडा में किसी भी विषय को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

ग. निदेशक मंडल में परिवर्तन :

श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी, आईआरपीएस, ने 30 नवंबर, 2024 को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर आदेश संख्या एनएचडीसी/एचआर/एमडी/सेवानि./207 दिनांक 30-11-2024 के अनुसार कॉर्पोरेशन (एनएचडीसी) के प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

दिनांक 2 दिसंबर, 2024 के आदेश संख्या 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी/पार्ट - III के अनुपालन में, सुश्री स्वयंप्रभा पाणि, अतिरिक्त विकास आयुक्त (हथकरघा) ने दिनांक 03/12/2024 के आदेश संख्या एनएचडीसी/एचआर/एमडी/00/24-25/211 के तहत 2 दिसंबर, 2024 (अप.) से नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया, जिन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी कार्यालय) के दिनांक 22 जनवरी, 2025 के पत्र संख्या 10/02/2024-ईओ(एसीसी) और उसके बाद वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के दिनांक 29 जनवरी, 2025 के आदेश संख्या 40/10/2/2017- डीसीएच / एनएचडीसी /पार्ट - III और दिनांक 11/02/2025 के एनएचडीसी/एचाआर/ओओ/एमडी/2025/273 के संदर्भ में श्री राजीव अशोक द्वारा 11 फरवरी, 2025 (अप.) को प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी का प्रभार ग्रहण करने के बाद 11 फरवरी, 2025 (पूर्वा.) से एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया।

बोर्ड में निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा (31 मार्च, 2025 तक):

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बोर्ड के सभी निदेशकों, अर्थात कार्यकारी निदेशकों और सरकारी नामिती निदेशकों को सरकार द्वारा हर श्रेणी के निदेशकों के लिए तय प्रक्रिया के अनुसार चुना और नियुक्त किया जाता है। कंपनी के बिजनेस के संदर्भ में, बोर्ड को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए ज़रूरी मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और योग्यता, निदेशकों के चयन के लिए सरकार की प्रक्रिया का एक ज़रूरी हिस्सा है।

एनएचडीसी की प्रोफाइल नीचे दी गई है:

i) डॉ. बीना महादेवन (51 वर्ष) आईएएस ने 11.10.2023 को नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार संभाला। तिरुवनंतपुरम की रहने वाली डॉ. बीना मेडिकल डॉक्टर हैं और 1999 में केरल कैडर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शामिल हुईं। उन्होंने राज्य में असिस्टेंट कलेक्टर, सब कलेक्टर, विभिन्न विभागों के डायरेक्टर सहित कई पदों पर काम किया है। उन्होंने त्रिशूर और एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर के रूप में भी काम किया है।

उन्होंने एनएचडीसी में शामिल होने से पहले कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने केएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक और स्मार्ट सिटी त्रिवेंद्रम के सीईओ के रूप में काम किया है। वह रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वैटिला मोबिलिटी हब, केरल बुक्स एंड पब्लिकेशंस लिमिटेड और सप्लाइको की प्रबंध निदेशक भी थीं। 25 वर्षों की सेवा अवधि के दौरान, उन्हें बंदरगाह प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन,

औद्योगिक विकास, हवाई अड्डे के कार्गो हैंडलिंग, वित्तीय सेवाओं आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी अनुभव था। डॉ. एम. बीना आईएएस के नेतृत्व में, केएसआईडीसी ने वर्ष 2015-16 में सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया।

ii) कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) (56 वर्ष) एक दूसरी पीढ़ी का सैन्य अधिकारी है जो 31 साल की विशिष्ट सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हुआ। अपने नौसैनिक करियर के दौरान, उन्होंने एक लड़ाकू गोताखोर और स्काईडाइविंग प्रशिक्षक (दो लिम्का बुक रिकॉर्ड के साथ) के रूप में अर्हता प्राप्त की, और कई कमांड, परिचालन, कर्मचारी और प्रशिक्षण कार्य किए। समुद्र में उनके प्राथमिक कमांड असाइनमेंट में आईएनएस चामक, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस रणविजय और आईएनएस रणवीर की कमान शामिल थी। उन्होंने जुलाई 2022 में गुवाहाटी, असम में एक सीपीएसई, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) के प्रबंध निदेशक के रूप में सक्रिय सैन्य सेवा से संक्रमण किया। नेरामैक में, वित्त वर्ष 2022-23 से निगम ने एक दशक में पहली बार मुनाफा दर्ज किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान व्यवसाय के नए रास्ते तलाशना और निगम के लिए राजस्व की नई धाराओं को विकसित करते हुए कृषि समुदाय तक पहुंचने के लिए कई स्थान बनाना था। कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में दो रुग्ण प्रसंस्करण इकाइयों का पुनरुद्धार और दो नए इकाइयों की स्थापना, जीआई प्रमाणन (30+ नए उत्पादों को लिया गया) और अधिकृत उपयोगकर्ता नामांकन (13 जीआई उत्पाद के लिए लगभग 4000) दोनों में काम करना शामिल है, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और रबर क्षेत्रों में 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) ने **दिनांक 11 फरवरी, 2025** से निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है।

ii) श्री धीरेंद्र कुमार (**59** वर्ष) - श्री धीरेंद्र कुमार ने **16** जून, **2023** से एनएचडीसी के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्तमान में मार्च **2023** से वस्त्र मंत्रालय में निदेशक (आईएफडब्ल्यू) के रूप में काम कर रहे हैं। वह वित्त में बीएससी, एमए इतिहास और एमबीए की डिग्री हासिल किया है। वे **1991** में भारत सरकार की सेवा में शामिल हुए हैं। वे पर्यावरण और वन मंत्रालय, वित्त और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में जुड़े हुए हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूएनडीपी आदि जैसे विभिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक संभाला है।

घ. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में प्रस्तावित लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा 08 दिसंबर, 2010 को आयोजित अपनी 23वीं बैठक में नोट किया गया था।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

नाम/श्रेणी	लेखापरीक्षा समिति में पद	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की सं.
श्री धीरेन्द्र कुमार, निदेशक	अध्यक्ष	4/5
कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) प्रबंध निदेशक	सदस्य	1/5

वित्तीय वर्ष के दौरान, सुश्री रीता प्रेम हेमराजानी लेखा परीक्षा समिति की सदस्य नहीं रहीं और कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)) को लेखा परीक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षा समिति की वर्ष 2024-25 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयीं जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तारीख
1.	81	25.06.2024
2.	82	30.09.2024
3.	83	28.11.2024
4.	84	28.11.2024
5.	85	25.02.2025

ड़. पारिश्रमिक समिति:

कॉरपोरेट कार्य़ मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 1/2/2014-सीएलवी, के माध्यम से पारिश्रमिक समिति से संबंधित सरकारी कंपनियों को वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट दी है।

निगम ने 1.79 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। इसलिए यह अपने कर्मचारियों को प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी) का भुगतान करने का प्रबंधन कर सकता है। इसके अलावा, निगम में कर्मचारियों की संख्या भी कम है (अर्थात 31 मार्च, 2025 को 104)।

उपरोक्त के मद्देनजर, निगम में कर्मचारियों की संख्या कम है, तदनुसार, निगम द्वारा पारिश्रमिक समिति रखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित मामले, यदि कोई हो, सीधे निदेशक मंडल को रखा जाता है। और एक अलग पारिश्रमिक समिति होने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामले, यदि कोई हो, सीधे निदेशक मंडल को सौंपे गए हैं।

हालांकि, निगम ने स्वतंत्र निदेशकों की रिक्ति को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है कि निगम में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना हो।

च. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

आपकी कंपनी समुदायों के पोषण और पर्यावरण की रक्षा के अपने मूल दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। सीएसआर को न केवल एक वैधानिक दायित्व के रूप में देखा जाता है, बल्कि जिम्मेदार कॉरपोरेट आचरण के अभिन्न अंग के रूप में भी देखा जाता है।

निगम की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति का संशोधित मसौदा 24 मई, 2025 को आयोजित 186वीं बोर्ड बैठक में निगम द्वारा विधिवत अपनाया गया था।

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। सीएसआर समिति के विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत कवर की गई कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाने वाली सीएसआर नीति तैयार करना; बोर्ड, सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशि की सिफारिश करना; और समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल है।

निगम ने कोलकाता, पानीपत, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी, कोयंबटूर, बेंगलुरु में स्थित अपने सात (7) क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों और बुनाई समुदाय के लिए आई केयर शिविर लगाए। 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आई केयर कैंप लगाने पर कुल खर्च, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा मुफ्त आंखों की जांच और सलाह और चश्मे के फ्रेम का वितरण शामिल है, कॉर्पोरेशन (एनएचडीसी) की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत 4,89,971/- रुपये था, जो स्वीकृत राशि 4,88,464.61/- रुपये से अधिक है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट, वर्ष के लिए सीएसआर की मुख्य बातों के साथ इस रिपोर्ट के अनुबंध - I के रूप में संलग्न है।

संशोधित सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है:

नाम/श्रेणी	**सीएसआर समिति में पद**
कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) प्रबंध निदेशक एनएचडीसी	अध्यक्ष
श्री धीरेन्द्र कुमार सरकारी नामित निदेशक	सदस्य

छ. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनएचडीसी सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट

निगम अर्थात राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी पहली स्थिरता और सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट प्रकाशित करने पर गर्व है। यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संचालन में एनएचडीसी की सामाजिक प्रतिबद्धताओं और स्थिरता पहलों पर प्रकाश डालती है जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में सक्रिय योगदान देते हुए भारत में अधिक लचीले, समावेशी और टिकाऊ हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की पहल को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक प्रभाव पर एक रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

ज) आम सभा की बैठक :

पिछली 03 वार्षिक आम बैठक (एजीएमएस) निम्नानुसार आयोजित की गई थी:

एजीएम	एजीएम की तारीख एवं समय	एजीएम का स्थान
2023-24	28 नवंबर, 2024 दोपहर 12:00 बजे	भौतिक बैठक उद्योग भवन, नई दिल्ली
2022-23	22 दिसंबर, 2023 अपराह्न 05.45 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से
2021-22	12 दिसंबर, 2022 03.30 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली

झ. प्रकटीकरण

(i) कार्यकारी निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण: श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 44.55 लाख रुपये का वेतन और 12.68 लाख रुपये के अन्य लाभ दिए गए। कमोडोर राजीव अशोक (सेवानि.) को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 9.51 लाख रुपये का वेतन और 2.17 लाख रुपये के अन्य लाभ दिए गए। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम की धारा 197 के साथ पढ़े गए कंपनी (मैनेजरियल कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के प्रावधान कॉर्पोरेशन (एनएचडीसी) पर लागू नहीं होते हैं।

कार्यकारी निदेशकों को छोड़कर, जिन्हें निदेशकों का पारिश्रमिक मिलता है, बोर्ड के किसी भी दूसरे निदेशक का कॉर्पोरेशन, उसके प्रमोटर्स या उसकी सब्सिडियरी के साथ कोई विशेष पैसों का रिश्ता या कमर्शियल लेन-देन नहीं है, जिसमें निदेशकों की कोई व्यक्तिगत रुचि हो जो कॉर्पोरेशन के हित के साथ संभावित टकराव पैदा कर सकता है।

(i) वर्ष के दौरान, कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ।

(ii) वर्ष के दौरान, किसी भी अथॉरिटी द्वारा कोई पेनल्टी/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

(iii) कॉर्पोरेशन के पास एक व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी है जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अप्रूव किया गया है और इसे कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी डाला गया है।

(iv) भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन कॉर्पोरेशन द्वारा साल के दौरान और पिछले 3 वर्षों में भी किया गया है।

(v) वर्ष के दौरान, लेखा पुस्तिकाओं में कोई ऐसा खर्च डेबिट नहीं किया गया है जो बिजनेस के मकसद के लिए न हो।

(vi) वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल और शीर्ष के लिए कोई भी व्यक्तिगत प्रकृति का खर्च नहीं किया गया है।

(vii) पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड खर्चों सहित ओवरहेड खर्चों में 73.48 लाख रुपये की कमी आई है। इसके अलावा, वित्तीय खर्च शून्य हैं, क्योंकि यह कॉर्पोरेशन एक कर्ज मुक्त निगम है।

(viii) निगम का पंजीकृत कार्यालय चौथा तल वेगमैन बिजनेस पार्क टावर-1 प्लॉट नंबर 03 सेक्टर नॉलेज पार्क-III, सूरजपुर-कासना मेन रोड, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा - 201306, उत्तर प्रदेश से ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग, नोएडा-201301, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में 16 अप्रैल, 2024 से शिफ्ट कर दिया गया है, जो 23 मार्च, 2024 को हुई बोर्ड मीटिंग में तय किया गया था और इसे 23 मार्च 2024 को हुई असाधारण आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(ix) लोक उद्यम विभाग ने 3 सितंबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से निगम को वर्ष 2025-26 के लिए एमओयू हस्ताक्षर करने से बाहर कर दिया है।

(x) ट्रेड प्रस्तावों पर विचार करते समय जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में और अधिक निष्पक्षता लाने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लागू रहा। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एक बिजनेस प्रस्ताव में शामिल जोखिम को कुल जोखिम स्कोर के रूप में मापता है, जिसका मूल्यांकन उपलब्ध जोखिम कम करने के उपायों के मुकाबले किया जाता है।

(xi) कंपनी के वैधानिक ऑडिटर मैसर्स एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिन्हें भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ने अपने 21.09.2024 के लेटर के ज़रिए नियुक्त किया था, उनकी शुल्क 31.03.2025 को खत्म होने वाली अवधि के लिए को भुगतान की गई कुल लेखा परीक्षा शुल्क 3,00,000/- रुपये प्लस लागू कर थी।

ञ. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश) द्वारा कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को छोड़कर कॉरपोरेट प्रशासन सीपीएसई पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है, जिसके लिए आवश्यक के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया है।

ट. कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

क्रम सं.	**नाम**	**अवधि**
1.	**श्री धीरेन्द्र प्रकाश जालंधरी**	25.02.2025 - **अभी तक**

ठ. निदेशक द्वारा धारित इक्विटी शेयर

डॉ. बीना महादेवन (अध्यक्ष एनएचडीसी) के पास निगम में 3 इक्विटी शेयर हैं।

इसके अलावा श्री धीरेंद्र कुमार, (निदेशक- एनएचडीसी) और कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) प्रबंध निदेशक के

पास निगम में प्रत्येक में 1 इक्विटी शेयर हैं।

ड. संचार के साधन

निगम की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है। वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी और विश्लेषण) रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट शामिल है, भारत सरकार को भेजी जाती है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखी जाती है। वार्षिक लेखे कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास भी फाइल किए जाते हैं।

समाचार रिलीज: आधिकारिक समाचार रिलीज़ समय-समय पर निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की जाती हैं।

ढ़. लेखा परीक्षा अर्हताएः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का निदेशक मंडल द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध के रुप में संलगन है।

ण. निदेशक मंडल का प्रशिक्षण:

डीपीई द्वारा समय-समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एनएचडीसी के निदेशकों को नामित किया जाता है।

निगम निदेशक मंडल में शामिल होने पर निदेशकों को एक फ़ोल्डर के रूप में दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कामकाज और प्रदर्शन, बोर्ड के सदस्यों के लिए आचार संहिता और नैतिकता, कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश आदि के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं।

त. व्हिसल ब्लोअर नीतिः

निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्हिसल ब्लोअर नीति है। यह निगम की वेबसाइट (**www.nhdc.org.in**) पर उपलब्ध है।

थ. आचार संहिता:

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिकता निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की जाती है। बोर्ड के

सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

द. अनुपालन प्रमाण पत्र :

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है और दिशानिर्देशों के अनुबंध - VII में उल्लिखित सभी सुझाई गई वस्तुओं को कवर करती है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट भी इसके लिए निर्धारित समय अवधि के भीतर नियमित रूप से और समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एच. नितिन एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों से प्राप्त प्रमाण पत्र **(अनुबंध-II)** रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

डॉ. बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन : 03483417

कमोडोर राजीव अशोक(सेवानिवृत्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09598427

दिनांक: 31/12/2025
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध - I

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा**

आपकी कंपनी समुदायों के पोषण और पर्यावरण की सर्वोत्तम स्तर पर सुरक्षा के अपने मूल दर्शन के लिए प्रतिबद्ध है। सीएसआर को न केवल एक वैधानिक दायित्व के रूप में देखा जाता है, बल्कि जिम्मेदार कॉरपोरेट आचरण के अभिन्न अंग के रूप में भी देखा जाता है। निगम की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति का संशोधित मसौदा 24 मई, 2025 को आयोजित 186वीं बोर्ड बैठक में निगम द्वारा विधिवत अंगीकृत किया गया था और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर उपलब्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शुरु की गई परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का विवरण नीचे मद7 (ङ) पर तालिका में दिया गया है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना**

नाम/श्रेणी	सीएसआर समिति में पद
कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी	अध्यक्ष
श्री धीरेन्द्र कुमार सरकारी नामित निदेशक	सदस्य

3. वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं की संरचना का खुलासा कंपनी की वेबसाइट - **www.nhdc.org.in** पर किया जाता है।

4. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए वेब-लिंक के साथ सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण - **लागू नहीं**

5. कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरणऔर वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो - **लागू नहीं**

6. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों (धारा 198के अनुसार) के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: रु. 2,44,23,230/-**

(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत - **रु.4,88,464/-**

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष - **शून्य**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि– **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष (6क+6ख-6ग) के लिए कुल सीएसआर दायित्व - **रु. 4,88,464/-**

7. **वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण**

(क) प्रशासनिक ओवरहेड्स पर खर्च की गई राशि: शून्य

(ख) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपये में)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरित करने की तारीख	निधि की नाम	राशि	अंतरित करने की तारीख
रु. 4,89,971/-	-	-	-	-	-

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची की मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के आवंटित राशि (रु. में).	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गयी राशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु.)	कार्यान्वयन की पद्यति - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन कीपद्यति - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआरआर पंजीकरण सं.
लागू नहीं												

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	पहचानी गई परियोजना/गतिविधि का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची के मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रु.)	कार्यान्वयन की पद्यति - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन की पद्यति - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआरआर पंजीकरण सं.
1.	नि:शुल्क नेत्र जांच और चिकित्सा पेशेवर द्वारा सलाह और चश्मे के फ्रेम के वितरण	स्वास्थ्य और पोषण	नहीं	हैदराबाद वाराणसी बैंगलोर कोलकाता	कृष्णा जांजगीर चंपा चित्रदुर्ग कोलकाता	4,89,971	हां प्रत्यक्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

	सहित नेत्र देखभाल शिविर	अनुसूची *VII* का खंड *(i)* निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना		कोयम्बटूर पानीपत गुवाहाटी	विल्लुपुरम पानीपत मोरीगांव				
	कुल					**4,89,971**			

(च) निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रम सं.	**विवरण**	**राशि (रु. में)**
(i)	क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।	-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	-
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	-
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	अगले वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii) - (iv)]	-

(छ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (7क+7ख+7ग+7घ+7ङ+7च): रु. 4,89,971/-

(ज) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: रु. 4,88,464/-

8. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गयी सीएसआर राशि का विवरण:

क्रम सं.	**पिछला वित्तीय वर्ष**	**धारा 135 (6) (रुपये में) के तहत खर्च न की गयी सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि**	**रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु.)**	**धारा 135(6)के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।**			**आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि। (रुपये में)**
				निधि का नाम	**राशि (रु. में).**	**हस्तांतरण की तारीख**	
1	2023-24	NIL					
2	2022-23	NIL					
3	2021-21	NIL					

9. पूंजी परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष (परिसंपत्ति-वार विवरण) में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें - **2024-25 के दौरान सीएसआर खर्च के माध्यम से कंपनी के बही खाते में कोई पूंजी संपत्ति नहीं बनाई गई / अर्जित की गई थी।**

(क) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि - लागू नहीं

(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि - लागू नहीं

(ग) इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम से ऐसी पूंजी संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि - **लागू नहीं**

(घ) सृजित या अर्जित पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें- **लागू नहीं**

10. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च नहीं करने के कारण: लागू नहीं**
11. **कंपनी के निदेशक मंडल की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का उत्तरदायित्व विवरण नीचे दिया गया है:**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति का कार्यान्वयन और निगरानी निगम के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में किया जाता है।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

डॉ बीना महादेवन	**कमोडोर राजीव अशोक (सेवा निवृत्त)**
अध्यक्ष	**प्रबंध निदेशक**
डीआईएन : 03483417	**डीआईएन : 09598427**

दिनांक: 31/12/2025
स्थान : नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर गतिविधियां

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)




தேசிய கைத்தறி வளர்ச்சி கழகம்
கண் மருத்துவ முகாம்
EYE CAMP
under CSR Activity






EYE CAMP
under CSR Activity
Organized by
National Handloom Development Corporation Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)
Date: 27-03-2025
Place: Sri Devala Maharshi Handloom Weavers Co.op Ltd,
Kappaladoddi , Krishna (Dt) , Andhra Pradesh - 521 366.
Regional office: 4th Floor, Chenetha Bhavan
Nampally, Hyderabad. Telangana - 500001.
MMUNITY SERVICE


EYE CAMP
under CSR Activity

अनुबंध -II

कार्पोरेट शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग,
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,
उत्तर प्रदेश- 201301

हमने दिनांक **31 मार्च, 2025** को समाप्त वर्ष के लिए **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** (जिसे इसके पश्चात "निगम" के रूप में संदर्भित किया गया है)**(एनएचडीसी)** के कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालना की जांच की है, जिसका उल्लेख लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवंलोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट शासन, 2010 के दिशानिर्देशोंऔर उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध (जिसे इसके पश्चात "दिशानिर्देश" के रूप में संदर्भित किया गया है) में किया गया है।

कारपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जॉच उपर्युक्त दिशा निर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो निगम की लेखा परीक्षा है और न ही उसके वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट शासन की शर्तों का पालन किया है:

1) संबंधित मंत्रालय और जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच की अवधि के लिए प्रावधान। प्रबंधन ने सूचित किया है कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (एनओडी) की आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया ।

2) दिनांक 25 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2025 की अवधि के लिए पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की नियुक्ति की आकस्मिक रिक्ति को नही भरने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (4) के अनुपालन से संबंधित प्रावधान।

हम आगे सूचित करते है किः

1) पिछले वर्ष के हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र और लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 3 (तीन) अधिकारियों - श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री बी.के. महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य) और श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफ एंड ए) को दोषी पाया और उनके खिलाफ क्रमशः 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी', सेवा से निष्कासन, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी' और 23 मार्च, 2022 को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा, पूर्व उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री एस.एस. ढकरवाल को सीबीआई के पत्र को दबाने और संसदीय आश्वासन के उत्तर में वस्त्र मंत्रालय को गलत जानकारी देने के लिए निलंबन आदेश संख्या एनएचडीसी/एमडी/2020/3174 दिनांक 28.02.2020 के तहत निलंबित कर दिया गया है। 20.10.2020 को आरोप पत्र जारी किया गया था। जाँच अधिकारी ने छह सुनवाई के बाद इस्तीफा दे दिया। नए जाँच अधिकारी ने भी बिना कोई सुनवाई किए इस्तीफा दे दिया। जाँच के लिए नवंबर, 2024 में एक नए जाँच अधिकारी की नियुक्ति की गई और उन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 को एमडी (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) को सौंप दी है।

इसके अतिरिक्त, एस.एस. ढकरवाल की संदिग्ध निष्ठा और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) उनको सेवा में बने रहने के योग्य नहीं पाया गया। तदनुसार, निदेशक मंडल ने उन्हें निगम से अनिवार्य सेवानिवृत्ति (एफआर 56 जे के अंतर्गत) देने का निर्णय लिया। इस आशय के आदेश 07.04.2022 को जारी किए गए।

2) इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार, लेन-देन लेखा परीक्षा पूरी हो गयी है। इसे आगे के निर्देशों और दिशा-निर्देशों के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

3) निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देश के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किया है।

इसके अलावा, निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अनुरोध किया है।

प्रशासनिक मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

हम आगे सूचित करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते एच. नितिन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस नितिन घनश्याम होतचंदानी
कार्यरत कंपनी सचिव
म.नं.: एफ 9632, सीओपी: 11673
यूडीआईएन: एफ009632जी001156305
स्थान: जयपुर
दिनांक: 03/09/2025

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध ख

प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

1. हथकरघा परिदृश्य:

हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। दिनांक 07 अगस्त, 2019 को, वस्त्र मंत्रालय द्वारा चौथी हथकरघा जनगणना रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें उन 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया, जिनमें हथकरघा बुनाई की कला की प्रथा है। हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए, भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है -

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तैयार किया गया है। यह योजना हथकरघा के एकीकृत और समग्र विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण का पालन करेगी। यह योजना कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों आदि के रूप में स्थायी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों आदि सहित सहकारी के भीतर और बाहर बुनकरों को सहायता प्रदान करेगी।

एनएचडीपी के घटक -

क. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) (पहले ब्लॉक लेवल क्लस्टर के नाम से जाना जाता था)
ख. हथकरघा मार्केटिंग सहायता
ग. आवश्यकता आधारित विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना
घ. मेगा हैंडलूम क्लस्टर [पहले व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के नाम से जाना जाता था]
ङ. रियायती ऋण / बुनकर मुद्रा योजना
च. हथकरघा बुनकरों का कल्याण {पहले हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) के नाम से जाना जाता था}
छ. विविध घटक
ज. कोई अन्य घटक

ख. कच्चा माल आपूर्ति योजना

भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए अर्थात् कच्चे माल की आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के दिशानिर्देशों को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए 25 अक्टूबर 2021 से संशोधित किया है। यह योजना पात्र हथकरघा एजेंसियों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के सूत उपलब्ध कराती है। इस योजना के तहत, डिपो परिचालन व्यय और परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, पावरलूम और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हथकरघा बुनकरों को रियायती दर पर धागा प्रदान करने के लिए, कपास हैंक यार्न, घरेलू रेशम यार्न, ऊनी यार्न, लिनन यार्न और प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित धागे पर 15% मूल्य सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति के आधार पर मात्रा प्रतिबंध के साथ उपलब्ध है।

2. ताकत और कमजोरियां:

निगम का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जो 8 क्षेत्रीय कार्यालयों और 26 शाखा कार्यालयों के माध्यम से 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उपस्थित है। निगम की उपस्थिति बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि निजी व्यापारियों के एकाधिकार चरित्र को प्रतिबंधित किया जा सके, ताकि हैंक यार्न दरों को उचित स्तर के भीतर रखा जा सके। निगम एक ऐसे क्षेत्र को पूरा करके सामाजिक जिम्मेदारी का एक महान कारण कार्य करता है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीब कारीगर / हथकरघा बुनकर शामिल हैं, जो उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति के पारंपरिक मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं।

कुछ कर्मचारी अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति द्वारा बनाए जा सकने वाले निर्वात को भरने के लिए, निगम ने आवश्यकताओं के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों को लेने के लिए अपने मध्य स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित/तैयार करने की योजना बनाई है।

हाल ही में, निगम ने आउटरीच, परिवर्तन और परियोजना प्रभाग खोला है, जो भारत के हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने, नवाचार करने और सशक्त बनाने के लिए एक रणनीतिक ऊर्ध्वाधर के रूप में काम करेगा। यह एक लचीला और भविष्य के लिए तैयार हथकरघा क्षेत्र बनाने के लिए हितधारक जुड़ाव, तकनीकी प्रगति और विकासात्मक पहलों को एकीकृत करता है। प्रभाग बुनकरों, डिजाइनरों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़कर मजबूत आगे और पिछड़े संबंधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा। सूचना साझाकरण, परामर्श सेवाओं और ब्रांड निर्माण प्रयासों के माध्यम से, यह सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर हथकरघा उत्पादों की दृश्यता को बढ़ाएगा।

3. अवसर और खतरे:

हैंक यार्न उत्पादन की खपत करने वाले अप्रयुक्त हथकरघा क्षेत्र तक पहुंच बनाकर व्यवसाय का विस्तार करने और विविधता लाने की एक बड़ी गुंजाइश है। एनएचडीसी हथकरघा क्षेत्र से संबंधित

सभी विकास और हथकरघा बुनकर की उद्योग संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक एकल समाधान बनने की आकांक्षा रखता है। इस संबंध में मौजूदा एनएचडीसी ढांचे का पुनर्निर्माण करके मौजूदा संसाधनों और परिचालन दक्षता को अनुकूलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सूत बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों के साथ एक प्रतिस्पर्धा है जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। इससे निपटने के लिए, निगम प्रतिस्पर्धी / कम दरों पर हथकरघा बुनकरों को सूत प्रदान करने की दृष्टि से थोक मात्रा में छूट के लिए सूत दरों को प्राप्त कर रहा है और बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकरों की एजेंसियों द्वारा पहुंच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट के साथ-साथ मासिक आधार पर रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर पारदर्शिता होती है।

4. दृष्टिकोण:

निगम का मानना है कि यह वर्ष-दर-वर्ष नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए अपने विकास मंच पर बना रहेगा। अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए निगम अपनी शक्तियों और कमजोरियों का पुनर्मूल्यांकन करता रहता है और तदनुसार अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करता है जो निगम को अपने नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम बनाएगी।

5. सेगमेंट-वार और उत्पाद-वार प्रदर्शन:

हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली मुख्य कच्ची सामग्री होने के कारण यार्न निगम के कारोबार में सबसे अधिक योगदान देता है। वर्ष **2024-25** के दौरान निगम के कुल कारोबार का **95.37%** योगदान है। वर्ष **2024-25** के दौरान डाई और रसायनों की प्रतिशत हिस्सेदारी **4.63%** है।

निगम के परिचालनों का सेगमेंट-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	**सेगमेंट/उत्पाद**	**2024-25**		**2023-24**	
		कारोबार	प्रतिशत	कारोबार	प्रतिशत
1	धागे की आपूर्ति	1156.76	95.37%	1172.65	95.59%
2	रंग एवं रसायन की आपूर्ति	56.20	4.63%	54.12	4.41%
		1212.97	100.00%	1226.77	100.00%

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

निगम में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर नए जांच बिंदुओं की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के बाहर आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और निरंतर सुधार के लिए जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

7. परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निगम का कारोबार 1212.97 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 1226.77 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए असाधारण मदों और कर पूर्व 4.53 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह लाभ 5.53 करोड़ रुपये था। निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 में कर के पश्चात 1.79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह लाभ 5.47 करोड़ रुपये था। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2024 को 85.20 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2025 को 85.07 करोड़ रुपये हो गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में निगम का पूंजीगत ढांचा अपरिवर्तित रहा, जिसमें 19 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी को 100 रुपये प्रति शेयर के 19.00 लाख इक्विटी शेयरों में बांटा गया है। निगम ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.79 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति पश्चात मेडिकल कॉर्पस में 50 लाख रुपये अंतरित करने का फैसला किया है। इसके अलावा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 53.76 लाख रुपये (पीएटी का 30%) लाभांश देने की सिफारिश की है।

8. नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकास :

कर्मचारियों की दक्षता निगम का मुख्य केंद्र रहा है। निगम के कर्मचारियों के कौशल के उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च, 2025 को निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 104 (पिछले वर्ष 110) थी, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से संबंधित 14 (13.40%) कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित 06 (5.70%) कर्मचारी, 26 (25.00%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित कर्मचारी और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित 02 (1.92%) कर्मचारी शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखना जारी रखा।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। निदेशक मंडल द्वारा 24 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन के बाद, 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति' नामक संशोधित नीति निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

सीएसआर समिति की संरचना और अन्य संबंधित जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में प्रदान की जाती है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. सावधान करने वाले कथन:

निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कथन लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर 'फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट' हो सकते हैं। हालाँकि, वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी भिन्न या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। निगम के संचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विकास में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं जिसमें देश में मुकदमेबाजी और हथकरघा गतिविधि शामिल है।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

डॉ. बीना महादेवन	**कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष	**प्रबंध निदेशक**
डीआईएन : 03483417	**डीआईएन : 09598427**

दिनांक: 31/12/2025
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट संबंधी अनुबंध ग

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखाओं पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

क्र.सं.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ	निदेशक मंडल का उत्तर
1(क)	एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित '7' क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां से हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिस पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय, हथकरघा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार 15% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो शुल्क शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय खातों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वित्त वर्ष अर्थात 2018-19 की पहली तिमाही में क्रमशः 38504.00 लाख रुपये की कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 19082.00 लाख रुपये की बिक्री और खरीद उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखांकन प्रणाली में रद्द कर दी गई है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सीवीओ की टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच संबंधी रिपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, लेनदेन लेखा परीक्षा भी शुरू की गई थी और जिसकी एक रिपोर्ट दिनांक 31.10.24 को बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी। बोर्ड ने लेनदेन लेखा परीक्षक से प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए निर्देश दिया था और जिसे दिनांक 15.04.2025 को जारी किया गया था जो बोर्ड के विचाराधीन है।	2018-19 की पहली तिमाही के दौरान 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद रद्द कर दी गई है और उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ की टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। सोसाइटियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी द्वारा सूचीबद्ध फोरेंसिक लेखापरीक्षक से लेनदेन लेखापरीक्षा किया गया था। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड की सलाह के आधार पर, लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर एक प्रभाव रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। सीबीआई के साथ समन्वय में आवश्यक कार्रवाई के लिए लेनदेन लेखापरीक्षा पर फोरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रभाव रिपोर्ट भी सतर्कता विभाग को प्रस्तुत की गई है। मौजूदा सीबीआई मामले से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए गए हैं, सीबीआई के साथ चर्चा शुरू की गई है और संबंधित दस्तावेज

	हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट तक, प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सहित फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गयी टिप्पणी के अनुसार बही में किसी भी प्रविष्टि का पता नहीं लगाया गया है और इसका हिसाब नहीं दिया गया है, इसलिए हम उक्त देनदारों और लेनदारों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 19422.00 लाख उपरोक्त बिक्री और खरीद पर प्रत्येक को कुल देनदारों (नोट संख्या 15 (ii) देखें) के साथ-साथ लेनदारों (नोट संख्या 5 (ii) देखें) में दिखाया जा रहा है।	जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे। प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1(ख)	01.03.2018 ` 31.03.2018 के दौरान की गई 21579.00 लाख रुपये की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान वापस ले लिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि वस्त्र मंत्रालय से 2157.93लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से देय प्राप्तियों में से 2157.93लाख रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक कर दिया। इसके अतिरिक्त, एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 1815.00 लाख रुपये वितरित किए हैं, हालांकि यह राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। उपरोक्त आंकड़े हाल की लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 31.10.24 से मेल नहीं खाते हैं। चूंकि, बोर्ड ने अभी तक आवश्यक समायोजन के लिए निर्देश नहीं दिया है, इसलिए हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आंकड़ों को प्रभाव नहीं दिया गया है। इसे देखते हुए, हम वितरित किए गए 1815.00 लाख रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। ।	एनएचडीसी यार्न आपूर्ति योजना (पूर्ववर्ती योजना) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। वाईएसएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एनएचडीसी विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिए गए मांग-पत्रों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को आदेश देता है। पूर्ववर्ती योजना के अनुसार, प्रयोक्ता एजेंसियां लेन-देन मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है और एनएचडीसी आपूर्तिकर्ता मिलों को लेनदेन मूल्य का 100% जारी करता है। इस मामले के लिए, एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान कियाऔर 21.58 करोड़ रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (अर्थात मार्च, 2018 की बिक्री के लिए 215.79 करोड़ रुपये का 10%) आपूर्तिकर्ताओं को डेबिट करके उनके खातों में समायोजित किया गया, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत सरकार ने एनएचडीसी को सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। 01.04.2018 से 30.06.2018 तक के लेनदेन को जांच एजेंसियों को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षार और सीवीओ की टीम द्वारा 05.10.2021 को निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई

		के लिए फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। सोसाइटियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 ` सेबी द्वारा सूचीबद्ध फोरेंसिक लेखापरीक्षक से लेनदेन लेखा परीक्षा करायी गयी थी। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड की सलाह के आधार पर, लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर एक प्रभाव रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेनदेन लेखा परीक्षा पर प्रभाव रिपोर्ट भी सीबीआई के साथ समन्वय में आवश्यक कार्रवाई के लिए सतर्कता विभाग को प्रस्तुत की गई है। मौजूदा सीबीआई मामले से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए गए हैं, सीबीआई के साथ चर्चा शुरू की गई है और संबंधित दस्तावेज जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे। प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1 (ग)	कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय से 24566.31लाख रुपये की राशि के देनदारों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में संदर्भित है। इस प्रकार, विविध देनदारों के लिए प्रावधान क्रमशः 24566.31लाख रुपये कम है और लाभ 24566.31लाख रुपये अधिक है, जो कुल देनदारों में दर्शाया गया है (संदर्भ नोट संख्या 15 (ii))।कंपनी द्वारा 31.10.24 को दी गई हाल की लेन देन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, ऊपर बताई गई रकम को 24572.49 लाख रुपये से संशोधित करके 24566.31 लाख रुपये कर दिया गया है (जिसमें 01.04.2018 से 31.05.2018 तक की 1934.59 लाख रुपये की सब्सिडी शामिल है)।	2018-19 की पहली तिमाही के दौरान, 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीदरद्द कर दिए गए हैं और उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेज दिया गया है। सीबीआई संचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और मामले पर सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षार और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल और सीबीआई पत्र के निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है। सोसाइटियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017

		से सेबी द्वारा सूचीबद्ध फोरेंसिक लेखापरीक्षक से लेनदेन लेखापरीक्षा करायी गयी थी। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड की सलाह के आधार पर, लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर एक प्रभाव रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेनदेन लेखा परीक्षा पर प्रभाव रिपोर्ट भी सीबीआई के साथ समन्वय में आवश्यक कार्रवाई के लिए सतर्कता विभाग को प्रस्तुत की गई है। मौजूदा सीबीआई मामले से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए गए हैं, सीबीआई के साथ चर्चा शुरू की गई है और संबंधित दस्तावेज जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे। प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1 (घ)	व्यापार देयताओं में 25265.92 लाख रुपये शामिल हैं और मौजूदा देनदारियों में सब्सिडी, परिवहन और डिपो देय शामिल हैं, जो लखनऊ ब्रांच से संबंधित 3 वर्ष से ज़्यादा समय से बकाया 1229.74 लाख रुपये हैं। ऊपर बताई गई रकम को बट्टे खाते नहीं डाला गया है, जिसकी वजह से लेनदार 25265.92 लाख रुपये ज़्यादा हैं और लाभ 25265.92 लाख रुपये कम है। ये लेन देन फोरेंसिक और सतर्कता जांच के अधीन हैं, जिन्हें सीबीआई को भेजा गया है। इसके अलावा, व्यापार देयताओं की ऊपर बताई गई रकम को 25405.91 लाख रुपये से परिवर्तित करके 25265.92 लाख रुपये कर दिया गया है और सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन और डिपो देय की ऊपर बताई गई रकम को कंपनी द्वारा दी गई 31.10.2024 की हाल की लेन देन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 1233.61 लाख रुपये से परिवर्तित करके 1229.74 लाख रुपये कर दिया गया है।	कृपया उपरोक्त बिंदु 1 (ग) का उत्तर देखें।
1 (ङ)	कंपनी ने वित्त वर्ष2018-19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ ब्रांच द्वारा अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं को दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय के बारे में	i)उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेजा गया है। सीबीआई संचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फोरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की गई थी। फोरेंसिक लेखा परीक्षा

	कोई विवरण नहीं दिया है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, आज तक पार्टी के हिसाब से किए गए डबल/एक्स्ट्रा भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हालांकि, 31-10-2024 की ट्रांजैक्शन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, ऊपर बताई गई रकम को 660.62 लाख रुपये से परिवर्तित करके663.87 लाख रुपये कर दिया गया है और इस 663.87 लाख रुपये के दोहरे भुगतान में से, 350.17 लाख रुपये कॉर्पोरेशन को वापस कर दिए गए हैं, जबकि 313.70 लाख रुपये की वसूली अभी भी बाकी है। इसलिए, हम इसकी वसूली के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।	रिपोर्ट और मामले पर सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ की टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल और सीबीआई पत्र के निर्देशों के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है। लेन-देन लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख करने जा रहा है। (ii) इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। (iii) मामले को बैंक के साथ उठाया गया है और निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। (iv) सोसाइटियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी द्वारा सूचीबद्ध फोरेंसिक लेखा परीक्षार से लेनदेन लेखा परीक्षा करायी गयी थी। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड की सलाह के आधार पर, लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर एक प्रभाव रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेनदेन लेखा परीक्षा पर प्रभाव रिपोर्ट भी सीबीआई के साथ समन्वय में आवश्यक कार्रवाई के लिए सतर्कता विभाग को प्रस्तुत की गई है। मौजूदा सीबीआई मामले से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए गए हैं, सीबीआई के साथ चर्चा शुरू की गई है और संबंधित दस्तावेज जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे। प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2	(क) जैसा कि नोट सं. “6(क)” में बताया गया है, दिनांक 31.03.2025 तक कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) के क्रेडिट में 2,952.60 लाख रुपये जमा हैं। कॉर्पोरेशन ने वित्त वर्ष2017-18 और 2018-19 के दौरान, कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिले ब्याज, जो क्रमशः 122.00 लाख रुपये और 120.00	(क) वित्तीय वर्ष2017-18 और 2018-19 के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कॉर्पस में जमा नहीं किए गए 241.79 लाख रुपये के ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी (ईएसी) की राय के

	लाख रुपये था, को कॉर्पस फंड में जमा करने के बजाय कॉर्पोरेशन की आय के रुप दिखाया था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से मिली राय के आधार पर, इस ब्याज को मौजूदा वर्ष में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक असाधारण मद के तौर पर डेबिट करके, उस कॉर्पस फंड में जमा कर दिया गया है। नोट से. "6(ख)" में उल्लेख किए अनुसार, दिनांक 31.03.2025 तक कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) के क्रेडिट में 1,817.61 लाख रुपये जमा हैं। कॉर्पोरेशन ने, 2016-17 तक के वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) की फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को, जिसे कॉर्पस फंड में जमा किया जाना चाहिए था, उसे कॉर्पोरेशन की आय के तौर पर दिखाया था, जो क्रमशः 321.75 लाख रुपये, 61.75 लाख रुपये और 57.00 लाख रुपये था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से मिली राय के आधार पर, उक्त ब्याज को चालू वर्ष के दौरान प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक असाधारण मद के रूप में डेबिट करके उक्त कॉर्पस फंड में जमा किया गया है। यह देखा गया है कि, ऊपर बताई गई राशि (बिंदु क और ख) पर कोई भी ब्याज संबंधित वर्षों में कॉर्पस फंड में जमा नहीं किया गया है। इसलिए, इस ब्याज की राशि के फिक्स्ड डिपॉज़िट न होने के कारण हम लाभ प्रदता पर इसके प्रभाव के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।	आधार पर की गई है, जिसमें संबंधित राशि को "असाधारण मद" के तहत लाभ एवं हानि विवरण में पिछली अवधि के मद के रूप में डेबिट किया गया है। लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन उपचार को विधिवत अनुमोदित किया गया है। (ख) मेगा क्लस्टर कॉर्पस में क्रेडिट नहीं किए गए रु. 440.50 लाख के ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई आईसीएआई द्वारा जारी ईएसीराय के आधार पर की गई है, जिसमें संबंधित राशि को "असाधारण मदों" के तहत लाभ और हानि विवरण में पिछले अवधि की मद के रूप में डेबिट किया गया है। लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन उपचार को विधिवत अनुमोदित किया गया है। सीएजी की टिप्पणी के अनुसार और आईसीएआई की ईएसी राय के आधार पर संबंधित वर्षों के लिए कॉर्पस फंड में ब्याज वापस जमा किया गया था। इन दोनों ने पूर्वोक्त उल्लिखित राशि पर जिम्मेदार ब्याज के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। इसलिए, जिम्मेदार ब्याज के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा गया है।
3	नोडल / कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते, एनएचडीसी ने हडको प्लाजा, बिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर विकसित और स्थापित किया। उक्त विपणन परिसर में दुकानें एनएचडीसी को आवंटित की गईं और एनएचडीसी ने कपड़ा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लाभार्थी एजेंसियों (आवंटियों) को दुकानें फिर से आवंटित कीं। जैसा कि बताया गया है, दुकानों पर किए गए पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति आवंटियों द्वारा की जानी आवश्यक है और यदि आवंटियों से कोई वसूली नहीं होती है तो वस्त्र मंत्रालय को उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति	भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 1996 में एक योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य प्रमुख शहरों और कस्बों में हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों के स्थायी विपणन आउटलेट बनाने के उद्देश्य से विपणन परिसरों की स्थापना करके विपणन सहायता प्रदान करना था। हथकरघा विकास आयुक्त (विकास आयुक्त, हथकरघा) के कार्यालय द्वारा एनएचडीसी को उपरोक्त कार्यान्वयन के लिए एकमात्र नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

	करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, हमारी टिप्पणी निम्नानुसार है: क) नोडल/इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होने के नाते, एनएचडीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हडको को 53.00 लाख रुपये का रखरखाव शुल्क दिया है और दिनांक 1.4.2025 से लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्रॉपर्टी टैक्स, ग्राउंड रेंट और मेंटेनेंस चार्ज के लिए कुल 97.63 लाख रुपये का भुगतान किया है। ये सभी भुगतान दुकानों के आवंटिती से मिली राशि से किए गए थे। इन बकाया रकम पर 104.77 लाख रुपये का ब्याज एसडीएमसी और हडको को नहीं दिया गया है। इससे हडको के साथ लीज डीड पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, पेनल्टी चार्ज लग सकते हैं और एनएचडीसी के खिलाफ पेनल्टी कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि वह दुकानों का मूल आवंटिती है। ख) एनएचडीसी ने आवंटित की गई दुकानों से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, ताकि योजना के लाभों के मामले में उनके प्रदर्शन को सत्यापित किया जा सके, जिसमें सरकार ने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें खरीदने के लिए हथकरघा एजेंसियों को 335.00 लाख रुपये की 50% अनुदान सहायता दी है। अगर एनएचडीसी द्वारा बकाया भुगतान नहीं करने के कारण लीज डीड नहीं बनती है, तो योजना पर सरकारी खर्च बर्बाद हो सकता है।	हुडको ने भीकाजी कामा प्लेस में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया था और भूमि एवं विकास प्राधिकरण (एलएंडडीओ) से जमीन ली थी। हुडको और एलएंडडीओ के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी के कानूनी मुद्दे के कारण कॉम्प्लेक्स को 23 एजेंसियों/आवंटियों/एनएचडीसी को हस्तांतरित/उप-पट्टे पर नहीं दिया जा सका। समय-समय पर एनएचडीसी ने हुडको को दुकानों को सीधे आवंटियों को हस्तांतरित करने के लिए कई पत्र भेजे, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। अप्रत्याशित परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी के कारण मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित मुद्दे लंबित थे। बकाया भुगतान के लिए हुडको और आईएचसी के अधिकारियों के साथ दिनांक 05-04-2022 को एक बैठक की गई थी। बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के रहने वालों से जमीन का किराया/रखरखाव शुल्क/संपत्ति कर प्राप्त होने के बाद ही हुडको/आईएचसी/एसडीएमसी को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के सभी रहने वालों को तुरंत अपना बकाया चुकाने के लिए पत्र जारी किए गए थे। बकाया राशि प्राप्त होने के बाद ही दुकानों का पंजीकरण किया जाएगा। एनएचडीसी ने विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय से अनुरोध किया है कि एनएचडीसी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यमुक्त किया जाए और डीसी (हथकरघा) का कार्यालय आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे अपने हाथ में ले ले। लंबित बकाया की वसूली के लिए सभी लाभार्थी एजेंसियों को पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार, कुछ एजेंसियों ने भुगतान कर दिया है और कुछ जल्द ही भुगतान करने को तैयार हैं। एनएचडीसी ने दुकान पर कब्जा करने वाली एजेंसियों से लागू ब्याज के साथ बिजली शुल्क, रखरखाव शुल्क, जमीनी किराया, संपत्ति कर आदि सहित सभी बकाया देय राशि का आकलन और

		वसूली के लिए उपरोक्त परियोजना के लिए एक समिति का भी गठन किया है। बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत दौरे और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। चालू वर्ष के दौरान, वसूली प्रक्रिया में काफी तेजी लाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप दुकान-कब्जा करने वाली एजेंसियों से पर्याप्त राशि का संग्रह किया गया है, जिसे हुडको बकाया और संपत्ति कर के लिए जारी किया गया है। एनएचडीसी केवल डीसी (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय (एमओटी), भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। तदनुसार, दुकान पर -कब्जा करने वाली एजेंसियों द्वारा भुगतान किया गया कोई भी ब्याज और अन्य शुल्क हडको को जारी किया गया है। चूंकि एनएचडीसी केवल एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, इसलिए इस संबंध में एनएचडीसी के खातों में कोई देयता नहीं होती है।
4	कंपनी पर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, 2006 (एमएसएमईडीएक्ट) के तहत रजिस्टर्ड कुछ आपूर्तिकर्ताओं का एक वर्ष से ज़्यादा का बकाया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को देरी से भुगतान पर देय ब्याज का पता लगाना ज़रूरी है। हालाँकि, लेखा पुस्तिकाओं में ऐसी ब्याज देनदारी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है, और न ही इसे वित्तीय विवरण में बताया गया है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी की देनदारियाँ और खर्च कम दिखाए गए हैं और वर्ष का लाभ उस अनिश्चित ब्याज राशि की सीमा तक ज़्यादा दिखाया गया है।	कंपनी के संचालन में **बैक-टू-बैक** आधार पर यार्न की आपूर्ति शामिल है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं से खरीद सीधे पुष्टि किए गए ग्राहक आदेशों से जुड़ी होती है, और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान ग्राहकों से भुगतान की प्राप्ति के साथ परिचालन रूप से संरेखित होता है। निपटान में देरी, यदि कोई हो, मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्ति में इसी देरी के कारण होती है और बैक-टू-बैक ट्रेडिंग मॉडल की एक अंतर्निहित विशेषता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ब्याज के लिए कोई दावा नहीं किया गया है, और प्रबंधन को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार एमएसएमईडी अधिनियम के तहत ब्याज के प्रति किसी भी क्रिस्टलीकृत दायित्व के बारे में पता नहीं है। तदनुसार, लेखा बही में ब्याज के किसी प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है।
5	कंपनी के पास एक मृतक कर्मचारी पेंशन योजना है, जिसे अंतर कार्यालय पत्र (संदर्भ सं.: कार्य एवं प्रशासन/13/216 तारीख 23 अगस्त, 2013) के ज़रिए	मृत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत एकत्र किए गए योगदान को वर्तमान देनदारियों के तहत जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और मृत कर्मचारियों के आश्रितों

	जारी किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों से हर महीने अंशदान लिया जाता है, और नियोक्ता को कर्मचारियों के अंशदान के दोगुने के बराबर रकम देनी होती है। उक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भुगतान करने के लिए एक अलग कॉर्पस बनाना ज़रूरी था, और इस तरह जमा की गई रकम को इस कॉर्पस में रखा जाना था और इस उद्देश्य हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा बनाई गई एक निवेश कमेटी के माध्यम से निधि को सही इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाना था। हालांकि, कंपनी ने ज़रूरी कॉर्पस फंड नहीं बनाया है और न ही बताई गई निवेळ कमेटी बनाई है। इसके परिणामस्वरुप, इस कॉर्पस पर जो ब्याज आय मिलनी चाहिए थी, वह भी योजना के खाते में जमा नहीं की गई है। इस योजना के तहत मिले अंशदान के वित्तीय विवरण में वर्तमान देनदारी के तहत दिखाया जा रहा है, और योजना के तहत दिया गया कोई भी मुआवज़ा इस देनदारी से डेबिट किया जाता है। इसलिए, कंपनी ने बनाई गई योजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।	को भुगतान इस दायित्व के माध्यम से किया जा रहा है. इस मामले में कॉर्पस, निवेश तंत्र और शासन ढांचे की संरचना सहित योजना के प्रावधानों की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एक विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें, जैसा उचित समझा जाएगा, निवेश समिति का गठन और आवश्यक कॉर्पस फंड का निर्माण किया जाना शामिल है। ब्याज आय की मान्यता, यदि कोई हो, सहित परिणामी लेखांकन उपचार पर ऐसी समीक्षा के परिणाम के आधार पर और लागू लेखांकन मानकों और आंतरिक अनुमोदन के अनुपालन में विचार किया जाएगा।
6	निगम के पास ईरपीएफट्रस्ट अर्थात एनएचडीसी कर्मचारी सीपीएफट्रस्ट है, जिसमें लेखापरीक्षित विवरण के अनुसार 31-03-2024 तक 237.53 लाख रुपये का कुल नुकसान हुआ है और यह देखा गया है कि वित्त वर्ष2023-24 के लिए पीएनबी परपेचुअल बॉन्ड पर ब्याज संबंधी आय को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। हमें वित्त वर्ष 2024-25 केलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण नहीं दिए गए हैं। F.Y. 2024-25 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण न होने के कारण, हम संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ईसीपीएफट्रस्ट के लाभ/हानि पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ईपीएफ ट्रस्ट 31.03.24 को 7.97 लाख रुपये की टीडीएस राशि की वापसी दिखा रहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के अभाव में, इसकी वसूली सुनिश्चित नहीं है। इसके अलावा, उक्त ईसीपीएफ ट्रस्ट के पास 240.00 लाख रुपये का निवेश है और 31.03.24 को रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में 38.65 लाख रुपए का अर्जित ब्याज है। ईसीपीएफ ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2024-	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएचडीसी ने 31.03.2024 तक ईसीपीएफ ट्रस्ट भंडार में कमी के लिए 237.53 लाखरुपये की वसूली की। यह एक क्रिस्टलीकृत और मात्रात्मक देयता थी, जिसे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईसीपीएफ ट्रस्ट के लाभ और हानि के विवरण में उचित रूप से मान्यता दी गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ ट्रस्ट के खातों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, और सटीक कमी, यदि कोई हो, निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि नुकसान अभी तक औपचारिक रूप से निर्धारित और क्रिस्टलीकृत नहीं है। आयकर रिटर्न जल्द ही दाखिल किया जाएगा और टीडीएस रिफंड का दावा किया जाएगा। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड बॉन्ड में निवेश से संबंधित हानि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के तहत है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से कोई औपचारिक दस्तावेज या पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, और अंतिम वसूली अभी भी सीआईआरपी कार्यवाही के अधीन

	25 के दौरान अंतिम भुगतान के रूप में इन बांडों के विरुद्ध 61.00 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरुप, एनएचडीसी/ईसीपीएफ ट्रस्ट को इस तरह के निवेश पर 217.65 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। हमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 24-25 के लिए वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने पर इसका प्रभाव पड़ेगा।	है। इसलिए,217.65 लाख रुपए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीआईआरपी और पीएफ ट्रस्ट खातों के अंतिम परिणाम पर निर्भर एक संभावित देयता का प्रतिनिधित्व करता है। इस स्तर पर व्यय के रूप में इस राशि को पहचानना समय से पहले होगा और एनएचडीसी की वित्तीय स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए देयता क्रिस्टलीकृत होने और पीएफ ट्रस्ट खातों को अंतिम रूप देने के बाद एनएचडीसी इस नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, विवेकपूर्ण और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेगा।
7	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक बकाया 20.86 लाख रुपये के संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान नहीं किया और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खाते में कोई हलचल नहीं हुई और इसकी पुष्टि नहीं हुई।	मामले में एक विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिसमें शेष राशि का समाधान, सहायक दस्तावेजों का सत्यापन और वसूली का मूल्यांकन शामिल है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एक विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा और इस तरह के विश्लेषण के परिणाम के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रावधान के निर्माण पर विचार किया जाएगा।
8	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के निम्नलिखित प्रावधान 31.03.2025तक लंबित हैः i. जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के साथ, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक था। कंपनी के बोर्ड में दिनांक 17 अक्टूबर 2022 तक केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री अनिल कुमार सूद जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया गया था, 17 अक्टूबर 2022 को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य छोड़ दिया है। सुश्री योगिता सिंह जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में	इस बिंदु का उत्तर निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध घ में दिया गया है - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर।

	नियुक्त किया गया था,11 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है।कंपनी को तत्काल अगली बोर्ड बैठक के बाद या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने, जो भी पहले हो, आकस्मिक रिक्ति को भरने की आवश्यकता थी, लेकिन 31 मार्च 2025 तक नहीं भरी है, इसलिए कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 6 के साथ, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। चूंकि श्री अनिल कुमार सूद 17 अक्टूबर 2022 से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं हैं और सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है, इसलिए निगम ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025के बीच की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। iii. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ, कंपनी को रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को भरना आवश्यक था, कंपनी की कंपनी सचिव सुश्री अंजलि यादव ने 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले आकस्मिक रिक्ति को भरना आवश्यक था, लेकिन 25-2-2025 तक पद को नहीं भरा गया है।इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 24-2-2025 तककी अवधि के दौरान प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। iv. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के लिए जोखिम	

	प्रबंधन नीति रखना आवश्यक था, 15 सितंबर 2023 को आयोजित उनकी बैठक में बोर्ड ने अपनाने और संचलन के उद्देश्य के लिए अनंतिम नीति को अपनाया है और इसे फिर से अनुमोदित करने की आवश्यकता है क्योंकि बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर काम पूरा कर रहा है।	

निदेशकों की रिपोर्ट संबंधी अनुबंध घ

सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर उत्तर का मसौदा- वित्त वर्ष 2024-25

क्रम सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
1	जबकि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों अनुसार, कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक था। कंपनी के बोर्ड में 17 अक्टूबर 2022 तक दो स्वतंत्र निदेशक थे। कंपनी को आकस्मिक रिक्ति को, अगली बोर्ड बैठक से ठीक पहले तक या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी पहले हो, भरना था, किन्तु कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से आज की तारीख तक की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।	दिनांक 17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक थे। एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, नामतः श्री अनिल कुमार सूद, जिन्हें 18 अक्टूबर 2019 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था, ने 17 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। जबकि सुश्री योगिता सिंह, जिन्हें 09 नवंबर 2021 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, ने भी 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है। निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के अनुपालन में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार अनुरोध करती रही है।
2	कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति/नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक था और समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी चाहिए, लेखा परीक्षा समिति की बैठक में न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक भाग लेते हैं। श्री अनिल कुमार सूद का कार्यकाल दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को पूरा होने के बाद उन्होंने गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का पद त्याग दिया है और सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022	17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की ईष्टतम संख्या थी और तदनुसार, कंपनी नियमावली (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के उपबंधों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था। कंपनी, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से लगातार अनुरोध करती रही है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने के बाद लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

	से इस्तीफा दे दिया है, अतएव, निगम ने 16 जनवरी 2023 से आज की तारीख तक उक्त अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।	
3	जबकि कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) के प्रावधानों के अनुसार, श्री धीरेंद्र प्रकाश जालंधरी को दिनांक 25 फरवरी, 2025 से निगम के कंपनी सचिव के रुप में नियुक्त किया गया है, अतएव, कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 24 फरवरी, 2025 की अवधि के दौरान कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।	सुश्री अंजली ने 25.07.2022 से सीएस के पद से इस्तीफा दे दिया था। रिक्त पद को भरने के लिए 17/09/2022 को रिक्ति परिपत्र सं एनएचडीसी/एचआर/आरई/22/2- दिनांक 17/09/2022 के माध्यम से कंपनी सचिव के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर, पद के लिए साक्षात्कार 30.01.2023 को आयोजित किया गया था, चयन समिति ने पद के लिए एक अभ्यर्थी को उपयुक्त पाया था। उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया था, तथापि, अभ्यर्थी ने एनएचडीसी में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके अलावा, कंपनी सचिव के पद के लिए 15/04/2023 को रिक्ति परिपत्र सं एनएचडीसी/एचआर/आरई/23/3 दिनांक 15/04/2023 के माध्यम से फिर से विज्ञापन जारी किया गया था। प्राप्त आवेदनों के आधार पर पद के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया। साक्षात्कार में प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चयन समिति ने एक अभ्यर्थी को इस पद के लिए उपयुक्त पाया तथा तीन अन्य अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा। एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया था किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद, प्रतीक्षा सूची वाले सभी तीन अभ्यर्थियों एक-एक करके नियुक्ति पत्र जारी किए गए, किन्तु किसी ने भी एनएचडीसी में कार्यभार नहीं ग्रहण नहीं किया। इसके बाद, कंपनी सचिव के पद के लिए पुनः 10/08/2024 को रिक्ति परिपत्र संख्या एनएचडीसी/एचआर/आरई/2024/3, दिनांक

		10/08/2024 के तहत विज्ञापन जारी किया गया और उसे निरस्त कर दिया गया। इसके बाद, कंपनी सचिव के पद के लिए दिनांक 15.03.2025 को रिक्ति परिपत्र संख्या एनएचडीसी/एचआर/डीआर/2025/1-15.03.2025 के माध्यम से एक विज्ञापन जारी किया गया था; तथापि, कोई भी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया/चयनित नहीं किया गया।
4	जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति होना आवश्यक था बोर्ड ने 15 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अपनाने और प्रसारित करने के उद्देश्य से अनंतिम नीति अपनाई है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने पर बोर्ड पूरा हो जाने पर इसे पुनः अनुमोदित कराने की आवश्यकता है।	इसके अलावा 16.06.2023 को आयोजित बोर्ड की 177वीं बैठक में जोखिम प्रबंधन नीति का मसौदा बोर्ड के समक्ष रखा गया था और बाद में 15.09.2023 को आयोजित 178वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार किया और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जाने पर बोर्ड द्वारा कार्य पूरा होने पर पुनः अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर अपनी अनंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी।
5	लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में और पिछले वर्षों की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 3 (तीन) अधिकारियों नामतः श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफ एंड ए) और श्री बीके महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य) को दोषी पाया गया और 11 मार्च 2022 को उन्हें पद से हटाने' का दंड दिया गया। सेवा से हटाने का दंड, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी' और उनके खिलाफ क्रमशः 23 मार्च 2022 को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का दण्ड होगा।.	निदेशक मंडल ने 15 ून, 2022 को परिचालन द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से 1 अप्रैल 2017 से लखनऊ शाखा कार्यालय की लेनदेन लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया था ताकि संबंधित अवधि के लिए सोसाइटियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से/तक सही और वास्तविक बकाया का पता लगाया जा सके। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देश के अनुसार, लेनदेन लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई है और बोर्ड द्वारा विचार किया जाना लंबित है।

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध ङ

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
सस्टेनेबिलिटी एवं सामाजिक प्रभाव की रिपोर्ट एनएचडीसी (2024-25)

अध्यक्ष का संदेश

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) को हमारी पहली सस्टेनेबल और सामाजिक प्रभाव रिपोर्ट 2024-25 प्रस्तुत करने पर गर्व है, जो हमारी स्वैच्छिक पहल है और भारत में अधिक लचीले, समावेशी और सस्टेनेबल हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

गतिशील सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के इस युग में, हम समझते हैं कि सस्टेनेबल और सामाजिक समता केवल अनुपालन प्राथमिकताएँ ही नहीं हैं, बल्कि हमारे उद्योग के भविष्य के लिए आवश्यक स्तंभ भी हैं। विकासशील भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के साथ हमारे प्रयासों को दृढ़ता से जोड़ते हुए, एनएचडीसी ऐसे परिवर्तनकारी बदलावों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है जो देश के सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और समावेशी विकास के उद्देश्यों में सार्थक योगदान दें।

अपनी पहलों के माध्यम से, हम सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल समावेशन को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे बुनकर समुदाय तेज़ी से विकसित हो रहे बाज़ार में उन्नति करने के लिए सक्षम हों। गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल तक पहुँच प्रदान करके, डिजिटल क्षमताओं का विस्तार करके और बाज़ार संबंधों को सुगम बनाकर, हम सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और जलवायु कार्रवाई रोडमैप की प्राप्ति में सक्रिय रूप से योगदान करते हुए, स्थायी आजीविका की आधारशिला रख रहे हैं।

भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत के संरक्षक के रूप में, हमारा मानना है कि हमारी ज़िम्मेदारी आर्थिक मूल्य सृजन से आगे बढ़कर पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को पोषित करने, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने और समुदायों को सशक्त बनाने तक फैली हुई है। ऐसा करके, हम एक ऐसे भविष्य को आकार देने में एक

प्रमुख भागीदार के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि करते हैं जहाँ भारत का हथकरघा क्षेत्र न केवल घरेलू स्तर पर फल-फूल रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर स्थिरता, शिल्प कौशल और सामाजिक प्रगति का एक प्रतीक भी बन रहा है।

इस यात्रा को जारी रखते हुए, हम अपने हितधारकों, साझेदारों और बुनकर समुदायों के साथ मिलकर प्रभाव, नवाचार और समावेशी विकास के नए रास्ते खोलने के लिए उत्साहित हैं। साथ मिलकर, हम न केवल कपड़ा बुन रहे हैं, बल्कि एक ऐसा भविष्य भी बुन रहे हैं जो विकास, सस्टेनेबिलिटी और सभी के लिए अवसरों से परिभाषित हो।

डॉ. बीना महादेवन

अध्यक्ष
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

एक हरित भविष्य का निर्माण: हथकरघा के सतत विकास में एनएचडीसी की भूमिका

एनएचडीसी का सस्टेनेबिलिटी का मार्ग, इसके ईएसजी मिशन और विजन द्वारा निर्देशित, राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ दृढ़तापूर्वक संरेखित है और बुनकरों को समर्थन देने, पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने और परंपराओं को संरक्षित करते हुए और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने की हमारी पहलों के माध्यम से परिलक्षित होता है।

एनएचडीसी का ईएसजी मिशन

हमारा ईएसजी विजन सस्टेनेबल हथकरघा उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में उभरना है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को जलवायु-सकारात्मक प्रथाओं के साथ जोड़ा जाएगा; समुदायों, संसाधनों और शासन पर स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए समानता, पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा।

हमारा ईएसजी मिशन पांच स्तंभों पर आधारित है:

- **पर्यावरणीय उत्तरदायित्व** - ऊर्जा और जल दक्षता में सुधार, उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर और हथकरघा मूल्य श्रृंखला में पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को बढ़ावा देकर परिचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना।
- **सामाजिक प्रभाव और समावेशन** - सुरक्षित, निष्पक्ष और न्यायसंगत संसाधन पहुँच तथा सामुदायिक कल्याण समर्थन के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- **शासन और पारदर्शिता** - मज़बूत ईएसजी रिपोर्टिंग और निरंतर सुधार के माध्यम से नैतिकता, जवाबदेही और हितधारक जुड़ाव के उच्चतम मानकों को बनाए रखना।
- **सतत नवाचार** - पारंपरिक शिल्प कौशल को दूरदर्शी समाधानों के साथ मिश्रित करने वाली स्थायी तकनीकों का समर्थन करना।
- **जागरूकता और वकालत** - सामुदायिक कार्यक्रमों, आउटरीच अभियानों और साझेदारियों के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देना जो एनएचडीसी के सकारात्मक प्रभाव को उसकी मूल्य श्रृंखला से आगे बढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) ने भारत के हथकरघा क्षेत्र के लिए एक लचीले, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में, एनएचडीसी एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है, जो सरकारी नीतियों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और देश भर के लाखों बुनकरों के बीच की खाई को पाटता है।

सस्टेनेबिलिटी के प्रति हमारा दृष्टिकोण

एक लचीले और जीवंत हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप, एनएचडीसी ने एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जो आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आयामों पर विचार करता है। हम सतत विकास को बढ़ावा देने और बुनकर समुदायों, हितधारकों और पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। समावेशी और उत्तरदायी विकास में हमारा विश्वास हमें अपने क्रियाकलाप के हर पहलू में स्थायित्व को समाहित करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण के अनुकूल कच्चे माल के उपयोग को बढ़ावा देने से लेकर हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने तक, हम एक अधिक न्यायसंगत और सस्टेनेबल भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं।

हम अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, बुनकर समुदायों की भलाई बढ़ाने और पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं के माध्यम से हितधारकों के विश्वास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। हमारी प्रतिबद्धता में डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना और जलवायु-सचेत उत्पादन विधियों का समर्थन करना शामिल है।

हमारे मिशन का मूल यह विश्वास है कि प्रत्येक पहल इस क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी में योगदान दे। भारत सरकार की कच्चा माल आपूर्ति योजना के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले धागे, रंगों और रसायनों की समय पर और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करके, और डिपो व गोदामों का एक मज़बूत नेटवर्क स्थापित करके एनएचडीसी न केवल इनपुट लागत और रसद संबंधी चुनौतियों को कम करता है, बल्कि लंबी दूरी के परिवहन से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट को भी न्यूनतम करता है, जिससे हमारी आपूर्ति श्रृंखला अधिक संसाधन-कुशल और पर्यावरणीय रूप से ज़िम्मेदार बनती है।

हम सिल्क फैब, वूल फैब और राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो जैसे मंचों के माध्यम से बाज़ार संपर्क को सक्रियता से सुगम बनाते हैं, जिससे बुनकरों को उचित और निरंतर आय प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह आर्थिक स्थिरता ग्रामीण-से-शहरी प्रवास को हतोत्साहित करती है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देती है और पारंपरिक बुनाई समूहों को संरक्षित करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सांस्कृतिक विरासत आधुनिक बाज़ार की माँगों के साथ-साथ समृद्ध रहे।

हमारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचचबी) टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और नैतिक रूप से उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देकर टिकाऊ उपभोग को बढ़ावा देता है, खरीदारों को मात्रा के बजाय गुणवत्ता चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है, और इस प्रकार वस्त्र अपशिष्ट को कम करता है।

सतत संचालन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझते हुए, एनएचडीसी ने प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, कागज़ के उपयोग को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ईआरपी सिस्टम और ई-धागा मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल टूलों की शुरुआत की हैं। ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पारदर्शी ख़रीद, स्टॉक और ऑर्डर की स्थिति तक रीयल-टाइम पहुँच और सुव्यवस्थित लेन-देन सुनिश्चित करते हैं, जिससे संसाधनों

का कुशल आवंटन संभव होता है, बर्बादी कम होती है और बुनकरों, विशेषकर महिलाओं और ग्रामीण बुनकरों को भौगोलिक या नौकरशाही बाधाओं के बिना कच्चे माल और अवसरों तक पहुँच मिलती है।

एनएचडीसी के प्रयास केवल फैब्रिक की बुनाई तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे सस्टेनेबल भविष्य का निर्माण करने के लिए भी हैं जहाँ आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से सहज रूप से जुड़े हों। भविष्य में, एनएचडीसी अपने संचालन, आपूर्ति श्रृंखलाओं और आउटरीच कार्यक्रमों में अपने सतत विकास प्रयासों को और गहन करता रहेगा। राष्ट्रीय लक्ष्यों और वैश्विक सतत विकास ढाँचों के साथ तालमेल बिठाकर, हम भारत के हथकरघा क्षेत्र में समावेशी विकास, पर्यावरणीय संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण के एक प्रमुख प्रवर्तक बनने का प्रयास करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) के साथ संरेखित करना - दीर्घकालिक मूल्य का सृजन

स्तंभ	एनएचडीसी की प्रासंगिकता	महत्वपूर्ण योगदान	प्रासंगिक एसडीजी
पर्यावरणीय	• पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए प्राकृतिक फाइबर (कपास, रेशम, ऊन, जूट, लिनन, रेयान) के उपयोग और सतत रंगाई की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देता है। • क्षेत्र के कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने के लिए पर्यावरण अनुकूल इनपुट (जैविक धागे, प्राकृतिक रंग) तक पहुंच को सुगम बनाता है।	• नवीकरणीय सामग्री के उपयोग को बढावा देना। • रंगाई की प्रक्रियाओं में जल संरक्षण। • कपड़े के पुनर्चक्रण द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन। • विकेन्द्रीकृत उत्पादन के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना।	 **एसडीजी 6** - स्वच्छ जल और स्वच्छता  **एसडीजी 12** - जिम्मेदार पूर्वक खपत और उत्पादन  **एसडीजी 13** - जलवायु कार्रवाई  **एसडीजी 15** - भूमि पर जीवन

स्तंभ	एनएचडीसी की प्रासंगिकता	महत्वपूर्ण योगदान	प्रासंगिक एसडीजी
सामाजिक	• ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा देकर, महिला बुनकरों को सहायता प्रदान करके, समावेशिता को बढ़ावा देकर और बुनकरों की आजीविका की सुरक्षा करके हथकरघा समुदायों को मज़बूत बनाता है। • बुनकरों, सहकारी समितियों और शीर्ष निकायों को सहायता प्रदान करके सामाजिक-आर्थिक लचीलापन बढ़ाता है।	• महिलाओं एवं हाशिए पर पड़े समूहों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास और सशक्तिकरण। • समावेशी बाज़ारों और निष्पक्ष व्यापार के अवसरों का सृजन। • स्थायी रोज़गार मॉडल के माध्यम से सामुदायिक लचीलेपन को मज़बूत करना। • सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाना।	**एसडीजी 1** - कोई गरीबी नहीं **एसडीजी 4** - गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा **एसडीजी 5** - लैंगिक समानता **एसडीजी 8** - उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास **एसडीजी 10** - असमानताओं को कम किया गया।
शासन	• राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शासन ढाँचों के अनुरूप पारदर्शी, नैतिक और जवाबदेह संचालन के लिए प्रतिबद्ध है।	• धागे/रंगों की नैतिक खरीद और पारदर्शी वितरण।	**एसडीजी 16** - शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं **एसडीजी 17** - लक्ष्यों के लिए साझेदारियां

स्तंभ	एनएचडीसी की प्रासंगिकता	महत्वपूर्ण योगदान	प्रासंगिक एसडीजी
	• अनुपालन एवं नीति संरेखण के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।	• नियामक, वित्तीय और परिचालन मानकों का सुदृढ़ अनुपालन। • हितधारकों के विश्वास के लिए व्हिसलब्लोअर संरक्षण और शिकायत निवारण।	

हितधारक जुड़ाव और सामग्री मूल्यांकन

एनएचडीसी के लिए सामग्री मूल्यांकन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किया गया था, जिसका उद्देश्य एनएचडीसी के संचालन और हितधारक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले सबसे प्रासंगिक पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) मुद्दों की पहचान करना था। इस मूल्यांकन का उद्देश्य एनएचडीसी को अपने सस्टेनेबिलिटी के एजेंडे को आगे बढ़ाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने और बुनकरों, कर्मचारियों, सरकारी निकायों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों सहित अपने हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन में मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह मूल्यांकन एनएचडीसी की अपनी रणनीतिक निर्णय लेने और परिचालन योजना में ईएसजी विचारों को एकीकृत करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

सबसे पहले, ईएसजी क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में, प्रमुख हितधारकों के साथ एक समर्पित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसके बाद विस्तृत चर्चा हुई। व्यक्तिगत बातचीत सत्र में विभाग के प्रमुखों, वरिष्ठ अधिकारियों, कार्यात्मक टीमों और मुख्यालय के कर्मचारियों ने भाग लिया, जबकि वर्चुअल सत्र में क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य दो प्रमुख आयामों के आधार पर ईएसजी मुद्दों का आकलन करना था: परिचालन प्रभाव (जोखिम और रणनीतिक महत्व) और हितधारक चिंताएँ (नियामक ध्यान, निवेशक रुचि और सार्वजनिक जाँच)। इंटरैक्टिव चर्चाओं, परिदृश्य-आधारित अभ्यासों और वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के माध्यम से अंतर्दृष्टि एकत्र की गई।

हितधारकों के साथ व्यक्तिगत बातचीत से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर, एनएचडीसी के लिए प्रमुख ईएसजी मुद्दों की प्रासंगिकता और प्राथमिकता का आकलन करने के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन किया गया। इस संवाद-आधारित दृष्टिकोण से उन महत्वपूर्ण विषयों की पहचान संभव हुई जो एनएचडीसी के संस्थागत मिशन, परिचालन संबंधी वास्तविकताओं और सतत विकास के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक संरेखित हैं। एनएचडीसी के लिए निम्नलिखित को सबसे अधिक प्राथमिकता वाले और महत्वपूर्ण ईएसजी मुद्दों के रूप में पहचान की गयी:

एनएचडीसी के भौतिक ईएसजी मामले	
पर्यावरणीय	**सामाजिक**
1. ऊर्जा फुटप्रिंट और कार्बन फुटप्रिंट की कमी 2. सतत प्रचालन	1.बुनकरों का कौशल विकास एवं कल्याण 2. हथकरघा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण एवं प्रतिभागिता
गवर्नेंस	
1.निर्णय लेने एवं नीति निर्माण में हितधारकों की तैनाती 2. पर्यावरणीय और सामाजिक पहलों के प्रकटीकरण में पारदर्शिता	

रणनीति में ईएसजी का एकीकरण

यह प्रक्रिया पुनरावृत्तीय है और एनएचडीसी के नेतृत्व द्वारा इसकी निगरानी गहनता से की जाती है। हितधारकों के सुझावों का विश्लेषण किया जाता है और उन्हें हमारी नीतियों, योजनाओं और परिचालन रणनीतियों में व्यवस्थित रूप से एकीकृत किया जाता है। उच्च-स्तरीय कार्रवाई की आवश्यकता वाले मुद्दों को रणनीतिक दिशा-निर्देश के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

ईएसजी सामग्री के मामले	एनएचडीसी और स्टेकहोल्डरों की प्रासंगिकता	लिंक्ड एसडीजी
ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन में कमी	कुशल प्रक्रियाओं और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है।	एसडीजी 7, एसडीजी 12, एसडीजी 13
टिकाऊ अपशिष्ट और जल प्रबंधन	संसाधनों के ज़िम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित करता है, प्रदूषण को कम करता है और चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रथाओं का समर्थन करता है।	एसडीजी 6, एसडीजी 12
किफ़ायती कच्चे माल तक पहुँच	बुनाई गतिविधियों की क्षमता, निरंतरता और हथकरघा क्षेत्र की लचीलापन सुनिश्चित करता है।	एसडीजी 1, एसडीजी 12
बाज़ारों का विस्तार और निष्पक्ष व्यापार के अवसर	बुनकरों को घरेलू और वैश्विक बाज़ारों तक व्यापक पहुँच प्रदान करता है, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित होता है।	एसडीजी 8, एसडीजी 10, एसडीजी 12
ग्रामीण आजीविका संवर्धन और सामुदायिक लचीलापन	आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करता है, प्रवासन को कम करता है और पारंपरिक हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।	एसडीजी 1, एसडीजी 8
महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समावेशिता	महिला बुनकरों की भागीदारी को बढ़ावा देता है, समानता और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है।	एसडीजी 5, एसडीजी 10
बुनकरों के लिए कौशल विकास और कौशल उन्नयन	इस क्षेत्र में उत्पादकता, नवाचार और दीर्घकालिक रोज़गार क्षमता को बढ़ाता है।	एसडीजी 4, एसडीजी 8
बुनकरों की व्यावसायिक सुरक्षा और कल्याण	कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार करता है, स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है और बुनकर समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण करता है।	एसडीजी 3, एसडीजी 8

निर्णय लेने में हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल करके, एनएचडीसी न केवल विश्वास और पारदर्शिता को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि इसका मिशन समावेशी विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित है।



एनएचडीसी कर्मचारियों के लिए ईएसजी प्रशिक्षण सत्र (मुख्यालय के लिए व्यक्तिगत, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए वर्चुअल)

एनएचडीसी का सस्टेनेबिलिटी प्रदर्शन और पहल

एनएचडीसी उत्सर्जन को कम करने, संसाधनों की खपत को अनुकूल बनाने और सस्टेनेबल प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 को आधार वर्ष मानते हुए, हमारा ध्यान निरंतर सुधार लाने, नवाचार को अपनाने और एक हरित, सुदृढ़ भविष्य की ओर अपनी यात्रा को सुदृढ़ बनाने पर है।

ईंधन की खपत और उत्सर्जन में कमी

एनएचडीसी ने **वित्त वर्ष 2024-25** में अपने मुख्यालय में ईंधन की खपत दर्ज की, जिसमें परिचालन गतिशीलता के लिए पेट्रोल और डीजल दोनों का उपयोग किया गया। वर्ष के दौरान कुल ईंधन उपयोग के परिणामस्वरूप 18.9 टन कार्बन उत्सर्जन हुआ। यह डेटा परिवहन और गतिशीलता संबंधी उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए एनएचडीसी का आधार वर्ष बनाता है।

पर्यावरण पर जीवाश्म ईंधन के प्रभाव को समझते हुए, एनएचडीसी निम्नलिखित पहलों के माध्यम से अपने ईंधन-आधारित कार्बन की मौजूदगी को कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपना रहा है:

• स्वच्छ परिवहन की ओर ट्रांजिसन: आधिकारिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की शुरुआत की संभावना तलाशना और उच्च-उत्सर्जन वाले वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त करना।

• ईंधन दक्षता उपाय: प्रति यात्रा ईंधन की खपत को कम करने के लिए पूलिंग, साझा परिवहन और मार्ग अनुकूलन को बढ़ावा देना।

• जागरूकता और प्रशिक्षण: कर्मचारियों को पर्यावरण-अनुकूल ड्राइविंग प्रक्रियाओं और ईंधन-बचत प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

• लक्षित कटौती: ईंधन की खपत से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना, जिसकी शुरुआत वित्त वर्ष **2025-26** से सुधार के पहले वर्ष के रूप में की जाएगी।

बिजली की खपत और उत्सर्जन में कमी (आधार वर्ष: वित्त वर्ष 2024-25)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएचडीसी के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में बिजली के उपयोग के कारण कुल कार्बन उत्सर्जन लगभग 101.9 टन रहा। बिजली का उपयोग एक महत्वपूर्ण परिचालन कदम है, और वित्त वर्ष 2024-25 हमारे प्रदर्शन पर नज़र रखने और कटौती की योजना बनाने के लिए आधार वर्ष के रूप में कार्य करता है। एनएचडीसी अपने कार्बन कदम को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और निम्नलिखित जैसे सक्रिय कदम उठा रहा है:

• प्रकाश व्यवस्था, शीतलन और आईटी अवसंरचना में ऊर्जा-कुशल प्रणालियों का कार्यान्वयन।

• जहाँ भी संभव हो, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की संभावना तलाशना।

• अपव्यय को कम करने के लिए कर्मचारियों को ऊर्जा-सचेत व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

अपशिष्ट प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन

एनएचडीसी के संचालन को देखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उत्पन्न अधिकांश अपशिष्ट कागज़ का था। एनएचडीसी पर्यावरण और दक्षता दोनों ही दृष्टि से कार्यालयीन कार्यों में कागज़ के उपयोग को उल्लेखनीय रूप से कम करने की आवश्यकता को समझता है। इस समस्या के समाधान के लिए, एनएचडीसी ने निम्न के द्वारा सक्रिय कदम उठाए हैः

• आधिकारिक दस्तावेज़ों की तैयारी, प्रसार और अनुमोदन के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने की वृद्धि करना।

• यह सुनिश्चित करना कि दस्तावेज़ सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म पर साझा किए जाएँ, जिससे न केवल कागज़ का उपयोग कम होगा, बल्कि एक स्पष्ट लेखा परीक्षा ट्रेल भी उपलब्ध होगा और पारदर्शिता में सुधार होगा।

• कर्मचारियों को डिजिटल-प्रथम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

एनएचडीसी का शुद्ध-शून्य रोडमैप

भारत की 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप, एनएचडीसी ने हथकरघा पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन मज़बूत करते हुए अपने कार्बन पहचान को उत्तरोत्तर कम करने के लिए एक संरचित और चरणबद्ध रोडमैप अपनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 आधार वर्ष के रूप में कार्य करता है, जो दीर्घकालिक कमी करने के लक्ष्यों के लिए उत्सर्जन और संसाधन खपत मानक प्रदान करता है। इस रोडमैप के माध्यम से, एनएचडीसी न केवल भारत के जलवायु कार्रवाई मार्ग का समर्थन कर रहा है, बल्कि हथकरघा क्षेत्र को एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ने में सक्षम बना रहा है, जो लोगों और उपग्रह दोनों के लिए टिकाऊ, समावेशी और जलवायु-अनुकूल - प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता हो।

एनएचडीसी की शुद्ध-शून्य प्रतिबद्धताएं -

अल्पकालिक (2025-2035)

परिचालन सस्टेनेबिलिटी

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की आधारभूत सूची तैयार करना।

- कार्यालय के मौजूदा उपकरणों को ऊर्जा-कुशल (5-स्टार रेटिंग वाले) विकल्पों से बदलना।

- सभी कार्यालयों में 100% एलईडी लाइटिंग का उपयोग शुरू करना।

- मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर स्थापित करना।

सस्टेनेबल गतिशीलता

- सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और वर्चुअल मीटिंग को बढ़ावा देना।

- कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आधिकारिक यात्रा उत्सर्जन की निगरानी करें और उसकी भरपाई करना।

- वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से व्यावसायिक यात्रा/लॉजिस्टिक्स से होने वाले उत्सर्जन की भरपाई करना।

अपशिष्ट और शीतलन उत्सर्जन

- रेफ्रिजरेंट लीकेज को कम करने के लिए नियमित रूप से एसी की सर्विसिंग कराना।

- सभी कार्यालयों में कचरे के कुशल पृथक्करण को लागू करना।

- कागज रहित कार्यालयों की ओर संक्रमण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।

दीर्घकालिक (2035-2050)

स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण

- सभी कार्यालय परिसरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में जानना।

- हरित ऊर्जा (पवन, सौर, जलविद्युत आदि) की खरीद करना।

सस्टेनेबल खरीद

- धागे के परिवहन विक्रेताओं के लिए सस्टेनेबिलिटी मानदंड विकसित करना।

- ईंधन-कुशल लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ साझेदारी करना।

डिजिटल ट्रैकिंग एवं रिपोर्टिंग

- सुदृढ़ ईएसजी ढांचे और उत्सर्जन रिपोर्टिंग प्रणालियों की स्थापना करना।

- डिजिटल उत्सर्जन ट्रैकिंग उपकरण लागू करना।

समुदाय-आधारित क्षतिपूर्ति

- बुनकर क्षेत्रों में वृक्षारोपण परियोजनाएं शुरू करना।

- हथकरघा समूहों में सौर/बायोगैस संयंत्रों को समर्थन प्रदान करना।

इन्हीं प्रतिबद्धताओं के साथ एनएचडीसी 2050 तक कार्बन निष्प्रभावन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।

सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) में, इसका निदेशक मंडल निगम की सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक प्रभाव रणनीति के मार्गदर्शन और देखरेख में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारा विकास समावेशी, ज़िम्मेदार और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बना रहे। बोर्ड मानता है कि सस्टेनेबिलिटी कोई अकेली पहल नहीं है, बल्कि भारत के हथकरघा क्षेत्र और उसके बुनकर समुदायों को सशक्त बनाने के एनएचडीसी के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

सभी प्रमुख पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) निर्णयों की प्रत्यक्ष निगरानी निदेशक मंडल और प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है, जो सतत विकास के प्रति संगठन के एकीकृत और शीर्ष-स्तरीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। चूँकि सततता रणनीतिक दिशा को प्रभावित करती रहती है, इसलिए बोर्ड आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता, हरित खरीद, समावेशी विकास और डिजिटल सक्षमता से संबंधित पहलों की समीक्षा और अनुमोदन करता है। बोर्ड डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों जैसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों के साथ एनएचडीसी के संरेखण की भी निगरानी करता है। निर्णय लेने के उच्चतम स्तरों में सततता को समाहित करके, एनएचडीसी एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढाँचा सुनिश्चित करता है, जो बुनकरों, समुदायों और पर्यावरण के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी के साथ व्यावसायिक सफलता को संतुलित करता है।

एनएचडीसी की एक सुस्पष्ट प्रशासनिक संरचना है जहाँ निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर समिति और जोखिम प्रबंधन समिति जैसी प्रमुख समितियों के साथ मिलकर नैतिक अनुपालन, जोखिम न्यूनीकरण और उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाओं की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करता है।

एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति, एनएचडीसी की प्रमुख सामुदायिक पहलों की संकल्पना और कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाती है। प्रबंध निदेशक, इस दोहरी भूमिका में, यह सुनिश्चित करते हैं कि विशेष रूप से बुनकर कल्याण, कौशल विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण पर केंद्रित सामाजिक प्रभाव के प्रयास, एनएचडीसी के परिचालन लक्ष्यों और बजटीय प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुड़े हों।

इसके अलावा, एनएचडीसी के पास एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति है। मुख्यालय में समिति का प्रतिनिधित्व महाप्रबंधक (मुख्य जोखिम अधिकारी), उप महाप्रबंधक - वित्त और लेखा (सदस्य), और उप महाप्रबंधक - वाणिज्यिक (सदस्य) करते हैं और क्षेत्रीय कार्यालयों में समिति में क्षेत्रीय प्रभारी (सीआरओ), वाणिज्यिक प्रमुख (सदस्य), और एफ एंड ए प्रमुख (सदस्य) शामिल हैं। इसमें एक व्यवस्थित और संपूर्ण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया शामिल है, जो एनएचडीसी के रणनीतिक और परिचालन उद्देश्यों की उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकने वाले जोखिमों की पहचान, आकलन, प्राथमिकता और शमन करने के लिए तैयार की गई है। यह प्रक्रिया एक संरचित दो-स्तरीय रिपोर्टिंग और वृद्धि तंत्र का पालन करती है जो सभी स्तरों पर प्रभावी निरीक्षण और कार्रवाई सुनिश्चित करती है। जोखिम मूल्यांकन समिति, मुख्य जोखिम

अधिकारी (सीआरओ) के माध्यम से उनके प्रस्तावित शमन रणनीतियों के साथ सभी प्रमुख जोखिमों की समीक्षा करती है, सभी महत्वपूर्ण जोखिमों का उचित समाधान किया जाए और उन्हें एनएचडीसी के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए बोर्ड सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में जोखिम प्रबंधन ढाँचे की अंतिम निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है। यह संरचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली न केवल संगठनात्मक लचीलेपन को बढ़ावा देती है, बल्कि एनएचडीसी के सभी स्तरों पर जवाबदेही और तत्परता को भी सुदृढ़ करती है।

व्यावसायगत निष्ठा - एनएचडीसी

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) में, हम अपने संचालन के सभी पहलुओं में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में, हथकरघा क्षेत्र को समर्थन और सशक्त बनाने का एनएचडीसी का मिशन ईमानदारी, समावेशिता और जन विश्वास की संस्कृति में दृढ़ता से निहित है।

एनएचडीसी के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे हमारी आचार संहिता, संगठनात्मक नीतियों और लागू कानूनों व विनियमों के अनुसार कार्य करें। ये मार्गदर्शक सिद्धांत नैतिक निर्णय लेने को बढ़ावा देते हैं, निगम की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सेवाएँ प्रत्येक हितधारक, चाहे वह बुनकर हो, विक्रेता हो, साझेदार हो या सरकारी निकाय हो, को तटस्थता और निष्पक्षता के साथ प्रदान की जाएँ। ईमानदारी और नैतिकता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए व्हिसलब्लोअर नीति लागू है।

चूँकि एनएचडीसी भारत के हथकरघा क्षेत्र में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है, हम अपने निर्णय लेने के हर स्तर में व्यावसायिक ईमानदारी को शामिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे कार्य उन बुनकरों, समुदायों और संस्थानों द्वारा हम पर रखे गए विश्वास को प्रतिबिंबित करते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं।

सामाजिक पहलें

बुनकर समुदाय का सशक्तिकरण

एनएचडीसी देशभर में बुनकरों और बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, एनएचडीसी से जुड़े बुनकरों की कुल संख्या बढ़कर 546,266 हो गई, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 538,862 थी, जिनमें से लगभग 70% महिला बुनकर थीं। यह वर्ष के दौरान 7,400 से अधिक बुनकरों की वृद्धि दर्शाता है, जो हमारे सशक्त आउटरीच प्रयासों और बुनकर समुदाय के एनएचडीसी में विश्वास को दर्शाता है।

यह वृद्धि एनएचडीसी की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है:

• कच्चे माल, विपणन और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना।

• बुनकरों को योजनाओं, प्रौद्योगिकी और प्लेटफार्मों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना।

• यह सुनिश्चित करना कि संचालन में स्थिरता के प्रयासों के साथ-साथ समुदायों पर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी पड़े।

एनएचडीसी को अपने कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले बुनकरों की संख्या में लगातार वृद्धि देखकर गर्व हो रहा है, और वह वर्ष दर वर्ष इस जुड़ाव को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कर्मचारी कल्याण के कार्य

एनएचडीसी अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण पर, सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी, विशेष ध्यान देता है। **सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना (2011)** सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को व्यापक स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करती है, जिससे निरंतर चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह योजना **फ्लोटर आधार पर बाह्य रोगी उपचार लाभ (ओपीटीबी)** और अस्पताल में भर्ती उपचार लाभ (एचटीबी) दोनों को कवर करती है, और ये लाभ कर्मचारी के वेतनमान से जुड़े होते हैं। मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, बशर्ते वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

चिकित्सा नियम (2013) सेवारत कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवा सहायता प्रदान करते हैं। इसमें अस्पताल में भर्ती, गंभीर बीमारी का इलाज, सर्जरी और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। प्रमाणित "जीवन प्रमाण पत्र", पात्रता जाँच और आवधिक समीक्षा जैसे सुरक्षा उपाय पारदर्शिता और लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करते हैं।

सामुदायिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर

एनएचडीसी की सतत विकास यात्रा सामुदायिक कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण पर समान रूप से ज़ोर देती है। एनएचडीसी मुख्यालय ने **दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान अपने सात क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर एक व्यापक नेत्र चिकित्सा शिविर** का आयोजन किया। इस पहल ने स्थानीय समुदायों और बुनकरों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध एक सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार संगठन के रूप में एनएचडीसी की भूमिका और मज़बूत हुई।

स्वच्छ भारत और स्वच्छता पहल

"स्वच्छता ही सेवा" अभियान के तहत, एनएचडीसी ने अपने कार्यालयों और परिसरों में कई प्रभावशाली गतिविधियाँ आयोजित कीं। इस अभियान की शुरुआत स्वच्छता शपथ के साथ हुई, जिसमें स्वच्छता बनाए रखने के प्रति अधिकारियों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। कार्यालय परिसरों, गोदामों और सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान चलाए गए, साथ ही जागरूकता बढ़ाने के लिए नारा और निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। जागरूकता सत्रों, वाद-विवाद और सांस्कृतिक उत्सवों ने स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर और ज़ोर दिया। सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, साथ ही मास्क, दस्ताने और सैनिटाइज़र भी वितरित किए गए। मेट्रो स्टेशनों की सफाई और ई-कचरा जागरूकता कार्यशालाओं सहित विशेष अभियानों ने स्वच्छता और स्थायी प्रथाओं के प्रति एनएचडीसी के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाया। कर्मचारियों और सफाई मित्रों सहित उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया।

वृक्षारोपण अभियान

पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, एनएचडीसी ने "एक पेड़ माँ के नाम" थीम के अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधियों का आयोजन किया। कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय दोनों परिसरों में, हरित क्षेत्र को बढ़ाने और एक स्वस्थ पर्यावरण में योगदान देने के लिए नीम और फलदार वृक्षों के पौधे लगाए गए। ये पहल न केवल पारिस्थितिक संतुलन के प्रति संगठन के समर्पण का प्रतीक हैं, बल्कि कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों को हरित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने का भी लक्ष्य रखती हैं। प्रत्येक रोपे गए पौधे के साथ, एनएचडीसी एक स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता प्रमाण

हथकरघा क्रियाकलापों के लिए सस्टेनेबल प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा देना

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) भारत के हथकरघा क्षेत्र में सस्टेनेबल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। सिंथेटिक रंगों से उत्पन्न पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझते हुए, एनएचडीसी ने हथकरघा बुनकरों के बीच प्राकृतिक रंगों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया।.

पहल का अवलोकन

वित्त वर्ष 2022-2023 में, एनएचडीसी ने लगभग पाँच लाख बुनकरों, मुख्य रुप से व्यक्तिगत बुनकरों को 1,150 करोड़ रुपए मूल्य के धागे, रंग और रसायन उपलब्ध कराए। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, एनएचडीसी ने प्राकृतिक रंगों से रंगे धागे का उत्पादन करने के लिए कोयंबटूर और सेलम की वस्त्र मिलों के साथ साझेदारी की। इस सहयोग का उद्देश्य प्राकृतिक रंगों के उपयोग को सुगम बनाना और यह सुनिश्चित करना था कि बुनकरों को अपने शिल्प के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री उपलब्ध हो।



प्राकृतिक रंगाई तकनीकों पर छात्रों के लिए कार्यशाला

सामाजिक प्रभाव :

- **स्वास्थ्य लाभ:** प्राकृतिक रंगों को अपनाकर, बुनकरों ने हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से खुद को कम किया, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ और काम करने की स्थिति सुरक्षित हुई।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** प्राकृतिक रूप से रंगे उत्पादों की मांग ने नए बाजार खोले, जिससे बुनकरों को बेहतर कीमतें मिलीं और उनकी आय में वृद्धि हुई।
- **कौशल संवर्धन:** एनएचडीसी ने बुनकरों को प्राकृतिक रंगाई तकनीकों का प्रशिक्षण देने, उनके कौशल को बढ़ाने और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए कार्यशालाएँ आयोजित कीं।

पर्यावरणीय प्रभाव

• **पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन:** प्राकृतिक रंग जैव-निम्नीकरणीय और गैर-विषाक्त होते हैं, जिससे जल प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण कम होता है।

• **सतत अभ्यास:** इस पहल ने रंग सामग्री के सतत स्रोत को प्रोत्साहित किया, जैव विविधता और उत्तरदायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दिया।

एनएचडीसी द्वारा प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा देना हथकरघा क्षेत्र में सतत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का उदाहरण है। पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करके और बुनकरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर, यह पहल पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक स्थिरता लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करती है।

"विरासत" प्रदर्शनी - भारत की हथकरघा विरासत का उत्सव

पृष्ठभूमि

दसवें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) के उपलक्ष्य में, वस्त्र मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) ने हथकरघा हाट, जनपथ, नई दिल्ली (3-16 अगस्त, 2024) में "विरासत" - एक पखवाड़े तक चलने वाला "विशिष्ट हथकरघा प्रदर्शनी" - का आयोजन किया। इस आयोजन ने देश की चिरस्थायी हथकरघा और हस्तशिल्प परंपराओं पर ज़ोर देते हुए पिछले समारोहों को आगे बढ़ाया।



विरासत - हथकरघा हाट, जनपथ, नई दिल्ली में विशेष हथकरघा प्रदर्शनी

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ

• **सार्वजनिक पहुँच:** प्रतिदिन सुबह **11** बजे से रात **8** बजे तक खुला, जिससे व्यापक सहभागिता संभव हो सके।

• **स्टॉल और प्रदर्शनियाँ: 75** स्टॉलों पर बुनकरों द्वारा प्रत्यक्ष खुदरा बिक्री की गई; क्यूरेटेड विषयगत शोकेस ने भारत की उत्कृष्ट हथकरघा विरासत पर प्रकाश डाला।

• **सांस्कृतिक विसर्जन:** इसमें लाइव करघा प्रदर्शन, प्राकृतिक रंगों, कस्तूरी कपास, डिज़ाइन और निर्यात पर कार्यशालाएँ, और क्षेत्रीय लोक नृत्य और व्यंजन शामिल थे।

• **नेतृत्व और संदेश:** प्रधानमंत्री ने अपने "मन की बात" संबोधन में बुनकरों की प्रशंसा की और नागरिकों से हैशटैग **#MyProductMyPride** का उपयोग करके स्थानीय शिल्प कौशल का समर्थन करने का आग्रह किया।

• **ऐतिहासिक संदर्भ: 1905** के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (**2015** से) हथकरघा बुनाई की सामाजिक-आर्थिक भूमिका का सम्मान करता है।

• **रणनीतिक दृष्टि:** इस आयोजन ने हथकरघा विरासत की रक्षा करने, बुनकरों को स्थायी रूप से सशक्त बनाने और शिल्प गौरव को बढ़ावा देते हुए आय बढ़ाने के सरकारी प्रयासों को बल दिया।

सामाजिक प्रभाव

• **बुनकर बाज़ार से जुड़ाव:** प्रत्यक्ष जुड़ाव और बिक्री को सुगम बनाकर, यह एक्सपो बुनकरों के लिए बाज़ार में अपनी उपस्थिति और संभावित वित्तीय उन्नति प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

• **सांस्कृतिक जागरूकता:** कार्यशालाओं, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और सार्वजनिक संदेशों ने हथकरघा परंपराओं के प्रति गहरी समझ को बढ़ावा दिया।

• **सामुदायिक सशक्तिकरण:** इस आयोजन ने विशाल हथकरघा समुदाय (**35** लाख लोग रोज़गार प्राप्त, कृषि के बाद दूसरे स्थान पर) को सामाजिक और आर्थिक रूप से समर्थन देने की सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया।



विरासत एक्सपो में बुनकर अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन करते हुए

. **"विरासत" प्रदर्शनी** ने प्रभावशाली कहानी-वर्णन, बुनकरों से सीधे जुड़ाव और सार्थक जन-सम्पर्क के माध्यम से भारत की जीवंत हथकरघा परंपरा का सफलतापूर्वक जश्न मनाया। इसने बुनकरों और उपभोक्ताओं के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मज़बूत किया, सतत शिल्प आजीविका और विरासत के गौरव को बढ़ावा दिया।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त), प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी), एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि 31 मार्च, 2025 तक निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम की वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निगम की व्यावसायिक आचार संहिता और आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त))

प्रबंध निदेशक

डीआईएन:**09598427**

दिनांक: 04/11/2025

स्थान: नोएडा

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए]

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्य,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय: ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग,
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,
उत्तर प्रदेश- 201301

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** (**सीआईएन**: **U17299UP1983GOI005974) (**एनएचडीसी**)** (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉरपोरेट व्यवहार के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस पद्धति से की गई थी कि हमें कॉरपोरेट व्यवहार/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उसके संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक तर्कसंगत आधार मिल सके।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त की पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न्स और दूसरे रिकॉर्ड्स के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारी राय के अनुसार, कंपनी ने **31 मार्च, 2025 को** समाप्त वित्तीय वर्ष **की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान** निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि निम्नलिखित रिपोर्टिंग की सीमा, पद्धति तथा इसके अध्यधीन कंपनी के पास उपयुक्त बोर्ड-प्रक्रियाएँ और अनुपालन-तंत्र मौजूद है :

31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त की पुस्तिकाओं, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न्स और दूसरे रिकॉर्ड्स की जांच हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;- **ये लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ समीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;**

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप नियम; **- ये लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ डीमैटेरियलाइज़्ड नहीं हैं और समीक्षा अवधि के दौरान सूची बद्ध नहीं थीं;**

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक - **ये लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है;**

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत बताए गए नीचे दिए गए विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं थे, क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियाँ संबंधित लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं:

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; -

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2009;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचयन) विनियम, 2008;

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)) विनियम, 2009;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

ज) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से डील करने के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993; कंपनी निर्गम रजिस्ट्रार से जुड़ी गतिविधि में शामिल नहीं थी और शेयर अंतरण अभिकर्ता के तौर पर कार्य भी नहीं कर रही थी, इसलिए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ये विनियम कंपनी पर लागू नहीं थे;

(vi) कंपनी के लिए अन्य श्रम, पर्यावरण और विशिष्ट लागू अधिनियम / कानून जिसके लिए सचिवीय लेखापरीक्षा एक अवलोकन लेखापरीक्षा के रूप में आयोजित किया गया था और आम तौर पर हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों और कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रबंधन पुष्टिकरण प्रमाणपत्र और अन्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्रों पर आधारित था/ भरोसा किया गया था, निगम ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू निम्नलिखित अधिनियमों / कानूनों का अनुपालन किया है;

क) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देश- मार्च 2010 ।

ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952।

ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970।

घ) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961

ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948।

च) पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986।

छ) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) नियम 2013 के साथ पठित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013।

ज) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005।

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानक के लागू खंड (क्लॉज़) के अनुपालन की भी जांच की है।

हम सूचित करते हैं कि निम्नलिखित कुछेक टिप्पणी के अध्यधीन समीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के प्रावधान का अनुपालन किया है:

क) श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी, आईआरपीएस, ने दिनांक 30.1.2024 के आदेश संख्या एनएचडीसी/एचआर/एमडी/सेवानिवृत्त/207 माध्यम से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवंबर, 2024 से निगम (एनएचडीसी) के प्रबंध निदेशक के पद के प्रभार का त्याग कर दिया है।

दिनांक 2 दिसंबर, 2024 के आदेश संख्या /एचआर/एमडी/00/24-25/211 के अनुपालन में, सुश्री स्वयं प्रभा पाणि,अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) ने दिनांक 03/12/2024 के आदेश संख्या एनएचडीसी/03/12/2024 के अनुसार 2 दिसंबर, 2024 (अपराहन) से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है तथा उन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के पत्र संख्या 10/02/2024-ईओ(एसीसी) दिनांक 22 जनवरी, 2025 और तत्पश्चात वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के आदेश संख्या 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी/भाग-III दिनांक 29 जनवरी, 2025 और एनएचडीसी/एचआर/ओओ/एमडी/2025/273 दिनांक 11/02/2025 के संदर्भ में 11 फरवरी, 2025 (अपराहन) के माध्यम से श्री राजीव अशोक द्वारा एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 11 फरवरी, 2025 (पूर्वाहन) से एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया।

ख) बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगम की इक्विटी शेयर पूंजी पर पीएटी का 30% अर्थात कुल 1,64,04,503/- रुपये (एक करोड़ चौसठ लाख चार हजार पांच सौ तीन रुपये) अर्थात प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 8.63 रुपये का अंतिम लाभांश देने की अनुशंसा की है। यह लाभांश कंपनी के

लाभ से दिया जाएगा और इसे 28 नवंबर, 2024को हुई वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने मंज़ूरी दी थी, जिसका भुगतान 24 दिसंबर, 2024 को शेयरधारकों को किया गया था ।

ग) 21 सितंबर, 2024 के पत्र संख्या /सीएV/सीओवाई/केंद्र सरकार,एनएचएएनडीएल (12)/891 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्मों को निगम का सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और **एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी** को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है और बोर्ड ने 28 नवंबर, 2024 को हुई अपनी बैठक में इसका संज्ञान लिया।

घ) दिनांक 23 मार्च, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 16 अप्रैल, 2024 से कंपनी का पंजीकृत कार्यालय चौथा तल वेगमैन्स बिजनेस पार्क टॉवर-1 प्लॉट नंबर 03 सेक्टर नॉलेज पार्क-III, सूरजपुर-कासना मेन रोड, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा-201306, उत्तर प्रदेश से ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग, नोएडा-201301 गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश स्थानांतरित कर दिया गया है और इसे बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिनांक 23 मार्च 2024 को आयोजित अतिरिक्त सामान्य बैठक में अनुमोदित किया गया था।

ङ) *जबकि कंपनी अधिनियम की धारा 149(4) और 149(5)* के उपबंधों *के साथ* कंपनी *(*निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता*)* नियम, *2014 के नियम 4 के*अनुसार, *कंपनी को अपने बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करना था। 17 अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार,कंपनी के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी को आकस्मिक* रिक्ति *को अगली बोर्ड* बैठक *या* रिक्ति *की तारीख से तीन महीने के अंदर, जो भी पहले हो, भरना था, लेकिन कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से अब तक* उपर्युक्त *प्रावधानों का* अनुपालन *नहीं किया है।*

च) *कंपनी अधिनियम की धारा 177(1) के नियमों और* कंपनी *(बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां)* नियम, *2014 के* नियम *6 के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की एक* लेखापरीक्षा समिति*/*नामांकन *और पारिश्रमिक समिति बनानी थी और* समिति *की अध्यक्षता* स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जानी थी, *साथ ही* लेखापरीक्षा समिति *की* बैठक *में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों का शामिल होना* आवश्यक *था, क्योंकि श्री अनिल कुमार सूद, 17 अक्टूबर 2022 से अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद* गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक *के पद से हट गए हैं और सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 से इस्तीफा दे दिया है इसलिए निगम ने 16 जनवरी 2023 से आज तक* की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित नियमों *का* अनुपालन *नहीं किया है ।*

छ) *जबकि कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) के* उपबंधों *के अनुसार, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ, श्री धीरेन्द्र प्रकाश जालंधरी को 25 फरवरी, 2025 से निगम के कंपनी* सचिव*के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 24 फरवरी, 2025 तक की अवधि के दौरान कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (4) के* उपबंधों *का अनुपालन नहीं किया है।*

ज) *जबकि कंपनी अधिनियम की धारा 134(3) के उपबंध के अनुसार कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति रखना* आवश्यक *था, बोर्ड ने 15 सितंबर 2023 को हुई अपनी* बैठक में *इसे अपनाने और सर्कुलेशन के* उदेश्य *से एक अनंतिम नीति अपनाई है और जब बोर्ड स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पूरी कर ले, तो इसे फिर से मंज़ूरी देने की* आवश्यकता *है।*

झ) *लखनऊ* शाखा कार्यालय *में यार्न आपूर्ति योजना को लागू करने में गड़बड़ियों के मामले में और पिछले* वर्षों *की हमारी* सचिवीय लेखापरीक्षा *रिपोर्ट के अनुसार,* अनुशासनात्मक प्राधिकारी *ने 3 (तीन) अधिकारियों को दोषी पाया, जिनके नाम हैं - श्री रवीश टंडन,* प्रबंधक *(*वाणिज्य*), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (*एफ एंड ए*) और श्री बी के महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (*वाणिज्य*) और उनके* विरूद्ध *11 मार्च 2022 को* बर्खास्तगी*';*की कार्रवाई की गई। अपितु यह *सरकार या सरकार के मालिकाना हक वाले या* नियंत्रण *वाले* सीपीएसई *के तहत भविष्य में नौकरी के लिए* अयोग्यता *नहीं होगा' और 23 मार्च 2022 को उन्हें* अनिवार्य सेवानिवृत्ति" का दंड दिया गया

इसके अलावा, श्री एस.एस. ढ़करवाल, पूर्व उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को सीबीआई पत्र को दबाने और संसद के आश्वासन के उत्तर में वस्त्र मंत्रालय को गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निलंबन आदेश संख्या एनएचडीसी/एमडी/2020/3174 दिनांक 28.02.2020 के तहत निलंबित कर दिया गया है। दिनांक 20.10.2020 को आरोप पत्र जारी किया गया था। जांच अधिकारी ने छह सुनवाई करने के बाद इस्तीफा दे दिया। नए जांच अधिकारी ने भी बिना कोई सुनवाई किए इस्तीफा दे दिया। जांच के लिए नवंबर, 2024 में एक नया जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उन्होंने 20.05.2025 की अपनी जांच रिपोर्ट प्रबंध निदेशक (अनुशासनात्मक प्राधिकारी) को सौंप दी है।

इसके अलावा, उनकी संदिग्ध सत्यनिष्ठा और गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार को देखते हुए, श्री एस. एस. ढ़करवाल, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नौकरी में बने रहने के योग्य नहीं पाया गया। इसलिए, निदेशक मंडल ने उन्हें निगम से (एफआर 56जे के तहत) अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया। इस संबंध में 07.04.2022 को आदेश जारी किए गए।

ञ) इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, संव्यवहार लेखा परीक्षा पूरी हो गई है। इसे आगे के निर्देशों और अनुदेशों के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

इसके अतिरिक्त हम सूचित करते हैं कि:

i) *निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) नहीं किया है।*

इसके अलावा, निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अनुरोध किया है ।

प्रशासनिक मंत्रालय ने 15 जुलाई, 2025 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रशासनिक के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

1) कंपनी ने बोर्ड के गठन के संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, कार्यकारी, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ, कंपनी अधिनियम 2013, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए *कॉरपोरेट* अभिशासन (सीजी) दिशानिर्देश, 2010 का अनुपालन किया है, जो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए थे।

2) बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले नोटिस दिया जाता है और कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स भी कालांतर में सभी निदेशकों को पहले ही भेज दिए जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा की मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण लेने और बैठक में सही तरीके से हिस्सा लेने के लिए एक तंत्र मौजूद है। अल्प कालिक नोटिस के मामले में, कंपनी ने आईसीएसआई के सचिवीय मानक - के खंड 1.3.7 के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 के लागू उपबंधों का पालन किया है।

3) बहुमत का फ़ैसला लागू किया जाता है, जबकि असहमति जताने वाले सदस्य के विचार, अगर कोई हों, तो उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रुप में कैप्चर और रिकॉर्ड किया जाता है।

4) निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, स्वतंत्र होने और निदेशकों और प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यवसाय आचार एवं नैतिकता संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया है;

हम आगे सूचित करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर, कंपनी के आकार और परिचालन के अनुसार कंपनी में दूसरे लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं।

हम आगे सूचित करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोई निम्नलिखित मामला नहीं था:

क) शेयरों/स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक/अधिमान्य निर्गम।
ख) प्रतिभूतियों का बाय-बैक।
ग) विलय/एकीकरण/ पुनर्निर्माण आदि और
घ) विदेशी तकनीकी सहयोग।

कृते एच. नितिन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस नितिन घनश्याम होतचंदानी
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
एम.नं.: F9632, COP: 11673
यूडीआईएन: एफ009632जी001156305
स्थान: जयपुर
तारीख: 03/09/2025

[नोट: यह रिपोर्ट हमारे समसंख्यक तारीख के पत्रकेसाथपढ़ीजाए, जो **"अनुलग्नक-क"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है]

अनुलग्नक - "क"

सेवा में ,
सदस्य गण,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: ए-2-5, सेक्टर-2, उद्योग मार्ग,
गौतम बुद्ध नगर, नोएडा,
उत्तर प्रदेश- 201301

हमारे समसंख्यक तारीख का पत्र इस पत्र के साथ निम्नानुसार पठित होगा:

1) सचिवीय रिकॉर्ड की देखरेख कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा में इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय दें।
2) हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषय वस्तु के सही होने के तर्कसंगत आश्वासतता के साथ लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का यथोचित रूप से अनुसरण किया है। सत्यापन टेस्ट आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्डस में सही सही तथ्य दृष्टिगत हों| हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुसरण किया, वे हमारे मत के लिए एक तार्किक आधार प्रदान करते हैं|
3) हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बही के सही और यथोचित होने को सत्यापित नहीं किया है।
4) यथा अपेक्षा, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और आयोजनों के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन लिया है।
5) कॉर्पोरेट और दूसरे लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के नियमों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच सिर्फ़ टेस्ट के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक ही सीमित थी।
6) सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन देता है, और न ही इस बात का कि प्रबंधन ने कंपनी का कार्य कितनी क्षमता और प्रभावी तरीके से किया है|

कृते एच. नितिन एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

सीएस नितिन घनश्याम हेमचंदानी
कार्यकारी कंपनी सचिव
एम.नं.: F9632, COP: 11673
यूडिआईएन: एफ009632जी001156305
स्थान: जयपुर
तारीख:03/09/2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड** ('निगम') के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नगद प्रवाह विवरण का सारांश और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों - बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयम्बटूर और गुवाहाटी के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरण शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संबंधित लेखा परीक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा लेखा परीक्षकों का नाम एवं पता
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	मैसर्स वाई थिरुमाला राव & को. विला नं -82, प्रीसाइट ऑगस्टा गोल्फ विला, ओल्ड मद्रास रोड, बैंगलोर-560086, कर्नाटक।
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मैसर्स बैद एंड कंपनी 10/सी, बल्लीगंज सर्कुलर रोड 2 फ्लोर कोलकाता - 700019
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मैसर्स चटर्जी एंड चटर्जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बी 21/1 प्रथम तल, रथयात्रा मार्केट, रथयात्रा क्रॉसिंग, वाराणसी 221 001.
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मैसर्स बलराम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एससीओ 3-4, सेक्टर -25, पार्ट 2, हुडा, पानीपत 132103
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना	मैसर्स पी आर एस वी एंड सीओ एलएलपी 202, सप्तगिरी रेजीडेंसी, 1-10-98/ ए चिकोटी गार्डन्स बेगम्पेट, हैदराबाद - 560016, तेलंगाना
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स जी.के.पी. एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 10, डॉक्टर कॉलोनी, डॉ. राधाकृष्णन रोड गांधीपुरम, कोयंबटूर 641012
7	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवहाटी, असम	मैसर्स राजेश सुराणा & कंपनी 303, अन्नपूर्णा प्लाजा, लखटोकिया गुवाहाटी-781001, असम

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सापेक्ष राय खंड के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 यथासंशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में दी गई है जैसा कि अपेक्षित है और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामले की स्थिति, उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष मत दिया गया है।

योग्य राय का आधार

1. (क) ऊपर यथाउल्लिखित एनएचडीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावे (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत था, ने शुरू में पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात 2018-19 की प्रथम तिमाही में 38504 लाख रूपए की कुल बिक्री और खरीद की थी। इसमें से 19082 लाख रूपए की बिक्री और खरीद को उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखांकन प्रणाली में रद्द कर दिया गया।

सीबीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फोरेंसिक ऑडिटर और

सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को उपलब्ध करा दी गई है।

बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, लेनदेन लेखापरीक्षा भी शुरू की गई थी और जिसकी एक रिपोर्ट दिनांक 31.10.24 को बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी। बोर्ड ने लेनदेन लेखा परीक्षक से प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए निर्देश दिया था और जिसे दिनांक 15.04.2025 को जारी किया गया था जो बोर्ड के विचाराधीन है।

हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिए जाने तक, प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सहित फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा-जोखा रखा गया है, इसलिए हम उक्त देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 15 (ii)) तथा लेनदारों (संदर्भ नोट संख्या 5 (ii)) में दिखाए गए क्रमशः 19422.00 लाख रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ख) दिनांक 1.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान 21579.00 लाख रु. की बिक्री के कारण 2266.00 लाख रुपये के एनएचडीसी सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि वस्त्र मंत्रालय से 2157.93 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, कंपनी ने भारत सरकार से बकाया प्राप्तियों से 2157.93 करोड़ रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किया गया। इसके अलावा, एनएचडीसी ने भारत सरकार से उपर्युक्त के संबंध में यह राशि प्राप्त नहीं होने के बावजूद, आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 1815.00 लाख रुपये का वितरण किया है। उपरोक्त आंकड़े हाल की लेनदेन लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 31.10.24 से मेल नहीं खाते हैं। चूंकि, बोर्ड ने अभी तक आवश्यक समायोजन के लिए निर्देश नहीं दिया है, इसलिए हमारी ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़ों को प्रभाव नहीं दिया गया है। इसके मद्देनजर, हम 1815.00 लाख रुपये संवितरण की राशि की वसूली के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ग) कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय तक देनदारों के खिलाफ 24,566.31 लाख रुपये की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 19422.00 लाख रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं,जिसका उल्लेख ऊपर बिंदु संख्या (1) में किया गया है। इस प्रकार, विविध देनदारों के लिए प्रावधान क्रमशः 24,566.31 लाख रुपये कम है और लाभ कुल देनदारों (नोट संख्या 15 (ii) देखें) में दिखाए जा रहे 24,566.31 लाख रुपये से अधिक है। कंपनी द्वारा दिनांक 31.10.24 को प्रदान की गई हाल की लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसा उपरोक्त आंकड़े को 24572.49 लाख रुपये से संशोधित करके 24566.31 लाख रुपये (01.04.2018 से 31.05.2018 तक से संबंधित 1934.59 लाख रुपए प्राप्य सब्सिडी सहित) किया गया है।

(घ) व्यापार देयताओं में 25265.92 लाख रुपये और वर्तमान देनदारियों में लखनऊ शाखा से संबंधित 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया 1229.74 लाख रुपये की सब्सिडी, परिवहन और डिपो देय शामिल हैं। उपर्युक्त मूल्य बट्टे खाते में नहीं डाले गए हैं जिसके कारण लेनदार 25265.92 लाख से अधिक हैं और लाभ 25265.92 लाख से कम है। इन लेनदेनों की फोरेंसिक और सतर्कता जांच की जा रही है, जिन्हें सीबीआई को भेजा गया है। इसके अलावा, देय व्यापार के उपरोक्त आंकड़े को 25405.91 लाख रुपये से संशोधित करके 25265.92 लाख रुपये कर दिया गया है और कंपनी द्वारा प्रदान की गई हाल की लेनदेन लेखा परीक्षा

रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी, परिवहन और डिपो के उपरोक्त आंकड़े को 1233.61 लाख से संशोधित करके 1229.74 लाख कर दिया गया है।

(ड़) कंपनी ने विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 660.62 लाख रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है। फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अब तक किए गए पार्टी वार दोहरे / अतिरिक्त भुगतान का समाधान नहीं किया गया है। हालांकि, दिनांक 31-10-2024 की लेनदेन लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, उपरोक्त आंकड़े को 660.62 लाख रुपये से संशोधित करके 663.87 लाख रुपये किया गया है और इस दोहरे भुगतान में से 663.87 लाख रुपए, 350.17 लाख रुपये निगम को वापस कर दिए गए जबकि 313.70 लाख अभी भी वसूली के लिए लंबित हैं। अतएव, हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. (क) टिप्पणी सं. '6ए' में यथा उल्लिखित, दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) को 2,952.60 लाख रुपए जमा किया जाना है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर निगम की आय के रूप में कॉर्पस फंड में जमा करने के बजाय क्रमशः 122.00 लाख रुपये और 120.00 लाख रुपये का ब्याज लगाया था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से प्राप्त राय के आधार पर, उक्त ब्याज को एक असाधारण मद के रूप में लाभ और हानि के विवरण से घटाकर कर चालू वर्ष के दौरान उक्त कॉर्पस फंड में जमा किया गया है।

यह देखा गया है कि, उपरोक्त राशि (बिंदु ए और बी) पर कोई उल्लेखनीय ब्याज संबंधित वर्षों में कॉर्पस फंड में जमा नहीं किया गया है। इसलिए, हम इस ब्याज राशि की सावधि जमा के अभाव में लाभप्रदता पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. एनएचडीसी ने नोडल / कार्यान्वयन एजेंसी होने के कारण हडको प्लाजा, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर विकसित और स्थापित किया। उक्त विपणन परिसर में दुकानें एनएचडीसी को आवंटित की गईं और एनएचडीसी ने वस्त्र मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लाभार्थी एजेंसियों (आवंटियों) को दुकानें फिर से आवंटित कीं। जैसा कि बताया गया है, दुकानों पर किए गए पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति आवंटियों द्वारा की जानी आवश्यक है और यदि आवंटियों से कोई वसूली नहीं होती है तो वस्त्र मंत्रालय को उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में, हमारी टिप्पणी निम्नानुसार हैं:

   (क) नोडल / कार्यान्वयन एजेंसी होने के कारण एनएचडीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हडको को रखरखाव शुल्क का 53.00 लाख रुपए और दिनांक 01-4-2025 से ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक संपत्ति कर, ग्राउंड रेंट और रखरखाव शुल्क के प्रति 97.63 लाख रुपए का भुगतान किया है। ये सभी भुगतान दुकानों के आवंटियों से प्राप्त राशियों में से किए गए थे। एसडीएमसी और हुडको को इन बकायों के प्रति 104.77 लाख रुपए के ब्याज की मांग का भुगतान नहीं किया गया है। यह हुडको के साथ लीज डीड के निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, जुर्माना शुल्क अर्जित होगा और एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटिती है।

   (ख) आवंटित दुकानों से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा, योजना के लाभों के संदर्भ में अपने प्रदर्शन की पुष्टि करने के लिए एनएचडीसी द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था,

जिसमें सरकार ने विपणन परिसर की दुकानों की खरीद के लिए हथकरघा एजेंसियों को 335.00 लाख रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि, एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण पट्टा विलेख नहीं किया जाएगा तो योजना पर सरकारी व्यय बेकार हो जाएगा।

1. कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत पंजीकृत कुछ आपूर्तिकर्ताओं को एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को ऐसे आपूर्तिकर्ताओं को विलंबित भुगतान पर देय ब्याज को स्वीकार करना आवश्यक है। हालांकि, बही खातों में ऐसी ब्याज देयता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, न ही वित्तीय विवरणों में इसे स्पष्ट किया गया है। इसके परिणामस्वरुप, कंपनी की देनदारियों और खर्चों को कम बताया जाता है और वर्ष के लिए लाभ इस तरह की अनिर्धारित ब्याज राशि की सीमा तक अधिक हो जाता है।

2. कंपनी के पास अंतर कार्यालय पत्र (संदर्भ संख्या: कार्य और प्रशासन/13/216 दिनांक 23 अगस्त, 2013) के माध्यम से जारी एक मृत कर्मचारी पेंशन योजना है, जिसके तहत कर्मचारियों से मासिक योगदान वसूल किया जाता है, और नियोक्ता को कर्मचारियों के अंशदान का दो गुना के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक है।

   उक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को भुगतान करने के लिए एक अलग कोष बनाने की आवश्यकता थी, और इस प्रकार एकत्र की गई राशि को इस कोष के तहत रखा जाना था और धन को इस उद्देश्य के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा गठित एक निवेश समिति के माध्यम से उपयुक्त तंत्रों में निवेश किया जाना है।

   हालांकि, कंपनी ने आवश्यक कॉर्पस फंड का सृजन नहीं किया है और न ही उक्त निवेश समिति का गठन किया है। परिणामतः, ऐसे कोष पर अर्जित ब्याज आय भी योजना खाते में जमा नहीं की गई है। इस योजना के तहत प्राप्त अंशदान को वित्तीय विवरणों में वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया जा रहा है, और योजना के तहत भुगतान किए गए किसी भी मुआवजे को इस देयता के माध्यम से डेबिट किया जाता है। तदनुसार, कंपनी ने बनाई गई योजना के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

3. निगम के पास ईपीएफ ट्रस्ट अर्थात एनएचडीसी कर्मचारी सीपीएफ ट्रस्ट है, जिसने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार 31-03-2024 को 237.53 लाख रुपये का घाटा जमा किया है और पाया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पीएनबी सतत बांड पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दी गई है। हमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अभाव में हम प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए ईसीपीएफ ट्रस्ट के लाभ/हानि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

   ईपीएफ ट्रस्ट 31.03.24 की स्थिति के अनुसार 7.97 लाख रुपये की टीडीएस राशि की वापसी दिखा रहा है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के अभाव में, इसकी वसूली सुनिश्चित नहीं है।

इसके अलावा, उक्त ईसीपीएफ ट्रस्ट के पास 240.00 लाख रुपये का निवेश है और 31.03.24 की स्थिति के अनुसार रिलायंस कैपिटल लिमिटेड द्वारा जारी बांडों में 38.65 लाख रु. का ब्याज अर्जित ब्याज किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अंतिम भुगतान के रूप में इन बांडों के प्रति ईसीपीएफ ट्रस्ट को 61.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके परिणामस्वरुप, एनएचडीसी/ईसीपीएफ ट्रस्ट को इस तरह के निवेश पर 217.65 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। हमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

4. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया 20.86 लाख रुपये के संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान नहीं किया। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान और खाते में कोई हलचल नहीं हुई और इसकी पुष्टि नहीं हुई।

5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के निम्नलिखित प्रावधान लंबित है:

   i. जबकि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को कंपनी के बोर्ड मेंकम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करना आवश्यक था। दिनांक 17 अक्टूबर 2022 तक कंपनी के बोर्ड में केवल दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री अनिल कुमार सूद जिन्हें दिनांक 18 अक्टूबर 2019 तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था, 17 अक्टूबर 2022 को कार्यकाल पूरा होने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का पद समाप्त हो गया है। सुश्री योगिता सिंह, जिन्हें 09 नवंबर 2021 को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्होंने दिनांक 11 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है। कंपनी को तत्काल अगली बोर्ड बैठक के बाद या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने, जो भी पहले हो, आकस्मिक रिक्ति को भरने की आवश्यकता थी, लेकिन 31 मार्च 2025 तक नहीं भरी है, इसलिए कंपनी ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

   ii. कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। चूंकि श्री अनिल कुमार सूद ने 17 अक्टूबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में समाप्त कर दिया है और सुश्री योगिता सिंह ने 11 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया है। इसलिए निगम ने 16 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2025 के बीच की अवधि के लिए उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

   iii. जबकि कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के लागू नियम के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (कंपनी सचिव) की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रिक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर भरने की आवश्यकता थी। सुश्री अंजलि यादव, कंपनी की कंपनी सचिव ने दिनांक 25 जुलाई 2022 से इस्तीफा दे दिया है और कंपनी को 24 जनवरी 2023 को या उससे पहले आकस्मिक रिक्ति को भरने की आवश्यकता थी, लेकिन 25-02-2025 तक पद को नहीं भरा

गया है। इसलिए कंपनी ने 25 जनवरी 2023 से 24-02-2025 की अवधि के दौरान प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

iv. जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, बोर्ड ने 15 सितंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में अंगीकृत करने और परिचालन के उद्देश्य हेतु अनंतिम नीति अपनाई है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर बोर्ड के रूप में फिर से पुष्टि करने की आवश्यकता है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसएएस) पर मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी' खंड में आगे उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'आचार संहिता' के अनुसार कंपनी की नैतिक आवश्यकताओं के साथ स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

मामले पर जोर

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 15 (i) और 5 (i) में उल्लेख किया गया है, देनदारों और लेनदारों से प्राप्त शेष पुष्टि क्रमशः बकाया राशि, परिणामी समायोजन का 7.24% और 12.57% है, जिसका प्रभाव यदि कोई है पता लगाने योग्य नहीं है और टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

2. वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 6सी(ii) का संदर्भ लें जिसमें निगम ने उक्त कॉर्पस फंड (टीएफसी) के लिए धन पर अर्जित ब्याज को जमा नहीं किया है।

3. नोट 8 (i) का संदर्भ लें, वेतन बकाया (वेतन संशोधन) के लिए प्रावधान 1147 लाख रुपये (पीवाई: 1147 लाख रुपये) की राशि।

4. नोट संख्या 16 का संदर्भ लें, एचडीएफसी बैंक के साथ नकद और नकद समतुल्य में 0.89 लाख रुपये का पुराना बकाया शेष दिखाई दे रहा है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार खाते की स्थिति "अवरुद्ध निष्क्रिय" है और एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई बधिर खाते में 0.89 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए हैं।

5. नोट 16 का संदर्भ लें, वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के गैर-परिचालन एचडीएफसी बैंक खाते की बैंक शेष राशि की पुष्टि नहीं की गई है, जिसमें बकाया राशि 2.00 लाख रुपये है। प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इसके लिए बंद करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

6. नोट सं. 17(viii), वित्त वर्ष 2018-19 से संबंधित जीएसटी पोर्टल पर 47.26 लाख रुपये का जीएसटी प्राप्य उपलब्ध है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और उन पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करके यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें एक भौतिक गलतफहमी है, तो हमें संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू शासन के आरोप वाले लोगों को मामले को संप्रेषित करना और आवश्यक कार्रवाई करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

"कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है," जो कंपनी (लेखा मानक) नियम 2021 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत वक्तव्य से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन की ज़िम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की चल रही चिंता के तौर

पर उसके जारी रहने की क्षमता का आकलन करे, चल रही चिंता से जुड़ी बातों को, जहाँ लागू हो, बताए और लेखांकन की चल रही चिंता के आधार का इस्तेमाल करे, जब तक कि प्रबंधन कंपनी का परिसमापन करने या प्रचालन बंद करने का इरादा न रखे, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थ विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए भी ज़िम्मेदार होता है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, क्या धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है, और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव मौजूद होने पर एक भौतिक गलत विवरण का पता लगाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और भौतिक माना जाता है, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुपालन में लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं और लेखा-परीक्षा के दौरान व्यवसायिक संदेहप्रदता का अनुरक्षण करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत बयानी का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी को चल रही चिंता के रुप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता पर पर्याप्त संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या क्या ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं । हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां कंपनी की चल रही चिंता को समाप्त कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्राप्त करता है।

- भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के निर्धारित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में गवर्नेंस के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में जो भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, उन्हें पहचानते हैं।

जो लोग गवर्नेंस से संबंधित होते हैं, हम उन्हें भी एक विवरण देते हैं कि स्वतंत्रता के संदर्भ में हमने आवश्यक संबद्ध नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी रिश्तों व अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त हों और, जो सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ लागू हों, उनकी सूचना देते हैं|

अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल "7" क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2025 को 42437.35 लाख रुपये की परिसंपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है, कुल राजस्व 126521.14 लाख रुपए (सहायता प्रतिपूर्ति और विविध आय में अनुदान सहित) दर्शाती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारियों की लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है,जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. "अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले के संबंध में "अनुबंध "क" में एक विवरण देते हैं।"
2. "हम अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुबंध "ख" में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।"

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :

(क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त योग्य राय के पैरा में यथा उल्लिखित को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

(ख) पैराग्राफ के लिए योग्य राय में उल्लिखित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3 (एच)

(vi) में बताए गए मामले को छोड़कर, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है, अभी तक कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक खाते की समुचित पुस्तकें रखी गई हैं;

(ग) पैराग्राफ के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखा परीक्षा की गई कंपनियों के शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से निपटा गया है।

(घ) पैराग्राफ के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाया गया नकदी प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकों के अनुरूप है;

(ड़) पैराग्राफ के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा मानक) के साथ पठित) नियम 2021, तत्संबंधी यथा संशोधित, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों का पालन करते हैं।

(च) लेखाओं के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143 (3) (ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 3 (ख) और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (च) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3 (छ) (vi) में उल्लेख किये अनुसार हैं।

(छ) पैराग्राफ के लिए योग्य राय के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा मानक) के साथ पठित) नियम 2021, तत्संबंधी यथासंशोधित नियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन करते हैं ।

(ज) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित संशोधन अधिनियम की धारा 143 (3) (ख) के तहत रिपोर्टिंग पर ऊपर पैराग्राफ 3 (ख) और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (च) के तहत रिपोर्टिंग पर नीचे पैराग्राफ 3 (छ) (vi) में उल्लेख किए अनुसार हैं ।

(झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध "ग" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें; हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक संशोधित राय व्यक्त करती है।

(ञ) हमारी राय में संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी के पास कोई मुकदमे लंबित नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेंगे।

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक संभावित नुकसान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

lv. क) प्रबंधन ने बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी को या अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को इस समझ के साथ में कोई धन अग्रिम में या ऋण के रुप में नहीं दिया गया है या निवेश नहीं किया गया है (चाहे उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या अन्य प्रकार से), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हों या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।"

ख) प्रबंधन ने बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को इस समझ के साथ, किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें विदेशी ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगी।

ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन (i) और (ii) के तहत प्रदान किए गए हैं। (ii) उपरोक्त में कोई भी भौतिक गलत विवरण शामिल है

v. पिछले वर्ष के लिए घोषित ऐसे लाभांश के संबंध में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो। इसके अलावा, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 3 (ii) में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश,जैसा लागू हो, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है ।

vi. हमारी जांच, जिसमें परीक्षण जांच शामिल है, के आधार पर कंपनी ने अपने बही खातों का रख रखाव करने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) रिकॉर्ड के रखरखाव को छोड़कर, ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित किया गया है। । इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन: 006928एन

(महेश बाबू गुप्ता)
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 085469

यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650
स्थान: नोएडा
दिनांक: 4 नवंबर 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध - क

('अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के हमारे स्वतंत्र खंड में संदर्भित अनुबंध)

हम सूचित करते हैं कि:

i. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड का रखरखाव किया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था और हमें प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान किए गए कन्वियेन्स डीड की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, शीर्षक विलेख, भूमि और भवन की अचल संपत्तियां जो फ्रीहोल्ड हैं, कंपनी के नाम पर हैं। मुंबई को छोड़कर, 5 वीं मंजिल पर 13,14,15 वाला अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 4, सीबीडी में सेक्टर 11 221.7 वर्ग मीटर का है, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार उक्त अपार्टमेंट के लिए टाइटल डीड अभी तक पंजीकृत नहीं है। विवरण नीचे दिया गया है:

संपत्ति का विवरण	सकल राशि (रु. लाख में)	के नाम पर दर्ज	प्रमोटर, निदेशक, या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हैं	धारित अवधि - संकेत सीमा, जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर नहीं होने का कारण (यह विवादित है तो भी इंगित करें)
सीबीडी, बेलापुर, नवी मुंबई में सेक्टर 11 के प्लॉट नंबर 4 में - 400614 में 5वीं मंजिल पर 22.7 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट नं. 13, 14 और 15	33.58	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	एन.ए.	जुलाई 1991 से	रजिस्ट्री प्रक्रियाधीन है

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (घ) लागू नहीं होता है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने

के लिए 31 मार्च, 2025 को कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है)। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (ड़) लागू नहीं होता है।

ii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं;

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए खंड 3 (ii) (ख) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

iii. अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित की प्रकृति में कोई गारंटी या सुरक्षा/कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) लागू नहीं होता है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण या गारंटी या सुरक्षा नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 का प्रावधान है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों के आशय के भीतर जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए उक्त आदेश का खंड V कंपनी पर लागू नहीं होता है।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम को लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रख रखाव करने के लिए कंपनी के संबंध में निर्धारित नहीं किया है।

vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:

(क) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी; राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में खातों की पुस्तकों में कटौती / अर्जित राशि आम तौर पर कंपनी द्वारा उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी; राज्य बीमा, आय-कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया सहित कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है। वे देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2025 को बकाया थे।

ग) खंड (क) में निर्दिष्ट कोई भी वैधानिक देय राशि नहीं है, जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आत्मसमर्पण या आय के रूप में प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (viii) लागू नहीं होता है।

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया जाता है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

(ड़) कंपनी की कोई सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (ix) (ड़) लागू नहीं होता हैं।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

x. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(x)(क) लागू नहीं होता है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णत, आंशिक या वैकल्पिक परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(x)(ख) लागू नहीं होता है।

xi. (क) कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी- 4 में दायर नहीं की गई है,

(ग) कंपनी को वर्ष के दौरान कोई सचेतक शिकायत नहीं मिली है।

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश का खंड (xii) लागू नहीं होता है क्योंकि कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान की गई कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन किया है और इसे वित्तीय विवरणों के नोट 25 (ii) के माध्यम से उचित रूप से प्रकट किया गया है और उक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधानों के अनुपालन में रहा है।

xiv. (क) हमारी राय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को देखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है।

(ख) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के संदर्भ में, निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(xv) लागू नहीं होता है।

xvi. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, कंपनी वित्तपोषण गतिविधि में लगी नहीं है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि मुख्य निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी ने हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xviii) लागू नहीं है।

xix. वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों और हमारे ज्ञान के साथ अन्य जानकारी के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालांकि, हम सूचिच करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का निर्वहन किया जाएगा। कंपनी जब भी देय हो जाती है।

xx. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने की अवधि के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में चल रही या चल रही परियोजना के अलावा किसी भी अव्ययित राशि को चालू परियोजना के संबंध में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

xxi. ये कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हैं, इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होता है।

कृते एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन: 006928एन

(महेश बाबू गुप्ता)
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 085469

यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650

स्थान: नोएडा
दिनांक: 4 नवंबर 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध "ख"

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ "II" में संदर्भित)

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन) के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश

I.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है। यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम के पास एक प्रणाली है और निगम ईआरपी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करता है। ईआरपी प्रणाली को वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रण (सीओ), बिक्री और वाणिज्यिक बिलिंग आदि जैसी सभी प्रक्रियाओं के लिए लागू किया गया है। हैदराबाद कार्यालय के मामले को छोड़कर जिसमें संबंधित लेखा परीक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां दी हैं: "क्षेत्रीय कार्यालय के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। हालांकि, ईआरपी सॉफ्टवेयर (कंपनी में उपयोग किया जाता है) ठीक से काम नहीं कर रहा है, और उप-खाता बही शेष को सामान्य खाता बही आंकड़ों के साथ मैन्युअल रूप से मेल खाना था, जिसने लेखापरीक्षा अवधि में काफी देरी की। इसके परिणामस्वरूप पार्टी की पुष्टि बहुत देर से मेल की गई, और अनुपालन संतोषजनक नहीं है। इसके अलावा, कंपनी के कई स्थानों पर एक एकल ईआरपी उदाहरण के कारण, सॉफ्टवेयर प्रतिक्रिया समय बहुत धीमा है। इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय एक सामान्य खाता बही तैयार करने में असमर्थ है लेकिन बही दर बही प्रिंट-आउट लेना एक बहुत ही समय लेने वाली प्रक्रिया है।
II.	क्या मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं। कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को एक ऋणदाता द्वारा बनाया गया? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के लिए ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई पुनर्निर्माण नहीं किया गया है।

III.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य धन को सरकार से यार्न आपूर्ति राशि पर 305.59 लाख रुपये और परिवहन और डिपो पर 257.59 लाख रुपये शुल्क (लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय मे परिवहन और डिपो शुल्क पर 1233.61 रुपए सब्सिडी छोड़कर) पर प्राप्त सब्सिडी को छोड़कर अपने नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब / उपयोग किया गया है, जिसे बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसियों को वितरित नहीं किया गया है। दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त का भुगतान उयोगकर्ता एजेंसियों को नहीं किया गया है क्योंकि आपूर्ति के सापेक्ष संबंधित प्राप्तियां निगम को प्राप्त नहीं हुई हैं।

कृते एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन: 006928एन

(महेश बाबू गुप्ता)
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 085469

यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650
स्थान: नोएडा
दिनांक: 4 नवंबर 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध "ग"

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी समान तारीख की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध

कंपनी अधिनियम,2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2025 को **राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ("कंपनी")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, उस जोखिम का आकलन करना जो एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर

निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि के कारण हो।
हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय:

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या उसका समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2025 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित भौतिक कमियां पायी गई हैं।

1. कंपनी के पास एनएचडीसी कर्मचारी सीपीएफ ट्रस्ट (ट्रस्ट) के लेखाओ को समय पर तैयार करने और रखरखाव के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ट्रस्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भी प्रदान नहीं किए हैं, और ट्रस्ट के आयकर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए प्रदान नहीं किए गए हैं।

इसके अलावा, 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में ट्रस्ट से संबंधित संचित हानियों को मान्यता दी गई है और जिसे इन हानियों के कारण ट्रस्ट में कमी के परिणामी प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी द्वारा अच्छा नहीं बनाया गया है।

यह ट्रस्ट के लेखांकन, रिपोर्टिंग और नियामक अनुपालन से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में कमियों को प्रदर्शित करता है।

एक 'भौतिक कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक ऐसी कमी या कमियों का संयोजन है, कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण को समयबद्ध आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में ऊपर उल्लिखित भौतिक कमियों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और 31 मार्च 2025 तक "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आंतरिक नियंत्रण" के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचान की गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमियो पर विचार किया है, और ये भौतिक कमियां कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते एम.बी. गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन: 006928एन

(महेश बाबू गुप्ता)
पार्टनर
मेंबरशिप नं. 085469

यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650
स्थान: नोएडा
दिनांक: 4 नवंबर 2025

अनुपालन रिपोर्ट

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के सी एंड एजी द्वारा हमें जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने 4 नवंबर, 2025 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एम. बी. गुप्ता एंड कंपनी
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)
एफ आर नंबर 006928एन

तारीख: 4 नवंबर 2025
स्थान: नोएडा

महेश बाबू गुप्ता
पार्टनर
(मेंबरशिप नंबर 085469)

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उल्लेखनीय है कि यह उनके द्वारा 4 नवंबर 2025 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है और यह मुख्य रुप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखा रिकॉर्ड की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रकट करूंगा, जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

क. 31 मार्च 2025 के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

लेखांकन मानक (एएस)-1 (लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण) के खंड 26 के अनुसार, लेखांकन नीतियों में कोई भी परिवर्तन जिसका वर्तमान अवधि में भौतिक प्रभाव पड़ता है, या जिसके बाद की अवधि में अस्थायी प्रभाव होने की उचित उम्मीद है, का खुलासा किया जाना चाहिए। लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के मामले में, जिसका वर्तमान अवधि में भौतिक प्रभाव पड़ता है, जिस राशि से वित्तीय विवरणों में कोई भी वस्तु इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित होती है, उसे भी पता लगाने योग्य सीमा तक प्रकट किया जाना चाहिए। जहां ऐसी राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से, तथ्य का संकेत दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी/कंपनी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन करना शुरू कर दिया और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बिंदु संख्या बी111 (मूल्यह्रास) के तहत इसके लिए एक लेखांकन नीति का खुलासा किया।

हालांकि, कंपनी द्वारा अपने प्रभाव के साथ लेखांकन नीति में पूर्वोक्त परिवर्तन के लिए कोई

प्रकटीकरण नहीं दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप एएस-1 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया और उस सीमा तक वित्तीय विवरणों में कमी का प्रकटीकरण किया गा।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक और उनकी ओर से

(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओएसडी
(उद्योग एवं कॉरपोरेट मामले)
नई दिल्ली

स्थान: **नई दिल्ली**
दिनांकः 31 दिसंबर, 2025

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट

(रुपए लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31-03-2025 के अनुसार	31-03-2024 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**शेयरधारक निधि**			
a)	शेयर पूंजी	2	1,900.00	1,900.00
b)	आरक्षित और अधिशेष	3	6,606.64	6,620.33
2	**गैर-वर्तमान देनदारियां**			
a)	दीर्घकालिक प्रावधान	4	458.43	418.43
3	**वर्तमान देनदारियां**			
क)	व्यापार देनदारियां	5		
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		3,514.02	2,984.24
	सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		28,073.68	27,751.67
ख)	अन्य वर्तमान देनदारियां (कॉर्पस)	6	10,812.59	10,420.11
ग)	अन्य वर्तमान देयताएं	7	9,179.92	8,313.62
घ)	अल्पावधि प्रावधान	8	1,395.13	1,581.41
	कुल		**61,940.41**	**59,989.81**
II.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर चालू परिसंपत्तियां**			
क)				
i)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति	9	4,153.19	4,166.41
ii)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	10	8.96	11.49
	अमूर्त संपत्ति			
ख)		11	1,008.22	338.61
ग)	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	12	-	-
घ)	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	23.14	6.45
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
a)	माल सूची	14	267.53	372.95
b)	प्राप्य व्यापार	15	28,771.82	28,050.64
c)	नकद और बैंक शेष	16	9,158.61	9,736.22
d)	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	17	8,921.15	8,229.40
e)	अन्य चालू परिसंपत्तियां (कॉर्पस)	18	9,156.10	8,763.62
f)	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19	471.71	314.01
	कुल		**61,940.41**	**59,989.81**

संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

धीरेंद्र प्रकाश जालंधरी
ईडी (वित्त) / सीएफओ / सीएस(एडीएल)/ प्रभार)

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. - 09598427

डा. बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं.. - 03483417

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.बी. गुप्ता एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआर सं. : 006928एन

महेश बाबू गुप्ता
पार्टनर
एम नं. : 085469

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.11.2025
यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	नोट सं.	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए (01-04-2024 से 31-03-2025 तक)	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए (01-04-2023 से 31-03-2024 तक)
I. (क)	परिचालन से राजस्व	20	121,296.66	122,676.69
(	प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान	20	4,703.10	4,670.49
	यार्न आपूर्ति योजना/कच्चे माल की आपूर्ति योजना के तहत व्यय का			
II.	अन्य आय	21	788.65	831.57
III.	**कुल आय (I+II)**		**126,788.41**	**128,178.75**
IV.	**व्यय:**			
	व्यापार में स्टॉक की खरीद	22	121,026.02	122,596.54
	परिवहन/डिपो शुल्क की प्रतिपूर्ति	23	2,352.26	2,291.58
	व्यापार में इन्वेंट्री/स्टॉक में परिवर्तन	24	105.43	(114.91)
	कर्मचारी लाभ व्यय	25	1,830.25	1,912.61
	वित्त लागत	26	-	-
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9 & 10	121.13	48.75
	अन्य व्यय	27	900.39	891.51
	कुल व्यय		**126,335.48**	**127,626.08**
	वस्तुओं			
V.	कर (III-IV)		452.94	552.67
VI.	असाधारण वस्तुएं	28	928.80	-
VIII.	असाधारण वस्तुओं और कर से पहल लाभ (V-VI-VII)		(475.86)	552.67
IX	असाधारण वस्तुएं		-	-
X	कर से पहले लाभ (viii- ix)		(475.86)	552.67
XI	कर व्यय			
1	वर्तमान कर (पिछला वर्ष)	29	14.55	(61.65)
2	वर्तमान कर (प्रावधान)	29	-	83.68
3	आस्थगित कर - चालू वर्ष	11	(669.62)	(16.17)
XII.	चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (X-XI)		179.21	546.82
XIII.	परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि)		-	-
XIV.	परिचालन बंद करने का कर व्यय		-	-
XV.	परिचालन बंद करने से लाभ / (कर के बाद) (xiii-xiv)		-	-
XVI.	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (xii + xv)		179.21	546.82
XVII. (i	प्रति इक्विटी शेयर आय (अतिरिक्त सामान्य वस्तुओं से पहले)			
(1)	बुनियादी		9.43	28.78
(2)	पतला		9.43	28.78
(ii	प्रति इक्विटी शेयर आय (अतिरिक्त सामान्य वस्तुओं के बाद)			
(1)	बुनियादी		9.43	28.78
(2)	पतला		9.43	28.78

संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

धीरेंद्र प्रकाश जालधरा
ईडी (वित्त) / सीएफओ / सीएस(एडीएल)/ प्रभार

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. - 09598427

डा. बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं.. - 03483417

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.बी. गुप्ता एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआर सं. : 006928एन

महेश बाबू गुप्ता
पार्टनर
एम नं. : 085469

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.11.2025
यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	वित्त वर्ष लिए (01-04-2024 से 31-03-2025 तक)	वित्त वर्ष लिए (01-04-2023 से 31-03-2024 तक)
(क)	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व लाभ	**(475.86)**	**552.67**
	समायोजन :		
i	मूल्यह्रास	121.13	48.75
ii	प्रासंगिक निधि से प्रभारित विकासात्मक गतिविधियों/चिकित्सा कोष पर व्यय	(28.85)	(32.76)
iii	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया प्रावधान	(64.22)	(53.42)
iv	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	(491.45)	(563.32)
v	परिसंपत्तियों की बिक्री लाभ/हानि	4.22	-
vi	पूर्व अवधि समायोजन	920.47	-
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**(14.56)**	**(48.08)**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	`	`
	(नकद एवं बैंक अधिशेष को छोड़कर)		
	वृद्धि /कमी:		
i	माल सूची	105.43	(114.91)
ii	बही-ऋण	(675.00)	978.09
iii	ऋण और अग्रिम	(691.74)	451.77
iv	प्राप्य	(157.69)	128.55
v	व्यापार और अन्य देय	743.15	(910.58)
	प्रचालन से प्राप्त नकदी	(690.42)	484.84
	घटाएं: प्रदत्त आयकर / देय	(103.96)	(127.61)
	प्रचालन गतिविधियो से कुल नकद प्रवाह (क)	**(794.38)**	**357.23**
(ख)	**निवेश गतिविधियों से कुल नकद प्रवाह**		
i	अचल संपत्तियों की बिक्री	1.56	0.63
ii	अचल संपत्तियों के अतिरिक्त/डब्ल्यूआईपी	(112.20)	(3,096.14)
iii	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	491.45	563.32
	प्रचालन गतिविधियो से कुल नकद प्रवाह (ख)	**380.81**	**(2,532.19)**
(ग	**वित्त पोषण गतिविधियो से कुल नकद प्रवाह**		
i	लाभांश का भुगतान	(164.05)	(156.45)
	वित्त पोषण गतिविधियो से कुल नकद प्रवाह (ग)	**(164.05)**	**(156.45)**
(घ)	**नकद और बैंक शेष (ए + बी + सी) में शुद्ध परिवर्तन**	**(577.62)**	**(2,331.41)**
(ड़)	**नकद और बैंक शेष- खोलते समय**	**9,736.22**	**12,067.63**
(च)	**कुल**	**9,158.61**	**9,736.22**
(छ)	**नकद और बैंक शेष- बंद करते समय**	**9,158.61**	**9,736.22**
	नकद एवं बैंक शेष का विवरण :		
1	**कुल नकद**	**-**	**-**
2	**चालू और सावधि जमा खाते में बैंकों के पास शेष राशि**	**9,158.61**	**9,736.22**
	कुल	**9,158.61**	**9,736.22**

नोट :

1 आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है,

2 संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

3 पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी लागू हो, पुन: समूहीकृत/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

धीरेंद्र प्रकाश जालंधरी ईडी (वित्त) / सीएफओ / सीएस(एडीएल)/ प्रभार	कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) प्रबंध निदेशक डीआईएन सं. - 09598427	डा. बीना महादेवन अध्यक्ष डीआईएन सं.. - 03483417

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.बी. गुप्ता एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआर सं. : 006928एन

महेश बाबू गुप्ता
पार्टनर
एम नं. : 085469

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.11.2025
यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्वटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्वटी शेयर पूंजी

(राशि लाख रु. में)

रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
1,900.00	-	1,900.00

(ख) अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि साझा करें	चक्रवृद्धि वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण के साधन	नकदी प्रवाह हेजिंग पर प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन	कुल
			पूंजी आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित	अन्य आरक्षित निधि - विकास गतिविधि और चिकित्सा कोष के लिए	बनाए रखी गयी आय							
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-	-	-	आरक्षित48.03	6,572.30	-	-	-	-	-	-	6,620.32
पूर्व अवधि त्रुटियों की लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बहाल शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश	-	-	-	-	-	164.05	-	-	-	-	-	-	164.05
प्रतिधारित आय में अंतरण	-	-	-	-	50.00	179.21	-	-	-	-	-	-	229.21
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना)	-	-	-	-	28.85	50.00	-	-	-	-	-	-	78.85
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	-	-	-	-	69.17	6,537.47	-	-	-	-	-	-	6,606.64

संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

धीरेंद्र प्रकाश जालंधरी
ईडी (वित्त) / सीएफओ / सीएस(एडीएल)/ प्रभार)

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. - 09598427

डा. बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं.. - 03483417

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.बी.गुप्ता एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफ.आर.सं. : 006928एन

महेश बाबू गुप्ता
पार्टनर
एम नं. : 085469

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.11.2025
यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट

1. कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. कंपनी की पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वस्त्र मंत्रालय (एमओटी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अनुसूची 'सी' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में 22 फरवरी 1983 को की गई थी। (सीआईएन: यू17299यूपी1983जीओआई005974)। इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र के त्वरित विकास में सहायता के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी का निर्माण करना था।

एनएचडीसी लिमिटेड को दिनांक 27 सितंबर 2010 को अनुसूची 'सी' से अनुसूची 'बी' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में उन्नत किया गया था, जो निगम के विकास और प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

वर्तमान में, एनएचडीसी लिमिटेड वस्त्र मंत्रालय की कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि पूरे भारत में मिल गेट दरों पर सभी प्रकार के प्राकृतिक यार्न की आपूर्ति की जाती है। इस दिशा में, निगम मिलों और हथकरघा बुनकरों को पैनलबद्ध करता है और यह सुनिश्चित करता है कि योजना के दिशानिर्देश जरूरतमंद लोगों तक पहुंचें, जिसमें सूत और परिवहन सब्सिडी शामिल है। निगम अपनी व्यावसायिक रणनीति के हिस्से के रूप में और हितधारकों की सहायता के लिए प्राकृतिक सहित डाई और रसायनों की बिक्री भी सक्रिय रूप से करता है। दिल्ली एनसीआर में एक नवीन मोबाइल मार्केटिंग पहल के अलावा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के एक्सपो और प्रदर्शनियों के आयोजन करके बाजार लिंकेज सुनिश्चित किए गए हैं।

एनएचडीसी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय 'नोएडा कॉम्प्लेक्स', ए-2,3,4 और 5 सेक्टर-2, उद्योग मार्ग, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301 में स्थित है। एनएचडीसी लिमिटेड अपने 8 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) और 27 शाखा कार्यालयों (बीओ) और 36 गोदामों के माध्यम से संचालित होता है। जहां एक गोदाम स्थापित करना व्यवहार्य नहीं है, वहां सूत बैंकों की स्थापना करके सहकारी समितियों और समाजों को सूत बैंक की सुविधा प्रदान की गई है जो वर्तमान में देश की लंबाई और चौड़ाई में 500 से अधिक हैं।

एनएचडीसी लिमिटेड हथकरघा क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हितधारकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़ी प्रगति कर रहा है।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i. लेखे तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) का पालन करने के लिए तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को कंपनी द्वारा सतत आधार पर लागू किया गया है, सिवाय इसके कि जहां एक नए जारी किए गए लेखा मानक को शुरू में अपनाया जाता है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता होती है, या अन्यथा प्रकट किया जाता है।

ii. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त संपत्ति) अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं (आवक माल ढुलाई, करों और खरीद /निर्माण / स्थापना से संबंधित आकस्मिक खर्चों और जीएसटी इनपुट क्रेडिट को छोड़कर कम संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो)। 5,000 रुपये से कम लागत पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद और/या अधिग्रहण की तारीख से 12 महीने से कम का उपयोगी जीवन होने पर राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। पूंजीगत कार्य-प्रगति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत शामिल है जो बैलेंस शीट की तारीख में उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं और प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और अन्य सीधे जिम्मेदार लागत सहित लागत पर किए जाते हैं।

सॉफ्टवेयर (अमूर्त संपत्ति) को पूंजीकृत किया जाता है जहां यह यथोचित रूप से अनुमान लगाया जाता है कि सॉफ्टवेयर का एक स्थायी उपयोगी जीवन है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

iii. मूल्यह्रास :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई/बेची गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास मासिक आधार पर आनुपातिक रूप से लिया जाता है।

सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास 10 वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन में किया जाता है।

पट्टे की अवधि में पट्टे की भूमि की लागत का परिशोधन किया जाता है।

कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर 25 वर्ष पुराने भवन के उपयोगी जीवन को 35 वर्ष (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार 60 वर्ष के बजाय) तक पुनर्मूल्यांकन किया है। यह पुनर्मूल्यांकन भवन की वास्तविक स्थिति और अपेक्षित भविष्य के उपयोग को दर्शाता है।

iv. परिसंपत्तियों की हानि:

किसी परिसंपत्ति की हानि तब होती है जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। किसी हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष में किसी परिसंपत्ति की पहचान की जाती है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन हुआ है तो पिछली लेखा-अवधियों में पहचानी गयी परिसंपत्ति की हानि को परिवर्तित कर दिया जाता है|

v. अनुदान:

सहायता अनुदानों के सापेक्ष व्यय विशिष्ट प्रयोजनों के संबंध में किए गए हैं और उन्हें सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदान के अनुसार समायोजित किया गया है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्तियों के अंतिम संग्रह की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए इसे प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।

vi. **माल सूची:**

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण या अन्य किसी कारण ट्रांजिट वाले माल को खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

vii. नकदी और नकदी समतुल्य:

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों के पास कॉल पर रखी गई जमाराशियाँ, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अन्य अल्पकालिक अत्यधिक लिक्विड निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

viii. राजस्व अभिज्ञान :

यार्न, रंग -रसायन और फैब्रिक की बिक्री का आंकलन, ग्राहकों को प्रेषित उत्पादों के आधार पर किया जाता है। बिक्री का खुलासा शुद्ध जीएसटी, तथा आवृत्ति/ अस्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

ब्याज की आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय-अनुपात के आधार पर स्वीकार किया गया है |

ix. व्यय का वर्गीकरण :

सभी व्यय और आय का लेखांकन सामान्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जहां भी आवश्यक होता है, वहां कार्यात्मक आधार पर व्यय का आवंटन किया गया है।

x. <u>अतिदेय बिलों पर ब्याज</u> :

अतिदेय बिलों पर विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उनके लिए तय की गई क्रेडिट की शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया है। वसूल नहीं किए गए अतिदेय ब्याज को आस्थगित उपार्जित ब्याज के रूप में दर्शाया जाता है ।

xi. <u>वित्तीय शुल्क</u> :

रंग एवं रसायनों के ग्राहकों पर लगाए गए वित्तीय शुल्क को उसके अंतिम संग्रह में अनिश्चितता को देखते हुए "प्राप्ति के आधार पर राजस्व" के रूप में स्वीकार किया गया है।

xii. सेवानिवृत्ति के लाभों का लेखांकन :

क) एएस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
ख) एएस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता प्रदान की जाती है।

xiii. पूर्व अवधि समायोजन :

पूर्व अवधि समायोजन, मूलभूत त्रुटियों और चूक के सुधार किए जाने से पूर्व अवधि के लिए लागू/ प्रयोज्य समायोजन हैं।

xiv. विकास क्रियाकलापों के लिए आरक्षित :

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से अतिरिक्त व्यय सहित अपने स्वयं के स्रोतों से निगम द्वारा विकासात्मक क्रियाकलापों पर किए गए व्यय को सीधे विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए आरक्षित (रिजर्व) से प्रभारित किया जाता है, जिन्हें निगम के लाभ से विनियोजित किया गया है।

xv. सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कॉर्पस:

"सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना" के तहत चिकित्सा लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुमति दी जाती है और इसे सीधे सेवानिवृत्ति चिकित्सा कोष के बाद चार्ज किया जाता है जिसे निगम के मुनाफे से बाहर विनियोजित किया जाता है।

xvi. संदिगग्ध ऋणों का प्रावधान:

तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया गैर-कॉर्पस विविध देनदारों के उन बेकार और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, जिनके विरुद्ध समान राशि के लेनदारों के पास बकाया/देय राशि है।

3 वर्षों से अधिक समय से बकाया विभिन्न देनदारों के बेकार और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

xvii. सेगमेंट लेखांकन नीति :

सेगमेंट लेखांकन नीतियां निगम की लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखांकन नीतियों का पालन किया गया है :

सेगमेंट राजस्व में अंतर-खण्ड राजस्व सहित सेगमेंट के लिए निर्धारित /आबंटित किए जाने योग्य बिक्री और अन्य आय सम्मिलित है। जो आय पूर्णतया निगम से संबंधित है और सेगमेंट के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको "अन्य गैर-आवंटन योग्य आय" में सम्मिलित किया जाता है।

जो व्यय सीधे सेगमेंट के लिए निर्धारित /आवंटित किए जाने योग्य है, उन्हें सेगमेंट परिणाम के निर्धारण के लिए लिए विचार किया जाता है। जो व्यय पूर्णतया निगम से संबंधित है और सेगमेंट के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको "अन्य गैर-आवंटन योग्य व्यय" में सम्मिलित किया जाता है।

सेगमेंट परिसंपत्तियों और देनदारियों में संबंधित सेगमेंटों के साथ सीधे तौर पर अभिज्ञेय शामिल हैं। गैर-आवंटन योग्य निगमित संपत्ति और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रदर्शित करती हैं जो पूर्णतया निगम से संबंधित हैं और किसी भी सेगमेंट के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं हैं।

xviii. आय पर कर:

<u>आय कर</u>

प्रभावी वित्त वर्ष 2024-25, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत कर के लिए अपरिवर्तनीय रूप से विकल्प चुना है, जो कर की रियायती दर प्रदान करता है, जो इस शर्त के अधीन है कि कंपनी निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाएगी।
तदनुसार, चालू और बाद की अवधि के लिए कंपनी का आयकर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसा कि धारा 115 बीएए के तहत कराधान का विकल्प चुनने वाली कंपनियों और मूल्यांकन/अपील के अपेक्षित परिणाम पर लागू होता है।

धारा 115बीएए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी धारा 115जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से संबंधित प्रावधानों के अधीन नहीं है। इसके परिणामस्वरुप, एमएटी अब लागू नहीं होता है और नई व्यवस्था को अपनाने की तारीख से वित्तीय विवरणों में कोई एमएटी क्रेडिट पात्रता स्वीकार नहीं की जाती है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों और उनके संबंधित कर आधारों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है और जिनके धारा 115बीएए के तहत निर्धारित दरों को देखते हुए संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली हो जाने या आस्थगित कर देयता का निपटान हो जाने पर लागू होने की उम्मीद होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके सापेक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को की जाती है और इस सीमा तक समायोजित की जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को वसूल करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

xix. अनुमानों का प्रयोग :

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आंकलन और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरण की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की कथित राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की उक्त राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें परिणाम ज्ञात हैं/ मूर्त रुप दिए गए हैं।

xx. प्रावधान और आकस्मिकताएँ:

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले प्रसंग के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि किसी संसाधन के बहिर्वाह की आवश्यकता उस दायित्व को निपटाने के लिए होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है और मौजूदा अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। इसमें शामिल तथ्य और मामले के कानूनी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

2 शेयर पूंजी

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
प्राधिकृत				
20,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर) रु। 100/- प्रत्येक		2,000.00		2,000.00
जारी, सब्सक्राइब और भुगतान किया गया				
18,98,465 रुपये के इक्विटी शेयर (100/- प्रत्येक) । डीसीएच कार्यालय (पिछले वर्ष 18,98,465 रुपये के इक्विटी शेयर) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित नकद में 100/- प्रत्येक का पूरी तरह से भुगतान किया गया।	1,898.46		1,898.46	
1,535 रुपये के इक्विटी शेयर , 100/- प्रत्येक) ।पूरी तरह से नकद में भुगतान किए बिना भुगतान किया जा रहा है (कंपनी के निगमन व्यय के खिलाफ डीसीएच कार्यालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित शेयर (पिछले वर्ष 1,535 रुपये के इक्विटी शेयर)। 100/- प्रत्येक)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
कुल		**1,900.00**		**1,900.00**

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसका सममूल्य रु। 100 प्रति शेयर.

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश, यदि कोई हो, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोद

नए शेयरों का निर्गम, शेयरों का हस्तांतरण, पूंजी का पुनर्भुगतान, उप विभाजन और शेयर का समेकन आदि। भारत के राष्ट्रपति के अन्

शेयरों की संख्या का मिलान

विवरण	31-03-2025 के अनुसार	31-03-2024 के अनुसार
इक्विटी शेयर खोलना	1,900,000.00	1,900,000.00
जोड़ें: शेयरों की संख्या, जारी की गई शेयर पूंजी वर्ष के दौरान सब्सक्राइब किया गया	-	-
कम: कटौती	-	-
समापन शेष	1,900,000.00	1,900,000.00

प्रमोटरों की शेयरधारिता और वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित कंपनी में शेयरों की संख्या

शेयरधारकों की संख्या	31-03-2025 के अनुसार		31-03-2024 के अनुसार	
	शेयर की सं.	% धारिता	No. of Shares	शेयर की सं.
भारत के राष्ट्रपति	1,900,000	100	1,900,000	100

नोट: {7 शेयर (पिछले वर्ष 7 शेयर) भारत के राष्ट्रपति के नामांकित शेयरधारकों द्वारा लाभकारी शेयरधारक होने के कारण}

3 **आरक्षित एवं अधिशेष**

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
(क) आरक्षित:		
(i) विकास गतिविधियों के लिए आरक्षित		
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	24.62	24.62
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
कुल (i)	**24.62**	**24.62**
(ii) अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कॉर्पस	23.41	45.23
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि	50.00	10.94
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	28.85	32.76
कुल (ii)	**44.56**	**23.41**
कुल आरक्षित (क) = (i+ii)	**69.17**	**48.03**
(B) अधिशेष		
बैलेंस शीट के अनुसार	6,572.30	6,192.87
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण से हस्तांतरित राशि - चालू वर्ष लाभ	179.21	546.82
घटाएं:-		
लाभांश	164.05	156.45
विकासात्मक गतिविधि के लिए रिजर्व को हस्तांतरित राशि	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कॉर्पस में हस्तांतरित राशि	50.00	10.94
अधिशेष(ख)	**6,537.47**	**6,572.30**
कुल (क+ख)	**6,606.64**	**6,620.33**

i) बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर के बाद लाभ का 30% की दर से 53.76 लाख रुपये के लाभांश की सिफारिश की है। (पिछले वर्ष रु. 164.05 लाख)। यह भुगतान वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

ii) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान "सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कॉर्पस" में (पिछले वर्ष रु 10.94 लाख) 50.00 लाखरुपये की राशि का योगदान दिया गया है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार उक्त चिकित्सा कोष का उपयोग करके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को "सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना" के तहत चिकित्सा लाभ की अनुमति है।

4 गैर-वर्तमान देयताएं - दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
कर्मचार लाभ के लए प्रावधान	458.43	418.43
कुल	**458.43**	**418.43**

एएस -15 के अनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानों में आवाजाही के लिए नोट संख्या 8 देखें।

5 वर्तमान देनदारियां - व्यापार देय

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
व्यापार देयताएं		
-सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	3,514.02	2,984.24
-सूक्ष्म उद्यमों र लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	28,073.68	27,751.67
कुल	**31,587.71**	**30,735.91**

i) शेष की पुष्टि करना एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष राशि सभी लेनदारों और अन्य पक्षों को पुष्टि के लिए भेजी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है: -

विवरण	कुल		31-03-2025 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31-03-2025 के अनुसार शेष की पुष्टि का प्रतिशत	
	एजेंसियों की सं.	बकाया राशि (रु. लाख में)	एजेंसियों की सं.	बकाया राशि (रु. लाख में)	एजेंसियों की सं. (%)	बकाया राशि (%)
व्यापार देयताएं	323	31,587.71	165.00	3,972.09	51.08%	12.57%

ऊपर दिखाए गए पुष्ट शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष हैं जहां अंतर / समाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और उचित समय पर मिलान किया जाएगा और इन मामलों में आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान करते ही किया जाएगा।

ii) 31,587.71 लाख रुपये के लिए देय व्यापार (पिछले वर्ष रु. 30,735.91 लाख) में लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित 25,265.92 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष - रु. 25,405.91 लाख) शामिल है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त मामले की जांच की जा रही थी। फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस संबंध में आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेजा गया है, जो बोर्ड के निर्देशों के अनुसार है। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, सोसायटी/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेनदेन ऑडिट किया गया था। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। उक्त लेनदेन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, लखनऊ शाखा कार्यालय के डब्ल्यूआरटी व्यापार देय के आंकड़ों को संशोधित करके रु। रुपये के मुकाबले 25,265.92 लाख। पिछले वित्तीय वर्ष में 25,405.91 लाख की रिपोर्ट की गई। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देश के अनुसार, लेनदेन लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई है और बोर्ड द्वारा विचार लंबित है।

iii) **व्यापार देयताओं की परानी सूची:**

31.03.2025 के अनुसार **रु. लाख में**

विवरण	देय नहीं	भुगतान की निर्धारित तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	-	3,368.77	16.16	45.33	83.76	3,514.02
अन्य	-	2,233.01	1.57	21.41	551.79	2,807.78
विवादित बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	25,265.92	25,265.92
कुल	-	5,601.78	17.74	66.74	25,901.47	31,587.72

31.03.2024 के अनुसार **रु. लाख में**

विवरण	देय नहीं	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	-	2,597.01	61.00	49.31	276.91	2,984.24
अन्य	-	2,140.33	32.66	15.79	156.96	2,345.74
विवादित बकाया- एमएसएम	-	-	-	-	-	-
विवा दत बकाया - अन्य	-	-	-	-	25,405.91	25,405.91
कुल	-	4,737.33	93.67	65.11	25,839.79	30,735.89

iv) **सक्ष्म, लघ और मध्यम उदयम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरण**

सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत खुद को पंजीकृत करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त पुष्टि के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, निम्नलिखित विवरण हैं:

रु. लाख में

	विवरण	31-03-2025 को	31-03-2024 को
(क)	शेष बकाया राशि	3,514.02	2,984.24
(ख)	देय राशि पर बकाया ब्याज	-	-
(ग)	अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज,	-	-
(घ)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज (जो भुगतान किया गया है लेकिन अवधि के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
(ड)	अर्जित ब्याज और शेष अदत्त राशि	-	-
(च)	बाद के वर्षों में भी देय और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है	-	-

6 वर्तमान देयताएं – कॉर्पस

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
(क) कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स)				
ख) सरकार से रसीद। भारत की अद्यतन तिथि	825.81		825.81	
ग) कम: सरकार को समायोजित/वापस की गई राशि। अद्यतन तिथि	481.59		481.59	
घ) सरकार को वापस की जाने वाली सिद्धांत राशि। (क-ख)	344.22		344.22	
ड़) तारीख तक समायोजन सहित एजेंसियों से वसूल की गई राशि	1,028.16		988.92	
च) घटाएः स्थान/अन्य खर्चों आदि के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि। एजेंसियों की ओर से आज तक परिसरों के लिए	1,020.60		967.60	
छ) एजेंसियों (घ-ड़) को वापसी योग्य	7.57		21.32	
छ) शेष (ए-बी+डी-ई) या (सी+एफ)		351.78		365.54
ज) तारीख तक कम विविध व्यय अर्जित ब्याज की राशि		2,600.81		2,164.23
कुल (छ+ज)		**2,952.60**		**2,529.77**

i) उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, यपुर और नई दिल्ली में विपणन परिसरों की एकमुश्त खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा कुल राशि 825.81 लाख रु. (पिछले वर्ष 825.81 लाख रु.) प्रदान किए गए थे। शुरू में उन्हें कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) खाते में जमा करने के बाद, धन का उपयोग विपणन परिसरों की खरीद के लिए किया गया है।1,028.16 लाख रु. की राशि (पिछले वर्ष रु. उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 988.92 लाख) को कॉर्पस फंड में जमा किया गया है और विपणन परिसरों की स्थापना पर किए गए व्यय की 1,020.60 लाख रु. की राशि (पिछले वर्ष रु. कॉर्पस फंड से 967.60 लाख रुपये) का शुल्क लिया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, विविध को समायोजित करने के बाद, अव्ययित कॉर्पस फंड से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज। व्यय यदि कोई हो, की राशि 194.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 173.22 लाख) को कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा किया गया है। इसके अलावा, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कॉर्पस में 241.79 लाख रुपये की ब्याज राशि के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई जमा नहीं किए गए को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेषज्ञ सलाहकार राय के आधार पर लिया गया है, जो संबंधित राशि को ""असाधारण वस्तुओं"" के तहत लाभ और हानि के विवरण को पूर्व अवधि आइटम के रूप में डेबिट करके लिया गया है।" लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन उपचार को विधिवत अनुमोदित किया गया है।

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
(ख) कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर)				
क) सरकार से रसीद। भारत की अद्यतन तिथि		950.00		950.00
ख) अर्जित ब्याज की राशि		867.61		328.72
ग) घटाएं: आय में हस्तांतरण		-		-
कुल		**1,817.61**		**1,278.72**

सरकार के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी कुल 950.00 लाख रु. की निधि (पिछले वर्ष 950.00 लाख रु.) का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद और प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति के लिए किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान,98.39 लाख रुपये का ब्याज (पिछले वर्ष - रु. 87.56 लाख) कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेषज्ञ सलाहकार राय के आधार पर पूर्व अवधि की मद के रूप में "असाधारण वस्तुओं" के तहत लाभ और हानि के विवरण के लिए संबंधित मेगा क्लस्टर कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के रुप में 440.50 लाख रुपये राशि को डेबिट करके जमा किए गए हैं। लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन प्रक्रिया को विधिवत अनुमोदित किया गया है।

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
(ग) कॉर्पस फंड (व्यापार सुविधा केन्द्र)				
क) अद्यतन तिथि तक भारत सरकार से प्राप्ति	26,869.17		26,869.17	
बी) अद्यतन तिथि तक समायोजन की राशि/जमा किए गए यूसी तथा अन्य व्यय	441.56		441.56	
ग)अद्यतन तिथि तक अनुदान खाते में हस्तांतरित राशि	72.36		72.36	
घ) कुल (घ) =(क+ख+ग)		26,499.97		26,499.97
ड) घटाएं: अद्यतन तिथि तक परियोजना प्रबंधन एजेंसी को		26,031.08		26,031.08
च) घटाएं: अद्यतन तिथि तक वास्तुकार शुल्क (सिक्का)		371.95		371.95
शेष (घ-+च)		**96.94**		**96.94**

i) जमा किए गए समायोजन/यूसी की राशि; अन्य व्यय रु. 369.20 लाख (पिछले वर्ष रु. 369.20 लाख)।अनुदान खाते में स्थानांतरित किए गए 72.36 लाख रुपये के लिए उपयोग प्रमाण पत्र।

ii) कॉर्पस फंड (टीएफसी) पर कोई ब्याज नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि टीएफसी के सापेक्ष वसूली योग्य 152.17 लाख रु. की राशि (पिछले वर्ष रु. 152.17 लाख) है, जिसे नोट संख्या 17 के माध्यम से वसूली योग्य के रूप में अलग से दिखाया गया है।

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
(घ) हैंडलूम पार्क के लिए पोचमपल्ली				
क) केंद्र/राज्य से प्राप्ति	2,900.00		2,900.00	
बी) वर्ष के दौरान प्राप्ति	-		-	
ग) अर्जित ब्याजकी राशि / व्यय घटाकर	1,373.56		1,133.21	
घ) भुगतान किए गए ब्याज की राशि	670.38		670.38	
ड़) कुल (क+ख+ग)		3,603.18		3,362.83
च) घटाएं: पोचमपल्ली को हस्तांतरित राशि (अग्रिम भुगतान किया गया)		100.00		100.00
छ) घटाएँ: कच्चे माल के लिए हस्तांतरित राशि		100.00		100.00
शेष (ड़-च-छ)		**3,403.18**		**3,162.83**

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
(ड़) कॉर्पस फंड (हथकरघा संवर्द्धन सहायता योजना)				
क) अद्यतन तिथि तक भारत सरकार से प्राप्ति।		1,206.72		1,206.72
ख) अद्यतन तिथि तकनोडल एजेंसियों से से प्राप्ति		1,803.45		1,803.45
ग) अर्जित ब्याज की राशि		570.09		516.99
घ) घटाएं: जारी की गई राशि		2,864.43		2,864.43
कुल		**715.83**		**662.73**

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
(च) समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना				
क) अद्यतन तिथि तक भारत सरकार से प्राप्ति		3,669.34		3,669.34
ख) घटाएं: जारी की गई राशि		3,499.39		3,499.39
कुल		**169.96**		**169.96**
(छ) कॉर्पस फंड (क्लस्टर विकास)		**1,656.49**		**1,656.49**
(ज) केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) *		**-**		**862.68**
कुल जोड़ (क+ख+ग+घ+ड़+च+छ)		**10,812.59**		**10,420.11**

* एनएचडीसी विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्रियांवित राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम(एनएचडीपी) के तहत निधि के प्रवाह के लिए एक नामित केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) है। तदनुसार, निर्देशों के अनुसार, एनएचडीसी ऊपर बताई गई स्कीम के लिए आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में अलग आरबीआई ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) और आईसीआईसीआई बैंक के साथ सेविंग बैंक (टीएसए हाइब्रिड) अकाउंट रखता है। एनएचडीसी नाम के तहत टीएसए और टीएसए हाइब्रिड अकाउंट रखने का उद्देश्य सीएनए अकाउंट से क्रियांवयन एजेंसियों के सब-एबी अकाउंट / ज़ीरो बैलेंस सब्सिडियरी अकाउंट में फंड के फ्लो के लिए, सिर्फ़ पीएफएमएस के माध्यम से असाइनमेंट / ड्रॉइंग लिमिट देने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रुप में काम करना है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी वित्तीय विवरण में इन अकाउंट में शेष नहीं दिखा रही है क्योंकि इन सीएनए अकाउंट में पड़ी निधि एनएचडीसी के खाता बही का हिस्सा नहीं बनेंगे और खाता बही की परिसम्पत्तियां/देनदारियों को बढ़ाएंगे/घटाएंगे नहीं।

अंत शेष निम्नलिखित थे:

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
टीएसए - आरबीआई	7,224.84	-
टीएसए हाईब्रिड - आईसीआईसीआई बैंक	153.67	862.68

7 वर्तमान देनदारियां – अन्य वर्तमान देनदारियां

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
कस्टमर/अन्य से अग्रिम	2,421.39	2,247.13
जमा - अन्य	100.00	100.00
सिक्योरिटी डिपॉज़िट	15.05	18.02
सरकारी अनुदान/प्रतिभागिता राशि	657.88	337.57
प्रतिधारण राशि	3.42	3.42
बयाना राशि	70.43	61.43
सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन और डिपो का भुगतान	4,575.86	4,599.63
कानूनी देनदारियां	215.01	130.72
अन्य देनदारियां	1,120.88	815.71
कुल	**9,179.92**	**8,313.62**

सब्सिडी, ट्रांसपोर्टेशन और डिपो का बकाया 4,575.86 लाख रुपये (पिछले साल 4,599.63 लाख रुपये) जिसमें साल 2017-2018 के लिए ट्रांसपोर्टेशन और डिपो का बकाया 1,229.74 लाख रुपये शामिल हैं, लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित हैं। कॉर्पोरेशन को भारत सरकार से ट्रांसपोर्ट और डिपो चार्ज के तौर पर 1,229.74 लाख रुपये मिले और यह राशि उपयोगकर्ता एजेंसियों को जारी नहीं की गई है, इसलिए ट्रांसपोर्ट और डिपो चार्ज के तौर पर 1,229.74 लाख रुपये की देनदारी उपयोगकर्ता एजेंसियों को देनी है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, ऊपर बताए गए मामले की जांच फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग कर रहा था। फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और उन्हें इस बारे में आगे की ज़रूरी कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, इस बारे में सीएंडएजी से प्राप्त टिप्पणियां पहले ही वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी हैं। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, सोसाइटियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से/को बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से ट्रांज़ैक्शन ऑडिट किया गया था। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई हैं और उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, ट्रांज़ैक्शन ऑडिटर ने एक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की है और बोर्ड इस पर विचार कर रहा है।

(रु. लाख में)

विवरण	31-3-2024 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि	वर्ष के दौरान समायोजन/हस्तांतरण	31-03-2025 के अनुसार शेष
सरकारी अनुदान/प्रतिभागिता राशि	337.57	359.18	(38.86)	657.88

8 वर्तमान देनदारियां –अल्पावधि प्रावधान (रु. लाख में)

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,395.13	1,497.73
अन्य	-	83.68
कुल	1,395.13	1,581.41

i) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्रावधान (दीर्घकालिक और अल्प कालिक) गतिविधि का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. लाख में)

विवरण	31-3-2024 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि	कुल	भुगतान/उपयोग/प्रभारित	वर्ष के दौरान लिखा गया/समायोजन	31-03-2025 के अनुसार शेष
आय कर	83.68	-	83.68	88.43	4.75	-
उपार्जित अवकाश	492.86	133.43	626.28	104.63	-	521.65
ग्रेच्युटी देनदारी के लिए प्रावधान	130.08	63.41	193.49	8.59	-	184.90
अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	146.23	-	146.23	146.23	-	-
वेतन बकाया (वेतन संशोधन) के लिए प्रावधान	1,147.00	-	1,147.00	-	-	1,147.00
	1,999.84	196.84	2,196.68	347.88	4.75	1,853.55

ii) परिभाषित लाभ योजना

छुट्टी नकदीकरण और उपदान के लिए दायित्व को संशोधित ए. एस.-15 के अनुसार अनुमानित इकाई ऋण विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

क) प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ

विवरण	2024-25	2023-24
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.80%	7.21%
मुआवजे के स्तर में वद्धि की दर	8%	8%
योजना आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ पर प्रतिफल की अपेक्षित दर, भाव (उपदान के मामले में)	7.68%	7.67%
सेवानिवत्ति की आयु	58 वर्ष	
मत्यु तालिका	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)
औसत निकासी दर	निकासी दर	निकासी दर
30 वर्ष तक	2%	2%
31 से 44 वर्ष	2%	2%
44 वर्ष से अधिक	2%	2%

छूट दर आम तौर पर देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के लिए संगत तुलनपत्र तारीख पर सरकारी बॉन्ड पर उपलब्ध बाजार उपज पर आधारित होती है। वेतन संवृद्धि दर, वेतन संवृद्धि, वृद्धि के रूप में कंपनी का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और इसमें मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, कार्योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य संगतारकों को ध्यान में रखा जाता है जैसा कि एएस-15 में प्रावधान किया गया है।

ख) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)
वर्ष की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	492.86	764.53	486.98	840.43
अधिग्रहण समायोजन	-	-	10.63	8.59
ब्याज लागत	35.53	55.12	35.79	61.77
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	43.51	49.34	44.46	45.86
योजना प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-	-	-
कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटान लागत/(ऋण)	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	(104.63)	(102.43)	(106.21)	(176.86)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	54.38	1.23	21.20	(15.27)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	521.65	767.79	492.86	764.53
	-	-	-	-
वर्तमान देनदारियां	63.23	115.36	74.42	108.04
गैर वर्तमान देनदारियां	458.43	652.42	418.43	656.48
कुल	521.65	767.79	492.86	764.53

ग) योजना आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ के उचित मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)
वर्ष की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य	-	634.45	-	763.32
अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
योजना आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ पर अपेक्षित प्रतिफल	-	48.66	-	51.75
बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	(6.38)	-	(7.82)
कर्मचारियों का अंशदान	-	8.59	-	4.05
प्रदत्त लाभ	-	(102.43)	-	(176.86)
वर्ष के अंत में योजना आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ का उचित मूल्य	-	582.89	-	634.45

घ) वर्ष के अंत में योजना आस्तियाँ, परिसंपतियाँ के कुल उचित मूल्य के लिए योजना आस्तियाँ, परिसंपतियाँ की प्रत्येक श्रेणी का प्रतिशत दर (रु. लाख में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित कोष	-	100%	-	100%

ड़) परिभाषित भत्ता दायित्व के वर्तमान मूल्य और आस्तियाँ, परिसंपतियाँ के उचित मूल्य का सामंजस्य (रु. लाख में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)
वर्ष के अंत में वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	767.79	-	764.53
वर्ष के अंत में योजना आस्तियाँ, परिसंपतियाँ का उचित मूल्य	-	582.89	-	634.45
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त वित्त पोषित (परिसंपति)/देयता	-	184.90	-	130.08
वर्ष के अंत में वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	521.65	-	492.86	-
तुलनपत्र में मान्यता दी गई वित्त पोषित शुद्ध देयता	521.65	-	492.86	-

च) लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय (रु. लाख में)

विवरण	2024-25		2023-24	
	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण	उपदान (वित्त पोषित)
वर्तमान सेव लागत	43.51	49.34	44.46	45.86
विगत सेवा लागत	-	-	-	-
अधिग्रगण समायोजन	-	-	-	-
ब्याज लागत	35.53	55.12	35.79	61.77
योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	-	(48.66)	-	(51.75)
कटौती लागत/ (क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटान लागत/ (क्रेडिट)	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-	-	-
शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	54.38	7.61	21.20	(7.45)
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	133.43	63.41	101.45	48.43

छ) परिभाषित भत्ता दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण (रु. लाख में)

विवरण	उपदान (वित्त पोषित)	छुट्टी नकदीकरण
	वित्त वर्ष 2024-25	
-छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	767.79	521.65
क) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(23.49)	(20.17)
ख) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	24.68	21.80
-वेतन दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	767.79	521.65
क) 0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	24.28	21.34
ख) 0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(23.35)	(20.08)

9 गैर-चालू परिसंपत्तियां- मूर्त परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

मदें	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए													31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
										कम्प्यूटर				
	प्री होल्ड भूमि	लीज होल्ड भूमि	भवन	फर्नीचर एवं जुडनार	कार्यालय और इलेक्ट्रिक उपकरण	इलेक्ट्रिक उपकरण और स्थापना	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशाला उपकरण	वाहन	कम्प्युटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिटस	सर्वर एवं नेटवर्क	मोबाइल उपकरण	कुल	
सकल ब्लॉक														
वर्ष के आरंभ के अनुसार	**759.09**	**2,364.44**	**1,004.84**	**130.35**	**-**	**226.67**	**100.22**	**4.34**	**87.91**	**153.71**	**19.30**	**-**	**4,850.88**	**1,774.27**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	39.89	10.79	-	35.24	2.73	-	-	18.07	-	5.48	112.20	3,096.15
वर्ष के दौरान ट्रासफर/बिक्री/समायोजन	-	-	-	(6.88)	-	(15.79)	(15.56)	-	(7.52)	(33.65)	(6.17)	-	(85.56)	(19.54)
वर्ष के दौरान ट्रासफर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत के अनुसार	**759.09**	**2,364.44**	**1,044.74**	**134.26**	**-**	**246.12**	**87.39**	**4.34**	**80.40**	**138.14**	**13.13**	**5.48**	**4,877.53**	**4,850.88**
मूल्य ह्रास														
वर्ष के आरंभ के अनुसार	**-**	**-**	**136.39**	**104.49**	**-**	**179.16**	**91.10**	**4.11**	**40.89**	**109.78**	**18.57**	**-**	**684.47**	**660.19**
वर्ष के दौरान ट्रासफर/बिक्री/समायोजन	-	-	-	(6.61)	-	(15.03)	(14.67)	-	(7.14)	(30.36)	(5.97)	-	(79.79)	(18.90)
वर्ष के दौरान ट्रासफर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास (आरक्षित और अधिशेष में हस्तांतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास (लाभ और हानि खाते में हस्तांतरण)	-	49.87	23.74	7.45	-	12.46	2.79	0.00	7.18	15.80	(0.00)	0.36	119.65	43.18
वर्ष के अंत के अनुसार	**-**	**49.87**	**160.12**	**105.33**	**-**	**176.59**	**79.22**	**4.11**	**40.93**	**95.22**	**12.59**	**0.36**	**724.34**	**684.47**
निवल ब्लॉक														
वर्ष के आरंभ के अनुसार	**759.09**	**2,364.44**	**868.46**	**25.86**	**-**	**47.52**	**9.12**	**0.23**	**47.02**	**43.94**	**0.73**	**-**	**4,166.41**	**1,114.08**
वर्ष के अंत के अनुसार	**759.09**	**2,314.57**	**884.62**	**28.93**	**-**	**69.53**	**8.17**	**0.23**	**39.46**	**42.92**	**0.54**	**5.12**	**4,153.19**	**4,166.41**

i) "अचल संपत्तियों में मुंबई में कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित हस्तांतरण औपचारिकता और उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण शामिल है, जिसकी राशि 33.58 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 33.58 लाख) है, ,जिसके लिए कब्जा ले लिया गया है, लेकिन इसके लिए पंजीकरण शुल्क जब भी खर्च किया जाएगा, पूंजीकृत किया जाएगा।

ii) एक परिसंपत्ति को तब खराब माना जाता है, जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के लिए हानि का शुल्क लिया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रूप में पहचान की जाती है। वर्ष के अंत में निगम के बही में दिखाई देने वाली परिसंपत्तियों में वह मूल्य होता है जिस पर वे उसमें दिखाई दे रहे हैं और हानि, यदि कोई हो, को नोट 28 में बैलेंस शीट में दिखाया गया है।

iii) भूमि और भवन की सभी अचल संपत्ति को संपीड़ित करने वाले टाइटल डीड जो फ्री होल्ड हैं, कंपनी के नाम पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार रखे जाते हैं।

iv) वर्ष के दौरान, कंपनी ने 87.07 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 17.14 लाख) रुपये के सकल ब्लॉक को बट्टे खाते डाल दिया है जिसकी डब्ल्यूडीवी 4.18 लाख (पिछले वर्ष शून्य) है।

10 गैर-चालू परिसंपत्तियां- अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए लाख में)

	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सकल ब्लॉक		
वर्ष के आरंभ के अनुसार	**248.91**	**248.91**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान ट्रासफर/बिक्री/समायोजन	(21.03)	-
वर्ष के दौरान ट्रासफर	-	-
वर्ष के अंत के अनुसार	**227.88**	**248.91**
मूल्यह्रास		
वर्ष के आरंभ के अनुसार	**237.42**	**231.85**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के दौरान ट्रासफर	(19.98)	-
सामान्य रिजर्व में ट्रांसफर	-	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1.48	5.57
वर्ष के अंत के अनुसार	**218.92**	**237.42**
निवल ब्लॉक		
वर्ष के आरंभ के अनुसार	**11.49**	**17.06**
वर्ष के अंत के अनुसार	**8.96**	**11.49**

11 आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)

चालू, प्रचलित रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शुद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ का विभाजन इस प्रकार है:

आस्थगित कर आस्तियाँ, परिसंपतियाँ और आस्थगित कर देयता के घटक	31-03-2025 के अनुसार		31-03-2024 के अनुसार	
	आस्थगित कर आस्तियाँ (रु. लाख में)	(रु. लाख में)	आस्थगित कर आस्तियाँ (रु. लाख में)	आस्थगित कर दायित्व (रु. लाख में)
पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)(क)	**338.61**		**322.44**	
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आस्थगित कर में वृद्धि (ख)				
निम्नलिखित कारणों से बनाई गई विलंबित कर देनदारियाँ:				
लेखा बही के अनुसार मूल्यह्रास योग्य आस्तियाँ, परिसंपतियाँ के बही मूल्य और कर मूल्यह्रास के अनुसार लिखित मूल्य के बीच अंतर		5.29		16.93
लाभ और हानि खातों में भुगतान की गई सांविधिक देयता		48.82		1.25
समय अंतर से उत्पन्न होने वाले अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ-(वी. आर. एस.)		15.77		15.77
निम्नलिखित के कारण बनाई गई आस्थगित कर आस्तियाँ, परिसंपत्तियाँ:				
व्यवस्था की आयकर दर के आधार पर संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों आदि के लिए व्यवस्था	(44.20)		4.38	
छुट्टी वेतन के लिए व्यवस्था	(23.21)		1.96	
उपदान के लिए व्यवस्था	3.11		43.43	
मृतक कर्मचारी योजना के लिए व्यवस्था	(0.13)		0.36	
धारा 43बी अधीन अस्वीकृति	160.16		-	
आगे लाए गए नुकसान और बिना अवशोषित मूल्यह्रास पर आस्थगित कर आस्तियाँ, परिसंपतियाँ	643.76		-	
कुल	**739.49**	**69.87**	**50.12**	**33.95**
चालू, प्रचलित रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित शुद्ध संपत्ति/(देयता)(ख)	**669.61**		**16.18**	
चालू, प्रचलित रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (क) + (ख)	**1,008.22**		**338.61**	

नोट- 669.61 लाख रुपये की शुद्ध संपत्ति/(देयता)(पिछले वर्ष रु. 16.17 लाख) को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

12 गैर-चालू, प्रचलित ऋण-दीर्घकालिक ऋण और विकास

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
कुल	-	-

कंपनी ने प्रवर्तकों, निदेशकों, के. एम. पी. एस. और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण स्वरुप कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है, जो मांग पर अथवा पुनर्भुगतान की किसी भी निर्दिष्ट शर्तों अथवा अवधि के बिना शोध्य, प्रतिदेय हैं।

13 गैर वर्तमान आस्तियां-अन्य

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
असुरक्षित, अच्छा समझा गया		
सुरक्षा जमा	23.14	6.45
कुल	**23.14**	**6.45**

14 वर्तमान आस्तियां -मालसूची

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
(प्रबंधन द्वारा लिया गया, मूल्यांकित और प्रमाणित)		
स्टॉक-इन-ट्रेड-लागत पर (अप्रचलन के लिए कम लिखा गया) अथवा शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो।	267.53	372.95
ट्रांजिट में सामान	-	-
कुल	**267.53**	**372.95**

कंपनी ने उचित अंतराल पर मालसूची का भौतिक रूप से सत्यापन किया है और इस तरह के सत्यापन के दौरान मालसूची के प्रत्येक वर्ग के कुल में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक कोई विसंगतियां नहीं देखी गई हैं।

15 वर्तमान आस्तियां- व्यापार प्राप्य

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
व्यापार प्राप्य (असुरक्षित)				
i) छः माह से अधिक				
-अच्छा समझा गया	25,586.66		25,573.60	
- संदिग्ध समझा गया	542.05		561.18	
	26,128.70		26,134.78	
- घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	(542.05)	25,586.65	(561.18)	25,573.60
ii) अन्य (अच्छा समझा गया)		3,185.17		2,477.03
कुल		**28,771.82**		**28,050.64**

i) संतुलन की पुष्टि करना एक निरंतर प्रक्रिया है। चालू, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष राशि सभी व्यापार प्राप्तकर्ताओं को पुष्टि करने के लिए भेजी गई है, तथापि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है: -

विवरण	कुल		31-03-2025 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31-03-2025 के अनुसार शेष की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की सं.	बकाया राशि (रु. लाख में)	एजेंसियों की सं.	बकाया राशि (रु. लाख में)	एजेंसियों की सं.(%)	बकाया राशि (%)
व्यापार प्राप्तियां	1,172.00	29,313.87	366.00	2,123.47	31.23%	7.24%

ऊपर दिखाए गए पुष्ट शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष हैं जहां अंतर / समाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और उचित समय पर मिलान किया जाएगा और इन मामलों में आवश्यक समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान करते ही किया जाएगा।

ii) 29,170.44 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 28,611.82 लाख) की व्यापार प्राप्तियों में लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा की गई बिक्री से संबंधित 24,566.31 लाख रुपये (पिछले वर्ष - रु. 24,564.75 लाख) की राशि शामिल है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त मामले की जांच की जा रही थी। फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, सोसायटी/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेनदेन ऑडिट किया गया था। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। उक्त लेनदेन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित व्यापार प्राप्तियों के आंकड़ों को संशोधित करके पिछले वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट की गई 24,564.75 लाख रुपये की तुलना में 24,566.31 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देश के अनुसार, लेनदेन लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई है और बोर्ड द्वारा विचार किया जाना लंबित है।

iii) 29,170.44 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 28,611.82 लाख) के व्यापार प्राप्तियों में 170.10 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 190.18 लाख) की राशि शामिल है, जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों के साथ मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा, व्यापार प्राप्तियों में फैब्रिक की आपूर्ति के खिलाफ प्राप्य 189.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु। 189.24 लाख) शामिल है, जिसमें निगम के पास लेनदारों के लिए संबंधित बकाया है, जो वसूली के बाद ही देय है। फैब्रिक लेनदार 210.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 210.11 लाख) हैं। व्यापार प्राप्तियों में 692.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 1,097.00 लाख) की राशि भी शामिल है, जिसमें कॉर्पस फंड (क्लस्टर विकास) के रूप में निगम द्वारा प्राप्त परिक्रामी अग्रिम के खिलाफ आपूर्ति की गई है।

iv) व्यापार प्राप्य न तो कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्राप्य हैं, न ही फर्म या निजी कंपनियों से क्रमशः कोई व्यापार या अन्य प्राप्य देय हैं जिसमें कोई निदेशक भागीदार/निदेशक या सदस्य है।

v) दिनांक 16.06.2023 को आयोजित बोर्ड की 177वीं बैठक द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर-कॉर्पस निधियों के विरुद्ध 57.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 129.10 लाख रु.) के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रदान नहीं किया गया है। दिनांक 15.09.2023 को आयोजित बोर्ड की 178वीं बैठक के माध्यम से बही खातों 542.05 लाख रु.(पिछले वर्ष - रु. 561.18 लाख) बकाया जारी रखा जा रहा है।

vi) संदिग्ध व्यापार प्राप्य के प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रु. लाख में)

विवरण	31-03-2024 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	कुल	वसूल/समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी	31-03-2025 के अनुसार शेष
संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	561.18	-	561.18	7.14	11.99	542.05

vii) व्यापार प्राप्तियों की पुरानी सूची:

31.03.2025 के अनुसार **(रु. लाख में)**

विवरण	बकाया नहीं	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	3,185.17	47.29	40.43	89.98	1,174.17
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-	-	42.01
iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-	-	24,734.85
कुल	-	3,185.17	47.29	40.43	89.98	25,951.02

31.03.2024 के अनुसार

(रु. लाख में)

विवरण	बकाया नहीं	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	2,477.62	33.78	115.87	70.22	866.71
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-	-	313.22
iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा समझा गया	-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्य - संदिग्ध समझा गया	-	-	-	-	-	24,734.39
कुल	-	2,477.62	33.78	115.87	70.22	25,914.33

16 वर्तमान परिसंपत्तियां - नकद और बैंक शेष

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
(क) नकद और नकद समतुल्य		
-अनुसूचित बैंक के पास शेष *	1,345.48	1,665.37
गैर-अनुसूचित बैंक के पास शेष	-	-
(ख) अन्य बैंक शेष		
-एफडीआर	7,813.12	8,070.85
कुल	**9,158.61**	**9,736.22**

*अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि में 0.89 लाख रुपये (पिछले वर्ष - रु. 0.89 लाख) शामिल हैं, जो प्रधान कार्यालय में बैंक खाते से संबंधित है जो बैंक के साथ लंबित केवाईसी औपचारिकताओं के कारण निष्क्रिय हो गया है।

अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि में 2.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष - रु. 2.00 लाख) शामिल हैं, जो आरओ वाराणसी में बैंक खाते से संबंधित है जो बैंक के साथ लंबित केवाईसी औपचारिकताओं के कारण निष्क्रिय हो गया है।

अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि में 0.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष - रु. 7.73 लाख) शामिल हैं, जो अनजाने में प्रधान कार्यालय में बैंक द्वारा किए गए इंप्लिकेट डेबिट से संबंधित है।

17 वर्तमान परिसंपत्तियां - अल्पावधि ऋण और अग्रिम

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
(i) ऋण (असुरक्षित, अच्छा समझा गया)				
- कर्मचारियों को वाहन ऋण		3.67		4.24
(ii) अग्रिम (असुरक्षित)				
(नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)				
- आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
- अच्छा समझा गया				
- संदिग्ध समझा गया				
- घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान				
(नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)				
- आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम				
- अच्छा समझा गया	2,416.90		2,408.74	
- संदिग्ध समझा गया	11.22		11.22	
	2,428.12		2,419.96	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(11.22)	2,416.90	(11.22)	2,408.74
(iii) कर्मचारियों को अग्रिम (असुरक्षित)				
-अच्छा समझा गया	19.93		24.87	
- संदिग्ध समझा गया	0.25		1.26	
	20.18		26.13	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(0.25)	19.93	(1.26)	24.87
(iv) अन्य को अग्रिम (असुरक्षित)				
- अच्छा समझा गया	389.91		534.74	
-संदिग्ध समझा गया	1.60		1.35	
	391.51		536.09	
- घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(1.60)	389.91	(1.35)	534.74
(v) प्रीपेड व्यय		12.25		15.58
(vi) स्रोत पर काटे गए कर सहित अग्रिम आयकर		58.97		53.24
(vii) जीएसटी प्राप्य		161.89		122.65
(viii) जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छा समझा गया)				
-परिसरों/अन्य के किराए के लिए				
- अच्छा समझा गया	20.13		18.04	
संदिग्ध समझा गया	0.27		0.86	
	20.40		18.90	
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(0.27)	20.13	(0.86)	18.04
(ix) प्राप्य				
- - के विरुद्ध भारत सरकार से अनुदान सहायता				
- प्राप्य दावे				
- मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स/अन्य के विरुद्ध बकाया				
		5,792.16		4,995.68
- प्राप्य दावे		40.25		40.25
- विपणन परिसर/अन्य के विरुद्ध बकाया				
- अच्छा समझा गया	5.08		11.37	
- संदिग्ध समझा गया	18.64		33.42	
	23.72		44.79	
- घटाएं: संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान	(18.64)	5.08	(33.42)	11.37
(x) उपयोगकर्ता एजेंसियों से बकाया ब्याज आस्थगित उपार्जित ब्याज				
- अच्छा समझा गया	-		-	
संदिग्ध समझा गया	179.35		179.35	
	179.35		179.35	
घटाएं: संदिग्ध ब्याज के लिए प्रावधान	(179.35)	-	(179.35)	-
कुल		8,921.15		8,229.40

i) संदिग्ध आस्तियों के प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:-

(रु. लाख में)

विवरण	31-03-2024 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	कुल	वसूल/समायोजित राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी	31-03-2025 के अनुसार शेष
क) संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान आपूर्तिकर्ता	11.22	-	11.22	-	-	11.22
ख) कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.26	-	1.26	-	1.02	0.25
ग) दूसरों को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1.35	0.25	1.60	-	-	1.60
घ) संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान	0.86	-	0.86	-	0.59	0.27
ड़) संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	33.42	-	33.42	14.78	-	18.64
च) संदिग्ध आस्थगित अर्जित ब्याज के लिए प्रावधान	179.35	-	179.35	-	-	179.35
कुल	**227.46**	**0.25**	**227.71**	**14.78**	**1.61**	**211.33**

ii) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और अन्य संबंधित पक्षों को ऋण के रुप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की अवधि की किसी भी शर्त को निर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य हैं।

iii) वर्ष 2017-2018 के लिए यार्न आपूर्ति योजना के तहत 10% यार्न सब्सिडी घटक के कारण 2,157.93 लाख रुपये सहित आपूर्तिकर्ताओं को 2,428.12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,419.96 लाख रुपये) की अग्रिम राशि। की 10% सब्सिडी की राशि। 2,157.93 लाख रुपए (अर्थात मार्च, 2018 की बिक्री के लिए 215.79 करोड़ रु. का 10%) की 10% की राशि में से एनएचडीसी को उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त हुआ और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% भुगतान किया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च 2018 की सब्सिडी की पूर्वोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को डेबिट करके सब्सिडी राशि को समायोजित किया। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, फोरेंसिक लेखा परीक्षक और सतर्कता विभाग द्वारा उपरोक्त मामले की जांच की जा रही थी। फोरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में प्राप्त सी एंड एएमपी;एजी की टिप्पणियां पहले ही वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। इसके अलावा, समितियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेनदेन लेखापरीक्षा की गई थी। इसकी रिपोर्ट चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त हुई थी और इसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, बोर्ड के निर्देश के अनुसार, लेनदेन लेखा परीक्षक द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई है और बोर्ड द्वारा विचार किया जाना लंबित है।

iv) आपूर्तिकर्ताओं को 2,428.12 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 2,419.96 लाख) के अग्रिम में 7.27 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 7.27 लाख) शामिल है, जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष मुकदमा दायर किया गया है।

v) अनुदान सहायता के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्य में
उन कार्यक्रमों से संबंधित 1880.53 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 1502.59 लाख) शामिल हैं, जिनमें दावे सरकार को प्रस्तुत किए जाने हैं।

विवरण	31-03-2024के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि, खर्च की गई राशि और यूसी प्रस्तुत किया गया	वर्ष के दौरान समायोजन और जमा किए जाने वाले शेष यूसी, अनुदान शेष	भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	31-03-2025 के अनुसार शेष
यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना					
10%/15% हैंक यार्न सब्सिडी	2,407.29	12,842.09	-	13,598.32	1,651.06
वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	1,085.80	4,703.44	-	3,528.67	2,260.57
कॉर्पस सहित अन्य अनुदान	1,502.59	1,357.12	(153.41)	825.77	1,880.53
कुल	4,995.68	18,902.65	(153.41)	17,952.76	5,792.16

vi) अनुदान सहायता के विरुद्ध भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2022-23 के लिए सीएनए प्रबंधन शुल्क के संबंध में प्राप्य में 24 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 24 लाख) शामिल हैं ।

vii) जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, 179.35 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 179.35 लाख) को आस्थगित अर्जित ब्याज के संबंध में। निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय के साथ मुकदमा दायर किया गया है।

viii) प्राप्य जीएसटी में रिफंड/समायोजन के कारण 47.26 लाख रुपये शामिल हैं। ।

18 अन्य चालू परिसंपत्तियां (कॉर्पस)

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
असुरक्षित, अच्छा समझा गया		
(क) कॉर्पस फंड (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) की तैनाती	2,952.60	2,529.77
(ख) कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) की तैनाती	1,817.61	1,278.72
(ग) कॉर्पस फंड (व्यापार सुविधा केंद्र) की तैनाती	96.94	96.94
(घ) कॉर्पस फंड (पोचमपल्ली) की तैनाती	3,403.18	3,162.83
(ड़) हथकरघा संवर्द्धन सहायता योजना	715.82	662.73
(च) समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना	169.96	169.96
(छ) केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए)	-	862.67
कुल	**9,156.10**	**8,763.62**

(i) कॉर्पस फंड की उपरोक्त तैनाती केंद्रीय नोडल खाते (सीएनए) को छोड़कर सावधि जमा और चालू खाते में है।

(ii) (ii) एनएचडीसी, वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार के विकास आयुक्त ,हथकरघा कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के तहत निधियों के प्रवाह के लिए एक नामित केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) है। तदनुसार, निर्देशों के अनुसार, एनएचडीसी आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के साथ अलग आरबीआई ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) और उपरोक्त योजना के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ सेविंग बैंक (टीएसए हाइब्रिड) खाते रखता है। एनएचडीसी नाम के तहत टीएसए और टीएसए हाइब्रिड खातों का उद्देश्य कार्यान्वयन एजेंसियों के उप-एबी खातों/शून्य शेष सहायक खातों में सीएनए खातों से धन के प्रवाह के लिए पीएफएमएस के माध्यम से केवल असाइनमेंट/आहरण सीमा प्रदान करने के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी वित्तीय विवरणों में इन खातों में शेष राशि प्रस्तुत नहीं कर रही है क्योंकि इन सीएनए खातों में पड़ी धनराशि एनएचडीसी के बही खातों का हिस्सा नहीं होगी और बही खातों की संपत्ति/देनदारियों को बढ़ाए/कम नहीं करेगी।

अंत शेष निम्नानुसार थे:

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)
टीएसए - आरबीआरबीआई	7,224.84	-
टीएसए हाइब्रिड - आईसीआईसीआई बैंक	153.67	862.67

19 वर्तमान परिसम्पत्तियां - अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां

विवरण	31-03-2025 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2024 के अनुसार (रु. लाख में)	
क) अर्जित ब्याज किन्तु प्राप्त नहीं हुआ		419.92		301.55
ख) सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कॉर्पस				
मेडिकल कॉर्पस के विरुद्ध एफडीआर	44.55		12.47	
- अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि	-	44.55	-	12.47
चालू खाता				
ग) अन्य		7.24		-
कुल (क+ख)		**471.71**		**314.01**

20 प्रचालन से राजस्व

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क) बिक्री घटा रिटर्न		
सूत		
- यार्न आपूर्ति योजना / कच्चे माल की आपूर्ति योजना	114,688.80	116,545.18
- सामान्य योजना	987.67	719.86
- डाई और रसायन	5,620.19	5,411.65
-कपड़े	-	-
कुल (क)	**121,296.66**	**122,676.69**
(b) यार्न आपूर्ति योजना/कच्चे माल की आपूर्ति योजना के तहत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान		
परिवहन शुल्क	1,961.34	1,842.71
डिपो शुल्क	390.93	448.87
सेवा शुल्क	2,350.84	2,378.92
कुल (ख)	**4,703.10**	**4,670.49**
कुल (क+ख)	**125,999.76**	**127,347.19**

i) यार्न सप्लाई स्कीम / कच्चे माल की आपूर्ति योजना के तहत व्यय की प्रतिपूर्ति के विरुद्ध 4703.10 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4670.49 लाख रु.के धागे की आपूर्ति के कारण) सहायता अनुदान का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर किया गया है।

21 अन्य आय

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
आस्तियों के विक्रय पर लाभ	0.34	-
विविध रसीद/निविदा शुल्क	146.45	123.69
प्राप्त डिपो शुल्क	79.21	87.48
बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	491.45	563.32
नकद छूट/कमीशन	0.10	3.66
अतिदेय बिलों पर पार्टियों से प्राप्त ब्याज	6.88	-
देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए	43.07	48.41
प्रावधान को अब बट्टे खाते डालने की आवश्यकता नहीं है	21.15	5.01
कुल	**788.65**	**831.57**

i) वुर्गित वर्षों में एफडीआर पर ब्याज आय का उलटफेर के कारण बैंक / वाहन ऋण / अन्य से 71.53 लाख रुपये (पिछले वर्ष 108.42 लाखरु.) ब्याज शुद्ध है ।

ii) संदिग्ध ऋण/प्राप्य से की गई वसूली के संबंध में 21.15 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 5.01 लाख)के लिए प्रावधान को अब वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तीन साल से अधिक समय से बकाया गैर-कॉर्पस व्यापार प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैक टू बैक व्यवस्था को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।

22 व्यापार में स्टॉक की खरीद

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
खरीद घटा रिटर्न		
सूत	115,558.54	117,365.26
डाई और रसायन	5,467.48	5,231.28
कपड़े	-	-
कुल	**121,026.02**	**122,596.54**

i) वर्ष 2024-25 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का मूल्य पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान 65,832.37 लाख रुपये(कुल खरीद का 53.70%) की तुलना में 69,831.25 लाख (कुल खरीद का 57.70%) है।

23 परिवहन/डिपो शुल्क

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
परिवहन शुल्क	1,961.34	1,842.71
डिपो शुल्क	390.93	448.87
कुल	**2,352.26**	**2,291.58**

i) यार्न आपूर्ति योजना/कच्चे माल की आपूर्ति योजना के तहत परिवहन और डिपो शुल्क 2352.26 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 2291.58 लाख) सूत की आपूर्ति के कारण उपचय के आधार पर हिसाब किया गया है। योजना के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसियों को देय परिवहन और डिपो शुल्क का प्रावधान किया गया है।

24 तैयार माल की सूची में परिवर्तन प्रगति पर है और व्यापार में स्टॉक है

(रु.लाख में)

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01-04-2024 के	अंतिम स्टॉक 31-03-2025 के	वृद्धि (-)/ कमी (+)
यार्न	350.32	245.29	105.03
डाई एवं केमिकल्स	22.63	22.24	0.39
कपड़े	-	-	-
कुल	**372.95**	**267.53**	**105.43**

(रु.लाख में)

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01-01-04-2023	अंतिम स्टॉक 31-03-2024 के	वृद्धि (-)/ कमी (+)
यार्न	235.46	350.32	(114.86)
डाई एवं केमिकल्स	22.58	22.63	(0.05)
कपड़े	-	-	-
कुल	**258.04**	**372.95**	**(114.91)**

25 रोजगार लाभ व्यय

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क) वेतन एवं मजदूरी		
वेतन और भत्ते	1,367.92	1,370.40
छुट्टी नकदीकरण (जिसमें उपार्जित छुट्टी का प्रावधान भी शामिल है)	133.43	101.44
अनुग्रह राशि	-	146.23
भर्ती व्यय	1.78	4.56
चिकित्सा व्यय	18.95	16.33
कार्मिकों को प्रशिक्षण	1.54	2.46
उप जोड़ (क)	**1,523.62**	**1,641.42**
ख) पीएफ और अन्य निधि में योगदान		
सीपीएफ और एफपीएफ/ईडीएलआई योजना/एनपीएस में नियोक्ता का योगदान	165.34	168.62
उपदान	63.41	48.43
उप जोड़ (ख)	**228.75**	**217.05**
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय		
कर्मचारी कल्याण व्यय (मानदेय सहित, इनाम वर्दी और ग्रहणाधिकार सहित)	70.02	46.40
मृत कर्मचारी योजना को भुगतान	7.85	7.74
उप जोड़ (ग)	**77.87**	**54.14**
कुल (क+ख+ग)	**1,830.25**	**1,912.61**

i) लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित कर्मचारी लाभों के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं: -

परिभाषित अंशदान योजना

वर्ष के लिए व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त परिभाषित योगदान योजना में योगदान निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सीपीएफ/एफपीएफ/एनपीएस/डीडीई और ईडीएलआई योजनाओं में नियोक्ता का योगदान।	173.19	176.36

निगम की भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट की शर्त यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता वैधानिक दर के खिलाफ ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में अच्छी कमी, यदि कोई हो, करेगा।

ii) **वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है: -**

(रु. लाख में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधक कार्मिक			
		एमडी*	सीएफओ	कंपनी सचिव***	कुल
1	कुल वेतन	54.06	30.23	-	84.29
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य				-
					-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ				-
2	स्टॉक विकल्प				-
3	स्वेट इक्विटी				-
4	कमीशन				
	- लाभ के % के रुप में				-
	- अन्य				-
5	अन्य - रेन्ट एवं रखरखाव घटाएं	14.85	-	-	14.85
	कुल	68.91	30.23	-	99.14

* सुश्री रीता प्रेम हेमराजनी ने 30.11.2024 तक प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) दिनांक 11.02.2025 से प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

** श्री जितेन्द्र वी. पुरोहित ने 24.02.2025 तक सीएफओ के रूप में कार्य किया है। श्री धीरेंद्र प्रकाश जालंधर,ईडी (वित्त) दिनांक 25.02.2025 से सीएफओ के रूप में कार्य कर रहे हैं।

*** दिनांक 24.02.2025 तक कोई कंपनी सचिव नियुक्त नहीं किया गया था। श्री धीरेंद्र प्रकाश जालंधर ,ईडी (वित्त) , दिनांक 25.02.2025 से कंपनी सचिव (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में कार्य कर रहे हैं।

26 वित्तीय लागतें

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
बैंक/ अन्य को ब्याज	-	-
अन्य उधारी लागत	-	-
कुल	**-**	**-**

27 अन्य व्यय

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क) प्रशासनिक व्यय		
यात्रा खर्च	101.84	75.25
लेखा परीक्षकों को भुगतान	8.17	5.79
बोर्ड बैठक व्यय (बैठक शुल्क सहित)	0.30	4.52
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.39	0.46
वाहन व्यय	18.95	17.29
बिजली/जल प्रभार	40.17	19.40
बीमा	8.65	10.63
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	83.26	125.35
सदस्यता शुल्क और सदस्यता	2.36	2.93
कार्यालय रखरखाव	28.10	20.22
छपाई और स्टेशनरी	24.35	22.02
डाक/टेलीग्राम/टेलीफोन और टेलीक्स	21.43	21.67
किराया, दरें और कर (वसूली का शुद्ध)	55.42	124.69
मरम्मत और रखरखाव	59.28	30.77
सेवा वाहन व्यय	48.60	50.27
जनशक्ति व्यय	117.71	32.79
सुरक्षा व्यय	72.97	72.59
विज्ञापन और प्रचार	-	1.04
व्यवसाय संवर्धन	22.24	40.59
छूट, कमीशन और छूट	0.66	0.00
बैंक प्रभार	2.70	3.92
माल ढुलाई और अन्य शुल्क	46.68	48.38
बैठक व्यय	9.43	6.80
सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन / रखरखाव व्यय	62.61	85.70
डेटा प्रविष्टि शुल्क	40.76	35.37
आतिथ्य और मनोरंजन व्यय	8.22	7.01
प्रदर्शनी व्यय	4.73	2.87
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय	4.90	-
विविध व्यय	5.50	5.02
कुल (क)	**900.39**	**873.37**

i) **लेखा परीक्षकों को किया गया भुगतान निम्नानुसार है :-**

लेखा परीक्षा शुल्क	7.67	5.27
अन्य क्षमता	0.50	0.52
कुल	8.17	5.79

ii) **धारा 135 के अंतर्गत आने वाली कंपनी के लिए सीएसआर व्यय का प्रकटीकरण:**

(रु. लाख में)

क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	4.88
ख. पहले के वर्ष से आगे ले जाया गया अव्ययित राशि (अतिरिक्त व्यय)	-
ग. किए गए व्यय की राशि	4.90
घ. वर्ष के अंत में कमी (आगे की गई अतिरिक्त राशि खर्च की गई)	-
ड. पिछले वर्षों की कमी का कुल योग	-
च. कमी के कारण	लागू नहीं
छ. सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	नेत्र देखभाल शिविरों का आयोजन
ज. संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, एएस के अनुसार सीओ द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान	लागू नहीं
झ. वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलन	-

(रु. लाख में)

विवरण	**चालू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया**	**अभी भुगतान किया जाना है**	**कुल**
नेत्र देखभाल शिविरों का आयोजन	4.90	-	**4.90**
कुल	**4.90**	**-**	**4.90**

(ख) अन्य

विवरण	**31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)**	**31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)**
संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	-	18.14
आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
कुल (ख)	**-**	**18.14**

(i) वर्ष के दौरान, 57.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष 129.10 लाख रु.) के संदिग्ध ऋण का प्रावधान 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया को दिनांक 16.06.2023 को 177वीं बोर्ड बैठक के तहतगैर-कॉर्पस फंड के विरुद्ध प्रदान नहीं किया गया है। इससे लाभ में 57.19 लाख रुपये (पिछले वर्ष - 129.10 लाख रु.) की वृद्धि हुई है।

कुल (क+ख)	**900.39**	**891.51**

28 असाधारण मदें

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क) बट्टे खाते डालना		
परिसंपत्तियों की बिक्री/बट्टे खाते में डालने पर हानि	4.56	-
देनदारों को बट्टे खाते में डालना	3.76	-
उप जोड़ (क)	**8.33**	**-**
ख) पूर्व अवधि समायोजन *	920.47	-
कुल (क+ख)	**928.80**	**-**

"* पूर्व अवधि समायोजन में शामिल हैं:

(i) 241.79 लाख रुपये की राशि के ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई, "वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कॉर्पस में जमा नहीं किए गए , को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेषज्ञ सलाहकार राय के आधार पर लिया गया है, जो संबंधित राशि को ""असाधारण वस्तुओं"" के तहत लाभ और हानि के विवरण को पूर्व अवधि आइटम के रूप में डेबिट करके लिया गया है।" लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन उपचार को विधिवत अनुमोदित किया गया है।

(ii) मेगा क्लस्टर कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई रु। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी विशेषज्ञ सलाहकार राय के आधार पर पूर्व अवधि की मद के रूप में "असाधारण वस्तुओं" के तहत लाभ और हानि के विवरण के लिए संबंधित राशि को डेबिट करके 440.50 लाख रुपये लिए गए हैं। लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन उपचार को विधिवत अनुमोदित किया गया है।

(iii) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएचडीसी सीपीएफ ट्रस्ट के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, रुपये की राशि के भंडार में कमी है। 237.53 लाख. चूंकि कंपनी ट्रस्ट का प्रायोजक नियोक्ता है, इसलिए उसने चालू वित्तीय वर्ष में इन नुकसानों को वापस लेने का चुनाव किया है, जिससे ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति का समर्थन किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रस्ट अपने दायित्वों और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।
"

29 कर व्यय - वर्तमान कर

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
चालू वर्ष के लिए आयकर	-	83.68
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आयकर	14.55	(61.65)
कुल	**14.55**	**22.02**

"(i) वर्ष के दौरान आयकर का प्रावधान शून्य रुपए (पिछले वर्ष 83.68 लाख रु.) है।

(ii) प्रभावी वित्त वर्ष 2024-25, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत कराधान का विकल्प चुना है, जो कर की रियायती दर इस शर्त के अधीन प्रदान करता है कि कंपनी निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाएगी।
तदनुसार, वर्तमान और बाद की अवधि के लिए कंपनी का आयकर व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैसा कि धारा 115 बीएए के तहत कराधान का विकल्प चुनने वाली कंपनियों पर लागू होता है, और मूल्यांकन / अपील का अपेक्षित परिणाम।
धारा 115बीएए के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी धारा 115जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से संबंधित प्रावधानों के अधीन नहीं है।
नतीजतन, एमएटी अब लागू नहीं है और नई व्यवस्था को अपनाने की तारीख से वित्तीय विवरणों में कोई एमएटी क्रेडिट पात्रता मान्यता नहीं दी जाती है।
"

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट

30 अंश और विभाजक में शामिल वस्तुओं के स्पष्टीकरण के साथ अनुपात

विवरण	अंश	विभाजक	31-03-2025 के अनुसार	31-03-2024 के अनुसार	अंतर का %	अंतर का कारण (25% से अधिक)
(क)वर्तमान अनुपात,	वर्तमान परिसंपतियां	वर्तमान देनदारी	**1.07**	**1.09**	-1.41%	
(ख)ऋण इक्विटी अनुपात,			**एनए**	**एनए**		
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात			**एनए**	**एनए**		
(घ) इक्विटी अनुपात पर आय	कर पश्चात शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	**2.12%**	**6.60%**	67.89%	पूर्व अवधि समायोजन और आस्थगित कर समायोजन के कारण
(ड) मालसूची कारोबार अनुपात	बेंचे गये सामानों की लागत	औसत सूची	**378.25**	**388.22**	-2.57%	
(च) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	**4.27**	**4.30**	-0.68%	
(छ) व्यापार देय कारोबार अनुपात	व्यापार में स्टॉक की खरीद	औसत व्यापार देय	**3.89**	**3.92**	-0.86%	
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	प्रचालन से राजस्व	निवल पूंजी नियोजित	**14.26**	**14.40**	-0.97%	
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात शुद्ध लाभ	प्रचालन से राजस्व	**0.15%**	**0.45%**	66.85%	पूर्व अवधि समायोजन और आस्थगित कर समायोजन के कारण
(ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और कर से पूर्व आय	Net Capital Employed	**(0.04)**	**0.07**	159.08%	पूर्व अवधि समायोजन
(के) निवेश पर रिटर्न	कर पश्चात शुद्ध लाभ	कुल निवल मूल्य	**2.11%**	**6.42%**	67.17%	पूर्व अवधि समायोजन और आस्थगित कर समायोजन के कारण

31 क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा का विवरण।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया, इसलिए इससे संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

32 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी द्वारा फिर से कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

33 कंपनी के उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

34 कंपनी के पास कोई माता-पित कंपनी नहीं है और तदनुसार, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन विचाराधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है।

35 वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।

36 कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को इस समझ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) के साथ अग्रिम या उधार या निवेश निधि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) नहीं दी है कि मध्यस्थ (i) कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या (ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी सुरक्षा प्रदान करेगा।

37 कंपनी के पास ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो किसी भी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किए गए बही खातों में दर्ज नहीं किया गया है।

38 अन्य नोट

I आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

क) आकस्मिक देयताएं

(i) कंपनी के विरुद्ध मामले - शून्य (पिछले वर्ष शून्य)

(ii) मेसर्स यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी बैंक गारंटी - 2,00,000 रु. (पिछले वर्ष 2,00,000 रु.).

(iii) चूंकि संबंधित बिक्री कर अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन को अंतिम रूप दिए जाने तक राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए धागा, डाई और रसायनों और कपड़ों की बिक्री के संबंध में केंद्रीय और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधान के तहत बिक्री कर देयता और जीएसटी, यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

B) प्रतिबद्धता:-

शून्य

II कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसार अतिरिक्त जानकारी:-

क) उत्पादन की लाइसेंस प्राप्त और स्थापित क्षमता - लागू नहीं

ख) स्टॉक, खरीद, बिक्री और समापन स्टॉक खोलने के संबंध में मात्रात्मक जानकारी निम्नानुसार है: -

क्रम सं.	विवरण	यार्न		रंग एवं रसायन		फैब्रिक	
		इकाई लाख में	रु. लाख में	इकाई लाख में	रु. लाख में	इकाई लाख में	रु. लाख में
1	ओपनिंग स्टॉक - चालू वर्ष	0.43	350.32	0.33	22.63	-	-
	पिछला वर्ष	0.22	235.46	0.29	22.58	-	-
2	खरीद - चालू वर्ष	326.61	115,558.54	53.83	5,467.48	-	-
	पिछला वर्ष	341.56	117,365.26	45.09	5,231.28	-	-
3	बिक्री* - चालू वर्ष	326.78	115,663.57	53.71	5,467.87	-	-
	पिछला वर्ष	341.35	117,250.40	45.04	5,231.23	-	-
4	अंत्य स्टॉक - चालू वर्ष	0.26	245.29	0.45	22.24	-	-
	पिछला वर्ष	0.43	350.32	0.33	22.63	-	-

*बिक्री राशि बिक्री की लागत को दर्शाती है

ग) (i) रंग और रसायनों के संबंध में सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य शून्य रु. (पिछले वर्ष रु. शून्य) और (ii) कच्चे माल के संबंध में (iii) घटक और स्पेयर पार्ट्स (iv) पूंजीगत सामान रु। शून्य (पिछला वर्ष - रु. शून्य)।

घ) विदेशी मुद्रा में आय - शून्य रु. (पिछला वर्ष- शून्य रु.)।

ड़) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय - रु. शून्य (पिछले वर्ष - शून्य रु.)।

च) आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और खपत किए गए घटकों का मूल्य - शून्य रु. (पिछले वर्ष - शून्य रु.)।

III सेगमेंट की रिपोर्टिंग

एएस-17 की आवश्यकताओं के अनुसार, अर्थात आईसीएआई द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग, यार्न, डाई और रसायन और फैब्रिक से युक्त रिपोर्टिंग सेगमेंटों के रूप में गतिविधिवार वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: -

(रु. लाख में)

		यार्न	रंग एवं रसायन	फैब्रिक	कुल
क)	**प्राथमिक जानकारी**				
1	सेगमेंट वार राजस्व	120,379.57	5,620.19	-	125,999.76
2	सेगमेंट वार परिणाम	837.12	152.32	-	989.44
3	अनावंटित ओवरहेड्स	-	-	-	1,328.59
4	बैंक से ब्याज और अन्य	-	-	-	491.45
5	अन्य आय	-	-	-	297.20
6	पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	920.47
7	सीएसआर व्यय				4.90
8	कर देने से पूर्व लाभ	-	-	-	(475.87)
9	पूर्ववर्ती वर्ष के समायोजन सहित कर के	-	-	-	14.55
10	लिए प्रावधान आस्थगित कर	-	-	-	(669.62)
11	कर के बाद लाभ	-	-	-	179.20
12	सेंगमेंट-वार परिसंपत्तियां	35,907.88	2,159.22	143.43	38,210.53
13	अनावंटित कॉर्पोरेट संपत्ति (वित्तीय परिसंपत्तियों सहित)।	-	-	-	23,729.88
14	कुल संपत्ति				61,940.41
15	सेगमेंट-वार देनदारियों में बैंक उधार शामिल है	40,319.95	258.78	174.11	40,752.84
16	अनावंटित कॉर्पोरेट देनदारियां (बैंक उधार सहित)	-	-	-	12,680.92
17	कुल देयताएं				53,433.77
18	मूल्यह्रास सेगमेंट-वार	12.29	-	-	121.13

i. सेगमेट-वार राजस्व में कोई अंतर सेगमेट लेन-देन नहीं है।

(रु. लाख में)

ख)	द्वितीयक जानकारी	क्षेत्र का नाम	सेगमेंट राजस्व
1	उस सेगमेंट के लिए भौगोलिक क्षेत्र द्वारा सेगमेंट राजस्व, जिसका राजस्व सभी भौगोलिक सेगमेंट के कुल राजस्व का 10% या उससे अधिक है।	आर ओ कोयम्बटूर	32,120.36
		आरओ हैदराबाद	18,921.15
		आरओ बेंगलुरु	15,312.85
		आरओ पानीपत	22,611.07
		आरओ कोलकाता	21,321.34
		क्षेत्र का नाम	**परिसंपत्तियां**
2	सेगमेंट की परिसंपत्तियों के भौगोलिक स्थान द्वारा सेगमेंट परिसंपत्तियां जिनकी संपत्ति सभी भौगोलिक खंडों की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक है।	आर ओ वाराणसी	26,093.38
		क्षेत्र का नाम	**अचल संपत्तियों के अतिरिक्त**
3	उस सेगमेंट के लिए अचल संपत्तियों में परिवर्धन जहां संपत्ति सभी भौगोलिक सेगमेंटों की कुल संपत्ति का 10% या उससे अधिक है।	शून्य	शून्य

IV संलग्न नोट 1 से 38 वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

V पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पुनर्निर्धारित / पुन: समूहीकृत किया गया है।

VI जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, आंकड़ों को लाख में निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति	पुनर्वर्गीकृत प्रत्येक मद की राशि		पुनर्वर्गीकरण का कारण
	31 मार्च 2025 के अनुसार	मार्च 2024 के अनुसार	
अब तक, दीर्घावधि उधार की वर्तमान परिपक्वता को अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों में शामिल किया गया था। अनुसूची III में संशोधन की आवश्यकता के अनुसार के अनुसार, इसे "अल्पकालिक उधार" के तहत एक अलग लाइन के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।	शून्य	शून्य	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन की आवश्यकता के अनुसार के अनुसार
"पहले पट्टे की देनदारियों को अन्य वित्तीय देनदारियों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था, हालांकि अनुसूची III में संशोधन की आवश्यकता के अनुसार, इसे उधार के बाद "वित्तीय देनदारियों"के तहत बैलेंस शीट पर अलग मद के रूप में प्रस्तुत किया गया है औरतदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।"	शून्य	शून्य	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में संशोधन की आवश्यकता के अनुसारके अनुसार

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

धीरेंद्र प्रकाश जालंधरी
ईडी (वित्त) / सीएफओ / सीएस(एडीएल)/ प्रभार

कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. - 09598427

डा. बीना महादेवन
अध्यक्ष
डीआईएन सं.. - 03483417

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एम.बी.गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफ.आर. नं.: 006928एन

महेश बाबू गुप्ता
पार्टनर
एम नं. : 085469

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.11.2025
यूडीआईएन: 25085469बी एम आई बी जेड डब्ल्यू7650

अनुदान संबंधी विवरण

i) अनुदान का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के धन का विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	शेष के अनुसार	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेन देन			कुल	शेष के अनुसार
			सरकार से			व्यय	रिफंड	समायोजन/		
		31.03.2024		प्रतिभागियों/ अन्य से			हस्तांतरण	हस्तांतरण		31.03.2025
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	9 (7-8-9)	10 (6+9)
230063	सीएचडीएस-वाराणसी मेगा क्लस्टर 4 नंबर एक्सटेंशन काउंटर	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	-	(2.87)
230083	सिल्क फैब, चेन्नई 2019-20	23.84	-	-	23.84	-	-	-	-	23.84
230084	सिल्क फैब, मुंबई 2019-20	14.87	-	-	14.87	-	-	-	-	14.87
230085	सिल्क फैब, एर्नाकुलम 2019-20	23.96	-	-	23.96	-	-	-	-	23.96
230087	एसएचई (सिल्क फैब), देहरादून 2019-20	23.15	-	-	23.15	-	-	-	-	23.15
230088	एसएचई (सिल्क फैब), भुवनेश्वर 2019-20	23.82	-	-	23.82	-	-	-	-	23.82
230090	एसएचई (सिल्क फैब), चंडीगढ़ 2019-20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	-	17.17
230102	एसएचई (सिल्क फैब), हैदराबाद 2019-20	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	-	(14.00)
230110	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो, लखनऊ 2019-20	10.01	-	-	10.01	-	-	-	-	10.01
230113	एनएलएचई आगरा (2019-2020)	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	-	(14.00)
233154	एनएचडीसी के विपणन सहायता घटक	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	-	(2.90)
233167	सिल्क फैब चेन्नई (2018-19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	-	9.43
233199	सिल्क फैब अहमदाबाद 2019-2020	15.83	-	-	15.83	-	-	-	-	15.83
233200	क्लस्टर विकास कार्यक्रम (बर्धमान)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	-	(1.20)
233203	सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019-2020 लेह-लद्दाख	14.50	-	-	14.50	-	-	-	-	14.50
233204	सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019-2020 जबलपुर	7.05	-	-	7.05	-	-	-	-	7.05
233205	अबाहोनी-2019 (महात्मा गांधी) का सहयोग और प्रायोजन	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	1.50
233301	सूचना शिक्षा और संचार के लिए अनुदान	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	-	(48.05)
233302	हथकरघा उपकरणों की आपूर्ति के लिए अनुदान	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	-	(9.17)
233303	2000 बैटरी लिक्ड इनवर्टर लाइटिंग इकाइयों के वितरण के लिए अनुदान	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	-	(56.33)
233304	प्रशासन के लिए अनुदान। जिला के लिए लागत। बिलास का	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	-	(2.57)
233305	बिलास, डब्ल्यूएससी वाराणसी के लिए संविदात्मक कर्मचारियों को किराए पर लेने के लिए अनुदान	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	-	(4.67)
233307	सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	28.04	-	-	28.04	-	-	-	-	28.04
233336	6 आईआईएचटी को पुरस्कार/पुरस्कार वितरण के लिए अनुदान	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	-	(6.78)
233337	एक्सपी के लिए अनुदान। एकाधिक बूटी मशीन का परिचय	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	-	(0.05)
233338	चार पहिया और एमआईएससी एक्सपी किराए पर लेने के लिए अनुदान। डब्ल्यूएससी वाराणसी	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	-	(0.96)
233339	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए अनुदान	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	-	(0.30)
233350	इंडिया हैंड लूम ब्रांड	53.12	-	-	53.12	-	-	-	-	53.12
233400	बुनकर जागरुकता शिविर	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	-	(7.60)
233406	शिल्प संग्रहालय, नई दिल्ली में डिजाइनरों चौपाल का आयोजन आईएसटी अगस्त 2017	2.64	-	-	2.64	-	-	-	-	2.64
233407	तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2017 को गुवाहाटी में	54.14	-	-	54.14	-	-	-	-	54.14
233408	31 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला	60.33	-	-	60.33	-	-	-	-	60.33
233412	22.09.2017 को उद्घाटन कार्यक्रम टीएफसी और सीएम	2.41	-	-	2.41	-	-	-	-	2.41
233418	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	1.39	-	-	1.39	-	-	-	-	1.39
233419	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	-	37.65
233420	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	-	10.68
233423	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017-2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00
233427	सीएफसी वाराणसी मेगा हैंडलूम क्लस्टर में 15 बंकर चौपाल	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	-	(0.03)
233432	पीएमटीए (टीएफसी) जेएलएल	1.22	-	-	1.22	-	-	-	-	1.22
233437	12/03/2018 को फ्रांस के राष्ट्रपति की टीएफसी यात्रा	8.97	-	-	8.97	-	-	-	-	8.97
233438	दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) भुगतान	29.65	-	-	29.65	-	-	-	-	29.65
233441	कौशांबी महोत्सव 2018 (4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	-	0.99
233442	05.10.2018 से 08.10.2018 तक लखनऊ में एचएसएफ 2018 का चौथा संस्करण	1.66	-	-	1.66	-	-	-	-	1.66
233443	जीआई पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पाद पर 12 एफएलआईएम (2018-2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40
233444	जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करना (एनएचडीपी के तहत)	14.05	-	-	14.05	-	-	-	-	14.05
233445	सिल्क फैब रायपुर 2018-2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	-	2.88
233453	7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2021-22	46.07	-	-	46.07	-	-	-	-	46.07
233501	7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	124.96	-	-	124.96	-	-	-	-	124.96
233502	कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) वाराणसी के लिए अनुदान	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	-	(10.82)

i) **अनुदान का विवरण**

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के धन का विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	शेष के अनुसार	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेन देन			कुल	शेष के अनुसार
			सरकार से			व्यय	रिफंड	समायोजन/		
		31.03.2024		प्रतिभागियों/ अन्य से			हस्तांतरण	हस्तांतरण		31.03.2025
233504	डिजाइन डेव. और पैटर्न मेकिंग- वाराणसी	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	-	(0.18)
233510	हथकरघा हेल्पलाइन सेंटर (एमएसडी)	(0.64)	20.51	-	(21.16)	20.51	-	6.82	13.69	(7.46)
233516	विशेष हथकरघा उत्पादों का खुदरा आउटलेट (फ्लैगशिप स्टोर)	88.09	14.76	3.80	69.53	32.67	-	-	32.67	102.20
233517	श्रम सबंध संसदीय स्थायी समिति	1.14	-	-	1.14	-	-	-	-	1.14
233604	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो-इंदौर (2018-19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	-	7.64
233606	राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो-पटना (2018-19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	-	6.82
233701	हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम (एनजेबी कोलकाता) 7-01-2019 से 13-01-2019 तक	(0.63)	-	-	(0.63)	-	-	-	-	(0.63)
233702	एमएसएमई का आउटरीच कार्यक्रम (डब्ल्यूएससी जनवरी 2019 से फरवरी 2019)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	-	13.69
233708	क्लस्टर कारीगरों का मानचित्रण	(2.51)	-	-	(2.51)	-	-	-	-	(2.51)
233709	चुनिंदा क्लस्टर क्षेत्रों की कुशल कारीगरी को प्रदर्शित करने वाली वीडियो फिल्म	(3.34)	-	-	(3.34)	-	-	-	-	(3.34)
233712	निर्माता कंपनी का गठन	0.55	-	-	0.55	-	-	-	-	0.55
233714	सिल्क फैब पुणे 2020-21	(22.40)	-	-	(22.40)	-	-	-	-	(22.40)
233715	सिल्क फैब एर्नाकुलम 2020-21	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	-	(14.00)
233716	सिल्क फैब जम्मू 2020-21	6.35	-	-	6.35	-	-	-	-	6.35
233717	सिल्क फैब गुवाहाटी 2020-21	5.38	-	-	5.38	-	-	-	-	5.38
233719	सिल्क फैब सूरत 2020-21	(7.41)	-	-	(7.41)	-	-	-	-	(7.41)
233720	सिल्क फैब हैदराबाद 2020-21	0.47	-	-	0.47	-	-	-	-	0.47
233721	सिल्क फैब पटना 2020-21	6.15	-	-	6.15	-	-	-	-	6.15
233730	मेरा हथकरघा मेरा गौरव प्रदर्शनी दिल्ली हाट 2021-22	60.41	-	-	60.41	-	-	-	-	60.41
233732	अनन्य हथकरघा एक्सपो वित्त वर्ष 2021-22 दिल्ली	(13.84)	-	-	(13.84)	-	-	-	-	(13.84)
233734	एनएचडीसी लिमिटेड वित्त वर्ष 2021-22 का 39वां स्थापना दिवस	11.99	-	-	11.99	-	-	-	-	11.99
233735	झरोखा- वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत अजमेर के शिल्प का जश्न मनाना	3.14	3.01	-	0.13	-	-	-	-	0.13
233741	योजना के प्रसार पर संगोष्ठी 2021-22	5.62	5.74	-	(0.12)	-	-	-	-	(0.12)
233763	जिला हथकरघा एक्सपो वाराणसी 2021-22	4.63	-	-	4.63	-	-	-	-	4.63
233764	प्रचार गतिविधियों का आयोजन 7 डीआरसी 2021-22	(8.67)	0.84	-	(9.51)	5.49	-	-	5.49	(4.02)
233765	8वीं भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-मेला कोलकाता 2021-22 का आयोजन	(1.44)	-	-	(1.44)	-	-	-	-	(1.44)
233768	गुवाहाटी में खरीदार विक्रेता बैठक (बीएसएम) 2021-22	0.41	-	-	0.41	-	-	-	-	0.41
233770	जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हथकरघा बुनाई का लाइव प्रदर्शन	8.60	-	-	8.60	-	-	-	-	8.60
233775	राष्ट्रीय जी.आई. शिल्प संग्रहालय में गैलरी, दौनदयाल हस्तकला संकुल, वाराणसी वित्त वर्ष 2022-2	10.83	-	-	10.83	-	-	-	-	10.83
233777	8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022-23	(31.10)	-	-	(31.10)	-	-	-	-	(31.10)
233789	सिल्क फैब दिल्ली वित्त वर्ष 2022-23	15.21	8.19	-	7.02	-	-	-	-	7.02
233790	सिल्क फैब चेन्नई वित्त वर्ष 2022-23	7.11	7.11	-	-	-	-	-	-	-
233792	सिल्क फैब शिमला वित्तीय वर्ष 2022-23	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03
233795	हथकरघा हाट, जनपथ वित्त वर्ष 2022-23 में विशेष हथकरघा एक्सपो	(0.54)	-	-	(0.54)	-	-	-	-	(0.54)
233803	पश्चिम बंगाल में जागरूकता शिविर सह बैठक का आयोजन वित्त वर्ष 2022-23	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	2.00
233807	22/11/2022 वित्तीय वर्ष 2022-23 को संसदीय परामर्शदात्री की बैठक आयोजित	0.85	-	-	0.85	-	-	-	-	0.85
233810	विरासत, जनपथ, दिल्ली में साड़ी महोत्सव वित्त वर्ष 2022-23	7.30	-	-	7.30	-	-	-	-	7.30
233813	जनजतिया गौरव दिवस, जनपथ दिल्ली वित्त वर्ष 2022-23	8.15	-	-	8.15	-	-	-	-	8.15
233815	ऊन फैब, जयपुर वित्त वर्ष 2022-23	2.41	2.41	-	-	-	-	-	-	-
233821	सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, फरीदाबाद वित्त वर्ष 2022-23	4.02	14.47	-	(10.45)	-	-	-	-	(10.45)
233822	एमओएस की बातचीत बैठक, भुवनेश्वर वित्त वर्ष 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233823	सिल्क फैब हैदराबाद, वितीय वर्ष 2022-23	7.73	7.73	-	0.00	-	-	-	-	0.00
233825	सिल्क फैब प्रदर्शनी, गांधी धाम (कांडला), वित्त वर्ष 2022-23	4.87	0.06	-	4.81	-	-	-	-	4.81
233826	सिल्क फैब प्रदर्शनी, रायपुर, वित्त वर्ष 2022-23	1.51	1.51	-	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)
233831	सिल्क फैब, बैंगलोर वित्त वर्ष 2022-23	2.98	2.98	-	-	-	-	-	-	-
233833	जिला हथकरघा एक्सपो असम, नलबाड़ी और मंगलदोई में वित्त वर्ष 2022-23	3.40	-	-	3.40	-	-	-	-	3.40
233834	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वित्त वर्ष 2022-23	(2.27)	-	-	(2.27)	-	-	-	-	(2.27)
233835	सिल्क फैब, इंदौर। वित्तीय वर्ष 2022-23	7.15	7.15	-	-	2.98	-	2.98	-	-
233837	रेशम का कपड़ा, गुवाहाटी। वित्तीय वर्ष 2022-23	2.65	2.65	-	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)
233838	काशी तमिल समागम (केटीएस), वाराणसी वित्त वर्ष 2022-23	(0.56)	-	-	(0.56)	-	-	-	-	(0.56)
233839	विशेष हथकरघा एक्सपो (एससीओ), जनपथ दिल्ली वित्त वर्ष 2023-24	13.07	25.19	-	(12.12)	2.78	-	2.78	-	(12.12)
233840	भारत का हथकरघा, वित्त वर्ष 2022-23	5.37	5.37	-	0.00	-	-	-	-	0.00
233842	एनएचडीपी के तहत वित्त राज्य मंत्री जयपुर दौरा वित्त वर्ष 2022-23	1.27	-	-	1.27	-	-	-	-	1.27
233843	13वां कृषि विजन शिखर सम्मेलन नागपुर 2022-23	2.07	-	-	2.07	-	-	-	-	2.07
233844	सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम सोमनाथ 2023-24	18.44	18.44	-	(0.00)	-	-	0.20	(0.20)	(0.20)
233845	गृह सजावट के लिए प्रदर्शनी, जनपथ दिल्ली वित्त वर्ष 2022-23	5.60	-	-	5.60	-	-	-	-	5.60
233848	जनपथ, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो	33.32	33.30	-	0.02	-	-	-	-	0.02
233849	मेघालय में हथकरघा कार्यक्रम 2023-24	1.20	-	-	1.20	-	-	-	-	1.20
233850	ऊन फैब दिल्ली 2022-23	8.04	8.04	-	-	-	-	-	-	-
233851	वस्त्र उद्योग के साथ चिंतन शिविर (वस्त्र सम्मेलन) राजकोट 2023-24	1.46	-	-	1.46	-	-	-	-	1.46
233852	डिजाइन संसाधन केंद्र 2021-22	5.49	-	-	5.49	-	-	5.49	(5.49)	-
233853	जागरूकता अभियान, हथकरघा बुनाई का लाइव प्रदर्शन और हथकरघा उत्पाद का प्रदर्शन, गांधी न	(8.60)	-	-	(8.60)	-	-	-	-	(8.60)
233854	मुंबई में साड़ी वॉकथॉन में हथकरघा और हस्तशिल्प का विशेष कार्यक्रम 2023-24	(0.63)	-	-	(0.63)	-	-	2.00	(2.00)	(2.63)
233857	साड़ी महोत्सव- सूरत में साड़ी वॉकथॉन, वितीय वर्ष 2023-24	5.03	-	-	5.03	-	-	-	-	5.03
233859	सिल्क फैब वाराणसी 2022-23	(5.76)	-	-	(5.76)	5.76	-	-	5.76	-
233860	क्रेता विक्रेता बैठक,तमिलनाडु, सलेम 2022-23	1.23	-	-	1.23	-	-	-	-	1.23
233861	क्रेता विक्रेता बैठक,तमिलनाडु, कचीपुरम 2022-23	1.19	-	-	1.19	-	-	-	-	1.19
233862	क्रेता विक्रेता बैठक,मध्य प्रदेश, महेश्वर 2022-23	1.01	-	-	1.01	-	-	-	-	1.01
233863	क्रेता विक्रेता बैठक,छत्तीसगढ़, रायपुर 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233864	क्रेता विक्रेता बैठक,आंध्र प्रदेश, काकीनाडा 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233865	क्रेता विक्रेता बैठक,तेलंगाना, करीमनगर 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233866	क्रेता विक्रेता बैठक,ओडिशा, बरगढ़ 2022-23	0.81	-	-	0.81	-	-	-	-	0.81
233867	क्रेता विक्रेता बैठक,पश्चिम बंगाल, कृष्णानगर 2022-23	0.79	-	-	0.79	-	-	-	-	0.79
233868	क्रेता विक्रेता बैठक, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233869	खरीदार विक्रेता बैठक, हरियाणा, पानीपत 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233870	क्रेता विक्रेता बैठक, कर्नाटक, बैंगलोर 2022-23	0.23	-	-	0.23	-	-	-	-	0.23
233871	क्रेता विक्रेता बैठक,गुजरात, सुरेंदरनगर 2022-23	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	0.75
233872	योजना के प्रसार पर संगोष्ठी 2022-23	6.40	7.18	-	(0.78)	-	-	-	-	(0.78)
233874	क्रेता विक्रेता बैठक,बिहार, भागलपुर 2022-23	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00

i) **अनुदान का विवरण**

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के धन का विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	शेष के अनुसार	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेन देन			कुल	शेष के अनुसार
			सरकार से			व्यय	रिफंड	समायोजन/		
		31.03.2024		प्रतिभागियों/ अन्य से			हस्तांतरण	हस्तांतरण		31.03.2025
233878	9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, वित्त वर्ष 2023-24 (ईएचई 05-08-2023 से 18-08-2023)	0.47	-	-	**0.47**	0.52	-	1.18	**(0.66)**	**(0.19)**
233879	सिल्क फैब सूरत, वित्तीय वर्ष 2023-24	4.64	-	-	**4.64**	-	-	3.33	**(3.33)**	**1.31**
233881	सिल्क फैब अहमदाबाद (28-09-2023 से 11-10-2023), वित्त वर्ष 2023-24	6.72	-	-	**6.72**	-	-	5.18	**(5.18)**	**1.54**
233882	सिल्क फैब भुवनेश्वर (05-09-2023 से 18-09-2023), वित्त वर्ष 2023-24	2.87	-	-	**2.87**	-	-	0.15	**(0.15)**	**2.72**
233884	हथकरघा हाट दिल्ली में विशेष हथकरघा एक्सपो 2023-24 (5.10.2023 से 18.10.2023)	4.59	4.59	-	-	-	-	-	-	-
233885	हथकरघा हाट दिल्ली में ऊन फैब वित्त वर्ष 2023-24 (17.11.2023 से 30.11.2023)	7.99	7.99	-	**0.00**	-	-	-	-	**0.00**
233886	हथकरघा हाट दिल्ली 2023-24 (1.02.2024 से 14.02.2024) पर विशेष हथकरघा एक्सपो	6.65	-	-	**6.65**	-	-	0.75	**(0.75)**	**5.90**
233887	हथकरघा हाट दिल्ली 2023-24 (1.03.2024 से 14.03.2024) में विशेष हथकरघा एक्सपो	9.41	-	-	**9.41**	-	-	-	-	**9.41**
233889	हथकरघा हाट दिल्ली में विशेष हथकरघा एक्सपो वित्त वर्ष 2023-24 (18-09-2023 से 1-10-202	3.42	3.42	-	**(0.00)**	-	-	-	-	**(0.00)**
233890	आरबीएसएम कांडला गुजरात 2022-23 (20-02-2023 से 21-02-2023)	3.62	-	-	**3.62**	-	-	-	-	**3.62**
233891	9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस टीए/डीए-आईटीपीओ, दिल्ली वित्त वर्ष 2023-24	(0.50)	-	-	**(0.50)**	-	-	-	-	**(0.50)**
233892	सिल्क फैब जमशेदपुर (15-09-2023 से 28-09-2023), वित्त वर्ष 2023-24	3.48	-	-	**3.48**	-	-	3.41	**(3.41)**	**0.07**
233895	हथकरघा हाट जनपथ में सिल्क फैब दिल्ली वित्त वर्ष 2023-24 (23.10.2023 से 05.11.2023)	0.31	-	-	**0.31**	-	-	0.03	**(0.03)**	**0.29**
233896	स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2023-24	0.80	-	-	**0.80**	-	-	-	-	**0.80**
233897	सिल्क फैब हैदराबाद वित्त वर्ष 2023-24 (28.12.2023 से 10.01.2024)	7.34	-	-	**7.34**	-	-	-	-	**7.34**
233898	चौथा हथकरघा हस्तशिल्प एक्सपो 2023 (30.09.2023 से 15.10.2023)	-	-	-	-	-	-	0.28	**(0.28)**	**(0.28)**
233900	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वित्त वर्ष 2023-24 (14.11.2023 से 27.11.2023)	0.00	-	-	**0.00**	0.18	-	-	**0.18**	**0.18**
233901	साड़ी वॉकथॉन 2023-24 (29-11-2023 से 10-12-2023)	28.12	-	-	**28.12**	29.62	-	14.87	**14.75**	**42.87**
233902	अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति (आईसीएसी) 2023-24 की 81वीं पूर्ण बैठक (02-12-2023 से 05-	0.97	3.10	-	**(2.13)**	-	-	-	-	**(2.13)**
233903	सिल्क फैब इंदौर 2023-24 (06-12-2023 से 19-12-2023)	3.58	-	-	**3.58**	-	-	0.01	**(0.01)**	**3.57**
233904	सिल्क फैब भोपाल वित्त वर्ष 2023-24 (17-11-2023 से 30-11-2023)	4.61	-	-	**4.61**	0.57	-	2.57	**(2.01)**	**2.61**
233905	26वीं राष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनी 2023-24 (24-08-2023 से 27-08-2023)	(0.08)	-	-	**(0.08)**	-	-	-	-	**(0.08)**
233906	जयपुर एक्सपो, आकर्षक राजस्थान वित्त वर्ष 2023-24 (14-09-2023 से 16-09-2023)	1.34	1.34	-	-	-	-	-	-	-
233908	सिल्क फैब लखनऊ वित्त वर्ष 2023-24 (20/10/2023 से 02/11/2023)	4.20	-	-	**4.20**	-	-	-	-	**4.20**
233909	विरासत-साड़ी महोत्सव (हथकरघा हाट), जनपथ, 2023-24 (15-12-2023 से 28-12-2023)	22.59	28.67	-	**(6.08)**	6.08	-	-	**6.08**	**0.00**
233911	शरद उत्सव -2024 (आत्मनिर्भर भारत उत्सव) 03-01-2024 से 10-01-2024 (वित्त वर्ष 2023-2	3.07	3.07	-	**0.00**	-	-	0.02	**(0.02)**	**(0.02)**
233913	सिल्क फैब जबलपुर वित्त वर्ष 2023-24 (08/01/2024 से 21/01/2024)	4.80	-	-	**4.80**	-	-	-	-	**4.80**
233914	बैंगलोर सिल्क फैब वित्त वर्ष 2023-24 (05/01/2024 से 18/01/2024)	5.92	-	-	**5.92**	-	-	8.53	**(8.53)**	**(2.61)**
233915	वित्त वर्ष 2023-24 (01/10/2023) के लिए विशेष अभियान	0.58	-	-	**0.58**	-	-	-	-	**0.58**
233916	चंडीगढ़ में ऊन फैब वित्त वर्ष 2023-24 (19-01-2024 से 28-01-2024)	19.64	19.64	-	-	3.81	-	4.12	**(0.31)**	**(0.31)**
233917	सिल्क फैब वाराणसी 06-03-2024 से 19-03-2024 (वित्त वर्ष 2023-24)	3.81	-	-	**3.81**	-	-	-	-	**3.81**
233918	सिल्क फैब देहरादून 16-02-2024 से 29-02-2024 (वित्त वर्ष 2023-24)	2.33	-	-	**2.33**	-	-	-	-	**2.33**
233919	सिल्क फैब कोलकाता 25-02-2024 से 09-03-2024 (वित्त वर्ष 2023-24)	7.12	-	-	**7.12**	-	-	-	-	**7.12**
233920	वित्त वर्ष 2023-24 में लखनऊ में ऊन फैब (30-01-2024 से 09-02-2024)	15.65	15.65	-	-	8.74	-	8.47	**0.27**	**0.27**
233921	कोटा, राजस्थान में साड़ी वॉकथॉन, वित्त वर्ष 2023-24 (04-02-2024)	88.70	-	-	**88.70**	58.05	-	89.08	**(31.02)**	**57.67**
233922	सिल्क फैब गुवाहाटी (28-03-2024 से 10-04-2024) वित्त वर्ष 2023-24	(5.73)	-	-	**(5.73)**	26.54	-	19.49	**7.05**	**1.32**
233924	आत्मनिर्भर भारत उत्सव 3.2.2024 से 8.2.2024 कोटा 2023-24	(1.51)	14.45	-	**(15.96)**	27.24	-	11.28	**15.96**	**0.00**
233925	आत्मनिर्भर भारत उत्सव, गोरेगांव मुंबई वित्त वर्ष 2023-24 (14-02-2024 से 19-02-2024)	12.48	-	3.00	**9.48**	58.24	-	1.77	**56.47**	**65.95**
233926	वन भारत साड़ी वॉकथॉन, हैदराबाद वित्त वर्ष 2023-24 (05-03-2024)	12.82	15.00	-	**(2.18)**	18.39	-	16.21	**2.18**	**0.00**
233929	सिल्क फैब प्रदर्शनी, डिब्रूगढ़, वित्त वर्ष 2023-24 (01-03-2024 से 14-03-2024)	(0.48)	-	-	**(0.48)**	6.43	-	-	**6.43**	**5.95**
233930	सिल्क फैब पटना, वित्तीय वर्ष 2023-24 (08-02-2024 से 21-02-2024)	4.16	-	-	**4.16**	-	-	-	-	**4.16**
233933	8 वें एनएचडी-2022 वित्त वर्ष 2022-23 को आयोजित प्रश्नोतरी और सेल्फी प्रतियोगिता	7.00	8.00	-	**(1.00)**	-	-	-	-	**(1.00)**
233934	सिल्क फैब उदयपुर, वित्त वर्ष 2023-24 (30-03-2024 से 12-04-2024)	(2.76)	-	-	**(2.76)**	1.05	-	-	**1.05**	**(1.71)**
233935	विशेष हथकरघा एक्सपो, हथकरघा हाट, जनपथ वित्त वर्ष 2023-24 (31-03-2024 से 05-04-20	(8.32)	-	-	**(8.32)**	6.25	-	(7.09)	**13.34**	**5.02**
233942	27वां बंग संस्कृति उत्सव- 2024 (05-01-2024 से 14-01-2024)	4.09	4.14	-	**(0.05)**	3.97	-	3.97	-	**(0.05)**
233946	विजन गोवा वित्त वर्ष 2023-24 (04-10-2023 से 06-10-2023) में भागीदारी	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	-
233956	समृद्धि महाराष्ट्र वित्त वर्ष 2023-24 (23-08-2023 से 25-08-2023)	1.44	1.44	-	-	-	-	-	-	-
233957	वित्त वर्ष 2023-24 की योजना के प्रसार पर संगोष्ठी	3.08	-	-	**3.08**	-	-	-	-	**3.08**
233958	पार्गटीशील महाराष्ट्र 1.11.2023 से 3.11.2023 वित्त वर्ष 2023-24	1.32	1.32	-	-	-	-	-	-	-
233959	सीएनए प्रबंधन प्रभार	24.00	-	-	**24.00**	-	-	-	-	**24.00**
261010	विविध अनुदान लेखा (प्रदर्शनी)	(11.36)	-	-	**(11.36)**	-	-	(52.70)	**52.70**	**41.34**
261018	जिला हथकरघा एक्सपो इम्फाल 2021-22	6.00	-	-	**6.00**	-	-	-	-	**6.00**
280015	टीएफसी का उद्घाटन समारोह (22.12.16 वाराणसी)	30.96	-	-	**30.96**	-	-	-	-	**30.96**
233932	पूर्वोत्तर वस्त्र महोत्सव, शिलांग 22-03-2024 वित्त वर्ष 2023-24	-	7.73	-	**(7.73)**	7.73	-	-	**7.73**	-
233936	हथकरघा हाट, जनपथ के लिए मरम्मत और रखरखाव व्यय	-	-	-	-	35.26	-	-	**35.26**	**35.26**
233937	वित्त वर्ष 2024-25 में हथकरघा सहायता पर फिल्म	-	8.92	-	**(8.92)**	8.92	-	-	**8.92**	-
233938	वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय हथकरघा पर शिल्प कौशल पर फिल्म	-	17.82	-	**(17.82)**	17.82	-	-	**17.82**	-
233939	वित्त वर्ष 2024-25 के हथकरघा स्टार्ट-अप और उद्यमियों पर फिल्म	-	17.83	-	**(17.83)**	17.83	-	-	**17.83**	-
233940	रंगोली फैशन शो के 8वें संस्करण में वित्त वर्ष 2024-25 (21.6.2024 से 23.06.2024)	-	6.00	-	**(6.00)**	13.68	-	-	**13.68**	**7.68**
233941	शिल्प हथकरघा गांव कुल्लू पर फिल्म वित्त वर्ष 2024-25	-	29.26	-	**(29.26)**	29.26	-	-	**29.26**	-
233944	वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना (योजना कोड 1874) सीएनए	-	571.03	-	**(571.03)**	260.03	-	-	**260.03**	**(311.00)**
233945	मिनी हैंडलूम एक्सपो (डीएचई) नोएडा वित्त वर्ष 2024-25 (25-07-2024 से 29-07-2024 और 06-08-2024 से 10-08-2024)	-	5.77	-	**(5.77)**	11.89	-	-	**11.89**	**6.12**
233947	एसएचई अहमदाबाद वित्त वर्ष 2024-25 (01-09-2024 से 14-09-2024)	-	15.00	-	**(15.00)**	29.19	-	-	**29.19**	**14.19**
233948	एसएचई उदयपुर वित्त वर्ष 2024-25 (15-10-2024 से 28-10-2024)	-	15.00	-	**(15.00)**	24.55	-	-	**24.55**	**9.55**
233949	एसएचई पालमपुर (19.03.2025-01-04.2025) वित्त वर्ष 2024-25	-	15.00	-	**(15.00)**	29.45	-	2.60	**26.85**	**11.85**
233950	एसएचई मैसूर वित्त वर्ष 2024-25 (05-01-2025 से 18-01-2025)	-	15.00	-	**(15.00)**	26.51	-	-	**26.51**	**11.51**
233951	एसएचई गुवाहाटी वित्त वर्ष 2024-25 (25-03-2025 से 07-04-2025)	-	15.00	-	**(15.00)**	9.19	-	-	**9.19**	**(5.81)**
233952	विशेष कार्यक्रम एनसीएचटी जनपथ नई दिल्ली वित्त वर्ष 2024-25 (03-08-2024 से 16-08-2024)	-	22.45	-	**(22.45)**	53.47	-	-	**53.47**	**31.02**
233953	विशेष कार्यक्रम कोच्चि त्रिवेंद्रम वित्त वर्ष 2024-25 (18-08-2024 से 25-08-2024)	-	28.06	-	**(28.06)**	47.25	-	-	**47.25**	**19.19**
233954	विशेष कार्यक्रम एनसीएचटी जनपथ नई दिल्ली वित्त वर्ष 2024-25 (29-09-2024 से 12-10-2024)	-	23.39	-	**(23.39)**	41.32	-	1.00	**40.32**	**16.93**
233955	विशेष कार्यक्रम चंडीगढ़ वित्त वर्ष 2024-25 (06-11-2024 से 13-11-2024)	-	24.29	-	**(24.29)**	41.48	-	-	**41.48**	**17.19**
233960	अनंत समागम कार्यक्रम 26 से 27 अक्टूबर 2024 वित्त वर्ष 2024-25	-	-	-	-	6.79	-	-	**6.79**	**6.79**
233962	27वीं राष्ट्रीय वस्त्र प्रदर्शनी 11 से 14 सितंबर 2024 वित्त वर्ष 2024-25	-	-	-	-	4.12	-	-	**4.12**	**4.12**
233963	43वा आईआईटीएफ प्रगति मैदान, नई दिल्ली 14 से 27 नवबर 2024 वित्त वर्ष 2024-25	-	136.61	-	**(136.61)**	299.98	-	-	**299.98**	**163.37**
233964	स्वतंत्र घरेलू ऊनी एक्सपो का संगठन, भोपाल वित्त वर्ष 2024-25 (21-11-2024 से 30-11-2024)	-	24.00	-	**(24.00)**	23.22	-	-	**23.22**	**(0.78)**
233965	पूर्वोत्तर महोत्सव में शिल्प मेला वित्त वर्ष 2024-25 (15-11-2024 से 17-11-2024)	-	-	-	-	3.29	-	-	**3.29**	**3.29**
233966	वित्त वर्ष 2024-25 के हथकरघा उत्पाद की पता लगाने के संबंध में पायलट परियोजना	-	2.50	-	**(2.50)**	-	-	-	-	**(2.50)**

i) अनुदान का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के धन का विवरण

(रु. लाख में)

क्रम सं.	विवरण	शेष के अनुसार	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेन देन			कुल	शेष के अनुसार
			सरकार से			व्यय	रिफंड	समायोजन/		
		31.03.2024		प्रतिभागियों/ अन्य से			हस्तांतरण	हस्तांतरण		31.03.2025
233967	ईएचई एनसीएचटी जनपथ नई दिल्ली (साड़ी महोत्सव) वित्त वर्ष 2024-25 (15-12-2024 से 28-12-2024)	-	-	-	-	43.27	-	-	43.27	43.27
233968	अनन्य हथकरघा एक्सपो लखनऊ (01.02.2025 से 14.02.2025) वित्त वर्ष 2024-25	-	18.23	-	(18.23)	31.74	-	-	31.74	13.51
233969	अनन्य हथकरघा एक्सपो पटना (08.02.2025 से 21.02.2025) वित्त वर्ष 2024-25	-	20.29	-	(20.29)	28.57	-	-	28.57	8.28
233970	अनन्य हथकरघा एक्सपो सूरत (17.03.2025 से 30.03.2025) वित्त वर्ष 2024-25	-	19.26	-	(19.26)	33.94	-	-	33.94	14.68
233971	वित्तीय वर्ष 2024-25 (14-10-2024 से 27-10-2024) राष्ट्रीय दशहरा मेले में भागीदारी	-	-	-	-	5.61	-	-	5.61	5.61
233972	आईटीपी वित्त वर्ष 2024-25 (14-10-2024 से 24-10-2024) में भागीदारी	-	-	-	-	0.89	-	-	0.89	0.89
233973	चौथी जनवरी गौरव दिवस वित्त वर्ष 2024-25 (17-11-2024 से 26-11-2024)	-	-	-	-	21.98	-	3.93	18.05	18.05
233974	मेगा प्रदर्शनी सशक्त राजस्थान वित्त वर्ष 2024-25 (16-10-2024 से 18-10-2024)	-	-	-	-	1.20	-	-	1.20	1.20
233975	ईएचई एनसीएचटी जनपथ नई दिल्ली (विराट शक्ति) वित्त वर्ष 2024-25 (04-03-2025 से 11-03-2025)	-	-	-	-	26.01	-	-	26.01	26.01
233976	बेस्ट इंडिया महा वर्ल्ड एक्सपो वित्त वर्ष 2024-25 (27-11-2025 से 29-11-2025)	-	-	-	-	3.42	-	-	3.42	3.42
233977	आत्मनिर्भर भारत उत्सव इंदौर (1.12.2024 से 8.12.2024) वित्त वर्ष 2024-25	-	-	-	-	42.79	-	-	42.79	42.79
233978	हथकरघा प्रदर्शनी सह बिक्री सूरत (15.12.24 से 30.12.24) वित्त वर्ष 2024-25	-	-	-	-	2.77	-	-	2.77	2.77
233979	28वां बग संस्कृति उत्सव- 2025 (03-01-2025 से 12-01-2025)	-	-	-	-	4.52	-	-	4.52	4.52
233987	विशेष हथकरघा एक्सपो नोएडा वित्त वर्ष 2025-26 (15-04-2025 से 24-04-2025)	-	-	-	-	2.37	-	-	2.37	2.37
(क)	मार्केटिंग प्रदर्शनी व्यय									
(ख)	अन्य अनुदान	-			-				-	-
										-
	कुल	1,165.01	1,390.00	6.80	(231.79)	1,617.14	-	162.72	1,454.43	1,222.65
	कुल डेबिट (प्राप्य में हस्तांतरण)	1,502.58	1,390.00	6.80	1,234.92	1,617.14	-	222.51	1,517.83	1,880.53
	कुल ऋण (अनुदान खाते में हस्तांतरण)	(337.57)	-	-	(1,466.70)	-	-	(59.79)	(63.40)	(657.88)
		1,165.01	1,390.00	6.80	(231.79)	1,617.14	-	162.72	1,454.43	1,222.65

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के धन का विवरण

(रु. में)

SL. NO.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेन देन			कुल	शेष के अनुसार
			सरकार से	से		व्यय		रिफंड/समायोजन/		
		1.4.2024		प्रतिभागियों/ अन्य				हस्तांतरण		31.03.2025
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7		8	9 (7+8)	10(6+9)
	यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना									
1	15% हैंक यार्न सब्सिडी	2,407.29	13,598.32		(11,191.03)	12,842.09		-	12,842.09	1,651.06
2	वाएसएस बावे (एजीपीएस)	1,085.80	3,528.67		(2,442.87)	4,703.44		-	4,703.44	2,260.57
	कुल	3,493.09	17,126.99	-	(13,633.90)	17,545.53		-	17,545.53	3,911.63

CONTENTS

Vision & Mission	158
Corporate Information	159
Notice for Forty Second Annual General Meeting	160-161
Chairperson's Speech	162-163
Directors' Report	164-173
Annexure to Directors' Report	174-215
Declaration of Code of Conduct	216
Secretarial Auditor's Report	217-222
Independent Auditor's Report & Annexures	223-239
Compliance Certificate	240
Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013	241-242

Annual Accounts

Balance Sheet	243
Statement of Profit & Loss	244
Cash Flow Statement	245
Statement of Change in Equity	246
Notes to Financial Statements	247-273
Grants Related Information	274-277

Vision & Mission

Vision

To be a National Level Agency for Promotion and Development of the Handloom Sector & Sustainable Fabric.

Mission

To be an enabling & facilitating agency for all handloom stakeholders to realize their potential through input supplies, linkage with designers, preservation of heritage through Geographical Indication & market linkages including export markets & promote sustainable fabric.

Corporate Information (As on the date of AGM)

Smt. Beena Mahadevan — **(Chairperson)**
Development Commissioner (Handlooms)
Ministry of Textiles, Govt. of India

Commodore Rajiv Ashok (Retd.) — **(Managing Director)**

Shri Dhirendra Kumar — **(Government Director)**
Director, IFW
Ministry of Textiles, Govt. of India

Shri Dhirender Prakash Jalandhari — **ED - Finanace/CS (Addl. Charge)/CFO**

Statutory Auditors
M/s. M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants

Secretarial Auditors
M/s. H Nitin & Associates
Practicing Company Secretary

Branch Statutory Auditors
M/s Y Thirumala Rao & Co., Bengaluru
M/s Baid & Co, Kolkata
M/s Chatterjee & Chatterjee, Varanasi
M/s Balram & Associates, Panipat
M/s. P R S V & Co LLP, Hyderabad
M/s G.K.P. Associates, Coimbatore
M/S Rajesh Surana & Co., Guwahati

Principal Bankers
Indian Bank
Union Bank of India
Punjab National Bank
IDFC First Bank Limited
Axis Bank
Central Bank of India
Canara Bank
AU Small Finance Bank Limited

Registered Office
A-2-5, Sector-2, Udyog Marg,
Noida, Gautam Buddha Nagar,
Noida- 201301, Uttar Pradesh

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING

Notice (Shorter Notice) is hereby given that the 42nd Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited (NHDC) will be held on **Wednesday, 31st December, 2025 at 5:00 P.M. at the office of Development Commisioner (Handloom), Room No. 56, Udyog Bhawan, New Delhi – 110011** to transact the following business: -

Ordinary Busines

1. To receive, consider, approve and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2025 together with the Report of the Directors, C&AG comments, Statutory Auditor's Report and Secretarial Auditor's Report thereon for the Financial Year 2024-25 and to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

   "RESOLVED THAT the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2025 together with the Report of the Directors, C&AG comments, Statutory Auditor's Report and Secretarial Auditor's Report thereon for the Financial Year ended 31st March, 2025 be and are hereby received, considered and adopted.".

2. To declare dividend for the Financial Year 2024-25.

To consider and, if thought fit, to pass the following resolution, with or without modifications as an **ordinary resolution**:

"RESOLVED THAT based on the recommendations of the Board of Directors, final dividend of Rs. 53.76 Lakhs, i.e. Rs. 2.83 per share of face value of Rs.100/- each be and is hereby declared for payment for the Financial Year 2024-25.

By the order of the Board of Directors

Place :: Noida
Date :: 30th December, 2025

(Commodore Rajiv Ashok (Retd.))
Managing Director
DIN : 09598427

Notes:-

a) A member entitled to attend, and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a member of the Corporation. Proxies, in order to be valid and effective, the signed Proxy Form must be delivered at the registered office of the Corporation not later than forty-eight hours before the commencement of the meeting. Proxy form and attendance slip are annexed hereto.

b) Financial Statements of the Corporation, the Auditors' Report thereon, together with the Board's Report are enclosed.

c) Corporation has earned profit amounting to Rs. 1.79 Crore, dividend of Rs. 53.76 Lakhs is recommended for FY 2024-25 by the Board of Directors.

d) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed / re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. Members, in their general body meeting held on 10.04.2002, authorised the Board of Directors to approve the remuneration of Statutory Auditors in the future.

e) As per the AOA of NHDC, provisions of Companies Act, 2013-exemption u/s 196 (4) & (5) and exemption to Government Companies from certain provisions of Schedule IV of the Companies Act, 2013, appointment of the Directors of the Corporation is done by the Hon'ble President of India.

f) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, the register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Corporation on all working days during business hours and at the time of the AGM of the Corporation at the venue of the Meeting.

CHAIRPERSON SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you to the 42nd Annual General Meeting of the Corporation held for the Financial Year ended 31st March, 2025.

A copy of the Audited Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2025, together with Auditors' Report and comments of C&AG, along with Management's reply thereto, and Board Report and its annexures has already been circulated and with your permission, I take them as 'read'.

Before I proceed to take up the formal agenda of today's meeting; I would like to briefly share with you the present status & performance of your corporation during the year 2024-25.

Past Year Review

The turnover of the corporation during the FY 2024-25 is Rs. 1212.97 crore as compared to Rs 1226.77 crore during FY 2023-24. A profit before extraordinary items and tax amounting to Rs. 4.53 Crore has been recorded for the F.Y. 2024-25 as compared to a profit of Rs. 5.53 crore in the FY 2023-24. Corporation earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 1.79 crore in the FY 2024-25 in comparison to a profit of Rs. 5.47 crore in the FY 2023-24. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 85.20 crore as on 31st March, 2024 to Rs. 85.07 crore as on 31st March, 2025.
The Corporation is the nodal agency for the implementation of the Raw Material Supply Scheme (RMSS) of the Ministry of Textiles, Govt of India. The Corporation is channelizing its resources to align with the Raw Material Supply Scheme (RMSS) and is in the process of generating profits.

The yarn supplies during the year 2024-25 were 326.28 Lakh kg. valuing Rs. 1156.76 Crore which include 323.85 Lakh kg. valuing Rs. 1146.89 Crore under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme as compared to supplies of 341.35 Lakh kg. valuing Rs. 1172.65 Crore which include 339.98 Lakh kg. valuing Rs. 1165.96 Crore during the last financial year 2023-24.

Your Corporation is debt-free Corporation, and the treasury functions and the entire working capital is met out from its internal resources, and there is no burden of interest cost on the Corporation.

Future Scenario

The Corporation is a wholly owned Government Company under the ambit of the Ministry of Textiles. As per the directions of the Ministry, the Corporation is focusing on product developments and possibilities of marketing and promotion.

Further, Corporation is exploring more hand-spun and hand-woven textiles sectors at one end of the spectrum, while the capital-intensive sophisticated mills sector on the other end which will be poised for a future defined by Digital Transformation, Sustainability, and Global Leadership, moving from traditional manufacturing to smart, eco-conscious innovation, automation, and e-commerce to capture booming global demand, boost exports and build a resilient, future-ready enterprise.

Corporate Governance

NHDC's philosophy of Corporate Governance is based on the principles of honesty, integrity, accountability, adequate disclosures, compliances, transparency in decision-making and avoidance of conflicts of interest. The Company gives importance to adopted corporate values and objectives and accountability and continuously ensures ethical and responsible leadership at all levels in discharging social responsibilities as a corporate citizen.

A report on Corporate Governance Practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis Report are placed before you as Annexure to the Director's Report.

Acknowledgement

I, on behalf of the Board, place on record appreciation for the hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results.

I am also thankful for the whole-hearted and continuous support received from the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other Government Departments, C&AG and the Auditor, legal advisors and consultants from time to time.

I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in the corporation.

I look forward to your continued support for the Corporation's growth in the future endeavours also.

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN: 03483417

DIRECTORS' REPORT

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 42nd (Forty-Second) Annual Report on the working of the Corporation together with the Audited Accounts for the Financial Year 2024-25.

FINANCIAL INFORMATION:

(Rs. in Crore)

	2024-25	2023-24
Sales Turnover	1212.97	1226.77
Profit after tax	1.79	5.47
Appropriations:		
· Dividend*	1.64	1.56
· Corporate tax on dividend	–	–
· Reserve for Developmental Activities	–	–
· Transfer to Post-Retirement Medical Corpus	0.50	0.11
· Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	–	–
Free reserve & surplus*	65.37	65.72
Total reserve	66.07	66.20

**Corporation has earned a profit of Rs. 1.79 Crore for the FY 2024-25. The Board of Directors of your company, have decided to transfer Rs. 50.00 Lakh to Post-Retirement Medical Corpus for the year under review. Further, dividend of Rs. 53.76 Lakh has been recommended by the Board of Directors.*

1. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis Report, which forms part of the Annual Report.

2. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

During the Financial Year 2024-25, the Corporation recorded a turnover of Rs. 1212.97 crore during the F.Y. 2024-25 as compared to Rs 1226.77 crore during the F.Y. 2023-24 . A profit before extraordinary items and tax amounting to Rs. 4.53 Crore has been recorded for the F.Y. 2024-25 as compared to a profit of Rs. 5.53 crore in the FY 2023-24. Corporation earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 1.79 crore in the FY 2024-25 in comparison to a profit of Rs. 5.47 crore in the FY 2023-24. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 85.20 crore as on 31st March, 2024 to Rs. 85.07 crore as on 31st March, 2025.

The corporation remains debt free during the FY 2024-25 and managed its entire working capital requirements from its internal resources.

The Government of India is implementing the 'Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f. 25th October, 2021, through our corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been provided based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Upto 31st March, 2025, the number of operational depots is 511 nos. (511 nos. as on 31st March, 2024).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 15% price subsidy on Cotton hank, domestic Silk, Woolen, Linen, Blended yarn of natural fibres to be distributed in the handloom sector under RMSS w.e.f. 25th Oct, 2021. The subsidy shall be available on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 15% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2024-25 were 326.78 Lakh kg. valuing Rs. 1156.76 Crore which include 323.85 Lakh kg. valuing Rs. 1146.89 Crore under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme as compared to supplies of 341.35 Lakh kg. valuing Rs. 1172.65 Crore which include 339.98 Lakh kg. valuing Rs. 1165.96 Crore during the last financial year 2023-24. The yarn supplies under the 15% Price Subsidy Component of Raw Material Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2024-25 were 117.25 Lakh kg. valuing Rs. 856.14 Crore as compared to 132.75 Lakh kg. valuing Rs. 853.99 Crore during the last financial year 2023-24.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2024-25 were 53.71 Lakh kg. valuing Rs. 56.20 Crore as compared to supplies of 45.04 Lakh kg. valuing Rs. 54.12 Crore during the last financial year 2023-24.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2024) during the FY 2024-25 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2024 is 8.84% (Previous year – 9.12%).

Update on Lucknow matter

It has been reported in FY 2018-19, that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in FY 2018-19 and the Corporation had referred the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In this regard, CBI issued a communication as per which, '*prima facie, it appears that there is no financial loss to NHDC incurred on account of cancellation of the questioned sale, except the payment of GST on the cancelled sale done by the supplier mills. In view of the above, it is advised to conduct a thorough vigilance probe in the matter to ascertain the culpability of the concerned officials as well as to conduct the forensic audit, if required in order to ascertain the quantum of unlawful loss caused, if any to the Government Exchequer and dispose of the matter accordingly. However, NHDC may revert back to CBI once culpability of officials is ascertained and the loss is established.*

As per CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were conducted by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter was presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the above-mentioned CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

CBI has sought prior permission u/s 17A of the Prevention of Corruption Act, 1988 & fresh complaint for further enquiry / investigation again the concerned officials, Corporation has replied giving permission along with a fresh complaint to CBI. As per the Board of director, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Based on the Board's advice, an impact Report on Transaction Audit Report also been obtained. Forensic Audit Report, Transaction Audit Report and Impact of the Transaction Audit Report has also submitted to Vigilance Department for the necessary action in coordination with CBI.

3. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 06 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 18 nos.) were organized. 14 nos. 'Exclusive Handloom Expo/Misc. Expos (Previous year – 13 nos.) were also organised. The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 12.33 Crore (Previous year - Rs. 18.97 Crore).

4. COMPUTERISATION:

In alignment with the national vision of Digital India, NHDC has been progressively modernizing its operations through a range of digital initiatives. These include the rollout of an online ERP system, the adoption of an Online Direct Benefit Transfer mechanism for weavers in accordance with Government directives and adoption of eOffice.

By leveraging advanced technologies such as cloud platforms, virtual meetings, and regular capacity-building of staff through the iGOT Mobile App and mobile-based services, NHDC has strengthened its digital outreach and made its services more accessible to the weaver community, ensuring quicker delivery of information and support. The Corporation continues to enhance its IT capabilities by upgrading online infrastructure and expanding internet connectivity across all NHDC offices for seamless and efficient service delivery.

NHDC has implemented online Aadhar Based Biometric Attendance System (BAS)provided by NIC, ensuring secure and accurate attendance management across all offices of NHDC. The system is fully integrated with Aadhaar-based authentication, which enhances transparency, minimizes manual errors, and ensures reliable verification of employees attendance in line with Government guidelines.

5. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as **Annexure A & B** respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2024-25 was submitted to the department of Public Enterprises on 30th September, 2025 (provisional figures) and the Annual Report of the corporation for the year 2023-24 was placed on the website of the corporation www.nhdc.org.in immediately upon adoption by shareholders in Annual General Meeting. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2024-25 have been submitted to Department of Public Enterprises.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2024-25 comes to 90.48% i.e. **'Excellent'.**

6. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

NHDC has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through various training programmes/workshops to the employees in collaboration with leading Institutes.

The Company continued to maintain harmonious industrial relations. Personnel policies and welfare schemes were suitably improved/amended so as to bring them in line with the overall interest of the Corporation.

Further, The Total number of employees of the Corporation as on 31st March, 2025 was 104 (Previous year 110) which includes 14 (13.40%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 06 (5.70%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 26 (25.00%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 02 (1.92%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The turnover per employees is Rs. 11.44 Crore (Previous year Rs. 11.15 crore) and the Profit/(Loss) after Tax (PAT) per employee is Rs. 1.69 Lakhs (previous year Rs. 4.97 Lakhs).

7. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

The Corporation is committed to progressive use of Hindi in its day-to-day functioning. Hindi Divas and Hindi Pakhwada were organized along with regular Hindi workshops to promote the use of Hindi among the employees. Hindi books were also purchased this year and NHDC Limited ensured its participation in Hindi Divas and 4th All India Official Language Conference organized by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs. Inspection of subordinate offices (at least 25%) out of the prescribed targets given in the Annual Programme of the Department of Official Language was successfully completed by NHDC.

8. CHANGE IN REGISTERED OFFICE :

The registered office of the company has been shifted from 4th Floor Wegmans Business Park Tower-1 Plot No.03 Sector Knowledge Park-III, Surajpur-Kasna Main Road, Gautam Buddha Nagar, Greater Noida - 201306, Uttar Pradesh, to A-2-5, Sector-2, Udyog Marg, Noida -201301 Gautam Budhha Nagar, Uttar Pradesh w.e.f. 16th April, 2024 in the Board Meeting held on 23rd March, 2024 and the same was approved by the members in the Extra Ordinary General Meeting held on 23rd March 2024.

9. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Directors

During the F.Y. 2024-25, Corporation had three directors on board, consisting of two nominees of the government of India (including Chairman), one is the Managing Director. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation. Corporation has communicated the requirement of Independent Directors on the Board to the administrative ministry.

During the year under review, following changes took place:

Mrs. Rita Prem Hemrajani, IRPS, has been relinquished the charge of the post of Managing Director of the Corporation (NHDC) w.e.f. 30th November, 2024 on attaining the age of superannuation vide order No. NHDC/HR/MD/Ret./207 dated 30-11-2024.

In compliance to order No. 40/10/2/2017-DCH/NHDC/Part – III dated 2nd December, 2024, Ms. Swayamprava Pani, Additional Development Commissioner (Handloom) has assumed the Additional Charge of Managing Director, National Handloom Development Corporation w.e.f. 2nd December, 2024 (A/N) vide order No. NHDC/HR/MD/00/24-25/211 dated 03/12/2024 who relinquished the Additional Charge of the Post of Managing Director, NHDC, with effect from February, 11 2025(F/N) subsequent to the assumption of Charge by Shri. Rajiv Ashok as Managing Director, NHDC on 11th February, 2025 (A/N) with reference to Department of Personnel & Training (Office of Establishment Officer)'s letter No. 10/02/2024-EO(ACC) dated 22nd January, 2025 and subsequent Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handloom's Order No. 40/10/2/2017-DCH/NHDC/Part – III dated 29th January, 2025 and NHDC/HR/OO/MD/2025/273 dated 11/02/2025.

Further, Shri Dhirender Prakash Jalandhari , an Associate member of the Institute of Company Secretaries of India ('ICSI'), holding Membership No. A 34543 and having an Employee Company Secretaries Identification Number (eCSIN) EA034543F000091831, has been appointed as the Company Secretary of the Corporation w.e.f. 25th February, 2025.

Further, Shri Dhirender Prakash Jalandhari has also been appointed/re designated as the Executive Director (Finance) – NHDC /Chief Financial Officer (CFO) of the Corporation in place of Mr. Jitendra V. Purohit, Chief Financial Officer, DGM (Finance), of the Corporation as per Section 203 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules,2014 w.e.f. 25th February, 2025.

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

Board Meetings

The Board of the corporation met 05 times during the year 2024-25 dated 25th June 2024 (181st BM), 30th September 2024 (182nd BM), 28th November, 2024 (183rd BM), 28th November, 2024 (184th BM), and 25th February,2025 (185th BM), and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

10. AUDIT COMMITTEE:

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

11. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2024-25, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

12. VIGILANCE:

The Central Vigilance Commission adopts several strategies for effective implementation of its mandate to fight corruption. Observance of Vigilance awareness Week remains one of the primary tools of preventive vigilance with the focus on building awareness and re-affirming the commitment of everyone to uphold integrity in public governance. Central Vigilance Commission had decided that Vigilance Awareness Week would be observed from 28th October,2024 to 3rd November, 2024 on the theme of:

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि "

"Culture of Integrity for Nation's Prosperity"

The observance of Vigilance Awareness Week 2024 commenced with taking of the Integrity Pledge in the National Handloom Corporation by the Pledge Taking Ceremony will be held at NHDC Corporate Office on 28-10-2024. All the Officers/Staff of the NHDC Corporate Office assembled in the Hall. The Pledge taking ceremony was held in the presence of MD, NHDC and the CVO.

Similarly, the Pledge Taking Ceremony was also held at the Regional Offices of the Corporation and all the officers and staff at the Regional Offices Took the Pledge.

Banners / posters were also displayed regarding the celebration of Vigilance Awareness Week at prominent location at Head office – NOIDA and Regional Offices (Kolkata, Bengaluru, Varanasi, Panipat, Coimbatore, and Hyderabad). 45 Employees undertook the online Integrity Pledge and obtained the Certificate from CVC's website.

As a prelude to Vigilance Awareness Week-2024, the Commission has desired that all organizations may undertake a three month campaign (16th August 2024 - 15th November 2024) on Preventive Vigilance with focus on following areas:

a. Capacity Building programmes
b. Identification and implementation of Systemic Improvement measures
c. Up-dation of Circulars / Guidelines / Manuals
d. Disposal of complaints received before 30.06.24
e. Dynamic Digital Presence

Accordingly, following Workshops/ Sensitization programmes were organised to commemorate Vigilance Awareness Week.

(i) A talk on 'Ethics and governance & culture integrity for nation's prosperous" was conducted in September 2024 in the Conference Hall. The talk was delivered by Dr. Praveen Kumari Singh, Additional Secretary (Retd.), Central Vigilance Commission, New Delhi.

(ii) A talk on 'Conduct Rules' was conducted by Shri Sunil Kumar, Executive Director/ Esttt., Railway Board in October 2024 in the Conference room of NHDC. The officers of Regional Offices and Branch Offices were also connected through online.

(iii) A talk on 'Procurement' was conducted on- line by Shri Nagesh Kumar Tripathi, IRSS in November 2024. The officers of Regional Offices and Branch Offices were also connected through online.

(iv) A talk on 'Cyber Hygiene and Security' was conducted online by Shri Ullas Kumar, IRPS in November, 2024. The officers of Regional Offices and Branch Offices were also connected through online.

Further, Essay writing competition on the theme of VAW-2024.

"सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि "/ "Culture of Integrity for Nation's Prosperity" was conducted on 29.10.2024. Online slogan writing competition was also conducted which was submitted online through e-mail from 28.10.2024 to 03.11.2024.

The winners of the competitions were awarded Certificates and Cash Prizes during the Closing Ceremony of the Vigilance Awareness Week 2024.

13. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor's is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Statutory Auditor Report is placed as **Annexure C** to this Report. Further, for FY 2024-25, copy of comments received from the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under section 143 (6) of the Companies Act, 2013 is enclosed.

14. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor's u/s 204(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report is placed as **Annexure D** to this Report.

15. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation.

16. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity during the Financial Year.

17. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the bank, with schedule commercial banks. Thus, there is no financial risk.

18.INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of sexual harassment at workplace was reported in the last financial year. A workshop was also organized keeping in view the need to sensitize women personnel about the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and every quarterly meeting was held as per schedule. The company has an Internal Complaints Committee where women employees can lodge their complaints against sexual harassment.

19. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

20. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Your Company remains committed to its core philosophy of nurturing communities and safeguarding the environment. CSR is viewed not merely as a statutory obligation, but as an integral part of responsible corporate conduct.

The Revised draft of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of the Corporation was duly adopted by the Corporation in the 186th Board Meeting held on 24th May, 2025 and available on the website of the Corporation at www.nhdc.org.in.

The members are further informed that the Corporation have organised the **EYE CARE CAMPS** for the Handloom Weavers and the Weaving Community in the area of jurisdiction of its Seven(7) Regional Offices situated at Kolkata, Panipat, Guwahati, Hyderabad, Varanasi, Coimbatore, Bangalore. The total expenditure spent by Ro(s) during 1st January,2025 to 31st March,2025 towards organizing **EYE CARE CAMPS including Free Eye Checkups and advice by Medical Professional and Distribution of Spectacles frames** as Corporate Social Responsibility initiative of the Corporation (NHDC) is **Rs. 4,89,971/-** being more than the approved amount of **Rs. 4,88,464.61/-** (Approved in 185TH Meeting of Board of Directors held on 25th February, 2025.

The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report.

21. NHDC SUSTAINABILITY AND SOCIAL IMPACT REPORT FOR FY 2024-25

The Corporation i.e. National Handloom Development Corporation Limited (NHDC) is proud to publish its first Sustainability and Social Impact Report for FY 2024-25 . This report highlights NHDC's social commitments and sustainability initiatives across operations for the FY 2024-25 which reflects the initiatives for commitment to fostering a more resilient, inclusive, and sustainable handloom ecosystem in India while actively contributing towards achievement of Sustainable Development Goals (SDGs).

A report on Sustainability and Social Impact for FY 24-25 is been enclosed in **Annexure E.**

22. ANNUAL RETURN FOR FY 2024-25 :

In accordance with the provisions of Section 92(3) & Section 134(3)(a), the annual return for FY 2024-25 shall be available on the website of the Corporation i.e. www.nhdc.org.in once adopted in Annual General Meeting.

23. DETAILS OF APPLICATION MADE OR ANY PROCEEDING PENDING UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (31 OF 2016) DURING THE YEAR ALONG WITH THEIR STATUS AS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR

No applications were made during the financial year and no proceedings are pending against the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

24. DETAILS OF THE DIFFERENCE BETWEEN THE AMOUNT OF THE VALUATION DONE AT THE TIME OF ONE-TIME SETTLEMENT AND THE VALUATION DONE WHILE TAKING A LOAN FROM THE BANKS OR FINANCIAL INSTITUTIONS ALONG WITH THE REASONS THEREOF

There were no instances of one-time settlement during the financial year

25. COMPLIANCE OF MATERNITY BENEFIT ACT

The Corporation has complied with maternity Benefit Act and its provisions and rules and regulations thereunder during the financial year under review.

26. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors state that: -

(I) in the preparation of the Annual Accounts of FY 2024-25, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(ii) such accounting policies have been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year ended 31st March, 2025 and of the profit and loss of the company for that period;

(iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis and

(v) proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

27. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

(i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.
(ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
(iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.
(iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.
(v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.
(vi) No material changes/commitments have occurred (except as reported in this annual report) after the end of the financial year 2024-25 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company.
(vii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future.
(viii) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, special care is being taken in its effective implementation.
(ix) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.
(x) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.
(xi) No frauds were reported by the Auditors in their report, except for the irregularities in implementation of YSS in FY 2024-25, status of which has been provided in the state of affairs mentioned above.

(xii) Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013.
(xiii) Corporation has not given any loans or Guarantee.
(xiv) Corporation has not undertaken any Related party Transaction.
(xv) There is no change in going concern status of the corporation.
(xvi) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3)(e) and (p) of the Companies Act, 2013.
(xvii) The Department Public Enterprises vide office Memorandum dated 3rd September, 2025 have excluded the Corporation from the signing of MoUs for year 2025-26 and the same request was taken by NHDC for FY 2024-25 .

28. ACKNOWLEDGMENTS:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their untiring support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit & CSR Committees, Auditors and Bankers, shareholders, legal advisers and consultants, user agencies/other concerned agencies for their cooperation and guidance in the organisation.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family who have ensured the accomplishment of excellent result and achievement by the Company.

For and on behalf of Board of Directors

Date : 31/12/2025
Place : New Delhi

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN : 03483417

Commodore Rajiv Ashok (Retd.)
Managing Director
DIN : 09598427

ANNEXURE A TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

a. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

Corporate Governance is essentially an ethos which guides and directs the management of a Company in handling its affairs in the best interest of all the stakeholders and promotes fairness, transparency and integrity.

NHDC'S philosophy of Corporate Governance is based on the principles of honesty, integrity, accountability, adequate disclosures, compliances, transparency in decision-making and avoidance of conflicts of interest. The Company gives importance to adopted corporate values and objectives and accountability and continuously ensures ethical and responsible leadership at all levels in discharging social responsibilities as a corporate citizen.

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages endeavors to transcend much beyond the basic requirements of Corporate Governance, focusing consistently towards value addition for all its stakeholders.

b. BOARD OF DIRECTORS:

The Company is managed by the Board of Directors, which formulates strategies and policies, oversees their implementation and also reviews Company's performance periodically. The number of Directors on the Board at the end of the Financial Year was 5 (Five). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation. Corporation has requested the Administrative Ministry to appoint independent Directors on the Board.

Constitution of Board of Directors and the related information during the Financial Year 2024-25, is as follows:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance In last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2025
Government Director(s):			
a) Smt. (Dr.) Beena Mahadevan, Chairperson- NHDC / Development Commissioner for Handlooms DIN : 03483417 (From 11.10.2023 till date)	5/5	Yes	Nil
b) Shri Dhirendra Kumar, Director (IFW) DIN : 10291337 (From 16.06.2023-till date)	5/5	Yes	1
Managing Director:			
c) Ms. Swayamprava Pani DIN: 11026107 (From 02.12.2024 – 11.02.2025)	0/5	No	Nil
d) Commodore Rajiv Ashok (Retd.) DIN : 09598427 (From 11.02.2025 – till date)	1/5	No	1
e) Ms. Rita Prem Hemrajani DIN : 09478824 (From 18.01.2022 – 30.11.2024)	4/5	Yes	Nil

The Board of NHDC meets regularly at least once in every three months. The Board of the corporation met 05 times during the year 2024-25 as per the following details:

S.No.	Meeting Number	Date of Board Meeting
1.	181	25.06.2024
2.	182	30.09.2024
3.	183	28.11.2024
4.	184	28.11.2024
5.	185	25.02.2025

The meetings of the Board are conducted as per a structured agenda and members of the Board have complete access to all information of the Company and are also free to recommend inclusion of any subject matter in the agenda for discussion.

c. CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS:

Mrs. Rita Prem Hemrajani, IRPS, has been relinquished the charge of the post of Managing Director of the Corporation (NHDC) w.e.f. 30th November, 2024 on attaining the age of superannuation vide order No. NHDC/HR/MD/Ret./207 dated 30-11-2024.

In compliance to order No. 40/10/2/2017-DCH/NHDC/Part – III dated 2nd December, 2024, Ms. Swayamprava Pani, Additional Development Commissioner (Handloom) has assumed the Additional Charge of Managing Director, National Handloom Development Corporation w.e.f. 2nd Decemeber, 2024 (A/N) vide order No. NHDC/HR/MD/00/24-25/211 dated 03/12/2024 who relinquished the Additional Charge of the Post of Managing Director, NHDC, with effect from February, 11 2025(F/N) subsequent to the assumption of Charge by Shri. Rajiv Ashok as Managing Director, NHDC on 11th February, 2025 (A/N) with reference to Department of Personnel & Training (Office of Establishment Officer)'s letter No. 10/02/2024-EO(ACC) dated 22nd January, 2025 and subsequent Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handloom's Order No. 40/10/2/2017-DCH/NHDC/Part – III dated 29th January, 2025 and NHDC/HR/OO/MD/2025/273 dated 11/02/2025.

Brief resume of Directors on the Board (as on March, 31, 2025):

Being a Government Company, all the Directors on the Board viz. Functional Directors and Government Nominee Directors are selected and appointed by the Government as per a well laid down process for each category of Directors. The core skills, expertise and competence required for the Board to function effectively, in the context of the Company's business, forms an integral part of the Government's process for selection of Directors.

The profile of the Directors of NHDC are as below:

I) Dr. Beena Mahadevan (51 Years) IAS assumed the charge as Chairperson, National Handloom Development Corporation Limited on 11.10.2023. A native of Trivandrum, Dr. Beena is a medical doctor by qualification and got into Indian Administrative Services from Kerala Cadre in the year 1999. She has served in various capacities in the State including Assistant Collector, Sub Collector, Director of various Departments. She has also served as District Collector of Thrissur and Ernakulam.

She has served as Chairperson, Cochin Port trust prior to joining NHDC. She has work as Managing Director, KSIDC and CEO, Smart City Trivandrum. She was also the Managing Director to the Roads & Bridges Development Corporation, Vyttila Mobility Hub, Kerala Books & Publications Ltd and SUPPLYCO. During her service period of 25 years, she had multifaceted experience in various sectors like port management, Infrastructure development, Transportation, Industrial Development, Airport cargo handling, financial services etc. Under leadership of Dr M Beena IAS, KSIDC achieved highest recorded profit in the year 2015-16.

II.) Commodore Rajiv Ashok (Retd.) (56 Years) is a second-generation military officer who retired from the Indian Navy after 31 years of distinguished service. During his naval career, he qualified as a Combat Diver and Skydiving Instructor (with two LIMCA Book records), and held numerous command, operational, staff, and training assignments. His primary command assignments at sea included commanding INS Chamak, INS Taragiri, INS Ranvijay, and INS Ranvir. He transitioned from active military service in July 2022 as Managing Director of a CPSE, North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC), at Guwahati, Assam. At NERAMAC, the Corporation from FY 2022-23, recorded profits for the first time in a decade. His most significant contribution was to explore new avenues of business and create multiple venues to reach the agriculture community while developing new streams of revenue for the Corporation. Some significant activities include, revival of two sick processing units and establishment of two new ones, work in both GI certification (30+ new products taken up) and Authorised User enrolment (close to 4000 for 13 GI produce), over 14,000 candidates were imparted skill training in Agri, Food Processing and Rubber sectors.

Commodore Rajiv Ashok (Retd.) joined as Managing Director of the Corporation w.e.f. **11th February, 2025**.

III.) Shri Dhirendra Kumar (59 years) Shri Dhirendra Kumar has joined as Government Director on the Board of NHDC w.e.f. 16th June, 2023. Presently working as Director (IFW) in Ministry of Textiles since March 2023. He is holding degree of BSc., M.A History & M.B.A in Finance. He has joined service of Government of India in 1991.He has been associated in Ministry of Environment and Forest, Ministry of Finance and Food and Public Distribution. He has successfully handled various assignments such as- International Cooperation and UNDP etc.

d. AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act, 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs were noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010.

The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Dhirendra Kumar Director	Chairman	4/5
Commodore Rajiv Ashok (Retd.) Managing Director	Member	1/5

During the Financial Year, Ms. Rita Prem Hemrajani ceased to be a member of the Audit Committee and Commodore Rajiv Ashok (Retd.) appointed as a Member of the Audit Committee.

The Audit Committee met 5 times during the year 2024-25 as per the following details:-

S.No.	Meeting Number	Date of Audit Committee Meeting
1.	81	25.06.2024
2.	82	30.09.2024
3.	83	28.11.2024
4.	84	28.11.2024
5.	85	25.02.2025

e. REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

The corporation has earned a profit of Rs. 1.79 Crore, hence it can manage to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Also, the number of employees in the corporation is also small (i.e., 104 as on 31st March, 2025).

In view of above, Number of employees in the Corporation is small, accordingly, no need has been felt by the Corporation to have a Remuneration Committee and the matter relating to remuneration of senior management and other employees, if any, are placed directly to the Board of Directors and no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

However, the Corporation have requested to the Administrative Ministry for filling the vacancy of Independent Directors to have a composition of Nomination and Remuneration Committee in the Corporation.

f. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) COMMITTEE:

The Corporation remains committed to its core philosophy of nurturing communities and safeguarding the environment. CSR is viewed not merely as a statutory obligation, but as an integral part of responsible corporate conduct.

The Revised draft of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of the Corporation was duly adopted by the Corporation in the 186th Board Meeting held on 24th May, 2025 and available on the website of the Corporation at www.nhdc.org.in.

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time.

The Corporation have organised the **EYE CARE CAMPS** for the Handloom Weavers and the Weaving Community in the area of jurisdiction of its Seven(7) Regional Offices situated at Kolkata, Panipat, Guwahati, Hyderabad, Varanasi, Coimbatore, Bangalore. The total expenditure spent by Ro(s) during 1st January,2025 to 31st March,2025 towards organizing **EYE CARE CAMPS including Free Eye Checkups and advice by Medical Professional and Distribution of Spectacles frames** as Corporate Social Responsibility initiative of the Corporation (NHDC) is **Rs. 4,89,971/-** being more than the approved amount of **Rs. 4,88,464.61/-**

A report on the Company's CSR activities as per the provisions of the Act, along with CSR highlights for the year is attached as **Annexure - I** to this Report.

The composition of Revised CSR Committee are as follows:

Name/ Category	Position in CSR Committee
Commodore Rajiv Ashok (Retd.) Managing Director, NHDC	Chairperson
Shri Dhirendra Kumar Govt Nominee Director	Member

g. NHDC SUSTAINABILITY AND SOCIAL IMPACT REPORT FOR FY 2024-25

The Corporation i.e. National Handloom Development Corporation Limited (NHDC) is proud to publish its first Sustainability and Social Impact Report for FY 2024-25 . This report highlights NHDC's social commitments and sustainability initiatives across operations for the FY 2024-25 which reflects the initiatives for commitment to fostering a more resilient, inclusive, and sustainable handloom ecosystem in India while actively contributing towards achievement of Sustainable Development Goals (SDGs).

A report on Sustainability and Social Impact for FY 2024-25 has been annexed with the Directors' Report.

h. GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meeting (AGMs) were held as under:

AGM	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2023-24	28th November, 2024 12:00 pm	Physical Meeting Udyog Bhawan, New Delhi
2022-23	22nd December, 2023 05.45 pm	Through Video Conferencing (VC) Mode
2021-22	12th December, 2022 03.30 pm	Udyog Bhawan, New Delhi

I. DISCLOSURES:

(i) Details of remuneration paid to the Functional Director: Salary of Rs. 44.55 Lakhs and other benefit Rs. 12.68 Lakhs was paid to Smt. Rita Prem Hemrajani during the F.Y. 2024-25. Salary of Rs. 9.51 Lakhs and other benefit Rs. 2.17 Lakhs was paid to Commodore Rajiv Ashok (Retd.) during the F.Y. 2024-25. Your Company being a government company, the provisions of Section 197 of the Act read with Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 are not applicable to the Corporation(NHDC).

Apart from Functional Directors, who receive directors' remuneration, no other Directors of the Board have any material pecuniary relationships or commercial transactions with the Corporation, its promoters or its subsidiary, in which the Directors have personal interest that may have a potential conflict with the interest of the Corporation.

(ii) During the year, there was no related party transaction.

(iii) During the year, no penalty/fine has been imposed by any authority.

(iv) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board and also placed on the website www.nhdc. org.in of the corporation.

(v) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.

(vi) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.

(vii) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.

(viii) Overhead expenses comprising of Personnel, Administrative and Trade Expenses have decreased by Rs. 73.48 Lakhs . Further, the Financial Expenses are nil, since corporation is a debt free corporation.

(ix) The registered office of the corporation has been shifted from 4th Floor Wegmans Business Park Tower-1 Plot No.03 Sector Knowledge Park-III, Surajpur-Kasna Main Road, Gautam Buddha Nagar, Greater Noida - 201306 Uttar Pradesh to A-2-5, Sector-2, Udyog Marg, Noida - 201301 Gautam Budhha Nagar, Uttar Pradesh w.e.f. 16th April, 2024 in the Board Meeting held on 23rd March, 2024 and the same was approved by the members in the Extra Ordinary General Meeting held on 23rd March, 2024.

(x) The Department Public Enterprises vide office Memorandum dated 3rd September, 2025 have excluded the Corporation from the signing of MoUs for year 2025-26.

(xi) A Risk Management Framework continued to be in place to add further objectivity to the process of risk assessment while considering trade proposals. The Risk Management Framework measures the risk involved in a business proposal in the form of a total risk score which is weighed vis-à-vis available risk mitigation measures.

(xii) The total Audit fee paid to the Statutory Auditors of the Company M/s. M.B. Gupta & Co., Chartered Accountants, who got appointed by Comptroller and Auditor General of India vide its letter dated 21.09.2024 was Rs. 3,00,000/- plus applicable taxes for the period ended 31.03.2025.

j. GUIDELINES ON CORPORATE GOVERNANCE BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISE (DPE GUIDELINES)

The Company is complying with all the requirements of the DPE Guidelines on Corporate Governance CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful.

k. COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

S.No.	Name	Period
1.	Shri Dhirender Prakash Jalandhari	25.02.2025 – till date

l. EQUITY SHARES HELD BY DIRECTORS

Dr. Beena Mahadeven (Chairperson NHDC) hold 3 equity shares in the Corporation. Further Shri Dhirendra Kumar, (Director- NHDC) and Commodore Rajiv Ashok (Retd.) Managing Director holds 1 equity shares each in the Corporation.

m. MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual Report containing inter-alia, Audited Annual Accounts, Directors' Report, Management Discussion and Analysis (MD&A) Report, Auditors' Report, Corporate Governance Report are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

News Release: The official news releases are displayed on the Corporation's website www.nhdc.org.in time to time .

n. AUDIT QUALIFICATIONS:

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2024-25 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report.

o. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The Directors of NHDC are nominated on training programmes organized by DPE from time to time.

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

p. WHISTLE BLOWER POLICY:

The Corporation has a Whistle Blower Policy approved by the Board. It is available on the Corporation's website (www.nhdc.org.in).

q. CODE OF CONDUCT:

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

r. COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly and timely within the prescribed time period for the same. The certificate obtained **(Annexure - II)** from H. Nitin & Associates, Company Secretaries, regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi
Date: 31/12/2025

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN : 03483417

Commodore Rajiv Ashok (Retd.)
Managing Director
DIN : 09598427

Annexure - I

Annual Report on Corporate Social Responsibility (CSR) for FY 2024-25

1. **A brief outline of the Company's CSR policy**

Your Company remains committed to its core philosophy of nurturing communities and safeguarding the environment at its best level. CSR is viewed not merely as a statutory obligation, but as an integral part of responsible corporate conduct. The Revised draft of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy of the Corporation was duly adopted by the Corporation in the 186th Board Meeting held on 24th May, 2025 and available on the website of the Corporation at www.nhdc.org.in. The overview of projects or programmes undertaken during the year under review, is provided in the table at item 7(e) below.

2. **The Composition of the CSR Committee**

Name/ Category	Position in CSR Committee
Commodore Rajiv Ashok (Retd.) Managing Director, NHDC	Chairperson
Shri Dhirendra Kumar Govt Nominee Director	Member

3. The web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company – www.nhdc.org.in.

4. The details of Impact assessment of CSR projects along with web-link(s) carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 – **Not Applicable**

5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any – **Not Applicable**

6. **Average net profit of the company for last three financial years (as per Section 198): Rs.2,44,23,230/-**

(a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5) – **Rs. 4,88,464/-**

(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years – **Nil**

(c) Amount required to be set off for the financial year – **Nil**

(d) Total CSR obligation for the financial year (6a+6b-6c) - **Rs. 4,88,464/-**

7. **Details of CSR spent during the financial year**

(a) Amount spent on Administrative Overheads: Nil
(b) Amount spent on Impact Assessment, if applicable: Not Applicable
(c) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6)		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5)		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
Rs. 4,89,971/-	-	-	-	-	-

(d) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Sl. No.	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act	Local area (Yes/No).	Location of the project.		Project duration	Amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent in the current financial Year (in Rs.)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Registration number
Not Applicable												

(e) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
Sl. No.	Name of the Project/ activity identified	Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	Local area (Yes / No).	Location of the project		Amount spent for the project (In Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/No)	Mode of Implementation - Through implementing agency	
				State	District			Name.	CSR registration number
1.	EYE CARE CAMPS including Free Eye Checkups and advice by Medical Professional and Distribution of Spectacles Frames	Health and Nutrition Clause (i) of Schedule VII promoting health care including preventive health care	No	Hyderabad Varanasi Bangalore Kolkata Coimbatore Panipat Guwahati	Krishna Janjgir Champa Chitradurga Kolkata Villupuram Panipat Morigaon	4,89,971	Yes Direct	NA	NA
	Total					4,89,971			

(f) Excess amount for set-off , if any :

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs.)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	-
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	-
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	-
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	-

(g) Total amount spent for the Financial Year (7a+7b+7c+7d+7e-7f): **Rs. 4,89,971/-**

(h) Total amount to be spent for the financial year: **Rs. 4,88,464**/-

8. Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:

Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs.)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs)	Date of transfer	
1	2023-24	NIL					
2	2022-23	NIL					
3	2021-22	NIL					

9. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year **(asset-wise details) – No capital Asset was created/Acquired in the books of account of the Company during 2024-25 through CSR Spent.**

(a) Date of creation or acquisition of the capital asset(s). - Not Applicable

(b) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset - - Not Applicable

(c) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc- - Not Applicable

(d) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).- Not Applicable

10. **Reasons for not spending 2 (two) percent (%) of the average net profit of the last three financial years or any part thereof: Not Applicable**

11. **The responsibility statement of the Corporate Social Responsibility Committee of the Board of Directors of the Corporation is given below:**

The implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility (CSR) Policy is in compliance with CSR objectives and policy of the Corporation.

For and on behalf of Board of Directors

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN : 03483417

Commodore Rajiv Ashok (Retd.)
Managing Director
DIN : 09598427

Date: 31/12/2025
Place : New Delhi

CSR ACTIVITIES DURING THE FINACIAL YEAR 2024-25
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)










EYE CAMP
under CSR Activity
Organized by
National Handloom Development Corporation Ltd.
(A Govt. of India Undertaking)
Date: 27-03-2025
Place: Sri Devala Maharshi Handloom Weavers Co.op Ltd,
Kappaladoddi , Krishna (Dt) , Andhra Pradesh - 521 366.
Regional office: 4th Floor, Chenetha Bhavan
Nampally, Hyderabad, Telangana - 500001.
COMMUNITY SERVICE


EYE CAMP
under CSR Activity

Annexure - II

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: A-2-5, Sector-2, Udyog Marg,
Gautam Buddha Nagar, Noida,
Uttar Pradesh- 201301

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited (CIN : U17299UP1983GOI005974) (NHDC)**(hereinafter referred as "Corporation")for the year ended **31st March, 2025** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as "Guidelines").

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned guidelines except as under:

1) *Provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee, due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy provisions for the period from 16th January 2023 to 31st March, 2025. The Management has informed that the Company being a wholly-owned Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director (NOD) on the Board of the Corporation.*

2) *Provisions regarding compliance of Section 203(4) of the Companies Act 2013 relating to non-filling of casual vacancy of appointment of Whole Time Key Managerial Personnel (Company Secretary) for the period from 25th January 2023 to 24th February, 2025.*

We further report that:

1) With reference to our Corporate Governance Certificate of previous year and the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) and Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March, 2022, against them respectively.

Further, Mr. S.S Dhakarwal, ex Dy. General Manager (HR) has been suspended vide suspension order No. NHDC/MD/2020/3174 dtd.28.02.2020 for suppression of CBI letter and submission of wrong information to the Ministry of Textile in reply to a Parliament Assurance. Charge Sheet was issued on 20.10.2020. Inquiry Officer resigned after holding six hearings. The new Inquiry Officer also resigned without holding any hearing. A fresh Inquiry Officer was appointed in November, 2024 for holding inquiry and he has submitted his Inquiry Report dated 20.05.2025 to MD (Disciplinary Authority).

Further, after considering his doubtful integrity and irresponsible behavior, Mr. S.S Dhakarwalex Dy. General Manager (HR) was not found fit to continue in service. Accordingly, Board of Directors decided to compulsorily retire him from the Corporation (under FR 56j). Orders to this effect were issued on 07.04.2022.

2) Further as informed by the management to us, The Transaction Audit has been Completed. The same shall be placed before the Board of Directors for their further instructions and directions.

3) The Corporation has not entered the Memorandum of Understanding (MOU) with the Administrative Ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 for the Financial Year 2024-25.

Further, the Corporation have requested for the Memorandum of Understanding (MOU) with the Administrative Ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 for the Financial Year 2025-26.

The Administrative Ministry vide office Memorandum dated 15th July, 2025 have further recommended to Department of Public Enterprises (DPE) the request for the Memorandum of Understanding (MOU) for the Financial Year 2025-26with the Administrative Ministry for their necessary actions.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For H. Nitin & Associates
Company Secretaries

CS Nitin Ghanshyam Hotchandani
Practicing Company Secretary
M.No: F9632, COP: 11673
UDIN: F009632G001156305
Place: Jaipur
Date: 03/09/2025

ANNEXURE B TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities and constitutes an integral part of the rural and semi- rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 35 Lakh weavers and allied workers. On August 07, 2019, 4th Handloom Census report was released by the Ministry of Textiles, involving 31 States and Union Territories which have the practice of art of Handloom weaving. For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes -

A. National Handloom Development Programme

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26. The scheme will follow need-based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme will support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes etc.

Components of NHDP –

- **a.** Cluster Development Programme (CDP) (earlier known as Block Level cluster)
- **b.** Handloom Marketing Assistance
- **c.** Need based Special Infrastructure Projects
- **d.** Mega Handloom Cluster [earlier known as Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS)]
- **e.** Concessional Credit / Weaver MUDRA Scheme
- **f.** Handloom Weavers' Welfare {earlier known as Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (HWCWS)}
- **g.** Miscellaneous Components
- **h.** Any other component

B. Raw Material Supply Scheme

Government of India has revised the guidelines for raw material supply to Handloom sector namely Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f. 25th October 2021, for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26. This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with power loom and mill sector, 15% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn, linen yarn and blended yarn of natural fibre is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 8 Regional Offices, and 26 Branch Offices. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so

as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities depending upon the requirements.

Recently, Corporation has opened Outreach, Transformation & Projects Division, which will serve as a strategic vertical to connect, innovate, and empower India's handloom ecosystem. It integrates stakeholder engagement, technological advancement and developmental initiatives to create a resilient and future-ready handloom sector. The division will focus on building robust forward and backward linkages by engaging with weavers, designers, institutions and other stakeholders. Through information sharing, consultancy services, and brand-building efforts, it will strengthen community participation and enhances the visibility of handloom products nationally and globally.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

There is a large scope to expand and diversify the business by reaching the untapped handloom sector consuming the hank yarn production. NHDC aspires to become a one stop solution for all handloom sector related development and industry related requirements of handloom weaver. In this regard the efforts are being made to optimize the existing resources and operational efficiency by restructuring the existing NHDC framework. The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has 95.37% of the total turnover of the corporation during the year 2024-25. The percentage share of the dyes and chemicals is 4.63% during the year 2024-25.

The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

Sr No	Segment/ Product	2024-25		2023-24	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1	Yarn Supply	1156.76	95.37%	1172.65	95.59%
2	Dyes & Chemicals Supply	56.20	4.63%	54.12	4.41%
		1212.97	**100.00%**	**1226.77**	**100.00%**

6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2024-25, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation during the FY 2024-25 is Rs. 1212.97 crore as compared to Rs 1226.77 crore during FY 2023-24. A profit before extraordinary items and tax amounting to Rs. 4.53 Crore has been recorded for the F.Y. 2024-25 as compared to a profit of Rs. 5.53 crore in the FY 2023-24. Corporation earned a net profit after tax (PAT) of Rs. 1.79 crore in the FY 2024-25 in comparison to a profit of Rs. 5.47 crore in the FY 2023-24. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 85.20 crore as on 31st March, 2024 to Rs. 85.07 crore as on 31st March, 2025.

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid-up capital of Rs.19 crore divided into 19.00 Lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2024-25. Corporation has earned a profit of Rs. 1.79 Crore for the FY 2024-25. The Board of Directors of your company, has decided to transfer Rs. 50 Lakh to Post-retirement Medical Corpus for the year under review. Further, dividend of Rs. 53.76 Lakh (30% of PAT) has been recommended by the Board of Directors.

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

The Total number of employees of the Corporation as on 31st March, 2025 was 104 (Previous year 110) which includes 14 (13.40%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 06 (5.70%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 26 (25.00%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 02 (1.92%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The Company continued to maintain harmonious industrial relations during the year under review.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named "Policy on Corporate Social Responsibility" has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th May, 2025.

The Composition of the CSR Committee and other related information are provided in the Report of Corporate Governance, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual Report.

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of Board of Directors

Commodore Rajiv Ashok(Retd.)
Managing Director
DIN: 09598427

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN:03483417

Date: 31/12/2025
Place: New Delhi

ANNEXURE C TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2024-25

S. No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1 (a)	NHDC having 7 Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which office of the Development Commissioner Handloom, Ministry of Textile, Government of India, provide 10% Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 Lakhs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 Lakhs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. As per the directions of the Board, Transaction audit was also initiated and a report of which dated 31.10.24 was presented to the Board. The Board had directed for Impact assessment report from the Transaction auditor and which was issued on dated 15.04.2025 which is under Board consideration. Till our audit report, no entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report and Transaction audit report including Impact assessment report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 Lakhs on the aforementioned sales and purchases each being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)) as well as Creditors (Refer Note No. 5 (ii))).	During the 1st Quarter of 2018-19, the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empaneled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Based on Board's advice, an impact Report on the Transaction Audit Report has also been obtained. Forensic Audit Report, Transaction Audit Report and Impact Report on the Transaction Audit has also been submitted to Vigilance Department for the necessary action in coordination with CBI. The documents connected with the ongoing CBI matter have been collected, discussions have been initiated with CBI and the respective documents will be submitted shortly. Further action will be taken as per directions received.
1 (b)	Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 Lakhs on account of sales of Rs 21579.00 Lakhs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2157.93 Lakhs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2157.93 Lakhs from receivables	NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (YSS) (erstwhile scheme). As per the provisions of the YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. As per the erstwhile scheme, the user agencies pay 90% of transaction value and rest of 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC and

	due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 Lakhs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India. The aforesaid figures do not match with the recent Transaction audit report dated 31.10.24. Since, the Board has not directed yet for the necessary adjustments hence the figures in our audit report has not been given impact. In view of this, we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 Lakhs disbursed.	NHDC releases 100% of transaction value to the Supplier Mills. For this case, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills, amount of 10% subsidy of Rs.21.58 crore (i.e.10% of Rs. 215.79 crore for the sales of March, 2018) adjusted in their book of accounts by debiting the suppliers considering the fact the Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy to the NHDC. The transaction from 01.04.2018 to 30.06.2018 has been referred to investigating agencies. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empaneled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Based on Board's advice, an impact Report on the Transaction Audit Report also been obtained. Forensic Audit Report, Transaction Audit Report and Impact Report on the Transaction Audit has also submitted to Vigilance Department for the necessary action in coordination with CBI. The documents connected with the ongoing CBI matter have been collected, discussions have been initiated with CBI and the respective documents will be submitted shortly. Further action will be taken as per directions received.
1 (c)	The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24,566.31 Lakhs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19,422.00 Lakhs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 24,566.31 Lakhs and profit is more by 24,566.31 Lakhs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)). The aforesaid figure has been revised from Rs. 24572.49 Lakhs to Rs. 24566.31 Lakhs (including subsidy receivable of Rs. 1934.59 Lakhs pertaining to 01.04.2018 to 31.05.2018) as per the recent Transaction Audit report dated 31.10.24 provided by the company.	During the 1st Quarter of 2018-19, the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. As per instructions of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies

		and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empaneled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Based on Board's advice, an impact Report on the Transaction Audit Report also been obtained. Forensic Audit Report, Transaction Audit Report and Impact Report on the Transaction Audit has also submitted to Vigilance Department for the necessary action in coordination with CBI. The documents connected with the ongoing CBI matter have been collected, discussions have been initiated with CBI and the respective documents will be submitted shortly. Further action will be taken as per directions received.
1 (d)	Trade Payables includes Rs. 25265.92 lakhs and Current liabilities includes Subsidy, Transportation and depot payable amounting to Rs 1229.74 lakhs outstanding for more than 3 years relating to Lucknow branch. The aforementioned values are not written off due to which the creditors are higher by 25265.92 lakhs and profit is less by 25265.92 lakhs. These transactions are under forensic and vigilance investigation, which have been referred to CBI. Further the aforesaid figure of trade payable has been revised from Rs 25405.91 lakhs to Rs 25265.92 lakhs and the aforesaid figure of subsidy, transportation and depot payable has been revised from 1233.61 lakhs to 1229.74 lakhs as per the recent transaction Audit report dated 31.10.2024 provided by the company.	Please refer reply to Point 1 (c) above.
1 (e)	The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 Lakhs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19 to various suppliers. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. However, as per the transaction audit report dated 31-10-2024, the aforementioned figure has been revised from Rs. 660.62 Lakhs to Rs. 663.87 Lakhs and out of this double payment of Rs. 663.87 lakhs, Rs. 350.17 lakhs were refunded to the corporation while Rs. 313.70 lakhs are still pending for recovery. Hence, we are unable to comment on its recoverability.	i) The above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. Transaction Auditor is going to mention the same in their report also. (ii) A police complaint has also been made in this regard. (iii) Matter has been taken up with the Bank and continuous follow ups have been made. (iv) As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empaneled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Based on Board's advice, an impact Report on the

		Transaction Audit Report also been obtained. Forensic Audit Report, Transaction Audit Report and Impact Report on the Transaction Audit has also submitted to Vigilance Department for the necessary action in coordination with CBI. The documents connected with the ongoing CBI matter have been collected, discussions have been initiated with CBI and the respective documents will be submitted shortly. Further action will be taken as per directions received.
2	(a) As stated in Note No. "6(A)", Rs. 2,952.60 Lakhs is standing to the credit of corpus fund (Marketing Complex) as on 31.03.2025. The Corporation had, during the financial years 2017–18 and 2018–19, accounted for interest on fixed deposits of Corpus Fund (Marketing Complex) amounting to Rs 122.00 lakhs and Rs 120.00 lakhs respectively as income of the Corporation instead of crediting the same to the Corpus Fund. Based on the opinion obtained from the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the said interest has been credited to the said Corpus fund during the current year by debiting the same to the Statement of Profit and Loss as an Exceptional Item. (b) As stated in Note No. "6(B)", Rs 1,817.61 Lakhs is standing to the credit of corpus fund (Mega Cluster) as on 31.03.2025. The Corporation had, during the financial years upto 2016-17, financial year 2017–18 and 2018–19, accounted for interest on fixed deposits of Corpus Fund (Mega Cluster) amounting to Rs. 321.75 lakhs, Rs. 61.75 Lakhs and Rs. 57.00 lakhs respectively as income of the Corporation instead of crediting the same to the Corpus Fund. Based on the opinion obtained from the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the said interest has been credited to the said Corpus fund during the current year by debiting the same to the Statement of Profit and Loss as an Exceptional Item. It is observed that, no attributable interest on the aforementioned amount (Point a & b) has been credited to the Corpus Fund in the respective years. Hence, we are not able to comment its effect on the profitability in absence of Fixed Deposits of this attributable interest amount.	(a) Corrective action with respect to interest amounting to Rs. 241.79 Lakhs not credited to Marketing Complex Corpus for the financial year 2017-18 and 2018-19 has been taken based on the Expert Advisory Committee (EAC) Opinion issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) by debiting the corresponding amount to the Statement of Profit and Loss under "Exceptional Items" as a prior period item. The accounting treatment has been duly approved by the Board of Directors to ensure compliance with applicable Accounting Standards and to present a true and fair view of the financial statements. (b) Corrective action with respect to interest not credited to Mega Cluster Corpus amounting to Rs. 440.50 Lakhs has been taken based on the EAC Opinion issued by the ICAI by debiting the corresponding amount to the Statement of Profit and Loss under "Exceptional Items" as a prior period item. The accounting treatment has been duly approved by the Board of Directors to ensure compliance with applicable Accounting Standards and to present a true and fair view of the financial statements. Interest was credited back to the Corpus Fund for the respective years as per CAG observation and based on EAC Opinion of ICAI. Both of these did not mention specifically about the attributable interest on aforesaid mentioned amount. Therefore, the effect of attributable Interest has not been taken into consideration.
3	NHDC being the nodal / implementing agency developed and set up the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi. The shops in the said marketing complex were allotted to the NHDC and NHDC further re-allotted the shops to beneficiary agencies (The allottees) as per the directions of the Ministry of Textile. As explained, the entire expenditure incurred on the shops are required to be reimbursed by the allottees and if there is no recovery from allottees then the Ministry of Textile is required to reimburse the said expenditure. In this regard, we have following observation:	The Govt. Of India (GOI) floated a scheme in the year 1996 which aimed to provide marketing assistance by setting up Marketing Complexes with a view to create permanent marketing outlets of handloom weavers/agencies in major cities and towns. NHDC was appointed as the only nodal agency for implementing the above, by the office of Development Commissioner for Handlooms (DCHL). HUDCO had developed the marketing complex at Bhikaji Cama Place and had taken over the land from Land and Development Authority (L&DO).

	(a) NHDC being the nodal / implementation agency, has made payment of maintenance charges amounting to Rs. 53.00 Lakhs to the HUDCO during the F. Y. 2024-25 and has made aggregate payment of Rs. 97.63 Lakhs towards property tax, ground rent and maintenance charges from 1-4-2025 to till the date of audit report. All these payments were made out of the receipts from the shops allottees. Interest amounting Rs. 104.77 Lakhs demanded against these dues have not been paid to SDMC and HUDCO. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops. (b) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 335.00 Lakhs for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.	The Complex could not be transferred/sublet to the 23 agencies/allottees/NHDC due to legal issue of delay in signing of agreement between HUDCO and L&DO. Over the period of time, NHDC has sent various communications to HUDCO to transfer the shops directly to allottees but no redressal was provided. Due to unforeseen circumstances and Covid 19 pandemic, the issues related to marketing complexes were pending. A meeting was held on 05-04-2022 with officials of HUDCO and IHC for payment of dues. It has been clearly stated in the meeting that only after receipt of ground rent/maintenance charges/property tax from occupants of marketing complex, the dues shall be paid to HUDCO/IHC/SDMC. Letters were issued to all occupants of marketing complex to clear their dues immediately. Only after receipt of dues, the shops shall be registered. NHDC has requested to O/o Development Commissioner (Handlooms) that NHDC may kindly be relieved as implementing agency and Office of DC (Handlooms) take over the same for further needful action. It was decided to issue letters to all the beneficiary agencies for recovery of pending dues. Pursuant to that, some agencies have made the payment and some are willing to make the payment soon. NHDC has also constituted a committee for the above project to assess and recover all outstanding dues, including electricity charges, maintenance charges, ground rent, property tax, etc., along with applicable interest, from the shop-occupying agencies. Personal visits and regular follow-ups are being undertaken to ensure speedy recovery of dues. During the current year, the recovery process has been significantly accelerated, resulting in the collection of a substantial amount from the shop-occupying agencies, which has been released towards HUDCO dues and property tax. NHDC is only the nodal agency for implementation of the DC (Handlooms), Ministry of Textiles (MoT), Government of India schemes. Accordingly, any interest and other charges paid by the shop-occupying agencies have been released to HUDCO. As NHDC functions solely as a nodal agency, no liabilities accrue to the accounts of NHDC in this regard. Necessary action is being taken by NHDC accordingly.
4	The Company has dues outstanding for more than one year to certain suppliers registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act). In accordance with the provisions of the said Act, the Company is required to recognize interest	The Company's operations involve supply of yarn on a **back-to-back basis**, wherein procurement from suppliers is directly linked to confirmed customer orders, and payments to suppliers are operationally

	payable on delayed payments to such suppliers. However, no provision for such interest liability has been made in the books of account, nor has the same been disclosed in the financial statements. Consequently, the liabilities and expenses of the Company are understated and the profit for the year is overstated to the extent of such unascertained interest amount.	aligned with receipt of payments from customers. Delays in settlement, if any, are primarily attributable to corresponding delays in realization from customers and are an inherent feature of the back-to-back trading model. Further, no claims for interest have been raised by the MSME suppliers during the year, and management is not aware of any crystallized liability towards interest under the MSMED Act as at the reporting date. Accordingly, no provision for interest has been recognized in the books of account.
5	The Company has a Deceased Employee Pension Scheme issued through inter office letter (Reference Number: Work and Administration/13/216 dated 23rd August, 2013), under which monthly contributions are recovered from employees, and the employer is required to contribute an amount equivalent to twice the employees' contribution. As per the provisions of the said scheme, a separate corpus was required to be created for making payments to the dependents of deceased employees, and the amounts so collected were to be parked under this corpus and the funds are to be invested in suitable instruments through an Investment committee to be constituted by the Managing Director for this purpose. However, the Company has not created the required corpus fund nor constituted the said investment committee. Consequently, the interest income which should have been earned on such corpus has also not been credited to the scheme account. The contributions received under the scheme are being shown under current liabilities in the financial statements, and any compensation paid under the scheme is debited through this liability. Accordingly, the Company has not complied with the provisions of the scheme framed.	The contributions collected under the Deceased Employee Pension Scheme are presently being accounted for under current liabilities, and payments to the dependents of deceased employees are being made through this liability. The matter requires a comprehensive review of the scheme provisions, including the structure of the corpus, investment mechanism, and governance framework. Accordingly, a detailed evaluation would be undertaken during FY 2025–26, including constitution of the investment committee and creation of the required corpus fund, as deemed appropriate. Consequential accounting treatment, including recognition of interest income, if any, will be considered based on the outcome of such review and in compliance with applicable accounting standards and internal approvals.
6	The corporation has EPF Trust i.e. NHDC Employees CPF Trust which has accumulated losses of Rs. 237.53 Lakhs as at 31-03-2024 as per Audited Financial Statements and observed that interest income on PNB perpetual bonds has not been recognized for the financial year 2023-24. We have not been provided audited financial statements for the F. Y. 2024-25. In the absence of the Audited Financial statements of the F. Y. 2024-25, we are unable to comment on Profit / Loss of the ECPF Trust for the relevant financial year. The EPF trust is showing a refund of TDS amounting to Rs. 7.97 Lakhs as on 31.03.24. In the absence of filing of Income tax return, its recoverability is not sure. Further the said ECPF Trust has investment of Rs. 240.00 Lakhs and accrued interest Rs. 38.65 Lakhs in bonds issued by Reliance Capital Ltd as on 31.03.24. The ECPF Trust has received amount Rs. 61.00 Lakhs against these bonds as final payment during F. Y. 2024-	During FY 2024-25, NHDC recouped Rs. 237.53 Lakhs towards the shortfall in ECPF Trust reserves up to 31.03.2024. This was a crystallised and quantifiable liability, appropriately recognised in the Statement of Profit and Loss of ECPF Trust for FY 2023-24. The accounts of the PF Trust for FY 2024-25 are not yet finalised, and the exact shortfall, if any, is not determined since the loss is not yet formally quantified and crystallised. The Income Tax return would be filed soon and TDS refund would be claimed. The loss related to investments in Reliance Capital Ltd bonds is under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). As on 31 March 2025, no formal document or communication has been received from Reliance Capital Ltd, and the final recovery is still subject to CIRP proceedings. Hence, Rs. 217.65 lakhs represents a potential liability

	25. Consequently, NHDC / ECPF Trust has suffered a loss of Rs. 217.65 Lakhs on such investment. We have been told that the impact of the same will be taken on finalization of financial statements for FY24-25.	dependent on the final outcome of the CIRP and PF Trust accounts for FY 2024-25. Recognizing this amount as an expense at this stage would be premature and could misrepresent NHDC's financial position. NHDC will account for this loss once the liability crystallises and the PF Trust accounts for FY 2024-25 are finalised, ensuring prudence and accurate financial reporting.
7	The Hyderabad regional office did not make provision for doubtful advances of Rs. 20.86 lakhs outstanding for more than 1 year and without any movement in the account during the year under review and remained unconfirmed.	The matter requires a detailed analysis, including reconciliation of balances, verification of supporting documents, and assessment of recoverability. Accordingly, a detailed analysis will be carried out during FY 2025–26 and creation of provision would be considered, if required, based on the outcome of such analysis.
8	As per Secretarial Audit Report following provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. is pending as on 31.03.2025: i. Whereas in term of the provisions of Section 149 (4) & 149 (5) of the Companies Act,2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. The Company has only two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022. Also Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has resigned w.e.f. 11th November 2022. The Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier, but has not filled till 31st March 2025, hence the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2025. ii In term of the provisions of Section 177 (1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. As Mr. Anil Kumar Sood has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms. Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2025. iii Whereas in term of the provisions of Section 203 (4) of the Companies Act 2013 read with the applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was	The reply to this point has been given under Annexure D to the Directors Report – Reply on the Observations of the Secretarial Auditors for the FY 2024-25.

	required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms. Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f. 25th July 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January 2023 but has t filled the post on 25-02-2025. hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January 2023 to 24-02-2025. iv Whereas in term of the provisions of Section 134 (3) of the Companies Act 2013, the Company was required to have a Risk Management Policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and Board is complete on appointment of Independent Directors.	

ANNEXURE D TO DIRECTORS' REPORT

REPLY ON THE OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS FY 2024–25

S. NO.	OBSERVATION OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
1	Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. Company has two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier but the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period from 16th January 2023 to till date.	Company had two Independent Directors on the Board till 17th October 2022. One Non-Official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has completed his tenure on 17th October 2022. While Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has also resigned w.e.f. 11th November 2022. The Corporation is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Hon'ble President of India. The Company had been constantly requesting to the administrative Ministry for appointing Independent Directors on the Board in compliance of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013.
2	In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee/ Nomination and Remuneration Committee of the Board with the majority of Independent Directors and the committee should be chaired by Independent Director along with that minimum of two Independent Directors attend the meeting of the Audit Committee. As Mr. Anil Kumar Sood, has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period from16th January 2023 to till date.	Company had optimum number of Independent Directors on the Board till 17th October 2022 and accordingly Audit Committee of the Board was constituted with the sufficient number of Independent Directors and in compliance of provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014. The Company had been constantly requesting to the administrative Ministry for appointing Independent Directors on the Board, Once the independent directors are appointed Audit Committee shall be reconstituted.
3	Whereas in term of the provisions of Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, Mr. Dhirender Prakash Jalandhari, has been appointed as Company Secretary of the Corporation w,e.f. 25th February, 2025 hence the Company has not complied with the provisions as per Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel)	Ms. Anjali had resigned from the post of CS w.e.f. 25.07.2022. To fill up the vacant position an advertisement for the post of Company Secretary was issued on 17/09/2022 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/22/2 dated 17/09/2022. Based on the applications received, interview for the post was conducted on 30.01.2023, the Selection Committee found one suitable candidate for the post. Offer letter was issued to him, however, the candidate did not join NHDC. Further, advertisement for the post of Company Secretary was again issued on 15/04/2023 vide

	Rules, 2014 during the period from 25th January 2023 to 24th February, 2025.	Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/23/3 dated 15/04/2023 Based on the applications received, an interview for the post was conducted. Considering the performance in the interview, the Selection Committee found one suitable candidate for the post and also kept three more candidates on waitlist. An Offer letter was issued but she did not join. Thereafter, offer letters were issued to all three waitlisted candidates one by one, but no one joined NHDC After that, the advertisement for the post of Company Secretary was again issued on 10/08/2024 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/RE/2024/3 dated 10/08/2024 and the same got cancelled. Subsequently, an advertisement for the post of Company Secretary was issued on 15.03.2025 vide Vacancy Circular No. NHDC/HR/DR/2025/1 dated 15.03.2025; however, no candidate was found suitable/selected.
4	Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and when Board is complete on appointment of Independent Directors.	A draft risk management policy was placed before the Board in its 177th Board Meeting held on 16.06.2023 and later in 178th Board meeting held on 15.09.2023. The Board considered the risk management policy and accorded its provisional approval subject to ratification again as and when Board is complete on appointment of independent Directors.
5	In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous years, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) &Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.	Board of Directors had directed vide resolution passed by circulation on 15th June, 2022 to conduct transaction audit of Lucknow branch office from 1st April 2017 onwards so as to find out the true and actual outstanding from/to the societies/user agencies and suppliers for the related period. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Further, as per the direction of the Board, an impact assessment report has been prepared by the transaction auditor and is pending consideration by the Board.

Annexure E TO DIRECTORS' REPORT

NHDC SUSTAINABILITY AND SOCIAL IMPACT REPORT FOR FY 2024-25

Message from The Chairperson

The National Handloom Development Corporation Ltd. (NHDC) is proud to present ourfirst **Sustainability and Social Impact Report 2024–25**, which is our voluntary initiative and reflects our commitment to fostering a more resilient, inclusive, and sustainable handloom ecosystem in India.

In an era of dynamic socio-economic change and growing environmental challenges, we recognize that sustainability and social equity are not merely compliance priorities but essential pillars for the future of our industry. With our efforts firmly aligned to the national vision of *Viksit Bharat@2047* and India's commitment to achieve *net-zero emissions by 2070*, NHDC is dedicated to driving transformative change that contributes meaningfully to the country's sustainable development, climate action, and inclusive growth objectives.

Through our initiatives, we focus on enabling socio-economic empowerment, environmental stewardship, and digital inclusion ensuring that our weaver communities are equipped to thrive in a rapidly evolving market. By providing access to quality raw materials, expanding digital capabilities, and facilitating market linkages, we are laying the groundwork for sustainable livelihoods while actively contributing towards achievement of **Sustainable Development Goals (SDGs)** and climate action roadmap.

As custodians of India's rich handloom heritage, we believe that our responsibility extends beyond economic value creation, to nurturing environmental responsibility, preserving traditional skills, and empowering communities. In doing so, we reaffirm our role as a key partner in shaping a future where India's handloom sector not only thrives domestically but also stands as a beacon of sustainability, craftsmanship, and social progress on the global stage.

As we continue this journey, we are excited to collaborate with our stakeholders, partners, and weaver communities to unlock new pathways for impact, innovation, and inclusive growth. Together, we are weaving not only fabric but a future defined by growth, sustainability, and opportunity for all.

Smt. Beena Mahadevan
Chairperson

National Handloom Development Corporation Ltd.

Weaving a Greener Future: NHDC's Role in Sustainable Handloom Growth

NHDC's path to sustainability, guided by its ESG Mission and Vision, is firmly aligned with the national goals and is reflected through our initiatives to support weavers, adopt eco-friendly practices, and drive long-term growth while preserving traditions and promoting responsible resource management.

NHDC's ESG Vision & Mission

Our ESG vision is to emerge as a beacon of sustainable handloom excellence, combining cultural heritage with climate-positive practices; fostering equity, transparency, and innovation to leave a lasting impact on communities, resources, and governance.

Our ESG mission is anchored on five pillars:

- **Environmental Responsibility** – Minimizing the environmental footprint of operations by improving energy and water efficiency, driving responsible waste management, and promoting eco-conscious practices across the handloom value chain.
- **Social Impact & Inclusion** – Fostering inclusive growth through safe, fair, and equitable resource access, and community welfare support.
- **Governance & Transparency** – Upholding the highest standards of ethics, accountability, and stakeholder engagement through robust ESG reporting and continuous improvement.
- **Sustainable Innovation** – Supporting sustainable techniques that blend traditional craftsmanship with forward-looking solutions.
- **Awareness & Advocacy** – Promoting sustainability through community programs, outreach campaigns, and partnerships that extend NHDC's positive impact beyond its value chain.

National Handloom Development Corporation Ltd. (NHDC) has played a pivotal role in shaping a resilient, competitive, and sustainable future for India's handloom sector. As a Public Sector Undertaking under the Ministry of Textiles, NHDC acts as a critical enabler, bridging the gap between government policies, raw material suppliers, and lakhs of weavers across the country.

Our Approach to Sustainability

In alignment with our vision for a resilient and vibrant handloom ecosystem, NHDC has adopted an integrated approach that considers economic, environmental, and social dimensions. We are committed to promoting sustainable development and generating long-term value for weaver's communities, stakeholders and the environment. Our belief in inclusive and responsible growth guides us to embed sustainability into every facet of our operations. From supporting eco-friendly raw material use to enabling livelihood opportunities for marginalized communities, we are working to build a more equitable and sustainable future.

We remain focused on reducing our environmental impact, enhancing the well-being of weaver communities, and fostering stakeholder trust through transparency and ethical practices. Our commitment includes embracing digital transformation, promoting resource efficiency, and supporting climate-conscious production methods.

At the heart of our mission is the belief that every initiative must contribute to the sustainability of the sector - economically, socially, and environmentally. By ensuring the timely and affordable supply of quality yarn, dyes, and chemicals through the Government of India's Raw Material Supply Scheme, and by establishing a robust network of depots and warehouses. NHDC not only reduces input costs and logistical challenges but also minimizes the carbon footprint associated with long-distance transportation, making our supply chain more resource-efficient and environmentally responsible.

We actively facilitate market linkages through platforms such as Silk Fab, Wool Fab, and the National Handloom Expo, enabling weavers to secure fair and consistent income. This economic stability discourages rural-to-urban migration, supports local economies, and preserves traditional weaving clusters, thereby ensuring that cultural heritage thrives alongside modern market demands.

Our India Handloom Brand (IHB) reinforces sustainable consumption by promoting products that are durable, eco-friendly, and ethically produced, encouraging buyers to choose quality over quantity, and thereby reducing textile waste.

Recognizing the role of technology in driving sustainable operations, NHDC has introduced digital tools such as ERP systems and the *e-Dhaga* mobile app to streamline processes, reduce paper usage, and enhance transparency in the supply chain. These digital platforms ensure transparent procurement, real-time access to stock and order status, and streamlined transactions, enabling efficient resource allocation, minimizing wastage, and allowing weavers, particularly women and rural weavers, to access raw materials and opportunities without geographical or bureaucratic barriers.

NHDC's efforts are not only about weaving fabric, they are about weaving a sustainable future where economic growth, environmental stewardship, and social inclusion are seamlessly interlinked. Looking ahead, NHDC will continue to deepen its sustainability efforts across operations, supply chains, and outreach programs. By aligning with national goals and global sustainability frameworks, we strive to become a key enabler of inclusive growth, environmental stewardship, and cultural preservation in India's handloom sector.

Aligning with the United Nations Sustainable Development Goals (UNSDGs) – Creating Long Term Value

Pillar	NHDC's Relevance	Key Contributions	Relevant SDGs
Environmental	• Promotes natural fibre usage (cotton, silk, wool, jute, linen, rayon) and sustainable dyeing practices to reduce environmental degradation. • Facilitates access to eco-friendly inputs (organic yarns, natural dyes) to minimize the sector's carbon footprint.	• Encouragement of renewable material use. • Water conservation in dye processes. • Waste management by fabric upcycling. • Minimization of carbon emissions via decentralized production.	**SDG 6 -** Clean Water and Sanitation **SDG 12 -** Responsible Consumption and Production **SDG 13 -** Climate Action **SDG 15 -** Life on Land
Social	• Strengthens handloom communities by fostering rural employment, supporting women weavers, promoting inclusivity, and safeguarding weaver's livelihoods. • Enhances socio-economic resilience via support to weavers, cooperative societies, and Apex bodies.	• Capacity building, skill development, and empowerment of women & marginalized groups. • Creation of inclusive markets and fair-trade opportunities. • Strengthening community resilience via sustainable employment models. • Enhancing cultural heritage and social cohesion.	**SDG 1** – No Poverty **SDG 4** – Quality Education **SDG 5** – Gender Equality **SDG 8** – Decent Work & Economic Growth **SDG 10** – Reduced Inequalities
Governance	• Commits to transparent, ethical, and accountable operations in line with national & international governance frameworks. • Coordinates with Government agencies for compliance & policy alignment.	• Ethical procurement & transparent distribution of yarn/dyes. • Strong compliance with regulatory, financial, & operational standards. • Whistle-blower protection & grievance redressal for stakeholder trust.	**SDG 16** – Peace, Justice and Strong Institutions **SDG 17** – Partnerships for the Goals

Stakeholder Engagement and Materiality Assessment

The material assessment for the NHDC was undertaken for the FY 2024-25, with the objective of identifying the most relevant Environmental, Social, and Governance (ESG) issues impacting NHDC's operations and stakeholder ecosystem. This assessment aims to guide NHDC in advancing its sustainability agenda, aligning with national priorities, and creating long-term value for its stakeholders, including weavers, employees, government bodies, and supply chain partners. The assessment is part of NHDC's commitment to integrate ESG considerations into its strategic decision-making and operational planning.

First, as part of ESG capacity building, a dedicated training session was conducted with key stakeholders followed by detailed discussion. The in-person session engaged department heads, senior officials, functional teams and employees from Head Office, as well as the virtual session engaged all the officials from the Regional Offices. The objective was to assess ESG issues along two key dimensions: Operational Impact (risks and strategic importance) and Stakeholder Concern (regulatory attention, investor interest, and public scrutiny). Insights were gathered through interactive discussions, scenario-based exercises, and real-time feedback.

Based on the insights gathered through in-person stakeholder engagement, a detailed evaluation was carried out to assess the relevance and prioritization of key ESG issues for NHDC. This dialogue-driven approach enabled the identification of material topics that are most aligned with NHDC's institutional mission, operational realities, and long-term vision for sustainable growth. The following were identified as the most prioritized and material ESG issues for the NHDC:



ESG Integration into Strategy

The process is iterative and closely monitored by NHDC's leadership. Stakeholder inputs are analyzed and systematically integrated into our policies, schemes, and operational strategies. Issues requiring high-level action are escalated to the Board for strategic direction.

ESG Material Issues	Relevance to NHDC and Stakeholders	Linked SDGs
Energy efficiency & carbon footprint reduction	Reduces environmental impact through efficient processes and eco-friendly production.	SDG 7, SDG 12, SDG 13
Sustainable waste & water management	Encourages responsible resource use, reduces pollution, and supports circular economy practices.	SDG 6, SDG 12
Access to affordable raw materials	Ensures affordability, continuity of weaving activities, and resilience of the handloom sector.	SDG 1, SDG 12
Expansion of markets & fair-trade opportunities	Provides weavers with wider access to domestic and global markets, ensuring fair value.	SDG 8, SDG 10, SDG 12
Rural livelihood enhancement & community resilience	Strengthens economic security, reduces migration, and sustains traditional handloom ecosystems.	SDG 1, SDG 8
Women empowerment & gender inclusivity	Promotes participation of women weavers, fostering equality and socio-economic progress.	SDG 5, SDG 10
Skill development & upskilling for weavers	Enhances productivity, innovation, and long-term employability in the sector.	SDG 4, SDG 8
Weaver occupational safety & well-being	Improves workplace conditions, ensures health, and builds trust among weaver communities.	SDG 3, SDG 8

By embedding stakeholder perspectives into decision-making, NHDC not only strengthens trust and transparency but also ensures its mission is aligned with inclusive growth, cultural preservation, and sustainability goals.



ESG Training Session for NHDC Employees (In-person for Head Office, Virtual for Regional Offices)

NHDC's Sustainability Performance and Initiatives

NHDC is committed to reducing emissions, optimizing resource consumption, and adopting sustainable practices. With FY 2024–25 as the baseline year, our focus is to drive continuous improvement, embrace innovation, and strengthen our journey towards a greener, resilient future.

Fuel Consumption and Emission Reduction

In **FY 2024–25**, NHDC recorded fuel consumption at its Headquarters, using both petrol and diesel for operational mobility. The total fuel usage during the year resulted in 18.9 tonnes of CO_2 emissions. This data forms NHDC's baseline year for tracking transportation and mobility-related emissions.

Recognizing the impact of fossil fuels on the environment, NHDC is taking a proactive approach to reduce its fuel-based carbon footprint through the following initiatives:

- Transition to Cleaner Mobility: Exploring the introduction of electric and hybrid vehicles for official transport and gradually phasing out high-emission vehicles.
- Fuel Efficiency Measures: Promoting pooling, shared mobility, and route optimization to minimize fuel consumption per trip.
- Awareness & Training: Encouraging employees to adopt eco-driving practices and fuel-saving behaviors.
- Targeted Reductions: Setting annual goals to lower CO_2 emissions from fuel consumption, beginning with FY 2025–26 as the first year of improvement.

Electricity Consumption and Emission Reduction (Baseline Year: FY 2024–25)

During FY **2024–25**, NHDC's total carbon emissions due to use of electricity across its **Head Office and Regional Offices** resulted in approximately 101.9 tonnes of CO_2 emissions. Electricity use is a critical operational footprint, and FY 2024–25 serves as our baseline year for tracking performance and planning reductions. NHDC is committed to reduce its carbon footprint and is taking proactive steps like:

- Implementing energy-efficient systems in lighting, cooling, and IT infrastructure.
- Exploring renewable energy adoption wherever possible.
- Encouraging employees to practice energy-conscious behavior to reduce wastage.

Waste Management and Digital Transformation

Considering the operations at NHDC, the majority of waste generated during FY 2024–25 was paper waste. NHDC recognizes the need to significantly reduce its paper usage in office work, for both environmental and efficiency reasons. To address this, NHDC has taken proactive steps by:

- Increasing adoption of digital platforms for preparation, circulation, and approval of official documents.
- Ensuring that documents are shared on common digital threads, which not only reduces paper usage but also provides a clear audit trail and improves transparency.
- Encouraging employees to transition to digital-first practices, thereby reducing the environmental footprint of administrative processes.

NHDC's Net-Zero Roadmap

In alignment with India's national commitment to achieve net-zero emissions by 2070, NHDC has adopted a structured and phased roadmap to progressively reduce its carbon footprint while strengthening resilience across the handloom ecosystem. FY 2024–25 serves as the baseline year, providing emission and resource consumption benchmarks for long-term reduction targets. Through this roadmap, NHDC is not only supporting India's climate action pathway but also enabling the handloom sector to transition towards a future that is sustainable, inclusive, and climate-resilient — weaving progress for both people and the planet.

NHDC's Net-Zero Commitments -

Short Term (2025-2035)

Operational Sustainability
- Conduct baseline Greenhouse Gas emissions inventory
- Replace existing office appliances with energy-efficient (5-star rated) alternatives
- Shift to 100% LED lighting in all offices
- Install smart meters in head offices and regional offices

Sustainable Mobility
- Promote public transport, carpooling, and virtual meetings
- Track and offset official travel emissions via carbon credits
- Offset business travel/logistics emissions through tree plantation drives

Waste & Cooling Emissions
- Regular AC servicing to reduce refrigerant leaks
- Implement efficient waste segregation at all offices
- Adopting technology for transition to paperless offices

Long Term (2035-2050)

Clean Energy Integration
- Explore rooftop solar installations at all office premises
- Procurement of green energy (wind, solar, hydro etc.)

Sustainable Procurement
- Develop sustainability criteria for yarn transport vendors
- Partner with fuel-efficient logistics providers

Digital Tracking & Reporting
- Setting up robust ESG frameworks and emissions reporting systems
- Implement digital emissions tracking tools

Community-Based Offsetting
- Launch afforestation projects in weaver regions
- Support solar/biogas setups in handloom clusters

With these commitments, NHDC aims to achieve Carbon Neutrality by 2050

Sustainability Governance

At the National Handloom Development Corporation Ltd. (NHDC), the Board of Directors plays a pivotal role in guiding and overseeing the corporation's sustainability and social impact strategy, ensuring that our growth remains inclusive, responsible, and aligned with national priorities. The Board acknowledges that sustainability is not a standalone initiative but a critical pillar of NHDC's long-term vision to empower India's handloom sector and its weaver communities.

All major Environmental, Social, and Governance (ESG) decisions are directly overseen by the Board of Directors and the Managing Director, reflecting the organization's integrated and top-down approach to sustainable development. As sustainability continues to influence strategic direction, the Board reviews and endorses initiatives related to supply chain transparency, green procurement, inclusive development, and digital enablement. The Board also monitors NHDC's alignment with national and international initiatives such as *Digital India*, *Atmanirbhar Bharat*, and the *UN Sustainable Development Goals*. By embedding sustainability within the highest levels of decision-making, NHDC ensures a robust governance framework that balances commercial success with its responsibility to weavers, communities, and the environment.

NHDC has a clearly defined governance structure where the Board of Directors, along with key committees such as the Audit Committee, CSR Committee, and Risk Management Committee, ensure continuous oversight of ethical compliance, risk mitigation, and responsible business practices.

The Corporate Social Responsibility (CSR) Committee, chaired by NHDC's Managing Director, plays an active role in conceptualizing and implementing NHDC's key community initiatives. The Managing Director, in this dual capacity, ensures that social impact efforts especially those aimed at weaver welfare, skill development, and rural empowerment are closely aligned with NHDC's operational goals and budgetary priorities.

Furthermore, NHDC has a dedicated Risk Management Committee, At the Head Office, the committee is represented by the General Manager (Chief Risk Officer), Deputy General Manager – Finance & Accounts (Member), and Deputy General Manager – Commercial (Member) and at the Regional Offices, the committee comprises the Regional In-charge (CRO), Commercial Head (Member), and F&A Head (Member). It includes a systematic and thorough risk management process designed to identify, assess, prioritize, and mitigate the risks that could negatively impact the achievement of NHDC's strategic and operational objectives. This process follows a structured two-tier reporting and escalation mechanism that ensures effective oversight and action at all levels. The Risk Assessment Committee, through the Chief Risk Officer (CRO), conducts a review of all key risks along with their proposed mitigation strategies and submits its findings to the Audit Committee for scrutiny and validation. The Board, as the apex decision-making body, is responsible for the final oversight of the risk management framework, ensuring that all critical risks are appropriately addressed and aligned with NHDC's long-term strategic goals. This structured risk management system not only fosters organizational resilience but also reinforces accountability and preparedness across all levels of NHDC.

Business Integrity – NHDC

At the National Handloom Development Corporation Ltd. (NHDC), we are committed to upholding the highest standards of ethics, transparency, and accountability across all aspects of our operations. As a government-owned enterprise under the Ministry of Textiles, NHDC's mission to support and empower the handloom sector is firmly rooted in a culture of integrity, inclusiveness, and public trust.

All employees, officers, and directors of NHDC are expected to act in accordance with our Code of Conduct, organizational policies, and applicable laws and regulations. These guiding principles foster ethical decision-making, safeguard the corporation's reputation, and ensure that our services are delivered with fairness and impartiality to every stakeholder be it a weaver, vendor, partner, or government body. Whistleblower policy is in place to ensure the highest standards of integrity and ethics.

As NHDC continues to expand its impact across India's handloom sector, we remain deeply committed to embedding business integrity into every level of our decision-making, thereby ensuring that our actions reflect the trust placed in us by the weavers, communities, and institutions we serve.

Social Initiatives

Empowering the Weaver Community

NHDC continues to play a pivotal role in empowering the weaver and weaving community across India. In **FY 2024–25,** the total number of weavers associated with NHDC rose to **546,266,** up from **538,862 in FY 2023–24, with around 70% of them being women weavers.** This marks an increase of more than **7,400 weavers during the year**, reflecting our strong outreach efforts and the trust the weaver community places in NHDC.

This growth highlights NHDC's commitment to inclusive development by:

- Extending support for **raw material, marketing, and capacity-building.**
- Providing weavers with greater access to **schemes, technology, and platforms.**
- Ensuring that sustainability efforts in operations are complemented by **positive social impact**on communities.

NHDC is proud to see a steady increase in the number of weavers benefiting from its programs, and remains committed to **strengthening this engagement year after year.**

Employee Welfare Practices

NHDC places strong emphasis on the welfare of its employees and their families, both during service and after retirement. The **Post-Retirement Medical Scheme (2011)** provides comprehensive healthcare support to retired employees and their spouses, ensuring continued medical security. The scheme covers both **Outpatient Treatment Benefits (OPTB) and Hospitalized Treatment Benefits (HTB)**on a floater basis, with benefits linked to the employee's pay scale. Special provisions are made for spouses of deceased employees and those retired under Voluntary Retirement Schemes, provided they meet eligibility conditions.

The **Medical Rules (2013)** further extend healthcare support to serving employees and their dependent family members. Coverage includes hospitalization, critical illness treatment, surgeries, and reimbursement of medical expenses as per prescribed guidelines. Safeguards such as certified “Life Certificates,” eligibility checks, and periodic reviews ensure transparency and equitable distribution of benefits.

Health Camps for community well-being

NHDC's sustainability journey extends equal emphasis on **community well-being and social empowerment.** During the period **January 1 to March 31, 2025**, NHDC's Headquarters, along with its **seven Regional Offices**, organized a comprehensive **Eye Care Camp**. This initiative provided vital healthcare access to local communities and weavers, reinforcing NHDC's role as a socially responsible organization committed to improving quality of life.

Swachh Bharat and Cleanliness Initiatives

As part of the “*Swachhata Hi Seva”* campaign, NHDC undertook a series of impactful activities across its offices and campuses. The drive began with a Swachhata Pledge, reaffirming the collective commitment of officials towards maintaining cleanliness. Intensive cleaning drives were conducted in office premises, warehouses, and public areas, supported by slogan and essay competitions to promote awareness. Awareness sessions, debates, and cultural fests further highlighted the importance of hygiene and community participation. *Safai Mitra Suraksha Shivirs* and health camps were organized for sanitation workers, alongside the distribution of masks, gloves, and sanitizers. Special drives, including metro station cleaning and e-waste awareness workshops, reflected NHDC's holistic approach to hygiene and sustainable practices. Outstanding contributors, including employees and *Safai Mitras*, were recognized and felicitated for their dedication to cleanliness.

Plantation Drive

In line with its commitment to environmental sustainability, NHDC organized plantation activities under the theme *“Ek Ped Maa Ke Naam”*. At both corporate and regional campuses, saplings of Neem and fruit-bearing trees were planted to enhance green cover and contribute to a healthier environment. These initiatives not only symbolize the organization's dedication to ecological balance but also aim to inspire employees and local communities to adopt greener practices. With every planted sapling, NHDC reinforces its pledge towards building a sustainable and eco-friendly future.

Testimony to our Social Commitment

Promoting Natural Dyes for Sustainable Handloom Practices

Background

The National Handloom Development Corporation (NHDC) has been at the forefront of promoting sustainable practices within India's handloom sector. Recognizing the environmental and health challenges posed by synthetic dyes, NHDC initiated a program to encourage the adoption of natural dyes among handloom weavers.

Initiative Overview

In the fiscal year 2022-2023, NHDC supplied yarn, dyes, and chemicals worth ₹1,150 crores to nearly five lakh weavers, primarily individual weavers. To further this initiative, NHDC partnered with textile mills in Coimbatore and Salem to produce yarn dyed with natural pigments. This collaboration aimed to facilitate the use of natural dyes, ensuring that weavers had access to eco-friendly materials for their craft.

https://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/national-handloom-development-corporation-promoting-use-of-natural-dyes/article68645867.ece



Workshop for Students on Natural Dyeing Techniques

Social Impact:

- Health Benefits: By transitioning to natural dyes, weavers reduced their exposure to harmful chemicals, leading to improved health outcomes and safer working conditions.
- Economic Empowerment: The demand for naturally dyed products opened new markets, allowing weavers to command better prices and increase their income.
- Skill Enhancement: NHDC conducted workshops to train weavers in natural dyeing techniques, enhancing their skill set and preserving traditional knowledge.

Environmental Impact

- Eco-Friendly Production: Natural dyes are biodegradable and non-toxic, leading to reduced water pollution and environmental degradation.
- Sustainable Practices: The initiative encouraged sustainable sourcing of dye materials, promoting biodiversity and responsible resource management.

NHDC's promotion of natural dyes exemplifies a holistic approach to sustainable development in the handloom sector. By addressing environmental concerns and enhancing the socio-economic status of weavers, this initiative serves as a model for integrating traditional practices with modern sustainability goals.

"VIRAASAT" Exhibition – Celebrating India's Handloom Heritage

Background

To commemorate the 10th National Handloom Day (August 7), the National Handloom Development Corporation Ltd (NHDC), under the Ministry of Textiles, organized **"VIRAASAT"**—a fortnight-long "Exclusive Handloom Expo"—at Handloom Haat, Janpath, New Delhi (August 3–16, 2024). The event carried forward previous celebrations, emphasizing the nation's enduring handloom and handicraft traditions.



VIRAASAT - Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat, Janpath, New Delhi

Event Highlights

- **Public Access**: Open daily from 11 am to 8 pm, enabling widespread engagement.
- **Stalls & Displays**: 75 stalls featured direct retail by weavers ;curated thematic showcases spotlighted India's exquisite handloom heritage.
- **Cultural Immersion**: Included live loom demonstrations, workshops on natural dyes, Kasturi cotton, design, and exports, as well as regional folk dances and cuisines.
- **Leadership & Messaging**: The Prime Minister, in his "Mann Ki Baat" address, praised weavers and urged citizens to support local craftsmanship using the hashtag **#MyProductMyPride**.
- **Historical Context**: Tied to the Swadeshi Movement of 1905, National Handloom Day (since 2015) honors the socio-economic role of handloom weaving.
- **Strategic Vision**: The event reinforced government efforts to protect handloom heritage, empower weavers sustainably, and elevate earnings while instilling craft pride.

Social Impact

- **Weaver Market Linkage**: By facilitating direct engagement and sales, the expo served as a critical platform for weavers to gain market visibility and potential financial uplift.
- **Cultural Awareness**: Workshops, cultural performances, and public messaging fostered deeper appreciation for handloom traditions.
- **Community Empowerment**: The event reinforced government commitment to socially and economically supporting the vast handloom community (35 lakh people employed, second only to agriculture).

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2041230



Weavers showcasing their craftsmanship at the VIRAASAT Expo

The **"VIRAASAT" Exhibition** successfully celebrated India's vibrant handloom tradition through immersive storytelling, direct weaver engagement, and meaningful public outreach. It strengthened the cultural and economic ties between weavers and consumers, supporting sustainable craft livelihoods and heritage pride.

Declaration by the Managing Director regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2024-25

I,Commodore Rajiv Ashok (Retd.), Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited (NHDC), do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation as on 31st March, 2025, have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2024-25.

Commodore Rajiv Ashok(Retd.)
Managing Director
DIN : 09598427

Date: 04/11/2025
Place: Noida

Secretarial Audit Report

[For the Financial Year ended on 31st March, 2025]
[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: A-2-5, Sector-2, Udyog Marg,
Gautam Buddha Nagar, Noida,
Uttar Pradesh- 201301

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN: U17299UP1983GOI005974) (NHDC)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March, 2025** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board- Processes and Compliance-Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March, 2025** according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made there under; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings -**Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period :**

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -
b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;

h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**

(vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company & other audit report and certificates given by other professionals, the Corporation has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;

(a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India.

(b) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952.

(c) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.

(d) Maternity Benefit Act, 1961

(e) Minimum Wages Act, 1948

(f) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.

(g) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act ,2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013.

(h) Right to Information Act, 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the few following observation:

a) Mrs. Rita Prem Hemrajani, IRPS, has been relinquished the charge of the post of Managing Director of the Corporation (NHDC) w.e.f. 30th November, 2024 on attaining the age of superannuation vide order No. NHDC/HR/MD/Ret./207 dated 30-11-2024.

In compliance to order No. 40/10/2/2017-DCH/NHDC/Part – III dated 2nd December, 2024, Ms. Swayamprava Pani, Additional Development Commissioner (Handloom) has assumed the Additional Charge of Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited w.e.f. 2nd Decemeber, 2024 (A/N) vide order No. NHDC/HR/MD/00/24-25/211 dated 03/12/2024 who relinquished the Additional Charge of the Post of Managing Director, NHDC, with effect from February, 11 2025(F/N) subsequent to the assumption of Charge by Shri. Rajiv Ashok as Managing Director, NHDC on 11th February, 2025 (A/N) with reference to Department of Personnel & Training (Office of Establishment Officer)'s letter No. 10/02/2024-EO(ACC) dated 22nd January, 2025 and subsequent Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner for Handloom's Order No. 40/10/2/2017-DCH/NHDC/Part – III dated 29th January, 2025 and NHDC/HR/OO/MD/2025/273 dated 11/02/2025.

b) The Board recommend a final dividend of Rs 8.63 per equity share aggregating to Rs.1,64,04,503/- (Rupees One Crore Sixty Four Lakhs Four Thousand Five Hundred Three) i.e. 30% of PAT on equity share capital of the Corporation for the financial year ended on 31st March, 2024 to be paid out of the profits of the Company and the same was approved by the shareholders in the Annual General Meeting held on 28th November, 2024 which was paid to shareholders on 24th December, 2024.

c) C&AG appointed firms of Chartered Accountants as Statutory/ Branch Auditors of the Corporation for FY 2024-25 vide letter bearing No./ CA. V/ COY/ CENTRAL GOVERNMENT, NHANDL (12)/891 dated 21st September, 2024 and **M. B. Gupta & Co**. has been appointed as the Statutory Auditor and the board took the note of same in their meeting held on 28th November, 2024.

d) The registered office of the company has been shifted from 4th Floor Wegmans Business Park Tower-1 Plot No.03 Sector Knowledge Park-III, Surajpur-Kasna Main Road, Gautam Buddha Nagar, Greater Noida, Uttar Pradesh, India, 201306 to A-2-5, Sector-2, Udyog Marg, Noida (UP)-201301 Gautam Budhha Nagar, Noida w.e.f 16th April, 2024 in the Board Meeting held on 23rd March, 2024 and the same was approved by the members in the Extra Ordinary General Meeting held on 23rd March, 2024.

e) Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. Company has two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier but the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period from 16th January, 2023 to till date.

f) In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee/ Nomination and Remuneration Committee of the Board with the majority of Independent Directors and the committee should be chaired by Independent Director along with that minimum of two Independent Directors attend the meeting of the Audit Committee. As Mr. Anil Kumar Sood, has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October, 2022 and Ms Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November, 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period from16th January, 2023 to till date.

g) Whereas in term of the provisions of Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, Mr. Dhirender Prakash Jalandhari, has been appointed as Company Secretary of the Corporation w,e.f. 25th February, 2025 hence the Company has not complied with the provisions as per Section 203(4) of the Companies Act, 2013 read with applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 during the period from 25th January 2023 to 24th February, 2025.

h) Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and when Board is complete on appointment of Independent Directors.

i) In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous years, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) &Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on23rd March 2022, against them respectively.

Further, Mr. S.S Dhakarwal, ex Dy. General Manager (HR) has been suspended vide suspension order No. NHDC/MD/2020/3174 dtd.28.02.2020 for suppression of CBI letter and submission of wrong information to the Ministry of Textile in reply to a Parliament Assurance. Charge Sheet was issued on 20.10.2020. Inquiry Officer resigned after holding six hearings. The new Inquiry Officer also resigned without holding any hearing. A fresh Inquiry Officer was appointed in November, 2024 for holding inquiry and he has submitted his Inquiry Report dated 20.05.2025 to MD (Disciplinary Authority).

Further, after considering his doubtful integrity and irresponsible behavior, Mr. S.S Dhakarwal ex Dy. General Manager (HR) was not found fit to continue in service. Accordingly, Board of Directors decided to compulsorily retire him from the Corporation (under FR 56j). Orders to this effect were issued on 07.04.2022.

j) Further as informed by the management to us, The Transaction Audit has been Completed. The same shall be placed before the Board of Directors for their further instructions and directions.

We further report that:

I) The Corporation has not entered the Memorandum of Understanding (MOU) with the Administrative Ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 for the Financial Year 2024-25.

Further, the Corporation have requested for the Memorandum of Understanding (MOU) with the Administrative Ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 for the Financial Year 2025-26.

The Administrative Ministry vide office Memorandum dated 15th July, 2025 have further recommended to Department of Public Enterprises (DPE) the request for the Memorandum of Understanding (MOU) for the Financial Year 2025-26 with the Administrative Ministry for their necessary actions.

1) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance (CG) Guidelines for Central Public Sector Enterprises (CPSE), 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors except as stated above.

2 Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings at least seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.

3) Majority decision is carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

4) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no instances of:

a) Public / Preferential Issue of Shares/ Sweat Equity.
b) Buy-back of Securities.
c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and
d) Foreign Technical Collaborations.

For H. Nitin & Associates
Company Secretaries

CS Nitin Ghanshyam Hotchandani
Practicing Company Secretary
M.No: F9632, COP: 11673
UDIN: F009632G001156305
Place: Jaipur
Date: 03/09/2025

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **"Annexure-A"** and forms an integral part of this report].

Annexure –"A"

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: A-2-5, Sector-2, Udyog Marg,
Gautam Buddha Nagar, Noida,
Uttar Pradesh- 201301

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.

2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.

4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

For H. Nitin & Associates
Company Secretaries

CS Nitin Ghanshyam Hotchandani
Practicing Company Secretary
M.No: F9632, COP: 11673
UDIN: F009632G001156305
Place: Jaipur
Date: 03/09/2025

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO,
THE MEMBERS
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED(NHDC)

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED,** ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31 2025, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date of the Corporation's Regional Offices at- Bengaluru, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore and Guwahati audited by the respective branch auditors. The detail of Regional Offices and the respective Auditors is being indicated as under -

S. No.	Name of the Regional Office	Name and Address of Branch Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Bengaluru, Karnataka	M/S Y Thirumala Rao & Co. Villa No-82, Presite Augusta Golf Villa, Old Madras Road, Bangalore-560086, Karnataka.
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	M/S Baid & Company 10/C, Ballygunge Circular Road 2nd Floor Kolkata – 700019
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/S Chatterjee & Chatterjee Regd. Office: B.21/1, First Floor, Rathyatra Market, Rathyatra Crossing Varanasi. Pin – 221001
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/S Balram & Associates 3&4 Transport Nagar Sector- 25 Behind Malik Petrol Pump Panipat, Haryana.
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana.	M/S P R S V & Co LLP 202, Saptagiri Residency, 1-10-98/ A Chikoti Gardens Begumpet, Hyderabad - 560016, Telangana
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/S G.K.P. Associates 10, Doctor Colony Dr. Radhakrishanan Road Gandhi Puram Coimbatore, 641 012.
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/S Rajesh Surana & Co. 303, Annapurna Plaza, Lakhtokia Guwahati – 781001, Assam.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us,except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025, its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

1. (a) NHDC having "7" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which office of the Development Commissioner Handloom, Ministry of Textile, Government of India, provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 38504.00 Lakhs in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 19082.00 Lakhs have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.

   As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

   As per the directions of the Board, Transaction audit was also initiated and a report of which dated 31.10.24 was presented to the Board. The Board had directed for Impact assessment report from the Transaction auditor and which was issued on dated 15.04.2025 which is under Board consideration.

   Till our audit report, no entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report and Transaction audit report including Impact assessment report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 19422.00 Lakhs on the aforementioned sales and purchases each being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)) as well as Creditors (Refer Note No. 5 (ii)).

   (b) Service charge and subsidy component of Rs 2266.00 Lakhs on account of sales of Rs 21579.00 Lakhs made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 2157.93 Lakhs was not received from the MOT, the company reduced Rs 2157.93 Lakhs from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 1815.00 Lakhs as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India. The aforesaid figures do not match with the recent Transaction audit report dated 31.10.24. Since, the Board has not directed yet for the necessary adjustments hence the figures in our audit report has not been given impact. In view of this, we are unable to comment on the recoverability of Rs. 1815.00 Lakhs disbursed.

   (C)The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 24,566.31 Lakhs at Varanasi Regional Office out of which Rs 19,422.00 Lakhs relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no (1) above. Thus, the provision for Sundry Debtors is lower by Rs. 24,566.31 Lakhs and profit is more by 24,566.31 Lakhs respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 15(ii)).The aforesaid figure has been revised from Rs. 24572.49 Lakhs to Rs. 24566.31 Lakhs (including subsidy receivable of Rs. 1934.59 Lakhs pertaining to 01.04.2018 to 31.05.2018) as per the recent Transaction Audit report dated 31.10.24 provided by the company.

(d)Trade Payables includes Rs. 25265.92 lakhs and Current liabilities includes Subsidy, Transportation and depot payable amounting to Rs 1229.74 lakhs outstanding for more than 3 years relating to Lucknow branch. The aforementioned values are not written off due to which the creditors are higher by 25265.92 lakhs and profit is less by 25265.92 lakhs. These transactions are under forensic and vigilance investigation, which have been referred to CBI. Further the aforesaid figure of trade payable has been revised from Rs 25405.91 lakhs to Rs 25265.92 lakhs and the aforesaid figure of subsidy, transportation and depot payable has been revised from 1233.61 lakhs to 1229.74 lakhs as per the recent transaction Audit report dated 31.10.2024 provided by the company.

(e) The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 660.62 Lakhs paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19 to various suppliers. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. However, as per the transaction audit report dated 31-10-2024, the aforementioned figure has been revised from Rs. 660.62 Lakhs to Rs. 663.87 Lakhs and out of this double payment of Rs. 663.87 lakhs, Rs. 350.17 lakhs were refunded to the corporation while Rs. 313.70 lakhs are still pending for recovery. Hence, we are unable to comment on its recoverability.

2. (a) As stated in Note No. "6(A)", Rs. 2,952.60 Lakhs is standing to the credit of corpus fund (Marketing Complex) as on 31.03.2025. The Corporation had, during the financial years 2017–18 and 2018–19, accounted for interest on fixed deposits of Corpus Fund (Marketing Complex) amounting to Rs122.00 lakhs and Rs 120.00 lakhs respectively as income of the Corporation instead of crediting the same to the Corpus Fund. Based on the opinion obtained from the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the said interest has been credited to the said Corpus fund during the current year by debiting the same to the Statement of Profit and Loss as an Exceptional Item.

   (b) As stated in Note No. "6(B)", Rs 1,817.61 Lakhs is standing to the credit of corpus fund (Mega Cluster) as on 31.03.2025. The Corporation had, during the financial years upto 2016-17,financial year 2017–18 and 2018–19, accounted for interest on fixed deposits of Corpus Fund (Mega Cluster) amounting to ₹321.75 lakhs, ₹61.75Lakhs and ₹57.00 lakhs respectively as income of the Corporation instead of crediting the same to the Corpus Fund. Based on the opinion obtained from the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, the said interest has been credited to the said Corpus fund during the current year by debiting the same to the Statement of Profit and Loss as an Exceptional Item.

   It is observed that, no attributable interest on the aforementioned amount (Point a & b) has been credited to the Corpus Fund in the respective years. Hence, we are not able to comment its effect on the profitability in absence of Fixed Deposits of this attributable interest amount.

3. NHDC being the nodal / implementing agency developed and setup the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza,Bikaji Cama Place New Delhi. The shops in the said marketing complex were allotted to the NHDC and NHDC further re-allotted the shops to beneficiary agencies (The allottees) as per the directions of the Ministry of Textile. As explained, the entire expenditure incurred on the shops are required to be reimbursed by the allottees and if there is no recovery from allottees then the Ministry of Textile is required to reimburse the said expenditure. In this regard, we have following observation:

   (a) NHDC being the nodal/implementation agency, has made payment of maintenance charges amounting to Rs. 53.00 Lakhs to the HUDCO during the F. Y. 2024-25 and has made aggregate payment of Rs. 97.63 Lakhs towards property tax, ground rent and maintenance charges from 1-4-2025 to till the date of audit report. All these payments were made out of the receipts from the shops allottees. Interest amounting Rs. 104.77 Lakhs demanded against these dues have not been paid to SDMC and HUDCO. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further,penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.

   (b) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 335.00 Lakhs for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go wasteif,lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.

4. The Company has dues outstanding for more than one year to certain suppliers registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act). In accordance with the provisions of the said Act, the Company is required to recognize interest payable on delayed payments to such suppliers. However, no provision for such interest liability has been made in the books of account, nor has the same been disclosed in the financial statements. Consequently, the liabilities and expenses of the Company are understated and the profit for the year is overstated to the extent of such unascertained interest amount.

5. The Company has a Deceased Employee Pension Scheme issued through inter office letter (Reference Number: Work and Administration/13/216 dated 23rd August, 2013), under which monthly contributions are recovered from employees, and the employer is required to contribute an amount equivalent to twice the employees' contribution.

   As per the provisions of the said scheme, a separate corpus was required to be created for making payments to the dependents of deceased employees, and the amounts so collected were to be parked under this corpus and the funds are to be invested in suitable instruments through an Investment committee to be constituted by the Managing Director for this purpose.

   However, the Company has not created the required corpus fund nor constituted the said investment committee. Consequently, the interest income which should have been earned on such corpus has also not been credited to the scheme account. The contributions received under the scheme are being shown under current liabilities in the financial statements, and any compensation paid under the scheme is debited through this liability. Accordingly, the Company has not complied with the provisions of the scheme framed.

6. The corporation has EPF Trust i.e. NHDC Employees CPF Trust which has accumulated losses of Rs. 237.53 Lakhs as at 31-03-2024 as per Audited Financial Statements and observed that interest income on PNB perpetual bonds has not been recognized for the financial year 2023-24. We have not been provided audited financial statements for the F. Y. 2024-25. In the absence of the Audited Financial statements of the F. Y. 2024-25, we are unable to comment on Profit / Loss of the ECPF Trust for the relevant financial year.

   The EPF trust is showing a refund of TDS amounting to Rs. 7.97 Lakhs as on 31.03.24. In the absence of filing of Income tax return, its recoverability is not sure.

   Further the said ECPF Trust has investment of Rs. 240.00 Lakhs and accrued interest Rs. 38.65 Lakhs in bonds issued by Reliance Capital Ltd as on 31.03.24.The ECPF Trust has received amount Rs. 61.00 Lakhs against these bonds as final payment during F. Y. 2024-25. Consequently, NHDC / ECPF Trust has suffered a loss of Rs. 217.65 Lakhs on such investment. We have been told that the impact of the same will be taken on finalization of financial statements for FY24-25.

7. The Hyderabad regional office did not make provision for doubtful advances of Rs. 20.86 lakhs outstanding for more than 1 year and without any movement in the account during the year under review and remained unconfirmed.

8. As per Secretarial Audit Report following provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. is pending as on 31.03.2025:

   i. Whereas in term of the provisions of Section 149 (4) & 149 (5) of the Companies Act,2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. The Company has only two Independent Director on the Board till 17th October 2022. Shri Anil Kumar Sood who was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019 has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022. Also Ms. Yogita Singh who was appointed as Non-Official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November 2021 has resigned w.e.f. 11th November 2022. The Company was required to fill casual vacancy not later than immediate next Board Meeting or three months from the date of such vacancy whichever is earlier, but has not filled till 31st March 2025, hence the Company has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January 2023 to 31st March 2025.

ii. In term of the provisions of Section 177 (1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its Powers) Rules 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors. As Mr. Anil Kumar Sood has ceased as Non-Official Independent Director after completion of his tenure w.e.f. 17th October 2022 and Ms. Yogita Singh has resigned w.e.f. 11th November 2022, hence the Corporation has not complied with the aforesaid provisions for the period between 16th January, 2023 to 31st March, 2025.

iii. Whereas in term of the provisions of Section 203 (4) of the Companies Act 2013 read with the applicable rule of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Company was required to fill casual vacancy of Key Managerial Personnel (Company Secretary) within a period of six months from the date of such vacancy, Ms. Anjali Yadav, Company Secretary of the Company has resigned w.e.f. 25th July, 2022 and Company was required to fill casual vacancy on or before 24th January, 2023 but has filled the post on 25-02-2025. hence Company has not complied with the provisions during the period from 25th January, 2023 to 24-02-2025.

iv. Whereas in term of the provisions of Section 134 (3) of the Companies Act 2013, the Company was required to have a Risk Management Policy, the board in their meeting held on 15th September 2023 has adopted provisional policy for adoption and circulation purpose and need to be ratified again as and Board is complete on appointment of Independent Directors.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of Company's in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Reporting of key Audit matters as per SA 701 is not applicable to the Company as it is an unlisted Company.

Emphasis of Matter

1. As explained in Note 15(i) and 5(i)to the financial statements, balance confirmation received from Debtors and Creditors is7.24% and 12.57% respectively of amount outstanding, consequential adjustments, effect of which if any is not ascertainable and cannot be commented upon.

2. Refer to Note No. 6C(ii) of the financial statements wherein the corporation has not credited Interest earned on the funds towards the said corpus fund (TFC).

3. Refer to Note 8(i), Provision for Salary arrear (Pay revision) amounting to INR 1147 Lakhs (PY: INR 1147 Lakhs).

4. Refer to Note No. 16, an old outstanding balance of Rs 0.89 Lakhs is appearing in Cash & Cash equivalents with HDFC Bank. As per bank statement status of account is “Blocked Dormant” and HDFC bank has transferred Rs. 0.89 Lakhs to RBI Deaf account.

5. Refer to note 16,Bank balance confirmation of a non-operational HDFC Bank account of Varanasi regional office having outstanding balance of Rs 2.00 lakhs has not been provided. According to the information and explanations provided, the closure process for the same has been started by the regional office.

6. Refer to Note No. 17(viii), GST Receivable of Rs 47.26 Lakhs is available on GST portal pertaining to FY 2018-19.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information Other than Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the presentation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, NHDC Sustainability and Social Impact Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of the other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions, as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibility of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Company Act.'2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting standards specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Accounting Standard) Rules 2021. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

We also :

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statements that, individually or in aggregate, make it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

We did not audit the financial statements/information of "7" Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs. 42437.35 Lakhs as at 31st March, 2025 and total revenues of Rs. 126521.14 Lakhs (Including Grants in aid reimbursement and miscellaneous income) for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure "A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. We are enclosing our report in terms of section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us,in the Annexure“B” on the directions and sub directions issued by Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as referred in basis for Qualified Opinion para above;

(b) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, the proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books except for the matter stated in the paragraph 3(h)(vi) below on reporting under rule 11(g) of the companies (Audit and Auditors) Rules, 2014;

(c) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, the reports on the accounts of the branch offices of the Companies audited u/s 143(8) of the Act by Branch Auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

(d) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

(e) Except for the effects / possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion for Paragraph, in our opinion, the aforesaid Standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Companies (Accounting Standards) Rules 2021, as amended thereof.

(f) The modifications relating to the maintenance of accounts and other matters connected there with are as stated in the paragraph 3 (b) above on reporting under Section 143(3)(b) of the Act and paragraph 3(h)(vi) below on reporting under Rule11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

(g) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure “C”; our report expresses a modified opinion on the adequacy and operating effectiveness of Company's internal controls over financial reporting.

(h) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

iv.a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Parties ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

c) Based on the audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) as provided under (i) and (ii) above contain any material mis-statement.

v. The final dividend paid by the Company during the year ended 31st March, 2025 in respect of such dividend declared for the previous year is in accordance with section 123 of the Act, as applicable. Further, as stated in note 3(ii) to the accompanying standalone financial statements, the Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year ended 31st March, 2025 which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.

vi. Based on our examination which included test checks, the company has used accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software except in respect of maintenance of Property, Plant, and Equipment (PPE) records. Further during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tempered with.

Additionally, the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Mahesh Baboo Gupta)
Partner
Membership No. 085469
UDIN: 25085469BMIBZW7650
Place: Noida
Date: 4th November, 2025

Annexure -A to the Independent Auditors' Report

(Referred to in paragraph 1 under 'report on other legal and regulatory requirements. The Annexure referred to in our Independent section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

We report that:

I. (a) According to the information and explanations given to us, the Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and intangible assets.

(b) According to the information and explanation given to us, Property, Plant and Equipment of the Company were physically verified by the management during F. Y. 2024-25 and as per the report provided to us, no material discrepancies were observed on such verification.

(c) According to the information and explanation given to us and based on the examination of conveyance deeds provided to us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and building which are freehold, are held in the name of the Company except in Mumbai, the apartment bearing no 13,14,15 on 5th floor, plot no 4, sector 11 at CBD measuring 221.7 sq.mt, the title deeds for the said apartment is yet to registered, as at the balance sheet date. Detail is given below:

Description of property	Gross carrying amount (Rs. in Lakh)	Held in name of	Whether promoter, director, or their relative or employee	Period held - indicate range, where appropriate	Reason for not being held in the name of company (Also indicate if in dispute)
Apartment measuring 221.7 Sq. mts bearing number 13, 14 and 15 on 5th floor, Plot No. 4, Sector 11 at CBD, Belapur, New Mumbai - 400 614.	33.58	National Handloom Development Corporation Limited	N. A.	Since July 1991	Registry is in process.

(d) The Company has not revalued any of its property, Plant & Equipment (including right to use assets) and intangible assets during the year. Accordingly, paragraph 3(i)(d) of the Order is not applicable.

(e) According to the information and explanation given to us, there are no proceedings initiated or pending against the Company as at March 31, 2025 for holding any benami property under the Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and Rules made thereunder. Accordingly, paragraph 3 (i) (e) of the Order is not applicable.

ii. (a) According to the information and explanations given to us, physical verification of Inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and no material discrepancies were noticed on such verification;

(b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, at any point of time during the year from Banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii) (b) of the order is not applicable.

iii. On the basis of examination of records and according to the information and explanations given to us, the Company has not made investment in/ provided any guarantee or security/ granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties Accordingly, paragraph 3 (iii) of the Order is not applicable.

iv. According to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans or guarantees or security or made any investment to which provision of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013.Accordingly, paragraph 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company.

v. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of the provisions of Section 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Hence clause v of the said order is not applicable to the Company.

vi. According to the information and explanations given to us, the Corporation is not required to maintain the cost records, as the central Government has not prescribed in respect of the Company to maintain the Cost records under sub section (1) of section 148 of the of the Companies Act, 2013.

vii. According to the information and explanations given to us:

(a) Amounts deducted/accrued in the books of accounts in respect of undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues have been generally regularly deposited by the Company with the appropriate authorities.

(b) According to the information and explanations given to us, there are no undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues were in arrears as at March 31, 2025 for a period of more than six months from the date they became payable.

(c) There are no statutory dues referred to in clause (a), which have not been deposited on account of dispute.

viii. According to the information and explanation given to us, there is no transactions not recorded in the books of accounts that have been surrendered or disclosed as income during the year in the Tax assessments under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Accordingly, paragraph 3 (viii) of the Order is not applicable.

ix. (a)According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any loans or other borrowing from any lender. Hence reporting under clause 3 (ix)(a) of the order is not applicable.

(b)According to the information and explanation given to us, the Company is not declared wilful defaulter by any Bank or financial institution or Government or any Government authority or other lender.

(c)According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any term loan during the year and there is no outstanding term loan at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(c) of the order is not applicable.

(d)According to the information and explanation given to us, the Company during the year has not raised any short-term funds and hence, reporting under clause 3 (ix)(d) of the order is not applicable.

(e) The Company does not have any subsidiaries/associates/joint-ventures and accordingly, paragraphs 3 (ix) (e) of the Order are not applicable.

(f) The Company, has not raised any loans during the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(f) of the order is not applicable.

x. (a) According to the information and explanation given to us, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(a) of the order is not applicable.

(b) According to the information and explanation given to us, the company has not made any preferential allotment or private placement of Shares or convertible debentures (fully, partly or optional convertible) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(b) of the order is not applicable.

xi.(a) No Fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.

(b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in form ADT- 4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit & Auditors) Rules, 2014 with the central Government during the year and up to the date of this report.

(c) The Company has not received any whistle blower complaint during the year.

xii. According to the information and explanations given to us, clause (xii) of the order is not applicable as the Company is not a Nidhi Company.

xiii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company provided to us, the Company has entered into transactions with the related parties and the same has been appropriately disclosed vide Note 25(ii) of the financial statements and the same has been in compliance with the provisions of section 177 and 188 of Companies Act, 2013.

xiv.(a) In our opinion the internal audit system needs to be improved in view of observations made at Internal Financial Control report.

(b) we have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

xv.According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Company during the year has not entered into non cash transactions, in terms of section 192 of the Act, with directors or persons connected with them. Accordingly, paragraph 3(xv) of the order is not applicable.

xvi.(a) According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Company is not engaged in financing activity and hence is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

(b)As per information and explanations given to us there is no Core Investment Company with in the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.

xvii. The Company has not incurred any Cash Loss during the Financial year covered by our audit and immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the Statutory Auditors of the Company during the year. Accordingly, paragraph 3(xviii) of the order is not applicable.

xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge and based on our examination of the evidences available with the Company, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the Balance Sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

xx. In our opinion and according to the information given to us, the Company is not required to transfer any unspent amount of Corporate Social Responsibility (CSR) in respect of ongoing or other than ongoing project to a fund specified in schedule VII of the Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso of sub-section (5) of section 135 of the said act.

xxi. These are the standalone financial statements of the Company, hence reporting under clause 3(xxi) of the order is not applicable.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Mahesh Baboo Gupta)
Partner
Membership No. 085469
UDIN: 25085469BMIBZW7650
Place: Noida
Date: 4th November, 2025

ANNEXURE "B" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph "II" under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of National handloom development Corporation Limited (Standalone) for the FY2024-25

I.	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system. If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	As per the information and explanations given to us, the Corporation has a system in place and the corporation process all the accounting transactions through ERP. ERP system has been implemented for all the processes like Financial accounting (FI), Controlling (CO), Sale and Commercial billing etc.except in case of Hyderabad office wherein the respective auditor has given the following remarks: "The Regional office has a system in place to process all accounting transactions through IT system. However, the ERP software (used across the company) is not functioning properly, and the sub-ledger balances had to be manually reconciled with general ledger figures, which significantly delayed the audit duration. Consequent to this the party confirmations were mailed very late, and compliance is not satisfactory. Further due to a single ERP instance across the company's multiple locations, the software response time is very slow. Further the regional office is unable to generate a general ledger but take print-outs ledger by ledger, a very time-consuming process".
II.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company'sinability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	There is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts / loans/ Interest etc. made by the lender to the company's inability to repay the loan.
III.	Whether funds received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.	According to the information and explanation given to us, funds received / receivable for specific schemes from Central /State agencies has been properly accounted for / utilized as per its terms and conditions except the subsidy on yarn supply amount Rs. 305.59 lakhs and on transport and depot charges amount to Rs 257.59 lakhs (excluding Rs. 1233.61 subsidy on transport & depot charges in Lucknow regional office) from the Government which has not been disbursed to the respective user agencies as on the balance sheet date.As explained, the same has not been paid to the user agencies as the respective receivables from them against the supplies have not been received to the corporation.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Mahesh Baboo Gupta)
Partner
Membership No. 085469
UDIN: 25085469BMIBZW7650
Place: Noida
Date: 4th November, 2025

ANNEXURE "C" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

ANNEXURE REFERED TO IN OUR REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH,2025

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**("the Company") as on March 31, 2025 in conjunction with our audit of the financial statements of the Companyfor the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The board of directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;

(2)provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and

(3)provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified in the operating effectiveness of the Company's Internal financial controls over financial reporting as at 31st March 2025 based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. The Company does not have an adequate internal control system for timely preparation and maintenance of accounts of the NHDC Employees CPF Trust (The Trust). The Company has also not provided audited financial statements of the Trust for the financial year 2024-25, and the Income Tax returns of the Trust have not been provided for the financial years 2022-23, 2023-24, and 2024-25.

   Further, the accumulated losses pertaining to the Trust as at 31st March 2024 has been recognized in the current financial year and which has not been make good by the company to reduce the consequential effect of the shortfall investments in the Trust due to these losses.

   This represents a weakness in the Company's internal financial control framework relating to accounting, reporting, and regulatory compliance of the Trust.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual or interim financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of 31st March 2025, based on "the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India"

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of standalone financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the standalone financial statements of the Company.

For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN: 006928N

(Mahesh Baboo Gupta)
Partner
Membership No. 085469
UDIN: 25085469BMIBZW7650
Place: Noida
Date: 4th November, 2025

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2025 in accordance with the directions/sub-directions issued to us by the C & AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and we Certify that we have complied with all the directions/sub-directions issued to us by submitting our report dated 4th November, 2025.

For M. B. Gupta & Co.
(Chartered Accountants)
F R No. 006928N

Date: 4th November, 2025
Place: Noida

Mahesh Baboo Gupta
Partner
(Membership No.085469)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 4 November 2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related Audit Report:

A. Notes to Financial statements for the year ended 31 March 2025
Significant Accounting Policies

As per clause 26 of Accounting Standard (AS) -1 (Disclosure of Accounting Policies), any change in the accounting policies which has a material effect in the current period, or which is reasonably expected to have a material effect in later periods should be disclosed. In the case of a change in accounting policies which has a material effect in the current period, the amount by which any item in the financial statements is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or in part, the fact should be indicated.

National Handloom Development Corporation (NHDC/Company) did not amortise the leasehold land during FY 2023-24. During FY 2024-25, Company started amortising the

leasehold land and disclosed an accounting policy for the same under point no. B. iii (Depreciation) of the Significant Accounting Policies.

However, no disclosure for the aforesaid change in accounting policy along with its effect was given by the Company, which resulted in non-compliance of the provisions of AS-1 and deficient disclosure in the financial statements to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

31/12/25

(Dr. Pawan Kumar Konda)
O S D
(Industry & Corporate Affairs)
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 31 DEC 2025

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2025

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	As at 31-03-2025	As at 31-03-2024
I.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholder's funds**			
a)	Share Capital	2	1,900.00	1,900.00
b)	Reserves and Surplus	3	6,606.64	6,620.33
2	**Non- current liabilities**			
a)	Long term provisions	4	458.43	418.43
3	**Current liabilities**			
a)	Trade payables	5		
	-total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		3,514.02	2,984.24
	-total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		28,073.68	27,751.67
b)	Other current liabilities (Corpus)	6	10,812.59	10,420.11
c)	Other current liabilities	7	9,179.92	8,313.62
d)	Short term provisions	8	1,395.13	1,581.41
	TOTAL		**61,940.41**	**59,989.81**
II.	**ASSETS**			
1	**Non current assets**			
a)	Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
i)	Property, Plant and Equipment	9	4,153.19	4,166.41
ii)	Intangible assets	10	8.96	11.49
b)	Deferred tax Assets (Net)	11	1,008.22	338.61
c)	Long term loans and advances	12	-	-
d)	Other non current assets	13	23.14	6.45
2	**Current assets**			
a)	Inventories	14	267.53	372.95
b)	Trade receivable	15	28,771.82	28,050.64
c)	Cash and bank balances	16	9,158.61	9,736.22
d)	Short term loans and advances	17	8,921.15	8,229.40
e)	Other current assets (Corpus)	18	9,156.10	8,763.62
f)	Other current assets	19	471.71	314.01
	TOTAL		**61,940.41**	**59,989.81**

The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.

For and on behalf of Board of Directors

Dhirender Prakash Jalandhari
ED(Finance) / CFO / CS(Addl. Charge)

Commodore Rajiv Ashok
Managing Director
DIN No. - 09598427

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Place: New Delhi
Date: 04.11.2025
UDIN : 25085469BMIBZW7650

Mahesh Baboo Gupta
Partner
M. No. : 085469

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	For FY 2024-25 (01-04-2024 to 31-03-2025)	For FY 2023-24 (01-04-2023 to 31-03-2024)
I. (a)	Revenue from operations	20	121,296.66	122,676.69
(b)	Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme	20	4,703.10	4,670.49
II.	Other Income	21	788.65	831.57
III.	**Total Income (I+II)**		**126,788.41**	**128,178.75**
IV.	**Expenses:**			
	Purchases of stock in trade	22	121,026.02	122,596.54
	Reimbursement of Transportation/depot charges	23	2,352.26	2,291.58
	Changes in inventories/stock in trade	24	105.43	(114.91)
	Employee benefits expenses	25	1,830.25	1,912.61
	Finance costs	26	-	-
	Depreciation and amortization expenses	9 & 10	121.13	48.75
	Other expenses	27	900.39	891.51
	Total Expenses		**126,335.48**	**127,626.08**
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		452.94	552.67
VI.	Exceptional items	28	928.80	-
VIII.	Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		(475.86)	552.67
IX	Extraordinary Items		-	-
X	Profit before tax (VIII- IX)		(475.86)	552.67
XI	Tax expense:			
1	Current Tax (Previous year)	29	14.55	(61.65)
2	Current Tax (Provision)	29	-	83.68
3	Deferred Tax -Current Year	11	(669.62)	(16.17)
XII.	Profit / (Loss) for the year from continuing operations (X - XI)		179.21	546.82
XIII.	Profit / (Loss) from discontinuing operations		-	-
XIV.	Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XV.	Profit / (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)		-	-
XVI.	Profit / (Loss) for the year (XII + XV)		179.21	546.82
XVII. (i)	Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1)	Basic		9.43	28.78
(2)	Diluted		9.43	28.78
(ii)	Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1)	Basic		9.43	28.78
(2)	Diluted		9.43	28.78

The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.

For and on behalf of Board of Directors

Dhirender Prakash Jalandhari
ED(Finance) / CFO / CS(Addl. Charge)

Commodore Rajiv Ashok
Managing Director
DIN No. - 09598427

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Place: New Delhi
Date: 04.11.2025
UDIN : 25085469BMIBZW7650

Mahesh Baboo Gupta
Partner
M. No. : 085469

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	For FY 2024-25 (01-04-2024 to 31-03-2025)	For FY 2023-24 (01-04-2023 to 31-03-2024)
(A)	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Profit before tax	**(475.86)**	**552.67**
	Adjustments :		
i	Depreciation	121.13	48.75
ii	Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund	(28.85)	(32.76)
iii	Provision written back during the year	(64.22)	(53.42)
iv	Interest from bank/ vehicle loan/ others	(491.45)	(563.32)
v	Profit / Loss on Sale of Assets	4.22	-
vi	Prior Period Adjustments	920.47	-
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL	**(14.56)**	**(48.08)**
	CHANGES IN WORKING CAPITAL	`	`
	(Excluding Cash & Bank Balances)		
	Increase/Decrease in:		
i	Inventories	105.43	(114.91)
ii	Book-debts	(675.00)	978.09
iii	Loans & Advances	(691.74)	451.77
iv	Receivables	(157.69)	128.55
v	Trade & other Payables	743.15	(910.58)
	Cash Generated from Operations	(690.42)	484.84
	Less : Income Tax paid/Payable	(103.96)	(127.61)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITES (A)	**(794.38)**	**357.23**
(B)	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
i	Sale of Fixed Assets	1.56	0.63
ii	Addition to Fixed Assets/W.I.P	(112.20)	(3,096.14)
iii	Interest from bank/ vehicle loan/ others	491.45	563.32
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**380.81**	**(2,532.19)**
(C)	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
i	Payment of Dividend	(164.05)	(156.45)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**(164.05)**	**(156.45)**
(D)	**NET CHANGES IN CASH AND BANK BALANCE (A+B+C)**	**(577.62)**	**(2,331.41)**
(E)	**CASH AND BANK BALANCE- OPENING**	**9,736.22**	**12,067.63**
(F)	**TOTAL**	**9,158.61**	**9,736.22**
(G)	**CASH AND BANK BALANCE- CLOSING**	**9,158.61**	**9,736.22**
	Cash & Bank Balance represent :		
1	**Cash in Hand**	**-**	**-**
2	**Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account**	**9,158.61**	**9,736.22**
	Total	**9,158.61**	**9,736.22**

Notes :

1 **Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.**
2 **The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.**
3 **Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.**

For and on behalf of Board of Directors

Dhirender Prakash Jalandhari
ED(Finance) / CFO / CS(Addl. Charge)

Commodore Rajiv Ashok (Retd.)
Managing Director
DIN No. - 09598427

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Mahesh Baboo Gupta
Partner
M. No. : 085469

Place: New Delhi
Date: 04.11.2025
UDIN : 25085469BMIBZW7650

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

(A) Equity Share Capital

(Amount in Rs. Lakhs)

Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
1,900.00	-	1,900.00

(B) Other Equity

(Rs. In Lakhs)

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign	Other items of other comprehensive Income	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves - Reserve for Development Activity and Medical Corpus	Retained earnings							
Balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	-	48.03	6,572.30	-	-	-	-	-	-	6,620.32
Changes in accounting policy of prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance at the beginning of the reporting period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Comprehensive Income for the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividends	-	-	-	-	-	164.05	-	-	-	-	-	-	164.05
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	50.00	179.21	-	-	-	-	-	-	229.21
Any other change (to be specified)	-	-	-	-	28.85	50.00	-	-	-	-	-	-	78.85
Balance at the end of the reporting period	-	-	-	-	69.17	6,537.47	-	-	-	-	-	-	6,606.64

The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.

For and on behalf of Board of Directors

Dhirender Prakash Jalandhari
ED(Finance) / CFO / CS(Addl. Charge)

Commodore Rajiv Ashok (Retd.)
Managing Director
DIN No. - 09598427

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson
DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

Place: New Delhi
Date: 04.11.2025
UDIN : 25085469BMIBZW7650

Mahesh Baboo Gupta
Partner
M. No. : 085469

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

1. CORPORATE INFORMATION AND SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

A. Background of the Company

National Handloom Development Corporation Limited (NHDC) was set up on 22nd February, 1983 by the Government of India as a Schedule 'C' Central Public Sector Enterprise (CPSE), under the administrative control of Ministry of Textiles (MoT), Government of India (CIN:U17299UP1983GOI005974). The objective was the creation of a national level agency to assist the speedy development of the handloom sector.

On 27th September, 2010, NHDC Limited was upgraded from a Schedule 'C' to a Schedule 'B' Central Public Sector Enterprise (CPSE), marking a significant milestone in the Corporation's growth and performance.

NHDC Limited is presently the Implementing Agency of the MoT, Raw Material Supply Scheme (RMSS). This scheme ensures all types of natural yarns are supplied at Mill Gate rates across India. Towards this, the Corporation, empanels Mills and handloom weavers and ensures that the guidelines of the scheme, that includes, yarn and transport subsidy, reaches those in need. The Corporation also actively undertakes sale of Dyes and Chemicals including Natural, as part of its business strategy and to assist stakeholders. Market linkages have been ensured by conduct of national and regional level expos and exhibitions apart from a novel Mobile Marketing initiative in Delhi NCR.

The registered office of NHDC Limited is situated at 'Noida Complex', A-2,3,4 & 5 Sector-2, Udyog Marg, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh 201301. NHDC Limited operates through its 8 Regional Offices (ROs) and 27 Branch Offices (BOs) and 36 warehouses. Where establishing a warehouse is not viable, the facility of a yarn bank has been extended to Cooperatives and societies by setting yarn banks which are over 500 presently across the length and breadth of the Nation.

NHDC Limited remains committed to the upliftment of the handloom sector and is taking giant strides for meeting the aspirations of stakeholders.

B. Significant Accounting Policies

i. Basis of preparation of Accounts:

The financial statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAPs), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis. The accounting policies have been consistently applied by the company, except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy therto in use, or as otherwise disclosed.

ii. Property, Plant & Equipment:

Property, Plant and Equipment (Tangible Assets) are stated at cost of acquisition (inclusive of inward freight, taxes and incidental expenses related to purchase/construction/ installation and exclusive of GST input credit less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Purchase of Property, Plant and Equipment less than Rs. 5,000 and/or having useful life of less than 12 months from the date of acquisition are recognized as revenue expenditure. Capital work-in-progress comprises cost of Property, Plant and Equipment that are not yet ready for their intended use at the balance sheet date and are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and other directly attributable costs.

The software (Intangible Assets) is capitalized where it is reasonably estimated that the software has an enduring useful life.

Profit or loss on disposal of property, plant & equipment is recognized in the Statement of Profit & Loss.

iii. Depreciation:

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on straight-line method as per useful life of the assets specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on Property, Plant and Equipment purchased/ sold during the year is proportionately charged on monthly basis.

Software is depreciated over an estimated useful life of 10 years.

Cost of leasehold land is amortized over the lease period.

The Company has reassessed the useful life of a 25-year-old building to 35 years (instead of 60 years as per Schedule II of the Companies Act, 2013) based on a Government-approved valuer's report. This reassessment reflects the building's actual condition and expected future use.

iv. Impairment of Assets:

An asset is impaired when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to Statement of Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. An impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

v. Grants:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

vi. Inventories:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

vii. Cash and cash equivalents:

For the purpose of presentation in the Cash Flow Statement, Cash and cash equivalents include cash on hand, deposits held at call with financial institutions, other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

viii. Revenue Recognition:

Sales of yarn, dyes & chemical and fabrics are accounted on dispatch of products to customers. Sales are disclosed as net of GST and returns/ rejections.
Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

ix. Classification of Expenditure:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

x. Interest on Overdue bills:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

xi.Finance Charge:

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

xii. Accounting of Retirement Benefits:

(a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

xiii. Prior Period Adjustments:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

xiv. Reserve for Developmental Activities:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

xv. Post Retirement Medical Corpus:

The medical benefit under "Post Retirement Medical Scheme" is allowed to the superannuated employees and is charged to Post Retirement Medical Corpus directly which is appropriated out of profits of the Corporation.

xvi. Provision of doubtful debts:

Provision for bad and doubtful debts of non-corpus sundry debtors outstanding for more than three years against which creditors of same amount is outstanding/payables are not provided for.

Provision for bad and doubtful debts of corpus sundry debtors outstanding for more than 3 years are not provided for.

xvii. Segment Accounting Policy:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".

Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under "Other Un-allocable Expenditure".

Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

xviii. Taxes on Income:

Income Taxes

Effective FY 2024-25, the Company has irrevocably opted for taxation under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, which provides for a concessional rate of tax, subject to the condition that the Company will not avail specified exemptions and deductions.

Accordingly, the Company's income tax expense for the current and subsequent periods is determined based on the taxable income computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as applicable to companies opting for taxation under Section 115BAA, and the expected outcome of assessments/appeals.

As per the provisions of Section 115BAA, the Company is not subject to the provisions relating to Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB. Consequently, MAT is no longer applicable and no MAT credit entitlement is recognized in the financial statements from the date of adoption of the new regime.

Deferred Taxes

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities in the financial statements and their corresponding tax bases. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date and that are expected to apply when the related deferred tax asset is realized or the deferred tax liability is settled, considering the rates prescribed under Section 115BAA.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences can be utilized. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each balance sheet date and adjusted to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

xix. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

xx. Provision and Contingencies:

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of a resource will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current estimates. Contingent liabilities are disclosed after an evaluation of the fact and legal aspects of the matter involved.

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

2 SHARE CAPITAL

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
Authorized				
20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		2,000.00		2,000.00
Issued, Subscribed & Paid-up				
18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year 18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	1,898.46		1,898.46	
1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses (Previous year 1,535 Equity shares of Rs. 100/- each)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
TOTAL		**1,900.00**		**1,900.00**

Terms / rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share.

Dividend proposed, if any, by Board of Directors is subject to the approval of the shareholders in the ensuing Annual General Meeting.

Issue of new shares, transfer of shares, repayment of Capital, sub division and consolidation of share etc. are subject to approval of the President of India.

Reconciliation of number of shares

Particulars	As at 31-03-2025	As at 31-03-2024
Opening Equity shares	1,900,000.00	1,900,000.00
Add: No. of shares , Share Capital issued /subscribed during the year	-	-
Less: Deduction	-	-
Closing balance	1,900,000.00	1,900,000.00

Shareholding of Promoters and No. of shares in the company held by shareholders holding more than 5 percent at the end of year

Name of the shareholder	As at 31-03-2025		As at 31-03-2024		% Change
	No. of Shares	% holding	No. of Shares	% holding	during the year
President of India	1,900,000	100	1,900,000	100	-

Note: {7 Shares (previous year 7 shares) held by nominee shareholders of the President of India being the beneficial shareholder.}

3 RESERVES & SURPLUS

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
(A) RESERVES:		
(i) Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	24.62	24.62
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
Less: Utilization during the year	-	-
Total (i)	**24.62**	**24.62**
(ii) Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	23.41	45.23
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	50.00	10.94
Less: Utilization during the year	28.85	32.76
Total (ii)	**44.56**	**23.41**
Total Reserves (A) = (i+ii)	**69.17**	**48.03**
(B) SURPLUS		
As per last Balance sheet	6,572.30	6,192.87
Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss - Current year profit	179.21	546.82
Less:-		
Dividend	164.05	156.45
Amount transferred to reserve for developmental activity	-	-
Amount transferred to post retirement medical corpus	50.00	10.94
SURPLUS (B)	**6,537.47**	**6,572.30**
TOTAL (A+B)	**6,606.64**	**6,620.33**

i) The Board has recommended a dividend of Rs. 53.76 Lakhs (Previous year Rs. 164.05 lakhs) @ 30% of profit after tax for the financial year 2024-25. This payment is subject to the approval of shareholders in the Annual General meeting (AGM).

ii) An amount of Rs. 50.00 Lakhs (Previous year Rs. 10.94 Lakhs) has been contributed to the "post retirement medical corpus" during FY 2024-25. The medical benefit under "post retirement medical scheme" is allowed to the superannuated employees by utilising the said medical corpus, as per direction of board.

4 NON CURRENT LIABILITIES – LONG TERM PROVISIONS

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
Provision for Employee Benefits	458.43	418.43
TOTAL	**458.43**	**418.43**

Refer Note No. 8 for movement in provisions towards Employee Benefit as per AS -15.

5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
Trade payables		
-total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	3,514.02	2,984.24
-total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	28,073.68	27,751.67
Total	**31,587.71**	**30,735.91**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2025		% of Confirmation of balances as on 31-03-2025	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Trade payables	323	31,587.71	165.00	3,972.09	51.08%	12.57%

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Trade Payable for Rs. 31,587.71 Lakhs (Previous year Rs. 30,735.91 Lakhs) include a sum of Rs. 25,265.92 Lakhs (Previous year - Rs. 25,405.91 Lakhs) relating to Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard is as per directions of the Board. Further, as per the directions of the Board, to ascertain amount outstanding from/to the societies/user agencies and suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Based on the findings of the said transaction audit, the figures wrt Trade payables of Lucknow Branch office has been revised to Rs. 25,265.92 Lakhs as against Rs. 25,405.91 Lakhs reported in previous financial year. Further, as per the direction of the Board, an impact assessment report has been prepared by the transaction auditor and is pending consideration by the Board.

iii) **Ageing Schedule of Trade Payables :**

As on 31.03.2025 — **Rs. In Lakhs**

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	-	3,368.77	16.16	45.33	83.76	3,514.02
Others	-	2,233.01	1.57	21.41	551.79	2,807.78
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	-	-	25,265.92	25,265.92
Total	-	5,601.78	17.74	66.74	25,901.47	31,587.72

As on 31.03.2024 — **Rs. In Lakhs**

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	-	2,597.01	61.00	49.31	276.91	2,984.24
Others	-	2,140.33	32.66	15.79	156.96	2,345.74
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	-	-	25,405.91	25,405.91
Total	-	4,737.33	93.67	65.11	25,839.79	30,735.89

iv) **DISCLOSURE UNDER THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT, 2006**

On the basis of confirmation obtained from suppliers who have registered themselves under the Micro Small Medium Enterprise Development Act, 2006 (MSMED Act, 2006) and based on the information available with the Company, the following are the details:

Rs. In Lakhs

	Particulars	As at 31-03-2025	As at 31-03-2024
(a)	Principal amount remaining unpaid	3,514.02	2,984.24
(b)	Interest due thereon remaining unpaid	-	-
(c)	Interest paid by the Company in terms of Section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along-with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the period	-	-
(d)	Interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the period) but without adding interest specified under the Micro, Small and Medium	-	-
(e)	Interest accrued and remaining unpaid	-	-
(f)	Interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises	-	-

6 CURRENT LIABILITIES – CORPUS

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
(A) Corpus Fund (Marketing Complex)				
a) Receipt from Govt. of India upto date	825.81		825.81	
b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	481.59		481.59	
c) Principle amount refundable to Govt. (a-b)	344.22		344.22	
d) Amount realized from agencies including adjustments upto date	1,028.16		988.92	
e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	1,020.60		967.60	
f) Refundable to agencies (d-e)	7.57		21.32	
g) Balance (a-b+d-e) or (c+f)		351.78		365.54
h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date		2,600.81		2,164.23
Total (g+h)		**2,952.60**		**2,529.77**

i) Total Funds amounting to Rs. 825.81 Lakhs (Previous Year Rs. 825.81 Lakhs) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies were provided by the Govt. of India. After initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, the funds have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs. 1,028.16 Lakhs (Previous Year Rs. 988.92 Lakhs) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs. 1,020.60 Lakhs (Previous Year Rs. 967.60 Lakhs) has been charged to the corpus fund.

During the year 2024-25, interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs 194.79 Lakhs (Previous Year Rs. 173.22 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Marketing Complex). Further, corrective action with respect to interest amounting to Rs. 241.79 Lakhs not credited to Marketing Complex Corpus for the financial year 2017-18 and 2018-19 has been taken based on the Expert Advisory Opinion issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) by debiting the corresponding amount to the Statement of Profit and Loss under "Exceptional Items" as a prior period item. The accounting treatment has been duly approved by the Board of Directors to ensure compliance with applicable Accounting Standards and to present a true and fair view of the financial statements.

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
(B) Corpus Fund (Mega Cluster)				
a) Receipt from Govt. of India upto date		950.00		950.00
b) Amount of interest earned		867.61		328.72
c) Less : transfer to income		-		-
Total		**1,817.61**		**1,278.72**

As per Government directives, the total fund released by Govt. of India amounting to Rs. 950.00 Lakhs (Previous Year Rs. 950.00 Lakhs) for supply of yarn to the handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. During the year 2024-25, interest of Rs. 98.39 Lakhs (Previous Year - Rs. 87.56 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Mega Cluster). Further, corrective action with respect to interest not credited to Mega Cluster Corpus amounting to Rs. 440.50 Lakhs has been taken based on the Expert Advisory Opinion issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) by debiting the corresponding amount to the Statement of Profit and Loss under "Exceptional Items" as a prior period item. The accounting treatment has been duly approved by the Board of Directors to ensure compliance with applicable Accounting Standards and to present a true and fair view of the financial statements.

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
(C) Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)				
a) Receipt from Govt. of India upto date	26,869.17		26,869.17	
b) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses up to date	441.56		441.56	
c) Amount transferred to Grant account upto date	72.36		72.36	
d) Total (d) =(a-b+c)		26,499.97		26,499.97
e) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBCC) (e)		26,031.08		26,031.08
f) Less : Architect fee upto date(SIKKA) (f)		371.95		371.95
Balance (d-e-f)		**96.94**		**96.94**

i) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses Rs. 369.20 Lakhs (Previous Year Rs. 369.20 Lakhs). Utilisation certificate for Rs. 72.36 Lakhs was transferred to grant account.

ii) No Interest on Corpus fund (TFC) is added as there is recoverable amount lying against TFC amounting to Rs. 152.17 Lakhs (Previous year Rs. 152.17 Lakhs) which is separately shown as recoverable vide Note No. 17.

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
(D) Pochampally for Handloom Park				
a) Receipt from Central / State	2,900.00		2,900.00	
b) Receipt during the year	-		-	
c) Amount of Interest earned/ Less Expenses	1,373.56		1,133.21	
d) Amount of Interest paid	670.38		670.38	
e) Total (a+b+c-d)		3,603.18		3,362.83
f) Less: Amount transferred to Pochampally (Advance paid)		100.00		100.00
g) Less: Amount transferred for Raw Material		100.00		100.00
Balance (e-f-g)		**3,403.18**		**3,162.83**

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
(E) Corpus Fund (Hathkargha Samverdhan Sahayata Yojana)				
a) Receipt from Govt. of India upto date		1,206.72		1,206.72
b) Receipt from Nodal agencies upto date		1,803.45		1,803.45
c) Amount of interest earned		570.09		516.99
d) Less : Amount Released		2,864.43		2,864.43
Total		**715.83**		**662.73**

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
(F) Samarth - Scheme Capacity Building in Textiles Sector				
a) Receipt from Govt. of India upto date		3,669.34		3,669.34
b) Less : Amount Released		3,499.39		3,499.39
Total		**169.96**		**169.96**
(G) Corpus fund (Cluster development)		**1,656.49**		**1,656.49**
(H) Central Nodal Agency (CNA) *		**-**		**862.68**
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+G+H)		**10,812.59**		**10,420.11**

* NHDC is a nominated Central Nodal Agency (CNA) for flow of funds under National Handloom Development Programme (NHDP) by O/o DCHL, Ministry of Texiles, GoI. Accordingly, as per directions, NHDC maintains separate RBI Treasury Single Account (TSA) with RBI Regional Office Delhi and Saving Bank (TSA Hybrid) Accounts with ICICI Bank for the above scheme. The purpose of TSA and TSA Hybrid accounts under NHDC name is to act as a facilitator for providing assignments / drawing limits only, through PFMS, for flow of funds from the CNA accounts to the implementing agencies' Sub-AB accounts / Zero Balance Subsidiary Accounts. During the Financial Year 2024-25, the Company is not presenting balances in these accounts in the Financial Statements as the funds lying in these CNA accounts will not form part of NHDC's books of accounts and shall not increase/decrease the assets/liabilities of books of accounts.

Following were the closing balances:

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
TSA - RBI	7,224.84	-
TSA Hybrid - ICICI Bank	153.67	862.68

7 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
Advance from customers/ others	2,421.39	2,247.13
Deposits - Others	100.00	100.00
Security deposits	15.05	18.02
Govt. grants/participation money	657.88	337.57
Retention money	3.42	3.42
Earnest money	70.43	61.43
Subsidy, Transportation and depot payable	4,575.86	4,599.63
Statutory Liabilities	215.01	130.72
Other Liabilities	1,120.88	815.71
Total	**9,179.92**	**8,313.62**

Subsidy, Transportation and depot payable amounting to Rs. 4,575.86 Lakhs (Previous year Rs. 4,599.63 Lakhs) including a sum of Rs. 1,229.74 Lakhs being transportation and depot payable for the year 2017-2018 are related to Luckow Branch Office. The Corporation received transport and depot charges from the Government of India amounting to Rs. 1,229.74 Lakhs and has not been released to the user agencies, so the liabilities towards transport and depot charges amounting to Rs. 1,229.74 Lakhs is payable to the user agencies. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Further, comments of C&AG received in this regard have already been submitted to the Ministry of Textiles, Government of India. Further, as per the directions of the Board, to ascertain amount outstanding from/to the societies/user agencies and suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Further, as per the direction of the Board, an impact assessment report has been prepared by the transaction auditor and is pending consideration by the Board.

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2024	Addition during the year	Adjustment/ Transfer during the year	Balance as on 31-03-2025
Govt. grants/participation money	337.57	359.18	(38.86)	657.88

8 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS (Rs. In Lakhs)

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
Provision for Employee Benefits	1,395.13	1,497.73
Others	-	83.68
TOTAL	**1,395.13**	**1,581.41**

i) Movement of total provisions (Long term and Short term) during Financial Year 2024-25 is given below :

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2024	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back /Adjustment during the year	Balance as on 31-03-2025
Income tax	83.68	-	83.68	88.43	4.75	-
Accrued leave	492.86	133.43	626.28	104.63	-	521.65
Provision for gratuity liability	130.08	63.41	193.49	8.59	-	184.90
Provision for ex-gratia	146.23	-	146.23	146.23	-	-
Provision for Salary Arrears (pay revision)	1,147.00	-	1,147.00	-	-	1,147.00
TOTAL	1,999.84	196.84	2,196.68	347.88	4.75	1,853.55

ii) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

a) Principal actuarial assumptions

Particulars	2024-25	2023-24
Discount rate (per annum)	6.80%	7.21%
Rate of increase in compensation levels	8%	8%
Expected rate of return on plan assets (in case of gratuity)	7.68%	7.67%
Retirement age	58 Years	
Mortality table	100% of IALM (2012 - 14)	100% of IALM (2012 - 14)
Average withdrawal rate	Withdrawal rate	Withdrawal rate
Upto 30 years	2%	2%
From 31 to 44 years	2%	2%
Above 44 years	2%	2%

The discount rate is generally based upon the market yields available on Government bonds at the Balance Sheet date relevant to currency of benefit payments for a term that matches the liabilities. Salary growth rate is company's long term best estimate as to salary increases & takes account of inflation, seniority, promotion, business plan, HR policy and other relevant factors on long term basis as provided in AS-15.

b) Changes in present value of obligation (Rs. In Lakhs)

Particulars	2024-25		2023-24	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Present Value of Obligation as at the beginning of the year	492.86	764.53	486.98	840.43
Acquisition Adjustment	-	-	10.63	8.59
Interest Cost	35.53	55.12	35.79	61.77
Past Service Cost	-	-	-	-
Current Service Cost	43.51	49.34	44.46	45.86
Contribution by Plan Participants	-	-	-	-
Curtailment Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Benefit Paid	(104.63)	(102.43)	(106.21)	(176.86)
Actuarial (gains)/ loss	54.38	1.23	21.20	(15.27)
Present Value of Obligation as at the end of the year	521.65	767.79	492.86	764.53
	-	-	-	-
Current Liability	63.23	115.36	74.42	108.04
Non Current Liability	458.43	652.42	418.43	656.48
Total	521.65	767.79	492.86	764.53

c) Changes in the Fair value of Plan Assets (Rs. In Lakhs)

Particulars	2024-25		2023-24	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Present Value of Plan Asset as at the beginning of the year	-	634.45	-	763.32
Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	48.66	-	51.75
Actuarial gain/ (loss)	-	(6.38)	-	(7.82)
Employers Contribution	-	8.59	-	4.05
Benefit Paid	-	(102.43)	-	(176.86)
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	-	582.89	-	634.45

d) Percentage of each Category of plan Assets to total Fair Value of Plan Assets as at the end of the year (Rs. In Lakhs)

Particulars	2024-25		2023-24	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Funds managed by Insurer	-	100%	-	100%

e) Reconciliation of the Present Value of Defined Benefit Obligation and the Fair Value of Assets (Rs. In Lakhs)

Particulars	2024-25		2023-24	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Present Value of Funded Obligation as at the end of the year	-	767.79	-	764.53
Fair Value of Plan Assets as at the end of the year	-	582.89	-	634.45
Funded (Asset)/ Liability recognised in the Balance Sheet	-	184.90	-	130.08
Present Value of Unfunded Obligation as at the end of the year	521.65	-	492.86	-
Unfunded Net Liability Recognised in the Balance Sheet	521.65	-	492.86	-

f) Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss Account (Rs. In Lakhs)

Particulars	2024-25		2023-24	
	Leave Encashment	Gratuity (Funded)	Leave Encashment	Gratuity (Funded)
Current Service Cost	43.51	49.34	44.46	45.86
Past Service Cost	-	-	-	-
Acquisition Adjustment	-	-	-	-
Interest Cost	35.53	55.12	35.79	61.77
Expected Return on Plan Assets	-	(48.66)	-	(51.75)
Curtailment Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Settlement Cost/ (Credit)	-	-	-	-
Benefit Paid	-	-	-	-
Net actuarial (gains)/ loss	54.38	7.61	21.20	(7.45)
Total Expenses recognised in the Profit and Loss Account	133.43	63.41	101.45	48.43

g) Sensitivity Analysis of the Defined Benefit Obligation (Rs. In Lakhs)

Particulars	Gratuity (Funded)	Leave Encashment
	FY 2024-25	
-Impact of change in discount rate		
Present Value of obligation at the end of the year	767.79	521.65
a) Impact due to increase of 0.50%	(23.49)	(20.17)
b) Impact due to decrease of 0.50%	24.68	21.80
-Impact of change in Salary rate		
Present Value of obligation at the end of the year	767.79	521.65
a) Impact due to increase of 0.50%	24.28	21.34
b) Impact due to decrease of 0.50%	(23.35)	(20.08)

9 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs. In Lakhs)

Items	For the year ended 31st March 2025													For the year ended 31st March 2024
	FREEHOLD LAND	LEASEHOLD LAND	BUILDING	FURNITURE & FIXTURE	OFFICE AND ELECTRICAL EQUIPMENTS	ELECTRICAL EQUIPMENT AND INSTALLATION	OFFICE EQUIPMENT	LABORATORY EQUIPMENTS	VEHICLE	COMPUTERS		MOBILE EQUIPMENTS	TOTAL	
										Computer & Data processing Units	Servers & Networks			
GROSS BLOCK														
As at beginning of the year	**759.09**	**2,364.44**	**1,004.84**	**130.35**	**-**	**226.67**	**100.22**	**4.34**	**87.91**	**153.71**	**19.30**	**-**	**4,850.88**	**1,774.27**
Addition during the year	-	-	39.89	10.79	-	35.24	2.73	-	-	18.07	-	5.48	112.20	3,096.15
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	-	(6.88)	-	(15.79)	(15.56)	-	(7.52)	(33.65)	(6.17)	-	(85.56)	(19.54)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
As at end of the year	**759.09**	**2,364.44**	**1,044.74**	**134.26**	**-**	**246.12**	**87.39**	**4.34**	**80.40**	**138.14**	**13.13**	**5.48**	**4,877.53**	**4,850.88**
DEPRECIATION														
As at beginning of the year	**-**	**-**	**136.39**	**104.49**	**-**	**179.16**	**91.10**	**4.11**	**40.89**	**109.78**	**18.57**	**-**	**684.47**	**660.19**
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	-	(6.61)	-	(15.03)	(14.67)	-	(7.14)	(30.36)	(5.97)	-	(79.79)	(18.90)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	-	49.87	23.74	7.45	-	12.46	2.79	0.00	7.18	15.80	(0.00)	0.36	119.65	43.18
As at end of the year	**-**	**49.87**	**160.12**	**105.33**	**-**	**176.59**	**79.22**	**4.11**	**40.93**	**95.22**	**12.59**	**0.36**	**724.34**	**684.47**
NET BLOCK														
As at beginning of the year	**759.09**	**2,364.44**	**868.46**	**25.86**	**-**	**47.52**	**9.12**	**0.23**	**47.02**	**43.94**	**0.73**	**-**	**4,166.41**	**1,114.08**
As at end of the year	**759.09**	**2,314.57**	**884.62**	**28.93**	**-**	**69.53**	**8.17**	**0.23**	**39.46**	**42.92**	**0.54**	**5.12**	**4,153.19**	**4,166.41**

i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs. 33.58 Lakhs (Previous year Rs. 33.58 Lakhs) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.

ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 28 to the balance sheet.

iii) The title deeds compressing all the Immovable Property of Land and Building which are free hold, are held in the name of the company as at the balance sheet date.

iv) During the year, the Company has written off gross block amounting to Rs. 87.07 Lakhs (previous year Rs. 17.14 lakhs) having WDV of Rs. 4.18 Lakhs (previous year Nil).

10 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

(Rs. In Lakhs)

	COMPUTER SOFTWARE	
	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	**248.91**	**248.91**
Addition during the year	-	-
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	(21.03)	-
Transfer to during the year	-	-
As at end of the year	**227.88**	**248.91**
DEPRECIATION		
As at beginning of the year	**237.42**	**231.85**
Adjustment during the year	-	-
Transfer to during the year	(19.98)	-
Transfer to general reserve	-	-
Depreciation during the year	1.48	5.57
As at end of the year	**218.92**	**237.42**
NET BLOCK		
As at beginning of the year	**11.49**	**17.06**
As at end of the year	**8.96**	**11.49**

11 DEFERRED TAX ASSETS (Net)

The break up of net deferred tax assets as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As at 31-03-2025		As at 31-03-2024	
	Deferred Tax Assets (Rs. In Lakhs)	Deferred Tax Liability (Rs. In Lakhs)	Deferred Tax Assets (Rs. In Lakhs)	Deferred Tax Liability (Rs. In Lakhs)
Net Deferred Tax Asset / (Liability) as at the end of previous reporting period	**338.61**		**322.44**	
Movement in Deferred Tax during the reporting period (B)				
Deferred Tax Liabilities created on account of :				
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		5.29		16.93
Unpaid statutory Liability debited to Profit & Loss Accounts		48.82		1.25
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)		15.77		15.77
Deferred Tax Assets created on account of :				
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	(44.20)		4.38	
Provision for leave salary	(23.21)		1.96	
Provsion for gratuity	3.11		43.43	
Provision for Deceased Employee Scheme	(0.13)		0.36	
Disallowances under section 43B	160.16		-	
Deferred Tax Assets on Brought Forward Losses and Unabsorbed Depreciation	643.76		-	
Total	**739.49**	**69.87**	**50.12**	**33.95**
Net Asset / (Liability) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period (B)	**669.61**		**16.18**	
Net Deferred Tax Asset / (Liability) as at the end of current reporting period (A)+(B)	**1,008.22**		**338.61**	

Note - Net Asset / (Liability) of Rs. 669.61 Lakhs (Previous year Rs. 16.18 Lakhs) charged to Profit and Loss account.

12 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
TOTAL	**-**	**-**

The company has not granted any loan and advances in the nature of loan to promoters, directors, KMPS and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms or period of repayment.

13 NON CURRENT ASSETS – OTHERS

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
Unsecured, considered good		
Security Deposit	23.14	6.45
TOTAL	**23.14**	**6.45**

14 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
(As taken, valued and certified by the management)		
Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less.	267.53	372.95
Goods in Transit	-	-
TOTAL	**267.53**	**372.95**

The Company has physically verified the inventories at reasonable intervals and there are no discrepancies of 10% or more in the aggregate of each class of inventories were noticed during such verification.

15 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
Trade Receivables (unsecured)				
i) Over six months				
- Considered good	25,586.66		25,573.60	
- Considered doubtful	542.05		561.18	
	26,128.70		26,134.78	
- Less: Provision for doubtful debts	(542.05)	25,586.65	(561.18)	25,573.60
ii) Others (Considered good)		3,185.17		2,477.03
TOTAL		**28,771.82**		**28,050.64**

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2025		% of Confirmation of balances as on 31-03-2025	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	1,172.00	29,313.87	366.00	2,123.47	31.23%	7.24%

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Trade Receivables for Rs. 29,170.44 Lakhs (Previous year Rs. 28,611.82 Lakhs) include a sum of Rs. 24,566.31 Lakhs (Previous year - Rs. 24,564.75 Lakhs) relating to sale made by Lucknow branch office. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Further, as per the directions of the Board, to ascertain amount outstanding from/to the societies/user agencies and suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Based on the findings of the said transaction audit, the figures wrt Trade receivables of Lucknow Branch office has been revised to Rs. 24,566.31 Lakhs as against Rs. 24,564.75 Lakhs reported in previous financial year. Further, as per the direction of the Board, an impact assessment report has been prepared by the transaction auditor and is pending consideration by the Board.

iii) Trade Receivables for Rs. 29,170.44 Lakhs (Previous year Rs. 28,611.82 Lakhs) include a sum of Rs. 170.10 Lakhs (Previous year Rs. 190.18 Lakhs) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs.189.24 Lakhs (Previous year Rs. 189.24 Lakhs) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs. 210.11 Lakhs (Previous year Rs. 210.11 Lakhs). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 692.07 Lakhs (Previous year Rs. 1,097.00 Lakhs) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iv) Trade receivables are neither receivable from directors or other officers of the company either severally or jointly with any other person, nor any trade or other receivable are due from firm or private companies respectively in which any director is a partner/ director or member.

v) Provision for doubtful debts of Rs. 57.19 Lakhs (Previous Year - Rs. 129.10 Lakhs) against the non- corpus funds outstanding for more than 3 Years have not been provided for during the year due to change in accounting policy approved vide 177th Board meeting dtd. 16.06.2023. However, balance outstanding of Rs. 542.05 Lakhs (Previous Year - Rs. 561.18 Lakhs) is being continued in books of accounts vide board meeting approved in 178th board meeting dtd 15.09.2023.

vi) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2024	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2025
Provision for doubtful Trade Receivables.	561.18	-	561.18	7.14	11.99	542.05

vii) **Ageing Schedule of Trade Receivables :**

As at 31.03.2025 **(Rs. In Lakhs)**

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
i) Undisputed Trade Receivables – considered good	-	3,185.17	47.29	40.43	89.98	1,174.17
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	42.01
iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	24,734.85
Total	-	3,185.17	47.29	40.43	89.98	25,951.02

As at 31.03.2024 **(Rs. In Lakhs)**

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
i) Undisputed Trade Receivables – considered good	-	2,477.62	33.78	115.87	70.22	866.71
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	313.22
iii) Disputed Trade Receivables – considered good	-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables – considered doubtful	-	-	-	-	-	24,734.39
Total	-	2,477.62	33.78	115.87	70.22	25,914.33

16 CURRENT ASSETS - CASH & BANK BALANCES

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
(a) Cash and Cash equivalents		
-Balances with scheduled bank *	1,345.48	1,665.37
-Balances with non- scheduled bank	-	-
(b) Other Bank Balances		
-FDR	7,813.12	8,070.85
TOTAL	**9,158.61**	**9,736.22**

* Balances with scheduled bank include Rs. 0.89 Lakh (previous year - Rs. 0.89 Lakh) pertains to Bank account in Head Office which has become dormant due to pending KYC formalities with Bank.

Balances with scheduled bank include Rs. 2.00 Lakhs (previous year - Rs. 2.00 Lakhs) pertains to Bank account in RO Varanasi which has become dormant due to pending KYC formalities with Bank.

Balances with scheduled bank include Rs. 0.91 Lakh (previous year - Rs. 7.73 Lakhs) towards duplicate debit made by Bank inadvertently in Head Office.

17 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
(i) Loans (Unsecured, considered good)				
- Vehicle loan to staff		3.67		4.24
(ii) Advances (Unsecured)				
(Recoverable in cash or kind or for value to be received)				
- Advance to suppliers				
- Considered good	2,416.90		2,408.74	
- Considered doubtful	11.22		11.22	
	2,428.12		2,419.96	
- Less: Provision for doubtful advances	(11.22)	2,416.90	(11.22)	2,408.74
(iii) Advance to staff (Unsecured)				
- Considered good	19.93		24.87	
- Considered doubtful	0.25		1.26	
	20.18		26.13	
- Less: Provision for doubtful advances	(0.25)	19.93	(1.26)	24.87
(iv) Advance to others (Unsecured)				
- Considered good	389.91		534.74	
- Considered doubtful	1.60		1.35	
	391.51		536.09	
- Less: Provision for doubtful advances	(1.60)	389.91	(1.35)	534.74
(v) Prepaid expenses		12.25		15.58
(vi) Advance income tax including tax deducted at		58.97		53.24
(vii) GST receivable		161.89		122.65
(viii) DEPOSITS (Unsecured but considered good)				
- For rent of complexes/ others				
- Considered good	20.13		18.04	
- Considered doubtful	0.27		0.86	
	20.40		18.90	
- Less: Provision for doubtful deposits	(0.27)	20.13	(0.86)	18.04
(ix) RECEIVABLES				
- From the Government of India against grant-in-aid		5,792.16		4,995.68
- Claims receivable		40.25		40.25
- Outstanding against marketing Complex/ others				
- Considered good	5.08		11.37	
- Considered doubtful	18.64		33.42	
	23.72		44.79	
- Less: Provision for doubtful receivables	(18.64)	5.08	(33.42)	11.37
(x) Interest outstanding from user Agencies				
Deferred accrued Interest				
- Considered good	-		-	
- Considered doubtful	179.35		179.35	
	179.35		179.35	
- Less: Provision for doubtful interest	(179.35)	-	(179.35)	-
TOTAL		**8,921.15**		**8,229.40**

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2024	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2025
a) Provision for doubtful advances to suppliers	11.22	-	11.22	-	-	11.22
b) Provision for doubtful advances to staff	1.26	-	1.26	-	1.02	0.25
c) Provision for doubtful advances to others	1.35	0.25	1.60	-	-	1.60
d) Provision for doubtful deposits	0.86	-	0.86	-	0.59	0.27
e) Provision for doubtful receivables	33.42	-	33.42	14.78	-	18.64
f) Provision for doubtful deferred accrued interest	179.35	-	179.35	-	-	179.35
Total	**227.46**	**0.25**	**227.71**	**14.78**	**1.61**	**211.33**

ii) The company has not granted any loan or advance in the nature of loan to promoters, directors, KMP and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms of period of repayment.

iii) Advances to suppliers amounting to Rs. 2,428.12 Lakhs (Previous year Rs.2,419.96 Lakhs) including a sum of Rs. 2,157.93 Lakhs being 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018. The amount of 10% subsidy of Rs. 2,157.93 Lakhs (i.e.10% of Rs. 215.79 crore for the sales of March,2018) NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills. Considering the fact that the Ministry of Textiles, Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy of March 2018, Corporation adjusted the subsidy amount by debiting to the suppliers. During FY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Further, comments of C&AG received in this regard have already been submitted to the Ministry of Textiles, Government of India. Further, to ascertain amount outstanding from/to the societies/user agencies and suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards was carried out. The report of the same was received in current financial year 2024-25 and has been submitted to the Board. Further, as per the direction of the Board, an impact assessment report has been prepared by the transaction auditor and is pending consideration by the Board.

iv) Advances to suppliers of Rs. 2,428.12 Lakhs (Previous year Rs. 2,419.96 Lakhs) include a sum of Rs. 7.27 Lakhs (Previous year Rs. 7.27 Lakhs) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.

v) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs. 1880.53 Lakhs (Previous year Rs. 1502.59 Lakhs) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government.

Particulars	Balance as on 31-03-2024	Addition, Amount spent during the year & UC submitted	Adjustment during the year & Balance UC to be submitted, Grant Balance	Amount received during the year from Govt.of India	Balance as on 31-03-2025
YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME/RAW MATERIAL SUPPLY SCHEME					
10%/15% HANK YARN SUBSIDY	2,407.29	12,842.09	-	13,598.32	1,651.06
YSS CLAIMS (MGPS)	1,085.80	4,703.44	-	3,528.67	2,260.57
OTHER GRANTS INCLUDING CORPUS	1,502.59	1,357.12	(153.41)	825.77	1,880.53
TOTAL	4,995.68	18,902.65	(153.41)	17,952.76	5,792.16

vi) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs. 24 Lakhs (Previous year Rs. 24 Lakhs) in respect of CNA management charges for Financial Year 2023-24 and 2022-23.

vii) In respect of Deferred accrued interest for Rs. 179.35 Lakhs (Previous year Rs. 179.35 Lakhs) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

viii) GST receivable includes Rs. 47.26 Lakhs on account of refund / adjustment.

18 OTHER CURRENT ASSETS (CORPUS)

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
Unsecured, considered good		
(A) Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)	2,952.60	2,529.77
(B) Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)	1,817.61	1,278.72
(C) Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation centre)	96.94	96.94
(D) Deployment of Corpus Fund (Pochampally)	3,403.18	3,162.83
(E) Hathkargha Samverdhan Sahayeta Yojana	715.82	662.73
(F) Samarth - Scheme for Capacity Building in Textiles Sector	169.96	169.96
(H) Central Nodal Agency (CNA)	-	862.67
TOTAL	**9,156.10**	**8,763.62**

(i) The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit and current account except Central Nodal

(ii) NHDC is a nominated Central Nodal Agency (CNA) for flow of funds under National Handloom Development Programme (NHDP) by O/o DCHL, Ministry of Texiles, GoI. Accordingly, as per directions, NHDC maintains separate RBI Treasury Single Account (TSA) with RBI Regional Office Delhi and Saving Bank (TSA Hybrid) Accounts with ICICI Bank for the above scheme. The purpose of TSA and TSA Hybrid accounts under NHDC name is to act as a facilitator for providing assignments / drawing limits only, through PFMS, for flow of funds from the CNA accounts to the implementing agencies' Sub-AB accounts / Zero Balance Subsidiary Accounts. During the Financial Year 2024-25, the Company is not presenting balances in these accounts in the Financial Statements as the funds lying in these CNA accounts will not form part of NHDC's books of accounts and shall not increase/decrease the assets/liabilities of books of accounts.

Following were the closing balances:

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)	As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)
TSA - RBI	7,224.84	-
TSA Hybrid - ICICI Bank	153.67	862.67

19 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

Particulars	As at 31-03-2025 (Rs. in Lakhs)		As at 31-03-2024 (Rs. in Lakhs)	
A) Interest accrued but not received		419.92		301.55
B) Post Retirement Medical Corpus				
-FDR against Medical Corpus	44.55		12.47	
-Balance with Scheduled Bank in Current Account	-	44.55	-	12.47
C) Others		7.24		-
TOTAL (A+B)		**471.71**		**314.01**

20 REVENUE FROM OPERATIONS

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
(a) Sales less returns		
-Yarn		
- Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply	114,688.80	116,545.18
- General Scheme	987.67	719.86
-Dyes & chemicals	5,620.19	5,411.65
-Fabrics	-	-
Total (a)	**121,296.66**	**122,676.69**
(b) Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme		
-Transportation Charges	1,961.34	1,842.71
-Depot Charges	390.93	448.87
-Service charges	2,350.84	2,378.92
Total (b)	**4,703.10**	**4,670.49**
TOTAL (a+b)	**125,999.76**	**127,347.19**

i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs. 4703.10 Lakhs (Previous year Rs. 4670.49 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis.

21 OTHER INCOME

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
Profit on sale of assets	0.34	-
Miscellaneous receipt/ tender Fees	146.45	123.69
Depot charges received	79.21	87.48
Interest from bank/ vehicle loan/ others	491.45	563.32
Cash discount/ commission	0.10	3.66
Interest received from parties on overdue bills	6.88	-
Liabilities/ excess provisions written back	43.07	48.41
Provision no longer required written back	21.15	5.01
TOTAL	**788.65**	**831.57**

i) Interest from bank/ vehicle loan/ others is net off by Rs. 71.53 Lakhs (Previous year Rs. 108.42 Lakhs) being the reversal of Interest Income on FDR for earlier years.

ii) Provision no longer required written back for Rs. 21.15 Lakhs (Previous year Rs. 5.01 Lakhs) is with respect to recovery made from doubtful debts / receivables. Provision for bad and doubtful debts is made based on non-corpus Trade Receivables outstanding for more than three years and no back to back arrangement with suppliers are considered doubtful of recovery are invariably provided.

22 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
Purchases less returns		
-Yarn	115,558.54	117,365.26
-Dyes & chemicals	5,467.48	5,231.28
-Fabrics	-	-
TOTAL	**121,026.02**	**122,596.54**

i) The value of purchases from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2024-25 is Rs. 69,831.25 Lakhs (57.70 % of total purchases) as against Rs. 65,832.37 Lakhs 53.70 % of total purchases) during the previous year 2023-24.

23 TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
Transportation Charges	1,961.34	1,842.71
Depot Charges	390.93	448.87
TOTAL	**2,352.26**	**2,291.58**

i) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs. 2352.26 Lakhs (Previous year Rs. 2291.58 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

24 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(Rs. In Lakhs)

Particulars	OPENING STOCK AS AT 01-04-2024	CLOSING STOCK AS AT 31-03-2025	INCREASE (-)/ DECREASE
YARN	350.32	245.29	105.03
DYES & CHEMICALS	22.63	22.24	0.39
FABRICS	-	-	-
TOTAL	**372.95**	**267.53**	**105.43**

(Rs. In Lakhs)

Particulars	OPENING STOCK AS AT 01-04-2023	CLOSING STOCK AS AT 31-03-2024	INCREASE (-)/ DECREASE
YARN	235.46	350.32	(114.86)
DYES & CHEMICALS	22.58	22.63	(0.05)
FABRICS	-	-	-
TOTAL	**258.04**	**372.95**	**(114.91)**

25 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
a) Salary & Wages		
Salary and allowances	1,367.92	1,370.40
Leave encashment (Including provision for accrued leave)	133.43	101.44
Ex-Gratia	-	146.23
Recruitment Expenses	1.78	4.56
Medical expenses	18.95	16.33
Training to personnel	1.54	2.46
Sub Total (a)	**1,523.62**	**1,641.42**
b) Contribution to PF & other Fund		
Employers contribution to CPF & FPF / EDLI scheme / NPS	165.34	168.62
Gratuity	63.41	48.43
Sub Total (b)	**228.75**	**217.05**
c) Staff Welfare expenses		
Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries)	70.02	46.40
Payment to Deceased Employee Scheme	7.85	7.74
Sub Total (c)	**77.87**	**54.14**
Total (a+b+c)	**1,830.25**	**1,912.61**

i) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan
Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

(Rs. In Lakhs)

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
Employer's contribution to CPF/ FPF/NPS/DDE & EDLI Schemes.	173.19	176.36

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

ii) **Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2024-25 is as below:-**

(Rs. In Lakhs)

Sl No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD*	CFO**	Co.	TOTAL
1	Gross Salary	54.06	30.23	-	84.29
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961	-	-	-	-
2	Stock Option	-	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-	-
4	Commission				
	- as % of Profit	-	-	-	-
	- others	-	-	-	-
5	Others - Lease rent & Maintenance	14.85	-	-	14.85
	TOTAL	**68.91**	**30.23**	-	**99.14**

* Ms. Rita Prem Hemrajani has served as MD upto 30.11.2024. Commodore Rajiv Ashok (Retd.) is serving as MD w.e.f. 11.02.2025.

** Sh. Jitendra V Purohit has served as CFO upto 24.02.2025. ED (Finance) Sh. Dhirender Prakash Jalandhari is serving as CFO w.e.f. 25.02.2025.

*** No Co. Secretary was appointed upto 24.02.2025. ED (Finance) Sh. Dhirender Prakash Jalandhari is serving as Co. Secretary (Additional Charge) w.e.f. 25.02.2025.

26 FINANCE COSTS

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
Interest to bank/ others	-	-
Other Borrowing cost	-	-
Total	**-**	**-**

27 **OTHER EXPENSES**

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
(a) ADMINISTRATIVE EXPENSES		
Travelling expenses	101.84	75.25
Payment to auditors	8.17	5.79
Board meeting expenses (Including Sitting fees)	0.30	4.52
Books & periodicals	0.39	0.46
Conveyance expenses	18.95	17.29
Electricity/water charges	40.17	19.40
Insurance	8.65	10.63
Legal & professional charges	83.26	125.35
Membership fees & subscription	2.36	2.93
Office upkeep	28.10	20.22
Printing & stationery	24.35	22.02
Postage/telegram/telephone & telex	21.43	21.67
Rent, rates & taxes (net of recoveries)	55.42	124.69
Repair & maintenance	59.28	30.77
Service vehicle expenses	48.60	50.27
Manpower Expenses	117.71	32.79
Security expenses	72.97	72.59
Advertisement & publicity	-	1.04
Business promotion	22.24	40.59
Discount, commission & rebate	0.66	0.00
Bank charges	2.70	3.92
Freight & other charges	46.68	48.38
Meeting expenses	9.43	6.80
Software implementation/ maintenance expenses	62.61	85.70
Data entry charges	40.76	35.37
Hospitality and Entertainment Expenses	8.22	7.01
Exhibition Expenses	4.73	2.87
Expenses on Corporate Social Responsibility	4.90	-
Miscellaneous expenses	5.50	5.02
TOTAL (a)	**900.39**	**873.37**

i) **Payment made to auditors is as below:-**

Audit Fee	7.67	5.27
Other Capacity	0.50	0.52
TOTAL	**8.17**	**5.79**

ii) **Disclosure of CSR Expenditure for Company covered under section 135:**

	(Rs. In Lakhs)
a. Amount required to be spent during the year	4.88
b. Amount unspent (excess spent) carried forward from earlier year	-
c. Amount of expenditure incurred	4.90
d. Shortfall at the end of the year (excess amount spent carried forward)	-
e. Total of previous years shortfall	-
f. Reason for shortfall	NA
g. Nature of CSR activities	Organising Eye Care Camps
h. Details of related party transactions, - contribution to trust controlled by Co as per AS	NA
i. Movement in provision during the year	-

		(Rs. In Lakhs)	
Particulars	**Paid during current year**	**Yet to be paid**	**Total**
Organising Eye Care Camps	4.90	-	**4.90**
Total	**4.90**	**-**	**4.90**

(b) OTHERS

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
Provision for doubtful debtors	-	18.14
Provision for doubtful advances to supplier	-	-
TOTAL (b)	**-**	**18.14**

(i) During the year, provision for doubtful debts of Rs. 57.19 Lakhs (Previous Year - Rs. 129.10 Lakhs) against the non-corpus funds outstanding for more than 3 Years have not been provided, vide. 177th Board meeting dtd. 16.06.2023. This has led to increase in profit by Rs. 57.19 Lakhs (Previous Year - Rs. 129.10 Lakhs)

TOTAL (a+b)	**900.39**	**891.51**

28 EXCEPTIONAL ITEMS

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
a) WRITE OFF		
Loss on sale / write off of assets	4.56	-
Write off debtors	3.76	-
Sub Total (a)	**8.33**	**-**
b) Prior Period Adjustments *	920.47	-
Total (a+b)	**928.80**	**-**

* Prior period Adjustments include :

(i) Corrective action with respect to interest amounting to Rs. 241.79 Lakhs not credited to Marketing Complex Corpus for the financial year 2017-18 and 2018-19 has been taken based on the Expert Advisory Opinion issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) by debiting the corresponding amount to the Statement of Profit and Loss under "Exceptional Items" as a prior period item. The accounting treatment has been duly approved by the Board of Directors to ensure compliance with applicable Accounting Standards and to present a true and fair view of the financial statements.

(ii) Corrective action with respect to interest not credited to Mega Cluster Corpus amounting to Rs. 440.50 Lakhs has been taken based on the Expert Advisory Opinion issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) by debiting the corresponding amount to the Statement of Profit and Loss under "Exceptional Items" as a prior period item. The accounting treatment has been duly approved by the Board of Directors to ensure compliance with applicable Accounting Standards and to present a true and fair view of the financial statements.

(iii) As per the audited financial statements of NHDC CPF Trust for FY 2023-24, there is a shortfall in reserves amounting to Rs. 237.53 Lakhs. As the Company is the sponsoring employer of the Trust, it has elected to recoup these losses in the current financial year, thereby supporting the Trust's financial position and ensuring the Trust meets its obligations and statutory requirements.

29 TAX EXPENSES - Current Tax

Particulars	For the year ended 31-03-2025 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2024 (Rs. In Lakhs)
Income Tax for Current year	-	83.68
Income Tax for earlier year	14.55	(61.65)
Total	**14.55**	**22.02**

(i) During the year provision for income tax is Rs. Nil (Previous year Rs. 83.68 Lakhs).

(ii) Effective FY 2024-25, the Company has irrevocably opted for taxation under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961, which provides for a concessional rate of tax, subject to the condition that the Company will not avail specified exemptions and deductions.
Accordingly, the Company's income tax expense for the current and subsequent periods is determined based on the taxable income computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961, as applicable to companies opting for taxation under Section 115BAA, and the expected outcome of assessments/appeals.
As per the provisions of Section 115BAA, the Company is not subject to the provisions relating to Minimum Alternate Tax (MAT) under Section 115JB. Consequently, MAT is no longer applicable and no MAT credit entitlement is recognized in the financial statements from the date of adoption of the new regime.

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

30 Ratios with explanation for items included in numerator & denominator

Particulars	Numerator	Denominator	As at 31-03-2025	As at 31-03-2024	% of Variance	Reason for Variance (more than 25%)
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liability	**1.07**	**1.09**	-1.41%	
(b) Debt-Equity Ratio,			**NA**	**NA**		
(c) Debt Service Coverage Ratio			**NA**	**NA**		
(d) Return on Equity Ratio	Net Profit after taxes	Average Shareholder's Equity	**2.12%**	**6.60%**	67.89%	Due to prior period adjustments and deferred tax adjustments
(e) Inventory Turnover Ratio	Cost of goods Sold	Average Inventory	**378.25**	**388.22**	-2.57%	
(f) Trade Receivables Turnover Ratio	Revenue from operations	Average trade receivables	**4.27**	**4.30**	-0.68%	
(g) Trade Payables Turnover Ratio	Purchases of stock in trade	Average trade payables	**3.89**	**3.92**	-0.86%	
(h) Net Capital Turnover Ratio	Revenue from operations	Net Capital Employed	**14.26**	**14.40**	-0.97%	
(i) Net Profit Ratio	Net Profit after taxes	Revenue from operations	**0.15%**	**0.45%**	66.85%	Due to prior period adjustments and deferred tax adjustments
(j) Return on Capital Employed	Earning before Interest and taxes	Net Capital Employed	**(0.04)**	**0.07**	159.08%	Due to prior period adjustments
(k) Return on Investment	Net Profit after taxes	Total net worth	**2.11%**	**6.42%**	67.17%	Due to prior period adjustments and deferred tax adjustments

31 The details of crypto currency or virtual currency.

The company did not trade or invest in crypto currency or virtual currency during the financial year hence, disclosure relating to it are not applicable.

32 There is no proceeding initiated or are pending again the company for holding any benami Property under the Benami transaction (prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.

33 The company did not have any transaction with company stuck off under section 248 of Company Act, 2013 or section 560 of Company Act, 1956 considering the information available with the company.

34 The company do not have any parents company and accordingly, compliance with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with Company (restriction on number of layers) Rules, 2017 is not applicable for the year under consideration.

35 There are no scheme of arrangements approved by the Competent Authority in terms of section 230 of the Company Act, 2013 during the year.

36 The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity (ies) including foreign entities (intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

37 The Company do not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.

38 OTHER NOTES

I Contingent Liabilities and Commitments

A) Contingent Liabilities:-

(i) Court cases against the company - Nil (Previous year Nil)

(ii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - **Rs. 2,00,000** (Previous year Rs. 2,00,000).

(iii) Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability & GST, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.

B) Commitment:-

Nil

II Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

Sl. No.	PARTICULARS	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in	Rs. In Lakhs
1	Opening Stock - Current Year	0.43	350.32	0.33	22.63	-	-
	- Previous Year	0.22	235.46	0.29	22.58	-	-
2	Purchase - Current Year	326.61	115,558.54	53.83	5,467.48	-	-
	- Previous Year	341.56	117,365.26	45.09	5,231.28	-	-
3	Sale* - Current Year	326.78	115,663.57	53.71	5,467.87	-	-
	- Previous Year	341.35	117,250.40	45.04	5,231.23	-	-
4	Closing Stock - Current Year	0.26	245.29	0.45	22.24	-	-
	- Previous Year	0.43	350.32	0.33	22.63	-	-

* Sale amount represents the Cost of Sale

C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs. Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).

D) Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs. Nil).

E) Expenditure incurred in foreign Currency - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

III Segment Reporting

In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(Rs. In Lakhs)

		Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A)	**Primary information**				
1	Segment wise Revenue	120,379.57	5,620.19	-	125,999.76
2	Segment wise Results	837.12	152.32	-	989.44
3	Unallocated overheads	-	-	-	1,328.59
4	Interest from Bank & others	-	-	-	491.45
5	Other Income	-	-	-	297.20
6	Prior period adjustments	-	-	-	920.47
7	CSR Expenditure				4.90
8	Profit before tax	-	-	-	(475.87)
9	Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	14.55
10	Deferred tax	-	-	-	(669.62)
11	Profit after tax	-	-	-	179.20
12	Segment-wise assets	35,907.88	2,159.22	143.43	38,210.53
13	Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	23,729.88
14	Total Assets				61,940.41
15	Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	40,319.95	258.78	174.11	40,752.84
16	Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	12,680.92
17	Total liabilities				53,433.77
18	Depreciation segment-wise	12.29	-	-	121.13

i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.

(Rs. In Lakhs)

B)	**Secondary Information**	**Name of the Region**	**Segment Revenue**
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Coimbatore	32,120.36
		RO Hyderabad	18,921.15
		RO Bengaluru	15,312.85
		RO Panipat	22,611.07
		RO Kolkata	21,321.34
		Name of the Region	**Assets**
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Varanasi	26,093.38
		Name of the Region	**Addition to Fixed Assets**
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	NIL	NIL

IV The accompanying Notes 1 to 38 form an integral part of Financial Statements.

V The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.

VI Figures have been rounded off to the nearest rupees in Lakhs unless specified otherwise.

Nature of reclassification	Amount of each item reclassified		Reason for the reclassification
	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024	
Hereto, Current maturities of long rem borrowings was included in Other Current Financial Liabilities. As per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented under "Short Term Borrowings" as a separate line and previous year figure has been reclassified.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013
Earlier Lease Liabilities were presented as part of Other Financial Liabilities, however as per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented as separate line item on the face of Balance Sheet under the heading "Financial Liabilities" after Borrowings and previous year figure has been reclassified accordingly.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013

For and on behalf of Board of Directors

Dhirender Prakash Jalandhari
ED(Finance) / CFO / CS(Addl. Charge)

Commodore Rajiv Ashok (Retd.)
Managing Director

DIN No. - 09598427

Dr. Beena Mahadevan
Chairperson

DIN No. - 03483417

As per our Report of even date
For M. B. Gupta & Co.
Chartered Accountants
F.R. No. : 006928N

UDIN : 25085469BMIBZW7650
Place: New Delhi
Date: 04.11.2025

Mahesh Baboo Gupta
Partner
M. No. : 085469

Grants Related Information

i)	Grant Statement									
		DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD								
										(In Rs.Lakhs)
SL. NO.	PARTICULARS	BALANCE AS ON 31.03.2024	RECEIVED DURING THE YEAR FROM GOVT.	RECEIVED DURING THE YEAR FROM PARTICIPANTS/OTHERS	TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR EXPENSES	TRANSACTIONS DURING THE YEAR REFUND	TRANSACTIONS DURING THE YEAR ADJUSTMENT/ TRANSFER	TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2025
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9	9 (7-8-9)	10 (6+9)
230063	Chds-Varanasi Mega Cluster 4 No.Extension Counter	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	-	(2.87)
230083	SILK FAB , CHENNAI 2019-20	23.84	-	-	23.84	-	-	-	-	23.84
230084	SILK FAB , MUMBAI 2019-20	14.87	-	-	14.87	-	-	-	-	14.87
230085	SILK FAB , ERNAKULAM 2019-20	23.96	-	-	23.96	-	-	-	-	23.96
230087	SHE (Silk Fab), Dehradun 2019-20	23.15	-	-	23.15	-	-	-	-	23.15
230088	SHE (Silk Fab), Bhubaneswar 2019-20	23.82	-	-	23.82	-	-	-	-	23.82
230090	SHE (Silk Fab), Chandigarh 2019-20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	-	17.17
230102	SHE (Silk Fab), Hyderabad 2019-20	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	-	(14.00)
230110	National Handloom Expo, Lucknow 2019-20	10.01	-	-	10.01	-	-	-	-	10.01
230113	NLSHE AGRA (2019-2020)	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	-	(14.00)
233154	MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDC	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	-	(2.90)
233167	Silk Fab Chennai (2018-19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	-	9.43
233199	SILK FAB AHEMADABAD 2019-2020	15.83	-	-	15.83	-	-	-	-	15.83
233200	CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	-	(1.20)
233203	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 LEH-LADDAKH	14.50	-	-	14.50	-	-	-	-	14.50
233204	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JABALPUR	7.05	-	-	7.05	-	-	-	-	7.05
233205	COLLABORATION AND SPONSORSHIP OF ABAHONI -2019 (MAHATMA GANDHI)	1.50	-	-	1.50	-	-	-	-	1.50
233301	GRANT FOR INFORNATION EDUCATION & COMMUNICATION	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	-	(48.05)
233302	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	-	(9.17)
233303	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	-	(56.33)
233304	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	-	(2.57)
233305	GRANT FOR HIRING CONTRANCTUAL STAFF FOR BLILUS, WSC VARANASI	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	-	(4.67)
233307	GRANT FOR CFC VARANASI	28.04	-	-	28.04	-	-	-	-	28.04
233336	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	-	(6.78)
233337	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	-	(0.05)
233338	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	-	(0.96)
233339	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	-	(0.30)
233350	INDIA HAND LOOM BRAND	53.12	-	-	53.12	-	-	-	-	53.12
233400	WEAVERS AWARENESS CAMP	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	-	(7.60)
233406	ORGANIZE DESIGENERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI IST AUG.2017	2.64	-	-	2.64	-	-	-	-	2.64
233407	3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI	54.14	-	-	54.14	-	-	-	-	54.14
233408	INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHEMDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017	60.33	-	-	60.33	-	-	-	-	60.33
233412	INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM	2.41	-	-	2.41	-	-	-	-	2.41
233418	INTERNATIONAL WOMENS DAY	1.39	-	-	1.39	-	-	-	-	1.39
233419	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	-	37.65
233420	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	-	10.68
233423	SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	5.00
233427	15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	-	(0.03)
233432	PMTA (TFC) JLL	1.22	-	-	1.22	-	-	-	-	1.22
233437	VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018	8.97	-	-	8.97	-	-	-	-	8.97
233438	DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE MUSEUM CENTRE (TFC) PAYMENT	29.65	-	-	29.65	-	-	-	-	29.65
233441	KAUSHAMBI MAHOTSAV 2018 (4TH APRIL 2018 TO 5TH APRIL 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	-	0.99
233442	4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018	1.66	-	-	1.66	-	-	-	-	1.66
233443	12 FLIMS ON GI REGISTERED HANDLOOM /HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	-	1.40
233444	TO ORGANISE DISTRICT LEVEL EVENTS (UNDER NHDP)	14.05	-	-	14.05	-	-	-	-	14.05
233445	SILK FAB RAIPUR 2018-2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	-	2.88
233453	7th National Handloom Day 2021-22	46.07	-	-	46.07	-	-	-	-	46.07
233501	GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	124.96	-	-	124.96	-	-	-	-	124.96
233502	GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	-	(10.82)
233504	DESIGNS DEV AND PATTERN MAKING- VARANASI	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	-	(0.18)
233510	HANDLOOM HELPLINE CENTRE (MSD)	(0.64)	20.51	-	(21.16)	20.51	-	6.82	13.69	(7.46)
233516	RETAIL OUTLET OF EXCLUSIVE HANDLOOM PRODUCTS (FLAGSHIP STORES)	88.09	14.76	3.80	69.53	32.67	-	-	32.67	102.20
233517	PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR	1.14	-	-	1.14	-	-	-	-	1.14
233604	NATIONAL HANDLOOM EXPO- Indore(2018-19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	-	7.64
233606	NATIONAL HANDLOOM EXPO- Patna(2018-19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	-	6.82
233701	OUTREACH PROGRAMME FOR PROMOTION OF HANDLOOMS (NJB KOLKOTTA) FROM 7-01-2019 TO 13-01-2019	(0.63)	-	-	(0.63)	-	-	-	-	(0.63)
233702	OUTREACH PROGRAMME OF MSME (WSC JAN 2019 TO FEB.2019)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	-	13.69
233708	Mapping of Cluster Artisans	(2.51)	-	-	(2.51)	-	-	-	-	(2.51)
233709	Video film showcasing the skilful craftsmanship of chosen cluster areas	(3.34)	-	-	(3.34)	-	-	-	-	(3.34)
233712	Formation of Producer Company	0.55	-	-	0.55	-	-	-	-	0.55
233714	Silk Fab Pune 2020-21	(22.40)	-	-	(22.40)	-	-	-	-	(22.40)
233715	Silk Fab Ernakulam 2020-21	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	-	(14.00)
233716	Silk Fab Jammu 2020-21	6.35	-	-	6.35	-	-	-	-	6.35
233717	Silk Fab Guwahati 2020-21	5.38	-	-	5.38	-	-	-	-	5.38
233719	Silk Fab Surat 2020-21	(7.41)	-	-	(7.41)	-	-	-	-	(7.41)
233720	Silk Fab Hyderabad 2020-21	0.47	-	-	0.47	-	-	-	-	0.47
233721	Silk Fab Patna 2020-21	6.15	-	-	6.15	-	-	-	-	6.15
233730	My Handloom My Pride Exhibition Dilli Haat 2021-22	60.41	-	-	60.41	-	-	-	-	60.41
233732	Exclusive Handloom Expo FY 2021-22 Delhi	(13.84)	-	-	(13.84)	-	-	-	-	(13.84)
233734	39th Foundation Day of NHDC LTD FY 2021-22	11.99	-	-	11.99	-	-	-	-	11.99
233735	Jharokha- Celebrating Crafts of India Ajmer FY 2021-22	3.14	3.01	-	0.13	-	-	-	-	0.13
233741	Seminar on Dissemination of Scheme 2021-22	5.62	5.74	-	(0.12)	-	-	-	-	(0.12)
233763	District Handloom Expo Varanasi 2021-22	4.63	-	-	4.63	-	-	-	-	4.63

i)	Grant Statement									
		DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD								
										(In Rs.Lakhs)
SL. NO.	PARTICULARS	BALANCE AS ON 31.03.2024	RECEIVED DURING THE YEAR FROM GOVT.	RECEIVED DURING THE YEAR FROM PARTICIPANTS/OTHERS	TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR EXPENSES	REFUND TRANSFER	ADJUSTMENT/ TRANSFER	TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2025
233764	Organizing promotional activities 7 DRC 2021-22	(8.67)	0.84	-	(9.51)	5.49	-	-	5.49	(4.02)
233765	Organizing 8th Indian National Exhibition Cum-Fair Kolkata 2021-22	(1.44)	-	-	(1.44)	-	-	-	-	(1.44)
233768	Buyers Sellers Meet (BSM) at Guwahati 2021-22	0.41	-	-	0.41	-	-	-	-	0.41
233770	Organization of Awareness Prog Live Demonstration of Handloom Weaving	8.60	-	-	8.60	-	-	-	-	8.60
233775	National G.I. Gallery in the Craft Museum, Deendayal Hastkala Sankul, Varanasi FY 2022-2	10.83	-	-	10.83	-	-	-	-	10.83
233777	8th National Handloom Day 2022-23	(31.10)	-	-	(31.10)	-	-	-	-	(31.10)
233789	Silk Fab Delhi FY 2022-23	15.21	8.19	-	7.02	-	-	-	-	7.02
233790	Silk Fab Chennai FY 2022-23	7.11	7.11	-	-	-	-	-	-	-
233792	Silk Fab Shimla FY 2022-23	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03
233795	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat, Janpath FY 2022-23	(0.54)	-	-	(0.54)	-	-	-	-	(0.54)
233803	Organization of Awareness Camp cum Meeting in West Bengal FY 2022-23	2.00	-	-	2.00	-	-	-	-	2.00
233807	Parliamentary Consultative Meeting held on 22/11/2022 FY 2022-23	0.85	-	-	0.85	-	-	-	-	0.85
233810	VIRAASAT, Saree Festival at Janpath, Delhi FY 2022-23	7.30	-	-	7.30	-	-	-	-	7.30
233813	Janjatiya Gaurav Diwas, Janpath Delhi FY 2022-23	8.15	-	-	8.15	-	-	-	-	8.15
233815	Wool Fab, Jaipur FY 2022-23	2.41	2.41	-	-	-	-	-	-	-
233821	Surajkund International Crafts Mela, Faridabad FY 2022-23	4.02	14.47	-	(10.45)	-	-	-	-	(10.45)
233822	Interaction Meeting of MOS, Bhubaneswar FY 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233823	Silk Fab Hyderabad, FY 2022-23	7.73	7.73	-	0.00	-	-	-	-	0.00
233825	Silk Fab Exhibition, Gandhi Dham (Kandla), FY 2022-23	4.87	0.06	-	4.81	-	-	-	-	4.81
233826	Silk Fab Exhibition, Raipur, FY 2022-23	1.51	1.51	-	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)
233831	Silk Fab, Bangalore FY 2022-23	2.98	2.98	-	-	-	-	-	-	-
233833	District Handloom Expo Assam, at Nalbari & Mangaldoi FY 2022-23	3.40	-	-	3.40	-	-	-	-	3.40
233834	International Women's Day, FY 2022-23	(2.27)	-	-	(2.27)	-	-	-	-	(2.27)
233835	Silk Fab, Indore. FY 2022-23	7.15	7.15	-	-	2.98	-	2.98	-	-
233837	Silk Fab, Guwahati. FY 2022-23	2.65	2.65	-	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)
233838	Kashi Tamil Samagam (KTS), Varanasi FY 2022-23	(0.56)	-	-	(0.56)	-	-	-	-	(0.56)
233839	Special Handloom Expo (SCO), Janpath Delhi FY 2023-24	13.07	25.19	-	(12.12)	2.78	-	2.78	-	(12.12)
233840	Handloom of India, Lucknow FY 2022-23	5.37	5.37	-	0.00	-	-	-	-	0.00
233842	Visit of Minister of State to Jaipur under NHDP FY 2022-23	1.27	-	-	1.27	-	-	-	-	1.27
233843	13th Agrovision Summit Nagpur 2022-23	2.07	-	-	2.07	-	-	-	-	2.07
233844	Saurashtra Tamil Sangamam Programme Somnath 2023-24	18.44	18.44	-	(0.00)	-	-	0.20	(0.20)	(0.20)
233845	Exhibition for Home Decor, Janpath Delhi FY 2022-23	5.60	-	-	5.60	-	-	-	-	5.60
233848	National Handloom Expo at Janpath, FY 2022-23	33.32	33.30	-	0.02	-	-	-	-	0.02
233849	Handloom Events in Meghalaya 2023-24	1.20	-	-	1.20	-	-	-	-	1.20
233850	Wool Fab Delhi 2022-23	8.04	8.04	-	-	-	-	-	-	-
233851	Chintan Shivir with Textile Industry (Textile Conclave) Rajkot 2023-24	1.46	-	-	1.46	-	-	-	-	1.46
233852	Design Resource Centre 2021-22	5.49	-	-	5.49	-	-	5.49	(5.49)	-
233853	Awareness Prog,Live Demonstration of Handloom Weaving&Display of Handloom Product	(8.60)	-	-	(8.60)	-	-	-	-	(8.60)
233854	Special Event of Handloom & Handicraft at Sari Walkathon in Mumbai 2023-24	(0.63)	-	-	(0.63)	-	-	2.00	(2.00)	(2.63)
233857	Sari Festival- Saree Walkathon at Surat, FY 2023-24	5.03	-	-	5.03	-	-	-	-	5.03
233859	Silk Fab Varanasi 2022-23	(5.76)	-	-	(5.76)	5.76	-	-	5.76	-
233860	Buyer Seller Meet,Tamil Nadu, Salem 2022-23	1.23	-	-	1.23	-	-	-	-	1.23
233861	Buyer Seller Meet,Tamil Nadu, Kacheepuram 2022-23	1.19	-	-	1.19	-	-	-	-	1.19
233862	Buyer Seller Meet,Madhya Pradesh, Maheshwar 2022-23	1.01	-	-	1.01	-	-	-	-	1.01
233863	Buyer Seller Meet,Chattisgarh, Raipur 2022-23	1.00	-	-	1.00	-	-	-	-	1.00
233864	Buyer Seller Meet,Andhra Pradesh, Kakinada 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233865	Buyer Seller Meet,Telengana, Karimnagar 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233866	Buyer Seller Meet,Odisha, Bargarh 2022-23	0.81	-	-	0.81	-	-	-	-	0.81
233867	Buyer Seller Meet,West Bengal, Krishnanagar 2022-23	0.79	-	-	0.79	-	-	-	-	0.79
233868	Buyer Seller Meet,Jammu & Kashmir, Srinagar 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233869	Buyer Seller Meet,Haryana, Panipat 2022-23	0.84	-	-	0.84	-	-	-	-	0.84
233870	Buyer Seller Meet,Karnataka, Bangalore 2022-23	0.23	-	-	0.23	-	-	-	-	0.23
233871	Buyer Seller Meet,Gujrat, Surendarnagar 2022-23	0.75	-	-	0.75	-	-	-	-	0.75
233872	Seminar on Dissemination of Scheme 2022-23	6.40	7.18	-	(0.78)	-	-	-	-	(0.78)
233874	Buyer Seller Meet,Bihar, Bhagalpur 2022-23	3.00	-	-	3.00	-	-	-	-	3.00
233878	9th National Handloom Day, FY 2023-24 (EHE 05-08-2023 to 18-08-2023)	0.47	-	-	0.47	0.52	-	1.18	(0.66)	(0.19)
233879	Silk Fab Surat,FY 2023-24	4.64	-	-	4.64	-	-	3.33	(3.33)	1.31
233881	Silk Fab Ahmedabad (28-09-2023 to 11-10-2023), FY 2023-24	6.72	-	-	6.72	-	-	5.18	(5.18)	1.54
233882	Silk Fab Bhubaneswar (05-09-2023 to 18-09-2023), FY 2023-24	2.87	-	-	2.87	-	-	0.15	(0.15)	2.72
233884	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat Delhi 2023-24 (5.10.2023 to 18.10.2	4.59	4.59	-	-	-	-	-	-	-
233885	Wool Fab at Handloom Haat Delhi FY 2023-24 (17.11.2023 to 30.11.2023)	7.99	7.99	-	0.00	-	-	-	-	0.00
233886	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat Delhi 2023-24 (1.02.2024 to 14.02.2	6.65	-	-	6.65	-	-	0.75	(0.75)	5.90
233887	Exclusive Handloom Expo at Handloom Haat Delhi 2023-24 (1.03.2024 to 14.03.2	9.41	-	-	9.41	-	-	-	-	9.41
233889	Special Handloom Expo at Handloom Haat Delhi FY 2023-24 (18-09-2023 to 1-1	3.42	3.42	-	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)
233890	RBSM Kandla Gujrat 2022-23 (20-02-2023 to 21-02-2023)	3.62	-	-	3.62	-	-	-	-	3.62
233891	9th National Handloom Day TA/DA-ITPO, Delhi FY 2023-24	(0.50)	-	-	(0.50)	-	-	-	-	(0.50)
233892	Silk Fab Jamshedpur (15-09-2023 to 28-09-2023), FY 2023-24	3.48	-	-	3.48	-	-	3.41	(3.41)	0.07
233895	Silk Fab Delhi at Handloom Haat Janpath FY 2023-24 (23.10.2023 to 05.11.2023)	0.31	-	-	0.31	-	-	0.03	(0.03)	0.29
233896	Special Campaign for Swachhata 2023-24	0.80	-	-	0.80	-	-	-	-	0.80
233897	Silk Fab Hyderabad FY 2023-24 (28.12.2023 to 10.01.2024)	7.34	-	-	7.34	-	-	-	-	7.34
233898	4th Handloom Handicraft Expo 2023 (30.09.2023 to 15.10.2023)	-	-	-	-	-	-	0.28	(0.28)	(0.28)
233900	India International Trade Fair FY 2023-24 (14.11.2023 to 27.11.2023)	0.00	-	-	0.00	0.18	-	-	0.18	0.18
233901	Sari Walkathon 2023-24 (29-11-2023 to 10-12-2023)	28.12	-	-	28.12	29.62	-	14.87	14.75	42.87
233902	81st Plenary Meeting of International Advisory Committee (ICAC) 2023-24 (02-12-	0.97	3.10	-	(2.13)	-	-	-	-	(2.13)
233903	Silk Fab Indore 2023-24 (06-12-2023 to 19-12-2023)	3.58	-	-	3.58	-	-	0.01	(0.01)	3.57
233904	Silk Fab Bhopal FY 2023-24 (17-11-2023 to 30-11-2023)	4.61	-	-	4.61	0.57	-	2.57	(2.01)	2.61

i) **Grant Statement**

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(In Rs.Lakhs)

SL. NO.	PARTICULARS	BALANCE AS ON 31.03.2024	RECEIVED DURING THE YEAR FROM GOVT.	RECEIVED DURING THE YEAR FROM PARTICIPANTS/OTHERS	TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR EXPENSES	TRANSACTIONS DURING THE YEAR REFUND TRANSFER	TRANSACTIONS DURING THE YEAR ADJUSTMENT/ TRANSFER	TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2025
233905	26th National Textiles Exhibition 2023-24 (24-08-2023 to 27-08-2023)	(0.08)	-	-	(0.08)	-	-	-	-	(0.08)
233906	Jaipur Expo, Alluring Rajasthan FY 2023-24 (14-09-2023 to 16-09-2023)	1.34	1.34	-	-	-	-	-	-	-
233908	Silk Fab Lucknow FY 2023-24 (20/10/2023 to 02/11/2023)	4.20	-	-	4.20	-	-	-	-	4.20
233909	Viraasat -Saree Festival (Handloom Haat), Janpath, 2023-24 (15-12-2023 to 28-12	22.59	28.67	-	(6.08)	6.08	-	-	6.08	0.00
233911	Sharad Utsav -2024 (Atmnirbhar Bharat Utsav) 03-01-2024 to 10-01-2024 (FY 202	3.07	3.07	-	0.00	-	-	0.02	(0.02)	(0.02)
233913	Silk Fab Jabalpur FY 2023-24 (08/01/2024 to 21/01/2024)	4.80	-	-	4.80	-	-	-	-	4.80
233914	Bangalore Silk Fab FY 2023-24 (05/01/2024 to 18/01/2024)	5.92	-	-	5.92	-	-	8.53	(8.53)	(2.61)
233915	Special Campaign for Swachhata FY 2023-24 (01/10/2023)	0.58	-	-	0.58	-	-	-	-	0.58
233916	Wool Fab at Chandigarh FY 2023-24 (19-01-2024 to 28-01-2024)	19.64	19.64	-	-	3.81	-	4.12	(0.31)	(0.31)
233917	Silk Fab Varanasi 06-03-2024 to 19-03-2024 (FY 2023-24)	3.81	-	-	3.81	-	-	-	-	3.81
233918	Silk Fab Dehradun 16-02-2024 to 29-02-2024 (FY 2023-24)	2.33	-	-	2.33	-	-	-	-	2.33
233919	Silk Fab Kolkata 25-02-2024 to 09-03-2024 (FY 2023-24)	7.12	-	-	7.12	-	-	-	-	7.12
233920	Wool Fab at Lucknow FY 2023-24 (30-01-2024 to 09-02-2024)	15.65	15.65	-	-	8.74	-	8.47	0.27	0.27
233921	Saree Walkathon at KOTA, Rajasthan FY 2023-24 (04-02-2024)	88.70	-	-	88.70	58.05	-	89.08	(31.02)	57.67
233922	Silk Fab Guwahati (28-03-2024 to 10-04-2024) FY 2023-24	(5.73)	-	-	(5.73)	26.54	-	19.49	7.05	1.32
233924	Aatmnirbhar Bharat Utsav 3.2.2024 to 8.2.2024 Kota 2023-24	(1.51)	14.45	-	(15.96)	27.24	-	11.28	15.96	0.00
233925	Aatmnirbhar Bharat Utsav, Goregaon Mumbai FY 2023-24 (14-02-2024 to 19-02-2	12.48	-	3.00	9.48	58.24	-	1.77	56.47	65.95
233926	One Bharat Sari Walkathon, Hyderabad FY 2023-24 (05-03-2024)	12.82	15.00	-	(2.18)	18.39	-	16.21	2.18	0.00
233929	Silk Fab Exhibition, Dibrugarh, FY 2023-24 (01-03-2024 to 14-03-2024)	(0.48)	-	-	(0.48)	6.43	-	-	6.43	5.95
233930	Silk Fab Patna, FY 2023-24 (08-02-2024 to 21-02-2024)	4.16	-	-	4.16	-	-	-	-	4.16
233933	Quiz & Selfie contest held on 8th NHD-2022 FY 2022-23	7.00	8.00	-	(1.00)	-	-	-	-	(1.00)
233934	Silk Fab Udaipur, FY 2023-24 (30-03-2024 to 12-04-2024)	(2.76)	-	-	(2.76)	1.05	-	-	1.05	(1.71)
233935	Exclusive Handloom Expo, Handloom Haat, Janpath FY 2023-24 (31-03-2024 to (	(8.32)	-	-	(8.32)	6.25	-	(7.09)	13.34	5.02
233942	27th Banga Sanskriti Utsav- 2024 (05-01-2024 to 14-01-2024)	4.09	4.14	-	(0.05)	3.97	-	3.97	-	(0.05)
233946	Participation in Vision Goa FY 2023-24 (04-10-2023 to 06-10-2023)	3.13	3.13	-	-	-	-	-	-	-
233956	Samridh Maharashtra FY 2023-24 (23-08-2023 to 25-08-2023)	1.44	1.44	-	-	-	-	-	-	-
233957	Seminar on Dissemination of Scheme FY 2023-24	3.08	-	-	3.08	-	-	-	-	3.08
233958	PARGATISHEEL MAHARASHTRA 1.11.2023 to 3.11.2023 FY 2023-24	1.32	1.32	-	-	-	-	-	-	-
233959	CNA Management Charges	24.00	-	-	24.00	-	-	-	-	24.00
261010	MISCELLANEOUS GRANT ACCOUNT (EXHIBITION)	(11.36)	-	-	(11.36)	-	-	(52.70)	52.70	41.34
261018	District Handloom Expo Imphal 2021-22	6.00	-	-	6.00	-	-	-	-	6.00
280015	INAUGRAL FUNCTION OF TFC (22.12.16 VARANASI)	30.96	-	-	30.96	-	-	-	-	30.96
233932	The North East Textiles Festivals, Shillong 22-03-2024 FY 2023-24	-	7.73	-	(7.73)	7.73	-	-	7.73	-
233936	Repair and Maintenance Expenses for Handloom Haat, Janpath	-	-	-	-	35.26	-	-	35.26	35.26
233937	Film on Handloom Assistance FY 2024-25	-	8.92	-	(8.92)	8.92	-	-	8.92	-
233938	Film on Craftmanship on Indian Handloom FY 2024-25	-	17.82	-	(17.82)	17.82	-	-	17.82	-
233939	Film on Handloom start-ups and Entrepreneurs FY 2024-25	-	17.83	-	(17.83)	17.83	-	-	17.83	-
233940	8th Edition of Rangoli fashion show FY 2024-25 (21.6.2024 to 23.06.2024)	-	6.00	-	(6.00)	13.68	-	-	13.68	7.68
233941	Film on Craft Handloom Village Kullu FY 2024-25	-	29.26	-	(29.26)	29.26	-	-	29.26	-
233944	CNA	-	571.03	-	(571.03)	260.03	-	-	260.03	(311.00)
233945	Mini Handloom Expo (DHE) Noida FY 2024-25 (25-07-2024 to 29-07-2024 and 06-08-2024 to 10-08-2024)	-	5.77	-	(5.77)	11.89	-	-	11.89	6.12
233947	SHE Ahmadabad FY 2024-25 (01-09-2024 to 14-09-2024)	-	15.00	-	(15.00)	29.19	-	-	29.19	14.19
233948	SHE Udaipur FY 2024-25 (15-10-2024 to 28-10-2024)	-	15.00	-	(15.00)	24.55	-	-	24.55	9.55
233949	SHE Palampur (19.03.2025-01-04.2025) FY 2024-25	-	15.00	-	(15.00)	29.45	-	2.60	26.85	11.85
233950	SHE Mysore FY 2024-25 (05-01-2025 to 18-01-2025)	-	15.00	-	(15.00)	26.51	-	-	26.51	11.51
233951	SHE Guwahati FY 2024-25 (25-03-2025 to 07-04-2025)	-	15.00	-	(15.00)	9.19	-	-	9.19	(5.81)
233952	Exclusive Event NCHT Janpath New Delhi FY 2024-25 (03-08-2024 to 16-08-2024)	-	22.45	-	(22.45)	53.47	-	-	53.47	31.02
233953	Exclusive Event Kochi Trivandrum FY 2024-25 (18-08-2024 to 25-08-2024)	-	28.06	-	(28.06)	47.25	-	-	47.25	19.19
233954	Exclusive Event NCHT Janpath New Delhi FY 2024-25 (29-09-2024 to 12-10-2024)	-	23.39	-	(23.39)	41.32	-	1.00	40.32	16.93
233955	Exclusive Event Chandigarh FY 2024-25 (06-11-2024 to 13-11-2024)	-	24.29	-	(24.29)	41.48	-	-	41.48	17.19
233960	Anant Samagam Event 26th to 27th October 2024 FY 2024-25	-	-	-	-	6.79	-	-	6.79	6.79
233962	27th National Textile Exhibition 11th to 14th September 2024 FY 2024-25	-	-	-	-	4.12	-	-	4.12	4.12
233963	43rd IITF Pragati Maidan, New Delhi 14th to 27th November 2024 FY 2024-25	-	136.61	-	(136.61)	299.98	-	-	299.98	163.37
233964	Organisation of Independent domestic Woollen Expo, Bhopal FY 2024-25 (21-11-2024 to 30-11-2024)	-	24.00	-	(24.00)	23.22	-	-	23.22	(0.78)
233965	Craft Mela in North East Festival FY 2024-25 (15-11-2024 to 17-11-2024)	-	-	-	-	3.29	-	-	3.29	3.29
233966	Pilot project regarding traceability of Handloom Product FY 2024-25	-	2.50	-	(2.50)	-	-	-	-	(2.50)
233967	EHE NCHT Janpath New Delhi (Sari Festival) FY 2024-25 (15-12-2024 to 28-12-2024)	-	-	-	-	43.27	-	-	43.27	43.27
233968	Exclusive Handloom Expo Lucknow (01.02.2025 to 14.02.2025) FY 2024-25	-	18.23	-	(18.23)	31.74	-	-	31.74	13.51
233969	Exclusive Handloom Expo Patna (08.02.2025 to 21.02.2025) FY 2024-25	-	20.29	-	(20.29)	28.57	-	-	28.57	8.28
233970	Exclusive Handloom Expo Surat (17.03.2025 to 30.03.2025) FY 2024-25	-	19.26	-	(19.26)	33.94	-	-	33.94	14.68
233971	Participation in Rashtriya Dushera Mela FY 2024-25 (14-10-2024 to 27-10-2024)	-	-	-	-	5.61	-	-	5.61	5.61
233972	Participation in ITU FY 2024-25 (14-10-2024 to 24-10-2024)	-	-	-	-	0.89	-	-	0.89	0.89
233973	4th Janjatiya Gaurav Divas FY 2024-25 (17-11-2024 to 26-11-2024)	-	-	-	-	21.98	-	3.93	18.05	18.05
233974	Mega Exhibition Sashakt Rajasthan FY 2024-25 (16-10-2024 to 18-10-2024)	-	-	-	-	1.20	-	-	1.20	1.20
233975	EHE NCHT Janpath New Delhi (Virasat Shakti) FY 2024-25 (04-03-2025 to 11-03-2025)	-	-	-	-	26.01	-	-	26.01	26.01
233976	BEST of India Maha World Expo FY 2024-25 (27-11-2025 to 29-11-2025)	-	-	-	-	3.42	-	-	3.42	3.42
233977	Aatamnirbhar Bharat Utsav Indore (1.12.2024 to 8.12.2024) FY 2024-25	-	-	-	-	42.79	-	-	42.79	42.79
233978	Handloom Expo Exhibition cum Sale Surat (15.12.24 to 30.12.24) FY 2024-25	-	-	-	-	2.77	-	-	2.77	2.77
233979	28th Banga Sanskriti Utsav- 2025 (03-01-2025 to 12-01-2025)	-	-	-	-	4.52	-	-	4.52	4.52
233987	Special Handloom Expo Noida FY 2025-26 (15-04-2025 to 24-04-2025)	-	-	-	-	2.37	-	-	2.37	2.37
(A)	MARKETING EXHIBITION EXPENSES									
(B)	OTHERS GRANTS	-			-				-	-
										-
	TOTAL	1,165.01	1,390.00	6.80	(231.79)	1,617.14	-	162.72	1,454.43	1,222.65

i)	Grant Statement									
		DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD								
										(In Rs.Lakhs)
SL.	PARTICULARS	BALANCE	RECEIVED DURING THE YEAR		TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR			TOTAL	BALANCE
NO.		AS ON	FROM GOVT.	FROM		EXPENSES	REFUND	ADJUSTMENT/		AS ON
		31.03.2024		PARTICIPANTS/OTHERS			TRANSFER	TRANSFER		31.03.2025
	TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES)	1,502.58	1,390.00	6.80	1,234.92	1,617.14	-	222.51	1,517.83	1,880.53
	TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT)	(337.57)	-	-	(1,466.70)	-	-	(59.79)	(63.40)	(657.88)
		1,165.01	1,390.00	6.80	(231.79)	1,617.14	-	162.72	1,454.43	1,222.65
		DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD								
										(In Rs.)
SL.	PARTICULARS	OPENING	RECEIVED DURING THE		TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR			TOTAL	BALANCE
NO.		BALANCE	FROM GOVT.	FROM		EXPENSES		REFUND/ADJUSTMENT/		AS ON
		1.4.2024		PARTICIPANTS/OTHERS				TRANSFER		31.03.2025
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7		8	9 (7+8)	10(6+9)
	YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME									
1	15% HANK YARN SUBSIDY	2,407.29	13,598.32		(11,191.03)	12,842.09		-	12,842.09	1,651.06
2	YSS CLAIMS (MGPS)	1,085.80	3,528.67		(2,442.87)	4,703.44		-	4,703.44	2,260.57
	TOTAL	3,493.09	17,126.99	-	(13,633.90)	17,545.53		-	17,545.53	3,911.63

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

42ND ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25



व्यक्तिगत रूप से उपस्थित (बाएँ से दाएँ): श्रीमती पूजा शर्मा (वरिष्ठ प्रबंधक – वित्त एवं लेखा),
श्री जितेन्द्र वी. पुरोहित (महाप्रबंधक – वित्त एवं लेखा),
श्री धीरेंद्र प्रकाश जलंधरी (अधिशासी निदेशक – वित्त / कंपनी सचिव (अतिरिक्त प्रभार) / मुख्य वित्त अधिकारी),
सुश्री पूनम (सलाहकार कंपनी सचिव), कमोडोर राजीव अशोक (सेवानिवृत्त) (प्रबंध निदेशक – एनएचडीसी),
डॉ. बीना महादेवन (अध्यक्ष – एनएचडीसी), श्री धीरेंद्र कुमार (निदेशक - आई एफ डब्लू),
श्री निपुण पांडे (अतिरिक्त विकास आयुक्त – हथकरघा), श्री एम के हरिकुमार (सयुंक्त विकास आयुक्त – हथकरघा)

Physically Present (from left to right): Smt. Pooja Sharma (Sr. Manager (F&A), Shri Jitendra V Purohit (GM (F&A), Shri Dhirender Prakash Jalandhari (ED – Finance/CS (Add. Charge) /CFO), Ms. Poonam (Consultant Company Secretary), Commodore Rajiv Ashok (Retd.) (MD-NHDC), Dr. Beena Mahadevan (Chairperson - NHDC), Shri Dhirendra Kumar (Director - IFW), Shri Nipun Pande (ADC Handlooms), Shri M K Harikumar (JDC Handlooms)

42वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025

42nd Annual Report 2024-2025



पंजीकृत कार्यालय

नोएडा कॉम्पलेक्स, ए–2,3,4 और 5
सेक्टर–2, उद्योग मार्ग,
नोएडा–201301
गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष 0120–2329600
ईमेलः secretarial@nhdc.org.in

Registered Office

Noida Complex, A-2,3,4 & 5
Sector-2, Udyog Marg,
Noida-201301
Guatam Buddha Nagar,
Uttar Pradesh, India
Tel. 0120-2329600
E-mail: secretarial@nhdc.org.in

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

www.nhdc.org.in